दशम माला, खंड 38, अंक 1

मंगलवार, 14 मार्च, 1995
23 फ़ाल्गुन 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 14 मार्च, 1995 / 23 फाल्गुन, 1916 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	15	219,220ए 226	219-220, 223-226
70	नीचे से 12	मंत्रायल	मंत्रालय
108	नीचे से 8	(क) और (ख)	(क) से (ग)
108	नीचे से 3	(ग) और (घ)	(घ) से (ङ)
129	2	श्री चन्द्रा पटेल	श्री चन्द्रेश पटेल
223	2	विधेयक पर अनुभति	विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
226	नीचे से 14	लोक लेखा समिति के पश्चात् 'का प्रतिवेदन' का लोप कीजिए	
226	नीचे से 6	रेल अभिसमय समिति के पश्चात् 'का प्रतिवेदन' का लोप कीजिए	
226	नीचे से 4	(मेदक)	(मेडक)
229	6	सक्कारो	सरकारी

विषय-सूची

दशम माला, खंड 38, तेरहवां सत्र, 1995/1916 (शक)
अंक 3, मंगलवार, 14 मार्च, 1995/23 फाल्गुन, 1916 (शक)

विषय		कालम
निधन संबंधी उल्लेख		1—6
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	21-40	6—29
अतारांकित प्रश्न संख्या :	164-187	
	189-384	
	386, 387	
	389-393	29—203
बिहार में चुनाव स्थगित किये जाने के बारे में		204—220,223—226
श्री सोमनाथ चटर्जी		204—206
श्री अटल बिहारी वाजपेयी		206—210
श्री इन्द्रजीत गुप्त		211—213
श्री श्रीकान्त जेना		214—215
श्री चन्द्रजीत यादव		215—217
श्री चिरंजीलाल शर्मा		217—218
डा. मुमताज अंसारी		218—219
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी		224
श्री जसवंत सिंह		225—226
श्री विद्याचरण शुक्ल		219,220,226
सभा पटल पर रखे गये पत्र		220—222
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति		223
लोक लेखा समिति		
सत्तासीवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		226
रेल अभिसमय समिति		
नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		226
रेल सम्बन्धी स्थायी समिति		
ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		227
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन सम्बन्धी स्थायी समिति		
सोलहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत		227
समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव		
(एक) प्राक्कलन समिति		227—228
(दो) लोक लेखा समिति		228—229
(तीन) सरकारी उपक्रमों सबन्धी समिति		229
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सबन्धी समिति		230

विषय	कालम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोठपुरा में रेल फाटक पर एक उपरिपुल बनाने और पंजाब के फिरोजपुर तथा फरीदकोट शहरों को और रेल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जगमीत सिंह बरार ... 231

(दो) विमान यात्रियों की समस्याओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा ... 231

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं/प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' ... 231—232

(चार) अजमेर (राजस्थान) को वायुसेवा से जोड़ने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत ... 232

(पांच) पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी के रानीनगर जक्शन के निकट रेलवे फाटक स्वीकृत करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास ... 233

पेटेंट (संशोधन) विधेयक – पुरःस्थापित ... 233—234, 269—276

रेल बजट, 1995-96—प्रस्तुत

श्री सी.के. जाफर शरीफ ... 234—264

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल, 1994-95) ... 264—268

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक—जारी ... 277—300

श्री रूपचन्द पाल ... 277—281

श्री गिरधारी लाल भार्गव ... 282—283

श्री श्रवण कुमार पटेल ... 283—285

श्री ए. अशोकराज ... 285—286

कुमारी ममता बनर्जी ... 286—289

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ... 289—290

श्री वीरेन्द्र सिंह ... 290—292

श्री पी.सी. थॉमस ... 292—293

श्री सन्तोष कुमार गंगवार ... 293—294

प्रो. रासा सिंह रावत ... 294—299

श्री के.पी. सिंह देव ... 299—300

कार्य मन्त्रणा समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत ... 299

लोक सभा

मंगलवार, 14 मार्च, 1995 / 23, फाल्गुन, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आज हम एक माह के अन्तराल में मिल रहे हैं। मुझे बड़े दुःख के साथ सभा को यह जानकारी देनी है कि हमारे पांच पूर्व सहयोगियों अर्थात् सर्व श्री पी. आर. चक्रवर्ती, एम.के.एम. अब्दुल सलाम, रामकिशन, चन्द्रशेखर सिंह और एम. सत्यनारायण का निधन हो गया है।

श्री पी.आर. चक्रवर्ती बिहार के धनबाद संसदीय क्षेत्र से 1962-67 तक तीसरी लोकसभा के सदस्य रहे। वह 1952-56 तक दिल्ली राज्य विधानसभा के सदस्य रहे तथा उसी विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष रहे।

उनका जन्म और शिक्षा दीक्षा ढाका में हुई। व्यवसाय से वह अध्यापक थे, वह दिल्ली और ढाका विश्वविद्यालयों के यूनिवर्सिटी कोर्ट एवं कार्यकारिणी के सदस्य रहे। वह कई सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे एवं कई विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं की शासी निकायों (गवर्निंग बाडीज़) के सदस्य रहे।

उन्होंने देश-विदेश देखा था। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए भेजे गए भारतीय शिष्टमण्डल के सलाहकार की हैसियत से अमरीका गए। खेलों में उनकी विशेष रूचि थी।

श्री चक्रवर्ती का 12 फरवरी 1995 को 92 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल के कृष्णगढ़ में निधन हुआ।

श्री एम.के.एम. अब्दुल सलाम 1957-62 तक तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचनक्षेत्र से दूसरी लोकसभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1952-56 तक मद्रास विधानसभा के सदस्य रहे। व्यवसाय से वह बिजनेसमैन थे। वह एक सक्रिय राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह तिरुचि नगरपालिका तथा तिरुचि लाइब्रेरी कमेटी के सदस्य भी रहे। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए भी उन्होंने काम किया।

वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे तथा उसमें उन्होंने मूल्यवान योगदान किया।

श्री अब्दुल सलाम का 13 फरवरी 1995 को 74 वर्ष के आयु में तिरुचिरापल्ली में देहान्त हुआ।

श्री रामकिशन 1967-68 के दौरान पंजाब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचनक्षेत्र से चौथी लोकसभा के सदस्य रहे।

1952-57 और 1967-67 के दौरान पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे तथा अप्रैल 1956 से मार्च 1957 तक पंजाब मंत्रिपरिषद् में उपमंत्री और मार्च से दिसम्बर 1962 तक राज्यमंत्री रहे। 1964 में वह पंजाब के मुख्यमंत्री बने तथा दो साल राज्य का कामकाज बड़ी कुशलता से चलाया।

वह 'कामरेड' के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तथा 1929-30 में नौजवान-भारत सभा से सम्बद्ध रहे। वह जानेमाने राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता रहे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सतत् प्रयास किए तथा खादी और ग्रामोद्योग के विकास में विशेष रुचि ली।

उन्होंने देश-विदेश की यात्रा की और आर्थिक एवं ग्रामीण विकास में उनकी विशेष दिलचस्पी रही।

श्री रामकिशन का 22 फरवरी 1995 को 82 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में निधन हुआ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1977-79 तक छठी लोकसभा के सदस्य रहे। 1967 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे।

श्री चन्द्रशेखर किसान थे। वह सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता रहे तथा अपने क्षेत्र के कई मजदूर संघों से सम्बन्धित रहे और उनमें विभिन्न पदों पर काम किया।

एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने हिन्दू-मुसलमान एकता एवं जातिप्रथा उन्मूलन के लिए कठोर परिश्रम किया। वह तुलसी रामचरित्रमानस समिति एवं तुलसी आश्रम के अध्यक्ष रहे तथा वाराणसी तुलसी लाइब्रेरी के संरक्षक रहे। वह इस्लामिया लाइब्रेरी के अध्यक्ष भी रहे।

श्री चन्द्रशेखर सिंह की बड़ी दुःखद मौत हुई। वह 3 मार्च, 1995 को वाराणसी में एक हत्यारे की गोली के शिकार हुए।

श्री मोतुरि सत्यनारायण क्रमशः 1940-1950 के दौरान तथा 1950 से 1952 तक विधानसभा और अन्तरिम् संसद के सदस्य रहे। उन्हें 1954 और 1960 में दो बार राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 1952-54 के दौरान वह मद्रास विधानसभा के विधायक रहे।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री सत्यनारायण 18 वर्ष की कच्ची उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। वह गांधी के निकट सहयोगी रहे। उन्होंने भारत-छोड़ो आन्दोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। वह 1942-1944 के दौरान जेल में रहे।

दक्षिण में हिन्दी के प्रसार के हिमायती श्री सत्यनारायण 1921 में राष्ट्र भाषा आन्दोलन में शामिल हुए और 1936 से 1938 तक राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के सचिव रहे। वह एक लम्बे समय तक दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा आन्दोलन के महा-सचिव रहे।

उनकी अनेक विषयों में रूचि रही। वह कई शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध रहे। वह भारतीय सांस्कृतिक अकादमी, अखिल भारतीय हिन्दी परिषद, दिल्ली के संयुक्त सचिव तथा हिन्दुस्तानी शार्टहैन्ड ओर हिन्दी टाइपराइटिंग कमेटी एवं 1950-51 में संविधान के अनुवाद के लिए बनी विशेषज्ञ समिति के सदस्य रहे।

वह दक्षिण भारत एवं हिन्दी प्रचार समाचार पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे। उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

श्री सत्यनारायण का 6 मार्च 1995 को 93 वर्ष की आयु में मद्रास में देहान्त हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और उनके शोक-संतप्त परिवारों को अपनी संवेदना प्रतित करते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कल जो हुआ वह बहुत ही गम्भीर बात है। बिहार में चुनाव जानबूझकर स्थगित करना असंवैधानिक है, यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। यह मिलीभगत है तथा केन्द्रीय शासन लागू करने की सांठ-गांठ है। इसे सहन नहीं किया जाएगा।...**(व्यवधान)** बिहार में क्या हो रहा है? ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : बिहार में चुनाव स्थगित क्यों किए गए हैं ...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : बिहार में संसदीय लोकतंत्र का हनन हो रहा है।...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसका उपचार क्या है? हम यह जानना चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। बिहार में क्या होगा, सरकार ने इसका खुलासा नहीं किया है। क्या वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा? कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठ-गांठ है। दोनों ही बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। क्या लोगों का वोट देने का अधिकार निर्वाचन आयोग की दया पर निर्भर है?...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : बिहार में जानबूझकर चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रधान-मंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या लोगों के मताधिकार उस सरकार के इच्छाओं के मातहत हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है? सरकार ऐसा जानबूझकर कर रही है। हम यह सहन नहीं करेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार बिहार में चुनाव कराने से क्यों कतराती है? आप वहां राष्ट्रपति शासन क्यों लागू करना चाहते हैं?. ..**(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री को आने दें।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि वह विभिन्न मुद्दों को इस सभा में कब और किस प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जनतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप जिन मामलों पर बहस चाहते हैं, उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : संसदीय लोकतंत्र खतरे में है। बिहार में चुनाव एक बार नहीं दो बाद स्थगित किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को उचित समय पर उचित तरीके से उठाएं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : इस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हिन्दुस्तान के दो बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का बहानामात्र है। यह व्यवहार कर रही है सरकार वहां के लोगों के साथ?

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : प्रधान मंत्री को सदन में आना चाहिए और आकर इस्तीफा देना चाहिए तथा जनादेश प्राप्त करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : अगर नैतिकता है तो सरकार त्यागपत्र दे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : हम चुनाव चाहते हैं। आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? आप वस्तुतः चाहते क्या हैं? बिहार में चुनाव स्थगित क्यों किए जा रहे हैं?...**(व्यवधान)**...सरकार अपना मन्तव्य स्पष्ट करें। बिहार में चुनाव मुलतवी क्यों किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया था। मेरा निवेदन है कि आप इस पर वोटिंग करा लीजिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : बिहार के चुनावों को स्थगित करने की सरकार, निर्वाचन आयोग और भाजपा साजिश है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, आप प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं बुलाते।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : इन लोगों की साजिश है। जनतंत्र की हत्या की जा रही है।...**(व्यवधान)** यहां प्रधान मंत्री जी को बुलाया जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उसका क्या हुआ?

श्री श्रीकान्त जेना : हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या बिहार में चुनाव होगा या नहीं। सरकार यह स्पष्ट करे।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं सब आपकी बात सुनना चाहते हैं। अगर आप सब एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन सकेगा। इसलिए आधा घण्टे के बाद आप उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बिहार में जो हो रहा है वह निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार के बीच की बात है। केन्द्र सरकार को इसमें कोई लेना-देना नहीं है। हम चुनाव आयोग की हिदायतों क्त कड़ाई से पालन कर रहे हैं। चुनाव आयोग बिहार सरकार से सम्पर्क में है। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। चुनाव आयोग जो ठीक समझेगा, करेगा। केन्द्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोच रहा था कि आप कहेंगे इस पर प्रश्नकाल के बाद विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह : मंत्री जी अगर अपनी बात कहेंगे तो हम पहले अपनी बात तो कहेंगे।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आज बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग क्यों कर रहे हैं?

11.19 म.पू.

इसी समय डा. मुमताज अनसारी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)...

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : सारा काम प्रधान मंत्री और बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बिहार में जनतंत्र की हत्या की जा रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अब चर्चा शुरू हो चुकी है। आप इसके आगे चलाइए।...**(व्यवधान)**... मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मामला केवल बिहार और इलेक्शन कमीशन का नहीं है, मैं केन्द्र सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तत्पश्चात् लोक सभा दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग अनुसंधान

*21. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग अनुसंधान संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान इन संस्थाओं को कितना बजटीय अनुदान दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो तथा अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण नामक दो संस्थान मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग अनुसंधान का काम करते हैं। अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में है।

(ख) इन संस्थानों को वर्ष 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के लिए 442.5 लाख रुपये तथा अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण के लिए 540 लाख रुपये के बजट अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

(ग) और (घ). जी, हां। बाह्य दलों तथा आन्तरिक प्रबोधन (मानीटरिंग) दोनों के जरिये समय-समय पर इन संस्थानों के कार्य-कलापों का मूल्यांकन किया जाता है। हाल के समीक्षा दल

(1989) ने 1,250,000 स्केल में देश के विभिन्न राज्यों तथा 1:1 मिलियन स्केल में देश के मृदा संसाधन मानचित्रों को तैयार करने के लिए संस्थान द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा की है। मूल्यांकन दल द्वारा नदी घाटी प्रयोजनाओं तथा जिन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाती है, उन पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अमल के लिए अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण द्वारा किये गये कार्य की प्रशंसा की गयी है।

वन्यजीव सप्ताह

*22. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वन्य-जीव सप्ताह मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से कार्यक्रम, योजनाएं तथा परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ग) क्या वन्य-जीवों की संख्या की गणना की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न वन्य-जीवों की प्रजातियों तथा विशेषरूप से विलुप्त होती जा रही प्रजातियों की अभ्यारण्य-वार तथा आरक्षित वन-वार संख्या क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। वन्य जीव सप्ताह 2 अक्तूबर, 1994 से मनाया गया था।

(ख) राज्य सरकारों ने विभिन्न केन्द्रों और संस्थाओं में वन्यजीव कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें राज्य के शिक्षा, आदिवासी, वन्यजीव विभागों और गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया।

स्कूली बच्चों द्वारा प्रकृति शिविर तथा नजदीकी राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों के ग्रुप दौरे भी आयोजित किए गए। राष्ट्रीय प्राणि उद्यान ने इस मंत्रालय की ओर से दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यों द्वारा विशेषकर वन्यजीव सप्ताह के दौरान नहीं बल्कि आवधिक रूप से वन्यजीव जन्तुओं की मुख्य प्रजातियों की गणना की जाती है। इस मंत्रालय में वन्यजीव जन्तुओं की आबादी के रिकार्ड-वार आंकड़ों का संकलन और मिलान नहीं किया जाता है। तथापि, देश में कुछ मुख्य प्रजातियों की संख्या नीचे दी गई है।

	प्रजाति का नाम	वर्ष	संख्या
1.	बाघ	1993	3750
2.	तेंदुआ	1993	6828
3.	हाथी	1993	22000-27000
4.	भारतीय शेर	1990	284
5.	गैंडे	1993	1495

भूकम्प पीड़ित

*23. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लातूर और उस्मानाबाद के भूकम्प से प्रभावित गांवों के पुनर्निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास हेतु अब तक प्रदान की गई केन्द्रीय तथा विश्व बैंक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित लोगों को पूर्ण मुआवजा मिल गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी भूकम्प पीड़ितों को पूर्ण मुआवजा कब तक दे दिया जाएगा?

कृषि मंत्री (बलराम जाखड़) : (क) महाराष्ट्र में भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण और आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्वास के लिये विश्व बैंक की सहायता से एक व्यापक पुनर्वास परियोजना चलाई जा रही है।

(ख) पुनर्वास परियोजना के करार की शर्तों के अनुसार, विश्व बैंक राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करता है। जनवरी, 1995 तक विश्व बैंक द्वारा 30.68 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

(ग) से (ङ). महाराष्ट्र सरकार भूकम्प में मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों तथा अपंग हुए व्यक्तियों को अनुग्रह राशियों का वितरण पहले ही कर चुकी है। शेष सहायता इस समय चल रहे भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जानी है, जो 30 जून, 1997 तक पूरी की जायेगी।

केन्द्रीय भांडागार निगम

*24. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम वैज्ञानिक भंडारण प्रौद्योगिकी तथा विपणन, विशेष रूप से कृषि उपज से संबंधित ऐसी प्रौद्योगिकी तथा विपणन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण तथा आधारभूत सुविधाओं के अभावों के कारण खराब होने वाली कृषि जिन्सों के संबंध में फसल के उपरांत होने वाली हानि का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपयुक्त परिवहन हेतु कंटेनर तथा भंडारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय भण्डारण निगम ने अपने कंटेनर फ्रेट स्टेशन, पटपड़गंज (दिल्ली) से खराब होने वाली (पेरीशेबल) वस्तुओं का निर्यात करने के लिए "रेफ्रिजरेटिव कंटेनराइज्ड कार्गो" की प्री-कूलिंग और सड़क परिवहन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी कम्पनी, मैसर्स अमेरिकन प्रेसीडेन्ट लाइन्स (ए.पी.एल.) के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कोई अन्य विशिष्ट योजना नहीं है।

(ग) और (घ). फसल कटाई के उपरान्त होने वाली हानियों का अनुमान लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सरकार द्वारा 1981 में योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य (कृषि) डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया था जिसने उस समय अनुमान लगाया था कि अपर्याप्त भण्डारण और बुनियादी सुविधाओं के कारण होने वाली हानियां 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच थी।

(ङ) केन्द्रीय भण्डारण निगम बहुरूपीय (मल्टी-माडल) परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से फिलहाल 13 कंटेनर फ्रेट स्टेशन चला रहा है जिसमें पंजाब राज्य भण्डारण निगम के साथ संयुक्त उपक्रम में चल रहा एक फ्रेड स्टेशन भी शामिल है। केन्द्रीय भण्डारण निगम की 7 और नए स्थानों पर कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है।

नशीली दवाओं के सेवन का पता लगाने संबंधी परीक्षण

*25. **श्री हरिन पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नशीली दवाओं का सेवन करने के कारण काफी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिए जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में सभी खेल आयोजकों को नशीली दवाओं के सेवन का पता लगाने संबंधी परीक्षण करने के निर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). खिलाड़ियों, राष्ट्रीय खेल संघों और राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण में लगे कोचों को नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभाव के बारे में सूचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय खेल संघों की घरेलू टूर्नामेंटों के दौरान डोप टेस्ट करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बागवानी के लिए सहायता

*26. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री वृजभूषण शरण सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की ओर से बागवानी को बढ़ावा देने हेतु सहायता प्रदान किए जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इन राज्यों से बागवानी को बढ़ावा देने तथा धनराशि का उपयोग किए जाने के बारे में कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) भारत सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था करके आठवीं योजना अवधि के दौरान बागवानी विकास के लिये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसके अन्तर्गत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न विकास योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) कुल मिलाकर, 15 योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जो विभिन्न फसलों के विकास, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग तथा कटाई के बाद के रख-रखाव हेतु बुनियादी ढांचे के विकास, विपणन और निर्यात के बारे में हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई कुल सहायता इस प्रकार है :—

1992-93	:	रुपये 54.51 करोड़
1993-94	:	रुपये 109.08 करोड़
1994-95 (प्रस्तावित)	:	रुपये 176.67 करोड़

(ग) जी, हां।

(घ) अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों से धन के निम्नानुसार उपयोग का पता चलता है :—

1992-93	:	33.28 करोड़ रुपये
1993-94	:	67.92 करोड़ रुपये

वर्ष 1994-95 के लिये ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

*27. **श्री छेदी पासवान :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को कारगर ढंग से लागू करने के संबंध में किन-किन राज्यों से आग्रह किया है;

(ख) किन-किन राज्यों ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुरोध करता रहा है।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार, सारे देश भर में 31 राज्य आयोग तथा 457 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य ने जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 के रूप में अलग से एक कानून अधिनियमित किया है, जिसके तहत एक राज्य आयोग तथा दो प्रभागीय मंच कार्य कर रहे है।

[अनुवाद]

मांट्रियल फंड

*28. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित कितनी परियोजनाएं मांट्रियल फंड को भेजी गई तथा उसके द्वारा स्वीकृत की गयी;

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए फंड द्वारा भारत के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) मांट्रियल फंड को स्वीकृति के लिए और ज्यादा परियोजनाएं न भेजे जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत ने बहुपक्षीय निधि की कार्यकारी समिति को 34 परियोजनाएं भेजी हैं, जिनमें प्रौद्योगिकी के विकास की एक परियोजना भी है। इनमें से अब तक 30 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं।

(ख) बहुपक्षीय निधि में से किसी देश के लिए विशिष्ट धनराशियां निर्धारित नहीं की जाती है। निधियों को परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर मंजूर किया जाता है। मंजूर की गई 30 परियोजनाओं के लिए सहायता की कुल राशि 11.4 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों को तैयार करके बहुपक्षीय निधि के पास भेज दिया गया है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उपयोग या उत्पादन करने वाले उद्यमियों को परियोजना तैयार करने लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

उर्वरकों की खपत

*29. **श्री काशीराम राणा :**
श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर कितनी खपत हुई;

(ख) उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाए जाने के पूर्व उनकी खपत की क्या स्थिति थी;

(ग) क्या उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाए जाने के पश्चात इनकी खपत में निरन्तर गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों का सही प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु किसानों की उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों की राज्य-वार अनुमानित प्रति हैक्टेयर खपत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ). निम्नलिखित सारणी 1991-92 से 1993-94 तक देश में उर्वरक के पोषक तत्वों की खपत दर्शाती है :—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	एन.	पी.	के.	कुल
1991-92	80.46	33.21	13.61	127.28
1992-93	84.27	28.44	8.84	121.55
1993-94	87.89	26.69	9.08	123.66

फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों को 25.8.1992 से नियंत्रण रहित कर दिया गया था। नियंत्रण हटाने के बाद नाइट्रोजन की खपत में वृद्धि हुई है लेकिन फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत में

गिरावट आई है तथा 1992-93 में पोटाशयुक्त उर्वरकों की खपत में गिरावट आने के बाद 1993-94 के दौरान इसमें सुधार हुआ है।

(ङ) और (च). फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों से नियंत्रण हटाने के बाद उनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए तथा उनकी खपत में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने किसानों को इन उर्वरकों की बिक्री पर रियायत दी है। 1994-95 (वर्तमान वर्ष के दौरान एम.ओ.पी. और स्वदेशी पर 1000/-रुपये प्रति मीटरी टन, स्वदेशी योगों) ग्रेड़ पर निर्भर करते हुए) पर प्रति मीटरी टन 435/- रुपये से 999/-रुपये तक तथा एस.एस.पी. के लिए 340/- रुपये प्रति मीटरी टन की रियायतें दी जा रही हैं तथा 517/- करोड़ रुपये का प्रावधान अनुमोदित किया गया है।

विवरण

फसल क्षेत्र के लिए उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत (एन.पी.के.)

(अनुमानित)

क्र.सं.	राज्य	1992-93 (कि.ग्रा.)	1993-94 (कि.ग्रा.)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	114.77	116.99
2.	कर्नाटक	62.95	64.96
3.	केरल	67.19	58.53
4.	तमिलनाडु	114.59	111.93
5.	गुजरात	68.24	63.71
6.	मध्य प्रदेश	34.35	33.52
7.	महाराष्ट्र	56.38	59.47
8.	राजस्थान	27.11	27.77
9.	गोआ	45.05	39.39
10.	हरियाणा	109.27	120.59
11.	हिमाचल प्रदेश	31.20	29.17
12.	जम्मू और कश्मीर	41.08	39.15
13.	पंजाब	159.53	159.55
14.	उत्तर प्रदेश	84.40	88.75
15.	दिल्ली	187.77	238.41
16.	असम	6.87	8.65
17.	मणिपुर	47.70	47.42
18.	मेघालय	12.44	13.30
19.	नागालैंड	3.45	5.06
20	सिक्किम	8.18	7.37
21.	त्रिपुरा	19.84	17.48
22.	अरूणाचल प्रदेश	1.98	2.30
23.	मिजोरम	12.36	9.70
24.	बिहार	58.71	57.68
25.	उड़ीसा	20.68	21.16
26.	पश्चिम बंगाल	84.39	85.98
	अखिल भारतीय	66.52	67.68

[अनुवाद]

आर्सेनिक प्रदूषण

*30. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों के एक अन्तर्राष्ट्रीय दल ने पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं, तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) आर्सेनिक प्रदूषण से कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित लोगों की सहायतार्थ राज्य सरकार को क्या कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ङ) पश्चिम बंगाल के प्रभावित जिलों में भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु केन्द्रीय स्तर पर क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) क्या "स्कूल ऑफ एनवायर्नमेन्ट स्टडीज जादवपुर" द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) तथा (च). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) अब तक, अध्ययनों से संकेत मिला है कि पश्चिम बंगाल के भौगोलिक शैल समूहों में आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से बन जाता है इसलिए भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण को नियंत्रित करना संभव नहीं है। भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण के तथ्य को समझने के लिए गहराई से अध्ययन शुरू किए गए हैं।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वैज्ञानिकों के किसी अन्तर्राष्ट्रीय दल ने इस तरह की जांच नहीं की है। तथापि, "आर्सेनिक इन ग्राउन्ड वाटर : कौज, इफेक्ट एण्ड रैमिडी" विषय पर एक तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता में 6 से फरवरी, 1995 के दौरान आयोजित किया गया था इस सेमीनार की कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). अभी तक कोई क्रमबद्ध रोगजनक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, एक प्राथमिक सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि छह आर्सेनिक प्रभावित जिले नामतः 24 परगना (उत्तर), 24 परगना (दक्षिण), नादिया, बर्दवान, मुर्शिदाबाद तथा मालदा की कुल 302.767 लाख जनसंख्या में से 1.75 लाख लोगों में आर्सेनिक जनित चर्म बीमारियों के लक्षण मिले हैं।

(घ) पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण का अध्ययन करने और इसके समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है :

(1) पश्चिम बंगाल के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता में पुरानी आर्सेनिक विषाक्तता के रोगजनक अध्ययन के लिए 4.939 लाख रुपए।

(2) 10.82 लाख रुपए की लागत से भूमिगत जल के प्रदूषण के कारणों और मात्रा के मूल्यांकन के लिए पांच संगठनों से 11 सदस्यों का एक उप-मिशन।

(3) 961.85 लाख रुपए की लागत से जिसमें केन्द्र सरकार का 721.39 लाख रुपए का योगदान है, पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में एक पेयजल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना के लिए कार्य योजना का प्रथम चरण।

(4) 8,848.00 लाख रुपए की लागत से मालदा जिले के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति स्कीम (फरवरी, 1995 में अनुमोदित)।

(च) जादवपुर विश्वविद्यालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक तीन वर्षीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तुत की है। केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से प्रथम वर्ष के लिए 4.125 लाख रुपए रिलीज किए हैं।

[हिन्दी]

कृषि और दुग्ध उत्पादन

*31. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना सहित प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि और दुग्ध उत्पादन की विकास दर के अलग-अलग क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) इन लक्ष्यों की तुलना में योजना-वार क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान अनेक राज्यों में कृषि और दुग्ध उत्पादन की विकास दर में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). विभिन्न योजना अवधियों के दौरान कृषि और दुग्धोत्पादन हेतु वृद्धि दर के लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). विभिन्न राज्यों में कृषि में वृद्धि की वास्तविक उपलब्धियों विभिन्न कारकों से निश्चित की जाती हैं, इन कारकों में आधार और समाप्ति वर्ष जिनके लिए वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है, वर्ष और मौसम की स्थिति शामिल है। हाल की अवधि, अर्थात् 1980-81 से 1992-93 के दौरान अधिकतर राज्यों में कृषि उत्पादन में उच्च वृद्धि दर देखी गई है। तथापि, कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में कमी हुई है। इसके मुख्य कारण हैं :—

उन राज्यों में वर्षा और मौसम की प्रतिकूल स्थिति तथा फसल के अधीन के क्षेत्र में स्थिरता।

(ङ) कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए विभिन्न फसलों को प्रति एकड़ उपज बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न फसल उत्पादोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, यथा-समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल, गेहूं और मोटे अनाज, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि। इसके अलावा फसलों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्न खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं और अधिक उपज देने वाली किस्मों के विस्तार के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनुसरण की जाने वाली कार्यनीतियां इस प्रकार हैं :—राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण पशु नस्लों का उनके स्वदेशी क्षेत्र में चयनात्मक प्रजनन तथा अन्य चयनित क्षेत्रों में उनके उन्नयन द्वारा आनुवंशिक सुधार, अज्ञात कुल के पशुओं का विदेशी दुधारू नस्लों द्वारा संकरण, चयनात्मक प्रजनन तथा अन्य क्षेत्रों में अज्ञात कुल की भैसों का उन्नयन करके आनुवंशिक सुधार, खाद्य और चारा संसाधनों का विकास, उत्पादन कार्यक्रम में सहायता करने के लिए कुशल पशु स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन, आपरेशन फ्लड का क्रियान्वयन, और गैरपरंपरागत पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए समन्वित डेयरी विकास।

विवरण

(क) कृषि और समवर्गों क्षेत्र हेतु सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित योजनावार संयुक्त वृद्धि दर

पंचवर्षीय योजना	अवधि से	तक	संयुक्त वृद्धि दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	
			लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
I	1950-51	1955-56	*	2.88
II	1955-56	1960-61	*	3.35

1	2	3	4	5
III	1960-61	1965-66	*	-0.28
IV	1968-69	1973-74	*	2.63
V	1973-74	1978-79	3.34	3.36
VI	1979-80	1984-85	3.83	5.52
VII	1984-85	1989-90	2.50	3.41
VIII	1991-92	1996-97	3.1	3.50 **

* : औपचारिक अंत : उद्योग संघनता ढांचे में क्षेत्रीय पंचवर्षीय योजना वृद्धि दर के लक्ष्य जिसमें अर्थव्यवस्था के लिए इनपुट-आउट मॉडल का उपयोग अपेक्षित है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद निर्धारित किए गए थे।

** : 1992-93 से 1994-95 तक की औसत।

दुग्धोत्पादन के अधीन लक्ष्य और उपलब्धि*
(मिलियन मी. टन में)

योजना	लक्ष्य	उपलब्धि
छठी योजना	38.0	41.5
सातवीं योजना	51.0	51.5
आठवीं योजना	70.0	63.5 (1994-95 के लिए प्रत्याशित)

* : पांचवीं योजना तक योजनाओं में दुग्धोत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि निर्धारित नहीं की गई।

[अनुवाद]

प्रतिपूरक वनरोपण

***32. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई वन-भूमि के बदले प्रतिपूरक वनरोपण किए जाने हेतु किन्हीं भू-क्षेत्रों का (हैक्टेयर में) पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रतिपूरक वनरोपण के अंतर्गत राज्य-वार कितना भू-क्षेत्र विकसित किया गया है; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अंतरित वन भूमि के बदले में राज्यों द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण के लिए लगभग 3.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ). वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 के राज्यवार क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अभिनिर्धारित भूमि, क्षतिपूरक वनरोपण के तहत कवर किए गए क्षेत्र का ब्यौरा तथा वर्ष 1995-96 के लिए लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण सलंग्न हैं।

विवरण

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षतिपूरक वन-रोपण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र	1991-92 तक	क्षतिपूरक वनरोपण के तहत विकसित भूमि				
				1992-93	1993-94	1994-95 (दिसम्बर 94 तक)	उपलब्धि (दिसम्बर 94 तक)	1995-96 के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	14,600	4,706	1,383	3,068	1,990	11,147	4,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,006	300	266	—	—	566	514
3.	असम	1,213	554	24	—	—	578	635
4.	बिहार	1,788	60	—	8	—	68	1,720
5.	गोवा	94	93	—	—	—	93	1
6.	गुजरात	19,720	9,888	—	3,070	2,379	15,337	2,500
7.	हरियाणा	566	507	—	—	154	661	—
8.	हिमाचल प्रदेश	7,433	2,282	433	228	—	2,943	2,300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू व कश्मीर	1,425	288	—	—	—	288	1,137
10.	कर्नाटक	10,404	9,515	118	46	885	10,564	—
11.	केरल	711	108	215	317	—	640	72
12.	मध्य प्रदेश	2,32,611	64,104	—	25,524	—	89,628	30,000
13.	महाराष्ट्र	47,847	23,306	105	6,095	13,400	42,906	4,000
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	249	270	—	—	—	270	—
16.	मिजोरम	3,030	—	—	—	610	610	2,000
17.	उड़ीसा	15,535	12,157	—	—	—	12,157	3,666
18.	पंजाब	464	136	—	71	20	227	218
19.	राजस्थान	4,170	985	98	945	1,093	3,121	1,049
20.	सिक्किम	213	596	—	134	718	1,448	—
21.	तमिलनाडु	873	333	305	—	89	727	74
22.	त्रिपुरा	380	219	—	—	63	282	98
23.	उत्तर प्रदेश	16,902	5,682	—	1,496	1,749	8,927	1,500
24.	पश्चिम बंगाल	1,114	604	—	—	—	604	536
25.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1,994	2,046	—	—	—	2,046	—
26.	दादर और नागर हवेली	262	262	—	—	—	262	—
	कुल	3,84,604	1,39,001	2,947	41,002	23,150	2,06,100	56,020

भू-कटाव

*33. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय वायु, जल और प्राकृतिक आपदाओं से राज्य वार भूमि को कितनी क्षति होने का अनुमान है; और

(ख) सरकार द्वारा भू-संरक्षण हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) अनुमान है कि देश में जल कटाव से करीब 5334 मिलियन मोटरी टन मृदा का क्षय हो जाता है। लेकिन राज्य-वार अनुमान उपलब्ध नहीं है। वातज-भूक्षरण तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मृदा क्षति का मात्रात्मक अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये उचित भू और जल प्रबंध पद्धतियों के जरिए मृदा संरक्षण में सहायता करते हैं। मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं :— (1) नदी घाटी परियोजनाओं के आबाद क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (2) बाढ़ प्रवण नदियों में समन्वित पनधारा प्रबंध (3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (4) कृषि मंत्रालय के अधीन उत्तर पूर्वी भारत की झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं।

उपर्युक्त के अलावा राज्य क्षेत्र में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मृदा संरक्षण कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

दिल्ली में प्रदूषण

*34. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में वायुमंडलीय प्रदूषण में वृद्धि की प्रमात्रा जानने और 1994 के आरम्भ से अब तक वातावरण में छोड़े गए प्रदूषण-कारकों की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में हाल ही में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वायुमंडलीय प्रदूषण में 1994 के आरम्भ की तुलना में आज तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने नगर में बढ़ते हुए वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकने हेतु अब तक किए गए उपायों में रही कमियों की गहन समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो प्रदूषण नियंत्रण उपायों में रही कमियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां,। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निलम्बित धूलकण, सल्फर डाइ आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड्स के स्तरों जैसे मुख्य वायु गुणवत्ता पैरामीटरों के रूप में दिल्ली की परिवेशी वायु गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जा जाती है। दिल्ली शहर के छः स्थानों से एकत्र किए गए आंकड़ों की दिसम्बर, 1994 तक जांच कर ली गई है।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) इन छः स्थानों पर परपरिवेशी वायु में सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के औसत स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं जबकि निलम्बित धूल कणों का स्तर सर्दी के मौसम में कुछ स्थानों में अधिक होता है।

दिल्ली में छः स्थानों पर वायु गुणवत्ता पैरामीटरों के औसत स्तर नीचे की तालिका में दर्शाए गए हैं :

तालिका : 1994 के दौरान दिल्ली महानगर क्षेत्र में परिवेश वायु गुणवत्ता का स्तर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर)

स्थान	जनवरी, 1994			दिसम्बर, 1994		
	एस ओ[2]	एन ओ एक्स	एस पी एम	एसओ[2]	एनओ एक्स	एसपी एम
अशोक विहार (रि. क्षेत्र)	23	32	351	24	34	463
शाहजदाबाद (औ. क्षेत्र)	24	32	466	26	44	328
सिरी फोर्ट (रि. क्षेत्र)	10	28	308	16	30	476
जनकपुरी (रि. क्षेत्र)	12	28	405	17	37	466
निजामुद्दीन (रि.+वा. क्षेत्र)	17	38	445	13	34	472
शाहदरा (औ. क्षेत्र)	22	32	470	23	28	358

रि. क्षेत्र = रिहायशी क्षेत्र

औ. क्षेत्र = औद्योगिक क्षेत्र

रि.+वा. क्षे. = रिहायशी+वाणिज्यिक क्षेत्र

(ग) और (घ). जी, हां। चूंकि दिल्ली में वायुमंडलीय प्रदूषण का मुख्य स्रोत मोटर वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए और प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) केन्द्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम, 1989 के तहत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए द्रव्य और ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और इनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। परिवहन विभाग दिल्ली द्वारा वाहनों के प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपाय करने की आवश्यकता से संबंधित सांविधिक दण्डात्मक उपबंधों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए एक गहन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

(2) परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने दिल्ली के यातायात की अधिकता वाले सात स्थानों पर वाहनों की यादच्छिक (रेन्डम) जांच करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। औसतन 25% वाहनों को प्रदूषण फैलाने वाला पाया गया। किए गए उपायों में मुकदमा चलाना और नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण-पत्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्रों को निरस्त करना शामिल है।

(3) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के परिवहन विभाग ने 120 निजी पैट्रोल पम्पों को प्रदूषण की जांच करने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की ट्यूनिंग करने तथा नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जुलाई, 1990 और नवम्बर, 1993 के बीच लगभग 12.01 लाख वाहनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। इनमें से 3.25 लाख प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को ट्यून्ड किया गया और इन वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण को निर्धारित मानकों के भीतर लाया गया है।

(4) यह निर्णय किया गया है कि 1 अप्रैल, 1995 से कैटेलिटिक कन्वैक्टरों वाले पैट्रोल चालित चार पहियों वाले नए वाहनों के लिए सीसा रहित पैट्रोल की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में मत्स्यन

***35. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में मत्स्यन का विकास करने और रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अंतर्देशीय मछली पालन और पिछड़े क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन हेतु

तकनीकी और वित्तीय आदानों के गहन विकास के लिए कार्यक्रम बनाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा किस सीमा तक इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया तथा रोजगार के अवसर पैदा करने सम्बन्धी योजना किस हद तक सफल रही?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी हां, मात्स्यिकी के विकास तथा रोजगार के सृजन के लिए सरकार ने मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के जरिए ताजा जल कृषि तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में अंतवर्ती मत्स्य विपणन हेतु बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(ख) और (ग). ताजा जल कृषि के विकास की चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अब तक 51 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। राज्य-वार वितरण इस प्रकार है : अरूणाचल प्रदेश (2), असम (23), मणिपुर (8), मेघालय (1), मिजोरम (5), नागालैंड (8), त्रिपुरा (3), और सिक्किम (1)। ये एजेंसियों मत्स्य पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता देती हैं। मत्स्य पालकों को दी जाने वाली सहायता में नई पोखरों का निर्माण, पोखरों और तालाबों को मरम्मत प्रथम वर्ष के लिए आदान, बहते जल में मछली पालन, समन्वित मत्स्य पालन प्राउन/मत्स्य डिम्ब हैचरियों की स्थापना आदि शामिल है। प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है तथा किसानों को मत्स्य पालन की उन्नत पद्धतियों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान उपर्युक्त चल रहे मात्स्यिकी कार्यक्रमों के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों की दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

योजनाएं	1991-92	1992-93	1993-94
1. ताजा जल कृषि विकास	25.19	54.00	130.00
2. अंतर्देशीय मत्स्य विपणन	—	57.50	—

(ङ) उत्तर पूर्वी राज्य में पिछले तीन वर्ष के दौरान मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के अधीन 2303 हैक्टेयर जल क्षेत्र को वैज्ञानिक मत्स्य पालन के तहत लाया गया है जिससे 5342 मत्स्य पालकों को लाभ हुआ है। एजेंसियों ने उक्त अवधि के दौरान मत्स्य पालन को उन्नत पद्धतियों में लगभग 20,626 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण दिया है। मत्स्य पालक विकास एजेंसियों को लागू करने से उत्तर पूर्वी राज्यों में पोखरों और तालाबों से औसत उत्पादकता 1991-92 के 1460 कि.ग्रा./हैक्टेयर से बढ़कर 1993-94 के दौरान 1720 कि.ग्रा./हैक्टेयर हो गई है।

डेरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन

*36. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरी विकास कार्यक्रमों को कारगर बनाने तथा उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करने हेतु कोई डेरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डेरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध की आपूर्ति बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है; और

(घ) इस मिशन के अंतर्गत दो वर्षों के दौरान और 1994-95 में अब तक राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर अगस्त, 1988 में डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ किया था;

= सहकारी समितियों के अनुरूप डेयरी विकास के माध्यम से ग्रामीण रोजगार तथा आय वृद्धि करने की गति में तेजी लाना।

= आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा उसे अपनाए जाने के माध्यम से समग्र डेयरी उत्पादकता में वृद्धि करना।

= दूध तथा डेयरी उत्पादों को बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना।

= डेयरी सहकारी समितियों के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी, गरीबी उन्मूलन आदि में राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में तालमेल बिठाना; और

= ईष्टतम परिणामों के लिए केन्द्र सरकार के अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसंधान कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करना।

डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन की राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर समितियां बनी हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति का उत्तरदायित्व नीतिगत मुद्दों, प्रौद्योगिकीय मामलों, संचालनात्मक सम्बन्धों, मूल्यांकन अध्ययनों, सहकारी विकास तथा मानव विकास जैसे आवश्यक मामलों पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। राज्य तथा जिला स्तर की समन्वय समितियों की अध्यक्षता क्रमशः मुख्य सचिव तथा जिला कलक्टरों द्वारा की जाती है।

(ग) संचालनात्मक सम्बन्धों, नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से डेयरी विकास में लगे विभिन्न एजेंसियों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से तथा दुग्ध उत्पादन अभिवृद्धि तथा गुणवत्ता नियंत्रण के नाजुक क्षेत्रों में समयबद्ध अनुसंधान कार्यक्रमों को संबंधित केन्द्र सरकारी संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय डेयरी

विकास बोर्ड को सौंपने के द्वारा डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन समन्वय संबंधी प्रमुख भूमिका अदा करता है। डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन ने क्षेत्र स्तर की बुनियादी सुविधाओं तथा संचार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार करने के उद्देश्य से राज्य पशु पालन विभागों के हिमित धीर्य उत्पादन केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्यक्रम आरंभ किए हैं ताकि आपातकालीन परिस्थिति में दुधारू पशुओं को पशु चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके।

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान वार्षिक दुग्ध उत्पादन में हुई वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

दुग्ध उत्पादन के अनन्तिम अनुमान

(हजारों टनों में)

		1992-93	1993-94	1994-95(*)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3103	3766	4100
2.	अरूणाचल प्रदेश	21	42	42
3.	असम	658	776	820
4.	बिहार	3195	3215	3250
5.	गोवा	30	30	31
6.	गुजरात	3795	3546	3650
7.	हरियाणा	3715	3850	3950
8.	हिमाचल प्रदेश	610	635	655
9.	जम्मू एवं कश्मीर	600	630	650
10	कर्नाटक	2590	2736	3107
11.	केरल	1889	2001	2120
12.	मध्य प्रदेश	4879	4975	5160
13.	महाराष्ट्र	4102	4250	4450
14.	मणिपुर	83	84	111
15.	मेघालय	52	54	56
16.	मिजोरम	9	12	15
17.	नागालैण्ड	44	45	45
18.	उड़ीसा	542	560	585
19.	पंजाब	5583	5970	6400
20.	राजस्थान	4586	4958	4850
21.	सिक्किम	30	30	32
22.	तमिलनाडु	3468	3524	3963
23.	त्रिपुरा	34	35	38
24.	उत्तर प्रदेश	10649	10991	11400
25.	पश्चिम बंगाल	3023	3095	3250
	कुल राज्य	57290	59810	62730
केन्द्र शासित प्रदेश				
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24	25	25
2.	चण्डीगढ़	37	38	40
3.	दादरा एवं नगर हवेली	4	3	4
4.	दमन और दीव	1	1	1
5.	दिल्ली	235	260	270
6.	लक्षद्वीप	1	1	1
7.	पाण्डिचेरी	27	28	29
	कुल केन्द्र शासित प्रदेश	329	356	370
	सकल योग	57619	60116	63100

* प्रत्याशित

केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान

*37. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू-कृषकों को प्रौद्योगिकी के अंतरण संबंधी केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान के प्रयोगशाला से खेत तक (लैब टु लैंड) कार्यक्रम पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा और आगे गहन कार्य किये जाने की संभावना है; और

(घ) तम्बाकू की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). जी, हां। क्षेत्रीय समन्वयक तथा कार्यशालाओं एवं ग्रुप (समूह) बैठकों के जरिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के द्वारा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की निगरानी की जाती है।

(ग) और (घ). जी, हां। वर्ष 1995-96 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र और केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री ने कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा भूमिहीन मजदूरों से संबंधित अन्य 82 किसान परिवारों को अपनाने के लिए योजना तैयार की है। इन परिवारों को तम्बाकू की नर्सरी लगाने तथा ग्रामीण दस्तकारी में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

गंगा सफाई योजना

*38. **श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा सफाई योजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या गंगा सफाई योजना के घोषित उद्देश्यों को अब तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार, अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ङ). गंगा कार्य योजना चरण-I के अंतर्गत कार्य की प्रगति और राज्यों को दी गई राशि का ब्यौरा सारणी में प्रस्तुत है जो सभा के पटल पर रखी गई है।

(ख) से (घ). गंगा कार्य योजना के निर्धारित लक्ष्य कुल मिलाकर प्राप्त कर लिए गए हैं। गंगा की जल गुणवत्ता जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बी ओ डी) और घुलित आक्सीजन (डी ओ) के निर्धारित स्तर को पूरा करती है। तथापि कानपुर में जैव-रसायन आक्सीजन मांग निर्धारित स्तर को पूरा नहीं करती है क्योंकि मुख्य सीवेज उपचार संयंत्र अभी पूरा नहीं हुआ है और इसके आधे से भी अधिक सीवेज उपचार का कार्य चरण-II में किया जाएगा।

विवरण

राज्य	पूरी की गई स्कीमों की संख्या	राज्य सरकारों को दी गई राशि (करोड़ रुपये)
उत्तर प्रदेश	102 (106)	173.46
बिहार	41 (45)	52.21
पश्चिम बंगाल	95 (110)	177.50
योग	238 (261)	403.17

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुरू की गई योजनाओं की संख्या हैं।

आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना

*39. **डा. विश्वनाथम कैनिथी :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार अथवा राज्यों ने देश में आवश्यक वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह निर्बाध रूप से ले जाने पर कोई प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने ऐसे प्रतिबंध संबंधी नियम बनाए हुए हैं;

(घ) क्या ऐसे प्रतिबंधों को जारी रहने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह) : (क) से (ङ). केंद्रीय सरकार ने जिन आवश्यक वस्तुओं के संबंध में संचलन को विनियमित करने के लिए आदेश जारी किए हैं वे वस्तुएं केवल यूरिया और दूध हैं। उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 के अंतर्गत यूरिया का एक राज्य से दूसरे राज्य में संचलन केवल भारत सरकार के कृषि मंत्रालय या किसी राज्य सरकार के कृषि निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्राधिकार के अनुसार ही किया जा सकता है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के तहत कोई व्यक्ति अपने एकक के पंजीकरण हेतु आवेदन किए बिना दुग्ध उत्पादन या दुग्ध अथवा किसी दुग्ध उत्पाद का व्यापार या किसी भी प्रकार की विनिर्माण सुविधा का सृजन नहीं कर सकता है।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के अनुच्छेद 20 के उप अनुच्छेद (2) के अंतर्गत इस आदेश के तहत नियुक्त नियंत्रक ने 1.3.95 से 25.5.95 तक के लिए मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से दुग्ध का उस राज्य से बाहर किसी भी स्थान को निर्यात करने पर रोक लगाते हुए पहली मार्च, 1995 को एक आदेश जारी किया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी कुछ शर्तों के अधीन उर्वरकों के अलावा, अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अभिग्रहण उपयोग या खपत को विनियमित करने हेतु शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। राज्य से बाहर के स्थानों को खाद्य पदार्थों के वितरण या निपटान के संबंध में अथवा किसी खाद्य पदार्थ की ढुलाई विनियमित करने के संबंध में इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति लेनी होती है।

केंद्रीय सरकार पूरे देश को एक एकल खाद्य क्षेत्र के रूप में मानती है। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा स्थानीय प्रभारों और करों की अदायगी के सत्यापन के लिए स्थापित शुल्क-दारों से खाद्यान्नों की ढुलाई में बाधा न पड़े। जिन राज्य सरकारों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा अपने राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन पर सांविधिक प्रतिबंध लगाया हुआ है, उनसे ऐसे अवरोधक उपबंधों को हटाने के लिए केंद्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। इस समय, केवल आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने खाद्यान्नों के संचलन पर सांविधिक प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन राज्यों को भी खाद्यान्नों के संचलन से संबंधित मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने की सलाह दी जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा

*40. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार देश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण स्तर में भारी गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में शिक्षा के स्तर, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु किसी नीति का निर्धारण करने और दिशा-निर्देशों को जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, एन.सी.ई.आर.टी.-नीपा अध्ययन 1993-94 से यह बात प्रकाश में आई है कि अध्ययन के अंतर्गत शामिल 46 जिलों के प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन स्तर सामान्यतः कम है। इनमें से तीन जिलों को छोड़कर सभी जिलों में महिला साक्षरता कम है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के बाद से भारत सरकार आपरेशन ब्लैक बोर्ड और शिक्षक शिक्षा जैसी योजनाओं के जरिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्यों की मदद करती रही है। एन.सी.ई.आर.टी. -नीपा अध्ययन के आधार पर गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में क्षेत्र विशिष्ट कार्यनीतियां तैयार की गई हैं।

चीनी का भंडार

164. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 की स्थितिनुसार तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पास चीनी का कितना भंडार था;

(ख) वर्ष 1995 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की कितनी मांग होने का अनुमान है;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्ष 1995 के दौरान कितनी लेवी चीनी उपलब्ध होने का अनुमान है;

(घ) क्या किसी अभाव का पूर्वानुमान है; और

(ङ) यदि हां, तो अभाव की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ). चीनी वर्ष अक्तूबर से सितम्बर तक माना जाता है। तदनुसार 1.10.1994 को 18.33 लाख टन देखी चीनी के अनुमानित पूर्वाशिष्ट स्टॉक और 1994-95 मौसम के दौरान 120 लाख टन अनुमानित उत्पादन सहित पहले से आयातित की गई लगभग 8.77 लाख टन शेष चीनी सहित लेवी चीनी की कुल उपलब्धता, मौजूदा मासिक लेवी आबंटनों पर 1994-95 मौसम के लिए 42.70 लाख टन की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में लगभग 50.16 लाख टन होने की आशा है। अतः आशा है कि यह 1994-95 मौसम के दौरान पी डी एस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

165. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे के राजकोट और भावनगर रेलवे डिवीजनों के अंतर्गत स्टेशनों पर वर्तमान सुविधाओं संबंधी नवीकरण, सौंदर्यकरण तथा मरम्मत कार्य परियोजनाओं और 1995-96 के लिए ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). रेलवे स्टेशनों पर नवीकरण/सौंदर्यकरण/सुविधाओं में परिवर्तन करना एक सतत् प्रक्रिया है जो हालात/जरूरत के आधार पर किया जाता है तथा जो धनराशि की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजकोट तथा भावनगर मंडलों में शुरू किए गए ऐसे कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इस संबंध में उपयुक्त कार्य 1995-96 में भी शुरू किए जाएंगे जो धनराशि की समग्र उपलब्धता तथा विभिन्न स्टेशनों और कार्यों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेंगे।

स्टेशन	कार्य	खर्च (लाख रुपयों में)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
भावनगर टर्मिनल	प्लेटफार्म सतह का सुधार	9.50	9.00	-
राजकोट	मुख्य यात्री प्लेटफार्म पर कोटा पत्थर से फर्श बिछाना	-	-	2.00

1	2	3	4	5
हापा	द्वीप प्लेटफार्म को ऊंचा करना तथा उसका विस्तार	1.00	4.05	–
हापा	प्रतीक्षालय का विस्तार	–	1.00	2.00
थान	बड़ी लाइन के प्लेटफार्म को ऊंचा करना	3.05	3.00	–
भन्नवाड	प्लेटफार्म को ऊंचा करना	0.50	1.60	–
लखबावल	स्टेशन की नई इमारत	–	–	4.00

गुजरात में समेकित डेयरी विकास योजना

166. श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 1995 तक गुजरात के "नान आपरेशन फ्लड", पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य रखे गए और उनकी उपलब्धि कितनी रही;

(ख) इस योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या राज्य के उपरोक्त क्षेत्रों के लिए वर्ष 1994-95 के लिए धन आबंटित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) गुजरात के गैर-आपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना को मार्च 1994 के दौरान अनुमोदित किया गया। अतः 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कोई उपलब्धि नहीं हुई। वर्ष 1994-95 के जनवरी 1995 तक के संशोधित लक्ष्य तथा उपलब्धियां इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

घटक	वास्तविक प्रगति		वित्तीय प्रगति	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
1. निवेश कार्यक्रम				
(क) स्वास्थ्य तथा प्रजनन निवेश कैम्प (संख्या)	476	283	14.20	6.84
(ख) पशुचिकित्सा सेवाओं का निजीकरण (संख्या)	5	शून्य	25.00	शून्य
(ग) खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (संख्या)	157500	86067	9.40	6.38
2. सहकारिता डेयरी विकास कार्यक्रम (डेयरी सहकारी समितियां शामिल)	80	55	34.45	11.12
3. प्रसंस्करण सुविधाओं को सुदृढ़ करना 1000 मीटर दुग्ध प्रतिदिन				
(क) चलाला डेयरी	60	शून्य	150.00	शून्य
(ख) जामनगर मे चिलिंग केन्द्र	20	शून्य	50.00	शून्य
(ग) कच्छ में चिलिंग केन्द्र	10	शून्य	25.00	शून्य
(घ) समेकित पास्चुर विकास कार्यक्रम	11	शून्य	74.61	शून्य
5. कच्छ डेयरी में पनीर उत्पादक एकक	–	शून्य	100.00	शून्य

(ख) से (घ). वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य सरकार को 150 रु. जारी किए गए। राज्य सरकार ने कोष की और आवश्यकता के बारे में नहीं बताया है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिल

167. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में हाल में चल रही चीनी मिलों को कुल उपलब्ध गन्ने का लगभग 33 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है;

(ख) क्या यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपलब्धता के वर्तमान प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). चीनी मौसम 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों को गन्ने की प्राप्ति 43.2 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में 27.6 प्रतिशत हुई थी। उत्तर प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों को मुख्यतः चीनी फैक्ट्रियों की अपर्याप्त स्थापित क्षमता, चीनी यूनिटों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान करने में विलम्ब और वैकल्पिक मीठे पदार्थों के लिए गन्ना चला जाने के कारण गन्ने की कम प्राप्ति हुई।

(घ) उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की प्राप्ति को सुधारने के लिए सरकार ने निम्न उपाय किए हैं :—

(1) लाइसेंसशुदा/स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं हेतु आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं।

(2) जल्दी पेराई अवधि के लिए उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं।

(3) 10.3.93 को एक नई प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है जिसके अन्तर्गत उच्च वसूली क्षेत्रों में नई चीनी इकाइयों 8 वर्ष के लिए 100% खुली बिक्री की और अन्य वसूली क्षेत्रों में 9 वर्ष के लिए 100% और 10 वें वर्ष में 66% की पात्र होंगी।

(4) राज्य सरकारों का चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को देय गन्ना मूल्य का तत्काल निपटान सुनिश्चित कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

(5) 1994-95 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) बढ़ाकर 39.10 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो कि 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा है बशर्ते उस स्तर से अधिक वसूली अर्थात 10% तक में प्रत्येक 0.1% प्वाइंट की बढ़ोत्तरी पर 0.46 रुपये और 10% से अधिक की वसूली में 0.1% प्वाइंट बढ़ोत्तरी के लिए 0.60 रुपए प्रीमियम होगा।

(6) 1995-96 मौसम के लिए 42.50 रुपया प्रति क्विंटल पर एस.एम.पी. की भी अग्रिम घोषणा कर दी गई है जो 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा है, जो उच्चतर वसूलियों के लिए प्रीमियम पर निर्भर करेगा।

सिंथेटिक डिटर्जेंट के प्रयोग से स्वास्थ्य संबंधी खतरे

168. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 26 नवम्बर, 1992 को "व्हाइट लाइज" नाम से एक जानकारी परक वृत्त चित्र प्रायोजित एवं प्रमाणित किया गया था;

(ख) क्या उक्त वृत्त चित्र का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त वृत्त चित्र में सिंथेटिक डिटर्जेंट में शामिल आवश्यक रासायनिक घटकों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को बताया गया है तथा उक्त फिल्म में विशेषज्ञों की राय सिंथेटिक डिटर्जेंट में शामिल रासायनिक पदार्थों से उत्पन्न जैव अपक्षयता से उत्पन्न कठिनाइयों को दिखाया गया है।

(ङ) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट की खपत में 40 प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है जहां जल शोधन की सुविधा नहीं है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) "व्हाइट लाइज" नामक डाक्युमेंट्री मंत्रालय द्वारा तैयार की गई थी। तथापि, इसका प्रमाणन केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा किया गया न कि मंत्रालय द्वारा।

(ख) और (ग). इस फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए भेजा गया था। दूरदर्शन पर इसको दिखाए जाने की स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सरकार को ऐसी किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की खपत में वृद्धि का पता लगाने के लिए किया गया हो।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अपीलीय न्यायाधिकरण

169. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का दक्षिणी भारत के किसी स्थान पर राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के दर्जे का अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में देश में केवल एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यह आयोग पहले ही नई दिल्ली में कार्य कर रहा है।

सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करना

170. डा. सुधीर राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवड़ा और नई दिल्ली के बीच कोई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

171. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बिहार सरकार से प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लंबित प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का बिहार सरकार से निम्नलिखित योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(1) प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों को अंश पूंजी सहायता;

(2) चुने हुए जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं;

(3) बिहार में विदेशी सहायता प्राप्त ग्रामीण विकास केन्द्र।

परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरों सहित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई निर्मुक्तिया संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा बिहार को दी जाने वाली सहायता

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	निर्मुक्त धनराशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
(क)	प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों को अंशपूंजी सहायता	(I) 47 प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के लिए 37.50 लाख रु. का प्रस्ताव	37.50 लाख रु.	शून्य
(ख)	चुनिन्दा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.)	(I) 770.63 लाख रुपये को एकमुश्त लागत से रांची में आई.सी.डी.पी.	–	बिहार सरकार को 1203.00 लाख रु. का अतिदेय चुकाना है। इसको चुकता किए जाने के बाद की नई परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है।
		(II) 643.13 लाख रुपये को एकमुश्त लागत से सिंहभूम में आई.सी.डी.पी.	–	
(ग)	विदेशों से सहायता प्राप्त बिहार के ग्रामीण विकास केन्द्र	(I) 262 सहकारी समितियों के लिए 131.00 लाख रुपये की मार्जिन मनी सहायता	–	स्वीकृति जारी की जा रही है।

1	2	3	4	5
		(II) 1718.32 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति (गोदामों के निर्माण और मार्जिन मनी सहायता के लिये ऋण)	951.82 लाख रुपये	766.56 लाख रुपये की अग्रिम निर्मुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है।
		(III) परियोजना क्रियान्वयन दल प्रकोष्ठ के रख-रखाव के लिए 23.53 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति	16.45 लाख रुपये की प्रति-पूर्ति की गयी	शेष 7.88 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करने पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

घटिया कोयले के जलने से प्रदूषण

172. डा. आर. मल्लू : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ताप विद्युत संयंत्रों अथवा अन्य उद्योगों में अधिक राख वाले घटिया किस्म के कोयले के जलने से कोटा और देश के अन्य भागों में प्रदूषण में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण पर्यावरण को कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). कोटा स्थित संयंत्र सहित सभी ताप विद्युत संयंत्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले भारतीय कोयले में राख की मात्रा अनुमानतः 35 से 45 प्रतिशत तक होती है। इतनी अधिक राख वाले कोयले के उपयोग की प्रक्रिया से उसके राख उत्सर्जन और निपटान की समस्याओं के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता और जलगुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) सभी ताप विद्युत संयंत्रों को समयबद्ध आधार पर निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, नए संयंत्रों को मंजूरी देते समय सरकार ताप विद्युत संयंत्र के आस-पास एक हरी-पट्टी बनाने और संबंधित यूनिट द्वारा वायु और जल गुणवत्ता की निरन्तर निगरानी की शर्त रखती है। उनसे राख के उपयोग के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने और उसका अनुपालन करने की भी अपेक्षा की जाती है। अपेक्षाकृत नए संयंत्रों की यथा सम्भव अधिकतम मात्रा तक राख के उपयोग करने की शर्त का अनुपालन करना होता है;

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को राजस्थान में राख का प्रयोग करके ईंट बनाने की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उद्यमियों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। कोटा ताप-विद्युत केन्द्र के चारों और 100 कि.मी. के क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए फ्लाई ऐश ईंटों के उपयोग के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है;

(3) सरकार ने बीसा (सिंगरौली कोयला क्षेत्र), पीपरवार (उत्तरी कर्शापुरा कायेला क्षेत्र) तथा कलिंगा (तलचर कोयला क्षेत्र) में गैर कोक वाशरीज स्थापित करने के लिए तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(4) कोल इंडिया ने बिल्ड ओन आपरेट स्कीम के तहत गैर कोकिंग कोल वाशरीज की स्थापना के लिए विश्वव्यापी टैण्डर के जरिए भारतीय और विदेशी दोनों निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है; और

(5) कोयला नियंत्रक क्षेत्रीय यूनिटों के जरिए कोयले के परिषणों की गुणवत्ता नियंत्रण की जांच करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

रेल उपरि पुलों का निर्माण

173. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालाकुडी में रेल फाटक संख्या 48 के स्थान पर रेल उपरि पुल के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण रेलवे ने इस कार्य को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलें इन समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करने पर विचार कर रही है जिसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा इन निर्माण कार्यों के लिए नियमानुसार लागत की भागीदारी पर सहमति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं। चालाकुडी में समपार सं. 48 के स्थान पर निचले सड़क पुल का निर्माण करने हेतु राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरण से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुमला में सिटी बुकिंग कार्यालय

174. **श्री ललित उरांव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के गुमला जिला मुख्यालय में सिटी बुकिंग कार्यालय खोलने के संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं और कम्प्यूटीकृत आरक्षण

175. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अल्लेप्पी और शेरत्तलाई स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई आधारभूत यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अल्लेप्सी स्टेशन का कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक शुरू कर दी जाएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). अल्लेप्पी तथा शेरतल्लई रेलवे स्टेशनों पर, इस समय सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप पहले ही सुविधाएं मौजूद हैं। इनमें और सुधार करने के उपाय के रूप में अल्लेप्पी स्टेशन पर प्लेटफार्म सायबान विस्तार तथा शेरतल्लई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं.1 और द्विप प्लेटफार्म के विस्तार से संबंधित कार्य भी क्रमशः 11.10 लाख रुपये तथा 6.30 लाख रुपये की लागत से शुरू किये गये हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन

176. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन ने अपनी नीतियों के अनुसरण में देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के दायित्वों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सितम्बर, 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के उत्तरदायित्वों में अन्यों के साथ-साथ, प्रत्यायन प्रक्रिया को अभिशासित करने के लिए नीतियों, दिशानिर्देशों, मानदण्डों, मानकों, कार्यविधियों, आरूपों, आदि बनाना ऐसी सूचना का व्यापक प्रसार, संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रत्यापन पर निर्णय लेना और उसकी समीक्षा, संस्थाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रत्यापन के मामले में सलाह देना शामिल है।

[हिन्दी]

भेषज उद्योगों की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति

177. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यार सरकार का विचार भेषज उद्योगों को तीन वर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). औषध-निर्माण उद्योगों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभिवेदन किया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा संचालन के लिए उन्हें दी गई मंजूरी को तीन वर्ष की अवधि या तब तक के लिए जो भी पहले ही, वैध बना दिया जाए जब तक औद्योगिक प्रक्रमों या उपचार एवं निपटान प्रौद्योगिकियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

क्षिप्रा नदी

178. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी को प्रदूषण-रहित बनाने हेतु सरकार के पास भेजी गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन

हेतु स्वीकृत राशि के साथ-साथ किए जा रहे प्रयासों की क्या स्थिति है;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना सरकार के पास किस तिथि को भेजी गई थी;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा शुरू किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). इस मंत्रालय द्वारा तैयार देश की बड़ी नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में क्षिप्रा नदी की योजना के एक घटक के रूप में परिकल्पना की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन के अनुसरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वह राज्य की अन्य मुख्य नदियों के साथ-साथ क्षिप्रा नदी के प्रदूषण के उपशमन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे। राज्य सरकार ने 3404.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से क्षिप्रा नदी के प्रदूषण के उपशमन के लिए 25 अक्तूबर, 1993 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ नन्दखेड़ा और अलखधाम नालों का अवरोधन और दिशा परिवर्तन, 56 एम.एल.डी. और 10 एम.एल.डी. क्षमता वाले दो सीवेज उपचार संयत्रों का निर्माण, दो धोबी घाटों का निर्माण, 8714 पोर फ्लश शौचालय, 20 सामुदायिक शौचालय, दो काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृहों, ठोस अपशिष्ट प्रबंध और नदी किनारे महत्वपूर्ण स्थानों पर वृक्षारोपण आदि कार्य भी शामिल हैं। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है और यह योजना शीघ्र निर्णय के लिए सरकार के विचाराधीन है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अनुमोदन के तत्काल बाद परियोजना का कार्य शुरू हो जाएगा।

स्टेशनों पर विश्राम गृह

179. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर खराब हालत में विश्राम गृहों की मरम्मत और साजसज्जा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). विश्राम गृहों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है रेलों द्वारा स्टेशनों पर विश्राम गृहों में सुविधाओं की व्यवस्था और उपयुक्त अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा उसे ठीक-ठाक रखने के प्रयास किए जाते हैं रेल प्राधिकारियों द्वारा इनके निरीक्षण किए जाते हैं तथा जहां कभी कमियां पाई जाती हैं उन्हें दूर कर दिया जाता है

जिन स्टेशनों पर 1994-95 के दौरान विश्राम कक्षों के सुधार का कार्य शुरू किया गया है और जिनकी लागत 2 लाख रुपये से अधिक है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) मधुपुर
(2) तिरूअनंतपुरम सैंट्रल
(3) सिकन्दराबाद
(4) अहमदाबाद
(5) जयपुर

पाठ्य पुस्तक के लिए जांच समिति

180. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में छठी कक्षा के इतिहास की पुस्तक की समीक्षा करते हुए पाठ्य पुस्तक संबंधी राष्ट्रीय जांच समिति ने क्या टिप्पणियां की हैं;

(ख) क्या समिति ने इस संबंध में कोई अनियमितता पाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश दिये हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने इन दिशा-निर्देशों पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). स्कूल पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी टिप्पणी की कि कक्षा 1/1 के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित कराई गई सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तकों के इतिहास से संबंधित भाग में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समिति ने यह भी नोट किया कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य-पुस्तकों के पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप में ग्रहण किया गया है। तद्नुसार, उन्होंने यह महसूस किया कि राज्य सरकार के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा ग्रहण करने/अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य-पुस्तकों की उपयुक्तता पर विचार किया जाना समुचित है।

समिति की रिपोर्ट को इसकी सिफारिशों सहित संबंधित राज्य सरकार के पास कार्यान्वयन हेतु भेज दिया गया है।

प्याज उत्पादक

181. **डा. वसंत पवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी वर्षा और अच्छे मौसम के कारण प्याज का भारी उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि प्याज उत्पादकों में "नेफेड" द्वारा उनकी उपज को नहीं खरीदने के कारण भारी असंतोष है;

(ग) क्या प्याज को जल्दी खराब होने वाली प्रकृति को देखते हुए प्याज उत्पादक उसे बड़े अलाभकर मूल्य पर बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है;

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। वर्षा और मौसम की अच्छी स्थिति के कारण इस वर्ष, खासकर महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष के 37.17 लाख मीटरी टन के उत्पादन के मुकाबले 15 से 20% अधिक होने की आशा है।

(ख) और (ग). घरेलू और निर्यात आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नेफेड मुख्यतः महाराष्ट्र से ही प्याज खरीदता रहा है। महाराष्ट्र में अच्छे प्याज की कीमत 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है जो उत्पादन की लागत की तुलना में कम नहीं है।

(घ) मंडी समर्थन देने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप योजना क्रियान्वित करती है। नेफेड द्वारा श्री लंका, मारीशस और सिचलीज को प्याज का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि काफी मात्रा में प्याज प्राप्त करके उसका निर्यात किया जा सके। इससे प्याज उत्पादकों को मंडी समर्थन प्राप्त होगा।

केरल में धान की खेती

182. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से राज्य में धान की खेती के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अब तक की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). केरल सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसके तहत उसने वर्ष 1994-95 के लिये "धावल आधारित फसल पद्धति वाले क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की मांग की है। यह प्रस्ताव राज्य के सभी प्रखंडों में इस योजना के क्रियान्वयन किये जाने के लिये था तथा इसमें कुछ ऐसे कार्यक्रम घटक भी शामिल किये गये जो कि इस योजना में शामिल नहीं थे।

(ग) इस योजना के अधीन प्रदत्त मानदंडों के आधार पर 1994-95 के दौरान इस योजना को क्रियान्वित किये जाने के लिये भारत सरकार ने 61.75 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है जिसमें 54.02 लाख रुपये का केन्द्रीय हिस्सा भी शामिल है। राज्यों से कुछ घटकों से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) 54.00 लाख रुपये का केन्द्रीय हिस्सा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है।

लोकल रेल गाड़ियां और प्लेटफार्म

183. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के दिवा-वसई रेलमार्ग पर डीजल लोकल गाड़ियों के यात्रियों के लिए सीजन टिकट की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) क्या इन गाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने तथा रविवार को भी ये सेवाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस रेल मार्ग के सभी स्टेशनों पर प्लेटफार्म उपलब्ध हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का निर्माण कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) दिवा-वसई खंड के यात्रियों के लिए सीजन टिकटों की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). इन सेवाओं को रविवार के दिन उपलब्ध कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इन गाड़ियों के फेरों में वृद्धि सहित अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ङ) से (छ). इस खंड के सभी स्टेशनों पर उपयुक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था है। तथापि, कमान स्टेशन पर प्लेटफार्मों को समतल करने तथा प्लेटफार्म की मुंडेर बनाने का काम शुरू किया जा चुका है तथा 31.3.95 तक पूरा हो जाएगा।

ईरोड से कोचीन तक रेल लाइन का विद्युतीकरण

184. श्री ए. चार्ल्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरोड से कोचीन तक रेल लाइन का विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय होगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). कोचीन हार्बर टर्मिनस खण्ड सहित ईरोड-पालक्काट-एर्णाकुलम का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है। संसाधनों की तंगी के कारण इस खण्ड का विद्युतीकरण चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में, ईरोड-पालक्काट खण्ड का विद्युतीकरण किया जा रहा है। पूरे खण्ड के विद्युतीकरण का कार्य मार्च 98 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। इसकी वर्तमान अनुमानित लागत 167.76 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

स्लीपर क्लास के किराए

185. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान स्लीपर क्लास में आरक्षण हेतु प्रतीक्षा-सूची में आने वाले उन यात्रियों से कुल कितनी राशि एकत्र हुई जिन्हें आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया;

(ख) क्या सरकार ऐसे यात्रियों को कम से कम बैठने की सुविधा प्रदान करने की किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रतीक्षा-सूचीबद्ध यात्रियों की निकासी के लिए जहां कहीं भी व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण होता है, अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं प्रतीक्षा सूची के यात्री गाड़ियों में लगे सामान्य सवारी डिब्बों में भी यात्रा कर सकते हैं।

जहरीले पदार्थों के जलने के प्रभाव

186. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जहरीले पदार्थों के जलाए जाने से पर्यावरण और मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कूड़े के निपटान के लिए उसे जलाएं जाने के तरीके पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। परिसंकटमय पदार्थों के जलने के कारण उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में दिल्ली में एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि धातुओं की कतरनों वाले कूड़े-करकट को बिना सोचे समझे ढंग से जलाने से जहरीला धुआं निकलता है जिसका इसके सम्पर्क में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। सभी अपशिष्टों का निपटान एक ही तरह से नहीं किया जा सकता है। कुछ अपशिष्टों का निपटान केवल उन्हें जलाकर ही किया जा सकता है। अतः, अपशिष्टों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना संभव नहीं है। तथापि, कुछ परिसंकटमय एवं जहरीले अपशिष्टों को खुले में न जलाकर उनका निपटान उन्हें नियंत्रित स्थितियों के तहत जलाकर भस्म करके किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

187. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सहकारी तिलहन परिसंघ के मुरैना और छिंदवाड़ा संयंत्रों के विस्तार के संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्रों पर कितनी लागत आने का अनुमान है और ये प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास कब से लम्बित हैं; और

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक परिसंघ लिमिटेड द्वारा मुरैना और छिंदवाड़ा में स्थापित किए गए संयंत्रों के विस्तार के लिये प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) 30.58 करोड़ रुपये की लागत के साथ मुरैना विस्तार परियोजना राज्य सरकार द्वारा 7.4.94 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्तुत की गई थी। 28.25 करोड़ रुपये की लागत के साथ छिंदवाडा विस्तार परियोजना राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 9 फरवरी, 1993 को प्रस्तुत की गई थी।

(ग) जहां तक मुरैना परियोजना का संबंध है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सितम्बर, 1994 में एक पुनरीक्षा की गई थी। इस यूनिट के असंतोषजनक संचालन और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक परिसंघ लि. द्वारा उठाई गई भारी हानि को देखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सुझाव दिया था कि मध्य प्रदेश राज्य

सहकारी तिलहन उत्पादक परिसंघ लि. क्षमता उपयोग को सुधारे तथा इसको वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाये और राज्य सरकार द्वारा सुधारक उपाय किए जाने के बाद, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

जहां तक छिंदवाड़ा विस्तार परियोजना का संबंध है, पुनरीक्षण दल इस परियोजना का दौरा नहीं कर सका क्योंकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा इस पर विचार करना छिंदवाड़ा यूनिट द्वारा इसके संचालन को स्थिर बनाए जाने तक स्थगित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

खांडसारी एकक

189. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खांडसारी एकक खांडसारी के उत्पादन से संबंधित कार्यों यथा मशीनरी की खरीद, कच्चे माल की उपलब्धता तथा विद्युत आपूर्ति के संबंध में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से उबरने के लिए राज्य सरकारों को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी सहायता के परिणामस्वरूप खांडसारी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). फिलहाल, केन्द्रीय सरकार खाण्डसारी के उत्पादन के संबंध में खाण्डसरी उद्योग पर कोई नियंत्रण नहीं लगा रही है। उनके हितों की रक्षा राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा खाण्डसारी उद्योग को सीधे अथवा राज्य सरकारों के जरिये कोई सहायता मुहैया नहीं करवाई जा रही है।

फर्जी आरक्षण

190. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सतर्कता अधिकारी फर्जी आरक्षण और कम्प्यूटर के "कोड" में हेरा-फेरी करने की जांच करने हेतु कानपुर सेंट्रल बुकिंग ऑफिस से कुछ कागजात ले गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ग) अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जांच करने पर जाली आरक्षण और कंप्यूटर के "कोड" से छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध नहीं हुआ था।

(ग) चूंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए, अतः किसी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य

191. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चावल तथा गेहूं के निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने का कोई विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई समिति नियुक्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले गेहूं तथा चावल के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए सहमत हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के न्यूनतम तथा अधिकतम निर्गम मूल्य क्या थे; और

(छ) क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्य राजसहायता में निरन्तर वृद्धि की जाती रही है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ). न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि और भारतीय खाद्य निगम की हैण्डलिंग लागतों को आंशिक रूप से खपाने के लिए सरकार समय-समय पर चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) में वृद्धि करती है।

(च) (रुपये प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से प्रभावी	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से)			
	गेहूं	चावल		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम
28.12.1991	280	377	437	458
11.1.1993	330	437	497	518
1.2.1994	402	537	617	648

(छ) पिछले पांच वर्षों के दौरान अदा/निर्मुक्त की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अदा की गई राजसहायता की राशि	
1990-91	2142	
1991-92	2850	
1992-93	2785	
1993-94	5537	
1994-95 (बजट अनुमान)	3426	(1994-95 के बजट में आबंटन 4000 करोड़ रुपये)

चावल का निर्गम मूल्य

192. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को सप्लाई किए गए चावल के निर्गम मूल्य में समय-समय पर वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मूल्य वृद्धि की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना निम्नानुसार है :

(रुपए प्रति क्विंटल)

	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से)		
निम्न तारीख से प्रभावी	साधारण	बढ़िया	उत्तम
25.6.1990	289	349	370
28.12.1991	377	437	458
11.1.1993	437	497	518
1.2.1994	537	617	648

[हिन्दी]

गन्ने/चीनी का मूल्य

193. श्री अमर पाल सिंह :
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान गन्ने का प्रति क्विंटल सरकारी मूल्य और लेवी की चीनी का प्रति किलो मूल्य कितना था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने और लेवी की चीनी के न्यूनतम सरकारी मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि हुई तथा ये वृद्धि किन-किन तारीख से प्रभावी हुई;

(ग) क्या सरकार गन्ने के वर्तमान न्यूनतम सरकारी मूल्य को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ये मूल्य कब तक बढ़ाए जाएंगे और कितने;

(ङ) जून, 1993; मई, 1994; और फरवरी, 1995 के दौरान चीनी का मूल्य कितना था;

(च) चीनी के बाजार मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(छ) समाज के गरीब वर्ग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य क्रमशः 23/- रु. और 26/- रु. प्रति क्विंटल था जो 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जुड़ा हुआ था। एक जनवरी, 1989 से लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 5.25 रुपए प्रति किलोग्राम था जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को चीनी की आपूर्ति करने के प्रयोजन से 24 जुलाई, 1991 से बढ़ाकर 6.10 रुपए कर दिया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 8.5 प्रतिशत चीनी की मूल रिकवरी से जुड़े गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य और लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य निम्न प्रकार से थे :

(1) **गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य**

चीनी वर्ष	प्रति क्विंटल सांविधिक न्यूनतम मूल्य	
1992-93	31.00	सभी 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी
1993-94	34.50	से जुड़े हैं जिसमें उच्चतर रिकवरीज
1994-95	39.10	का प्रीमियम भी शामिल है।

(2) **लेवी चीनी का निर्गम मूल्य**

से	तक	प्रति किलोग्राम कीमत (रुपयों में)
24.7.91	20.1.92	6.10
21.1.92	16.2.93	6.90
17.2.93	31.1.94	8.30
1.2.94	अभी तक	9.05

(ग) और (घ). फिलहाल, वर्ष 1994-95 के चालू मौसम के लिए चीनी के सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जिसकी घोषणा पहले ही 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जोड़कर 39.10 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर की जा चुकी है, में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) जून, 1993, मई, 1994 और फरवरी, 1995 के दौरान देश के चार प्रमुख बाजारों में एस-30 ग्रेड चीनी के थोक खुला-बाजार मूल्य निम्न प्रकार से थे :

माह	जून, 1993	मई, 94	फरवरी, 95
दिल्ली	1020-1120	1350-1600	1230-1240
बम्बई	995-1080	1439-1572	1215-1239
कलकत्ता	1110-1135	1440-1630	1265-1280
मद्रास	1003-1133	1463-1483	1083-1203

(च) 1993-94 मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में गिरावट होने के कारण देश में चीनी की कुल उपलब्धता में काफी कमी आई और मूल्यों में वृद्धि हुई। खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत विभिन्न निजी

पार्टियों द्वारा आयातित चीनी का विपणन करने में हुए विलम्ब से भी 1994 के मध्य में मूल्यों में वृद्धि हुई।

(छ) समाज के गरीब वर्ग की चीनी की आवश्यकताओं का एक हिस्सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पूरा किया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा निश्चित की गई कीमतों पर पूरे देश में समान खुदरा निर्गम मूल्यों पर लेवी चीनी की आपूर्ति की जाती है। खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात करके और घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाकर चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करके चीनी के खुले बाजार मूल्य को नियंत्रित किया गया है।

[अनुवाद]

रेलवे लाइन का दोहरीकरण

194. **श्री सी.पी. मुडाल गिरिवप्पा :**
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान बंगलौर तथा जोलारपेट्टै के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य को पूरा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) इस दोहरीकरण को 9 वीं योजना अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लागत नियंत्रण योजना

195. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई लागत नियंत्रण योजना नहीं है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में टाटा कन्सल्टेंसी द्वारा तैयार किये गये "साफ्टवेयर पैकेज" की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेलों पर लागत नियंत्रण प्रणाली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"वर्ष 1995" दैनिक रेल यात्री वर्ष के रूप में मनाना

196. **श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "वर्ष 1995" को दैनिक रेल यात्री वर्ष के रूप में मनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषरूप से यात्री सुविधाओं के सुधार के संबंध में आयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). वर्ष 1995 को रेल उपयोगकर्ताओं के हित में समर्पित करने का निश्चय किया गया है। यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाने की पहल की गई है। इनमें धन-वापसी नियमों का उदारीकरण, आरक्षण सुविधाओं के कंप्यूटरीकरण का विस्तार, टिकटों की सहज उपलब्धता के लिए अधिकाधिक स्व-मुद्रण टिकट मशीनें लगाना, यात्रियों की संरक्षा, सुरक्षा और आराम देह यात्रा के लिए त्वरित कार्यवाही दलों की तैनाती, रेल उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए एम.ई.यू., डी.एम.यू., डीजल पुश-पुल और रेल बस सेवा प्रारंभ करके अंतरनगरीय गाड़ियां और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां आदि चलाकर लंबी दूरी और छोटी दूरी के यात्री यातायात को पृथक करना शामिल है।

आमान परिवर्तन

197. **श्री बलराज पासी :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्री सुधीर सावन्त :
श्री एन.जे. राठवा :
श्री प्रेम चन्द्र राम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोन-वार तथा राज्य-वार कितनी रेलवे लाइनों को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदला गया;

(ख) क्या छोटा उदयपुर (गुजरात) छोटी लाइन भी इसमें सम्मिलित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या कार्य की प्रगति समय अनुसूची के अनुसार है;

(ङ) इस निर्माण कार्य पर कितना खर्च आयेगा; और

(च) ये निर्माण कार्य कब तक पूरे हो जायेंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों से आज तक बड़ी लाइन मे बदले गए खंड इस प्रकार है :

क्र.सं.	खंड/लाइन का नाम	जोन	लम्बाई (कि. मी.)
1	2	3	4
1991–92			
1.	मनमाड–औरंगाबाद	द.म.	114
2.	सलेमपुर–बहरज बाजार	पूर्वोत्तर	21
		जोड़ :	135
1992–93			
1.	लखनऊ–कानपुर	उत्तर	59
2.	दिल्ली–रेवाड़ी	,,	83
3.	कोटकपूरा–फाजिल्का	,,	80
4.	लालगढ़–मेड़ता रोड	,,	177
5.	लालगढ़–कोलायत	,,	47
6.	नडियाद–कपड़वंज	पश्चिम	45
7.	सवाईमाधोपुर–जयपुर	,,	125
8.	बेंगलूरू–तुमकुर	दक्षिण	59
9.	मैसूर–बेंगलूरू	,,	138
10.	बेंगलूरू–येलहंका	,,	12
11.	गुंटूर–नरसारावपेट	दक्षिण मध्य	46
12.	दिंडीगुल–तूतीकोरिन	दक्षिण	196
13.	बेल्लारी–रायदुर्ग	दक्षिण मध्य	54
14.	औरंगाबाद–जालना	दक्षिण मध्य	64
15.	परभनी–पर्ली वैजनाथ	,,	63
16.	बुढ़वल–महमूदाबाद	पूर्वोत्तर	38
17.	मनकापुर–कटरा	,,	30
18.	पुरूलिया–कोटशिला	दक्षिण पूर्व	35
		जोड़ :	1351
1993–94			
1.	दौंड–बारामती	मध्य	42
2.	बठिंडा–हिसार	उत्तर	157
3.	फुलेरा–जोधपुर–भगत की कोठी	,,	261
4.	पटेल नगर–सराय रोहिल्ला	,,	3
5.	मेड़ता रोड–मेड़ता सिटी	,,	15
6.	महमूदाबाद–सीतापुर	पूर्वोत्तर	60
7.	वाराणसी–इलाहाबाद	,,	126
8.	लखनऊ–मानक नगर	,,	5
9.	लालकुआं–काठगोदाम	,,	29
10.	गुवाहाटी–लमडिंग	पूर्वोत्तर सीमा	181
11.	तुमकुर–चिकजाजूर	दक्षिण	215
12.	चिकजाजूर–चित्रदुर्ग	,,	16
13.	मैसूर–अशोकपुरम	,,	5
14.	ताम्बरम–एवमबूर	,,	27
15.	नरसारावपेट–दोनकौंडा	दक्षिण मध्य	75
16.	जालना–परभनी	,,	116
17.	फलकनुमा–सिकन्दराबाद	,,	28
18.	बोलारम–सिकन्दराबाद	दक्षिण मध्य	14
19.	फलकनुमा–महबूबनगर	,,	99
20.	गोंदिया–अर्जुनी	दक्षिण पूर्व	82
21.	जयपुर–फुलेरा	पश्चिम	55
22.	जयपुर–दुर्गापुर	पश्चिम	8
		जोड़ :	1619
1994–95			
1.	परभनी–पूर्णा	दक्षिण मध्य	29
2.	अर्जुनी–वडसा	दक्षिण पूर्व	23
3.	चिकजाजूर–चित्रदुर्ग	दक्षिण	18
4.	हिसार–रेवाड़ी	उत्तर	143
5.	रेवाड़ी–जयपुर	पश्चिम	225
6.	विरूर–शिमोगा	दक्षिण	63
7.	चिकजाजूर–हरिहर	,,	60
8.	दोनकौंडा–गिददलूर	दक्षिण मध्य	84
9.	मिरज–बेलगाव	दक्षिण मध्य	188
10.	चापुरमुख–हैबरगांव	पूर्वोत्तर सीमा	21
		जोड़ :	854

रेलें राज्य वार सूचना नहीं रखती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) 1994–95 में आमान परिवर्तन के लिए बजट परिव्यय 1005.13 करोड़ रुपये है। वास्तविक खर्च वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही ज्ञात हो सकेगा।

(च) आमानपरिवर्तन "एक–आमान" परियोजना के अंतर्गत चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है। आठवीं योजना में 6,000 कि.मी. का आमान परिवर्तन किया जाना था जिसमें से 3824 कि.मी. का आमान परिवर्तन हो चुका है। रेलों को आठवीं योजना का लक्ष्य पार करने की आशा है।

लेवी की चीनी

198. **श्री चित्त बसु :**
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लेवी की चीनी का मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या घटिया किस्म की होने वाले कारण आयातित चीनी की भारी मात्रा बिना बिक्री के पड़ी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी कितनी मात्रा बिना बिक्री के पड़ी है और इसके निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). विभिन्न क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी मूल्य प्रतिवर्ष गन्ने के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम मूल्य, उस पर अदा/देय कर या शुल्क, ड्राइएज, बी, आई.सी.पी. द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परिवर्तन लागत और बी आई.सी.पी. पैरामीटर के अनुसार उस पर वृद्धि और लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते है। 1994-95 के लिए लेवी मूल्य भी तद्नुसार नियत किए जाएंगे।

(ग) और (घ). राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. द्वारा आयात की गई चीनी की पूरी मात्रा भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु ले ली गई है। जहां तक खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत हुए चीनी के आयात का संबंध है, निजी पार्टियों ने बेची गई चीनी या उनके पास उपलब्ध बिना बिकी चीनी की मात्रा का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

देगाना-दिल्ली के बीच आमान परिवर्तन

199. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समान आमान परियोजना के अंतर्गत देगाना-दिल्ली के बीच आमान परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस काम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा इस लाइन पर जोधपुर मेल कब से चलने लगेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेवाड़ी, जयपुर, देगाना के रास्ते दिल्ली-जोधपुर खंड का आमान परिवर्तन पूरा हो गया है।

(ख) दिल्ली और जोधपुर के बीच, रेवाड़ी-जयपुर, फुलेरा और देगाना के रास्ते 12.3.1995 से बड़ी लाइन की एक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू कर दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों पर राजसहायता

200. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री नीतीश कुमार :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से खाद्य राज-सहायता में सतत् वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91, 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी राजसहायता प्रदान की गई और 1994-95 के दौरान कितनी खाद्य राजसहायता प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले ख़ाद्यान्नों की मात्रा में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो 1991-92 और 1993-94 के दौरान एंव जनवरी, 1995 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई की गई; और

(ङ) इन खाद्यान्नों का प्रति क्विंटल वर्ष-वार मूल्य क्या रहा हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). 1991-92 से भारतीय खाद्य निगम को प्रदान की गई/ रिलीज की गई खाद्य सब्सिडी निम्नानुसार रही है :-

वर्ष	करोड़ रुपए
1991-92	2850
1992-93	2785
1993-94	5537

इसके लिए 1994-95 के बजट अनुमानों में 4000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें से अब तक खाद्य सब्सिडी के प्रति 3,426 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है।

(ग) और (घ). प्रश्नगत वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की निम्नलिखित मात्राओं की आपूर्ति की गई है :-

(लाख मीटरी टन में)*

वर्ष	चावल	गेहूं
1991-92	99.45	87.85
1992-93	93.64	74.00
1993-94	88.84	58.63
1994-95 (जनवरी, 95 तक)	65.28	38.04

*(ये आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ङ) जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले खाद्यान्नों के खुदरा निर्गम मूल्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) निम्नानुसार थे/हैं :-

गेहूं

	दर रुपये प्रति क्विंटल
से प्रभावी	
01.05.1990	234/-
28.12.1991	280/-
11.01.1993	330/-
01.02.1994	402/-

चावल

	साधारण	बढ़िया	उत्तम
से प्रभावी			
25.06.1990	289/-	349/-	370/-
28.12.1991	377/-	437/-	458/-
11.01.1993	437/-	497/-	518/-
01.02.1994	537/-	617-	648/-

समन्वित आदिवासी विकास परियोजना/समपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरित करने के लिए इन अनाजों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य से 50/- रुपए प्रति क्विंटल कम हैं।

बीज निगम

201. श्री खेलन राम जांगडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों में बीज निगम में ढांचागत परिवर्तन लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना (चरण-II) के अधीन वित्तीय और प्रचालानात्मक पुनर्संरचना के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य बीज निगमों को सहायता दी जा रही है।

(ख) और (ग). वित्तीय पुनर्संरचना हेतु किए गए उपायों में ऋण के बोझ कम करना तथा इक्विटी का विस्तार करना शामिल है। प्रचालनात्मक पुनर्संरचना के संबंध में किए गए विभिन्न उपायों में कुछ निगमों को इक्विटी में उत्पादकों और भारत सरकार को सहभागिता तथा संबद्ध निगमों के प्रचालनात्मक कुशलता में सुधार लाने के लिए कुछ संगठनात्मक परिवर्तन करना शामिल है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

202. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री एस.एम. लालजान बाशा :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विद्यमान कमियों के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने संबंधी उपायों के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने हेतु बैठक बुलाई जा रही है;

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 1994 के दौरान और जनवरी, 1995 तक राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की मद-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा में पूर्ति की गई?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार छः मुख्य आवश्यक वस्तुओं, अर्थात चावल, गेहूं, चीनी, साफ्ट कोक, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी तेल की अधिप्राप्ति, भंडारण तथा थोक में उनके आबंटन के लिए जिम्मेदार है। उपभोक्ताओं को आबंटित वस्तुओं के वास्तविक वितरण हेतु संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को होती है। राज्य सरकारों/संध राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर विभिन्न मंचो, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद तथा राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभारी मंत्रियों/सचिवों के साथ बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु सुझावों पर चर्चा की जाती है। सरकार ने देश में, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके पता लगाए गए 1775 ब्लाकों में सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना आरंभ की है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इन क्षेत्रों में रह रही 1650 लाख से अधिक अनुमानित जनसंख्या को लाभ मिल रहा है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए नियत खाद्यान्न जिन केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं वे सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्यों से 50/- रु. प्रति क्विंटल कम होते हैं तथा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटन के लिए 32 लाख मी.टन की अतिरिक्त मात्रा निर्धारित की गई है। केंद्रीय सरकार वितरण के आधार ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण तथा मोबाइल वैनों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी दे रही है।

(च) वर्ष 1994 तथा जनवरी, 1995 के दौरान राज्यों को आबंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 94 से जनवरी, 95 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा चीनी का राज्य-वार आबंटन

राज्य/संघ राज्य	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	195.00	2380.00	340.13	36.50	652.28
अरुणाचल प्रदेश	7.80	95.80	4.27	0.15	10.27
असम	300.00	499.20	131.35	0.90	272.39
बिहार	761.20	386.20	446.22	0.00	602.73
गोवा	43.40	63.00	6.74	2.80	33.38
गुजरात	695.50	448.50	215.17	21.30	868.53
हरियाणा	148.60	39.00	86.00	0.50	167.47
हिमाचल प्रदेश	143.00	105.30	26.64	0.50	43.56
जम्मू व कश्मीर	350.00	540.80	41.89	0.00	77.92
कर्नाटक	380.30	1278.82	239.21	10.00	490.11
केरल	465.00	1950.00	160.83	7.50	292.54
मध्य प्रदेश	586.62	585.32	337.16	0.00	481.92
महाराष्ट्र	1040.00	929.50	402.87	11.00	1646.47
मणिपुर	35.10	130.00	9.54	1.00	22.83
मेघालय	28.00	141.50	9.03	1.40	17.00
मिजोरम	20.70	98.80	3.67	1.10	6.86
नागालैंड	53.20	100.50	5.86	3.20	11.18
उड़ीसा	425.00	564.70	166.83	7.80	206.51
पंजाब	234.00	19.05	108.08	0.00	347.59

1	2	3	4	5	6
राजस्थान	1492.37	46.40	228.22	0.00	332.16
सिक्किम	9.00	59.40	2.21	0.50	8.19
तमिलनाडु	315.00	1241.60	303.33	12.00	723.51
त्रिपुरा	23.40	210.60	13.64	0.15	23.95
उत्तर प्रदेश	1284.40	595.40	713.06	0.00	1097.57
पश्चिम बंगाल	1075.00	1036.20	349.05	10.50	809.99
अंडमान व निकोबार	8.40	51.50	2.84	0.23	4.46
चंडीगढ़	23.40	3.90	5.22	0.00	22.62
दादरा व नगर हवेली	2.60	6.50	0.67	0.49	3.38
दमन व दीव	1.95	6.50	0.52	0.85	3.17
दिल्ली	972.00	260.00	127.65	1.80	261.16
लक्षद्वीप	0.50	6.30	0.79	0.25	0.88
पांडिचेरी	9.75	26.00	4.69	4.53	16.11
योग	11130.19	13906.29	4493.39	136.92	9558.64

गुजरात में रेल लाइन का विद्युतीकरण

203. डा. अमृतलाल कालीदास पटेल :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक कितनी लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या हाल ही में राज्य में रेलवे लाइन के कुछ हिस्से का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस रेल लाइन का विद्युतीकरण कब किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 651 वर्ग किलो-मीटर।

(ख) से (घ). साबरमती-गांधीधाम खंड 1993-94 में विद्युतीकरण किया गया था;

(ङ) भारतीय रेलों पर रेलपथ का विद्युतीकरण एक सतत् प्रक्रिया है विद्युतीकरण परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक गुणावगुण तथा परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नेटवर्क आधार पर प्रारंभ की जाती हैं। चूंकि विद्युतीकरण परियोजनाएं पूंजी परक होती हैं, केवल उन्हीं बड़ी लाइन वाले मार्गों को विद्युतीकरण के लिए अर्हक समझा जाता है जिन पर यातायात घनत्व अधिक होता है और जहां निवेश का प्रतिफल निर्धारित न्यूनतम से कम नहीं होता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र एक्सप्रेस के सवारी डिब्बे

204. श्री दत्ता मेघे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल्हापुर और नागपुर के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस के डिब्बे जीर्ण-शीर्ण हालत में है तथा रसोई यान के अभाव में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस गाड़ी में यात्री सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) महाराष्ट्र एक्सप्रेस के सवारी डिब्बों को सही हालत में रखने के लिए नियमित अनुरक्षण की ओर ध्यान दिया जा रहा है। सवारी डिब्बों की हालत पर निगरानी रखी जाती है और किसी विशिष्ट शिकायत के मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने सहित निवारक कार्यवाही की जाती है। जहां तक पैंट्री के कार की व्यवस्था करने का संबंध है इस गाड़ी के यात्रियों की खान-पान आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मार्गवर्ती स्टेशनों पर पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

(ख) गाड़ियों में यात्री सुविधाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। अनुरक्षण मानकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में मत्स्य पालन

205. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में समुद्र, भीतरी प्रदेश और खारे जल में मत्स्य पालन के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में आठवीं योजनावधि के दौरान क्या कदम उठाए हैं;

(घ) मत्स्य विकास से संबंधित सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं की शीघ्र मंजूरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात के पास समुद्री मात्स्यिकी की काफी संभावनाएं हैं क्यों कि गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर का तटवर्ती भूमि है तथा 1.64 लाख वर्ग किलोमीटर की महाद्वीपीय मानतट भूमि है। 39 मध्यम तथा छोटे पत्तन तथा 216 समुद्री मत्स्य अवतरण केन्द्रों की अवसंरचना राज्य को समुद्री मात्स्यिकी के लिए काफी संभावनाएं प्रदान करती हैं। 3.67 लाख हैक्टेयर तटवर्ती क्षेत्र में बहुत सी संकर खाड़ियां निम्न भूमि तथा पंकिल पाट फैला हुआ है जो खारा जल कृषि के लिए काफी गुंजाइश प्रदान करता है अंतवर्ती मात्स्यिकी में भी गुजरात में पांच बड़ी नदियां बारहमासी तालाब और पोखर तथा छोटे तथा बड़े जलाशय होने के कारण इसके पास विशाल क्षमता विद्यमान है।

(ग) गुजरात में समुद्री अंतवर्ती तथा खारा जल मात्स्यिकी के विकास के लिए आठवीं योजनावधि के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :-

1. बड़े पत्तनों पर मत्स्य पोताश्रय सुविधाएं
2. लघु पत्तनों पर मत्स्य पोताश्रय सुविधाओं की व्यवस्था
3. ताजा जल कृषि
4. समन्वित खारा जल मत्स्य फार्म विकास
5. तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास
   (क) परंपरागत जलयानों का मोटरीकरण
   (ख) एच.एस.डी. ऑयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।
6. मछुआरों का कल्याण
   (1) सामूहिक दुर्घटना बीमा
   (2) मॉडेल मछुआरा ग्राम
   (3) बचत सह-राहत
7. अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के सुदृढीकरण के लिए सहायता

(घ) गुजरात में मात्स्यिकी के विकास के लिए इस समय कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेल वैगन

206. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल वैगनों के उत्पादन में कटौती के कारण बंगलौर के निकट येलाहांका स्थित व्हील एंड एक्सल प्लांट द्वारा विनिर्मित व्हील और एक्सलों की मांग में कमी आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो वैगनों के उत्पादन में कमी के क्या कारण है और 1993-94 और 1994-95 के दौरान वैगनों के लिए दिए गए क्रयादेश का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) माल डिब्बों की मांग आवश्यकता पर आधारित होती है। मांग के अनुरूप 1993-94 में 20,000 माल डिब्बों तथा 1994-95 में 12,000 माल डिब्बों के आर्डर दिए गये थे। ये दोनों आर्डर चौपहिया यूनिटों में थे।

गाड़ियों का स्थगन

207. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान शताब्दी एक्सप्रेस सहित कुछ सवारी गाड़ियों को स्थगित कर दिया गया है तथा कुछ गाड़ियों में डिब्बों की संख्या कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गाड़ियों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

रेल दुर्घटनाएं

208. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 के दौरान पश्चिम रेलवे में रेल दुर्घटनाओं में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस जोन में गत तीन वर्षों की तुलना में रेल दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी आई है; और

(ग) इन दुर्घटनाओं में कमी लाने में किन-किन कारकों का योगदान है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). 1994 के दौरान पश्चिम रेलवे पर पिछले तीन वर्ष अर्थात 1991 से 1993 तक औसतन 55 गाड़ी दुर्घटनाओं की तुलना में 60 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं रिकार्ड की गई हैं।

राज्यों को अधिक खाद्यान्न

209. श्री अरविंद त्रिवेदी :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के कारण राज्यों का खाद्यान्न कोटा बढ़ाने और आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को खाद्यान्नों का विशेष आबंटन और वितरण करने संबंधी भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1 जुलाई, 1994 से फरवरी, 1995 के दौरान राज्य-वार विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी चीनी और मिट्टी का तेल आबंटित किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्रीय पूल में स्टाक, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांगों, उनकी संगत आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति मौसमी उपलब्धता आदि को हिसाब में लेकर माह दर माह आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आबंटन किए जाते हैं। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण क्षेत्रों, जिसमें रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों (डी.एच.ए.) के अधीन कवर किए गए क्षेत्रों के अतिरिक्त समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम (आई.टी.डी.पी.) के अधीन आने वाले क्षेत्र शामिल हैं, में वितरण करने के लिए नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार 3.2 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श दिया गया है कि वे सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में प्रत्येक घर के लिए प्रति माह 20 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध किया जाए।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का आबंटन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है न कि आबादी के आधार पर। तथापि, मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति कम खपत वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को विकास की ऊंची दर की अनुमति देकर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल की अतिरिक्त उपलब्धता में से आबंटन किए जाते हैं ताकि कुछ समय असमानता दूर की जा सके।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन अधिकता राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी चीनी के मासिक आबंटन यह सुनिश्चित करके एक समान मानदण्डों के आधार पर किए जाते हैं कि 1.10.1986 को यथा प्रायोजित जनसंख्या के लिए यह मात्रा 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति उपलब्धता कराई जा रही है। ये मानक दिनांक 1.2.1987 से प्रभावी है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वहां चल रही विशेष परिस्थितियों के विचार से अधिक मात्रा के आबंटन की अनुमति प्रदान की जाती है। तद्नुसार, पूरे देश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए 3.5 लाख मीटरी टन चीनी लेवी के रूप में प्रतिमाह आबंटित की जा रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार प्रतिवर्ष लगभग एक लाख मीटरी टन त्यौहार कोटे के रूप में आबंटित करती है जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके मासिक आबंटन के अनुपात में आवंटित किया जाता है। चीनी का राज्यवार मासिक आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जुलाई, 1994 से फरवरी, 1995 की अवधि के दौरान मिट्टी के तेल के राज्यवार और मासवार आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

लेवी चीनी कोटे और त्यौहार कोटे को बताने वाला विवरण

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सामान्य मासिक कोटा	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25281	7614
2.	अण्डमान और निकोबार	247	74
3.	अरूणाचल प्रदेश	314	94
4.	असम	9617	2896
5.	बिहार	33459	10078

1	2	3	4
6.	चण्डीगढ़	372	112
7.	दादर और नगर हवेली	51	14
8.	दिल्ली	8721*+1200 = 9921**	2316
9.	गोवा	500	150
10.	दमन	24	
11.	दीव	15	12
12.	गुजरात	16194	4878
13.	हरियाणा	6386	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	608
15.	जम्मू और कश्मीर	3136@	868
16.	कर्नाटक	17769	5350
17.	केरल	11953	3600
18.	लक्षद्वीप	71	22
19.	मध्य प्रदेश	25031	7536
20.	महाराष्ट्र	29938	9014
21.	मणिपुर	694	208
22.	मेघालय	662	200
23.	मिजोरम	261	78
24.	नागालैण्ड	426	128
25.	उड़ीसा	12393	3730
26.	पाण्डिचेरी	305*	64
27.	केरिकल	73	18
28.	माहे	15	4
29.	यनम	7	2
30.	पंजाब	7945	2392
31.	राजस्थान	16914	5092
32.	सिक्किम	165	50
33.	तमिलनाडु	22547	6790
34.	त्रिपुरा	1001	302
35.	उत्तर प्रदेश	52926	15936
36.	पश्चिम बंगाल	25888	7796
	जोड़	334520	99,950

* मई, 1990 से दिल्ली में 1032 मीटरी टन और पांडिचेरी में 108 मीटरी टन की कोटे में की गई वृद्धि शामिल है।

** जुलाई, 1993 से की गई 1200 मीटरी टन की वृद्धि शामिल है।

@ फरवरी, 1994 से की गई 252 मीटरी टन की वृद्धि शामिल है।

विवरण–II

1994–95 के दौरान तदर्थ आवंटनों सहित मिट्टी के तेल के आवंटन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994 जुलाई	1994 अगस्त	1994 सितम्बर	1994 अक्तूबर	1994 नवम्बर	1994 दिसम्बर	1995 जनवरी	1995 फरवरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
हरियाणा	12651	12651	12651	12651	13595	13595	13595	13595
हिमाचल प्रदेश	3444	3366	3366	3366	3366	3366	3366	3366
जम्मू और कश्मीर	5840	5730	5730	5730	7410	7410	8188	8188
पंजाब	27789	27789	27789	23237	23237	29663	29663	29663
राजस्थान	24578	24578	24578	24578	28105	28105	28105	28105
उत्तर प्रदेश	85575	85575	85575	85575	87014	87481	87481	87481
चण्डीगढ़	1744	1744	1744	1744	1744	1744	1744	1744
दिल्ली	18779	18779	18779	18779	22596	22596	22596	22596
उत्तरी क्षेत्र	180400	180212	180212	175660	187067	193960	194738	194738
असम	20976	20976	20976	20976	20976	20976	20976	20976
बिहार	46917	46917	46917	46917	47742	47742	47742	47742
मणिपुर	1756	1756	1756	1756	1756	1756	1756	1756
मेघालय	1288	1288	1386	1288	1386	1386	1386	1386
नागालैण्ड	861	861	861	861	861	861	861	861
उड़ीसा	16843	16843	16843	16843	16065	16065	16065	16065
सिक्किम	630	630	630	630	630	630	630	630

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
त्रिपुरा	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852	1852
पश्चिम बंगाल	62380	62380	62380	62380	62380	62380	62380	62380
अरुणाचल प्रदेश	790	790	790	790	790	790	790	790
मिजोरम	519	519	519	519	519	619	519	519
अंडमान और निकोबार	382	382	382	382	382	382	382	382
पूर्वी क्षेत्र	155194	155194	155294	155194	155339	155439	155339	155339
गुजरात	62498	62498	62498	70280	73160	73160	73160	73160
महाराष्ट्र	124139	124139	124139	124139	135383	135383	135383	135383
गोवा	2261	2261	2261	2261	4261	2261	2261	2261
दिव	119	119	119	119	127	127	127	127
दमन	120	120	120	120	127	127	127	127
दादर और नगर हवेली	259	259	259	259	259	259	259	259
मध्य प्रदेश	36624	36624	36624	36624	39967	39967	39967	39967
पश्चिमी क्षेत्र	226020	226020	226020	233802	253284	251284	251284	251284
आंध प्रदेश	50261	50261	50261	50261	50261	50261	50261	50261
कर्नाटक	40744	37744	37744	37744	37744	37744	37744	37744
केरल	22528	22528	22528	24863	22528	22528	22528	22528
तमिलनाडु	55716	55716	55716	55716	55716	55716	55716	55716
पांडिचेरी	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239	1239
लक्षद्वीप	71	71	71	71	67	67	67	67
दक्षिणी क्षेत्र	170559	167559	167559	169894	167555	167555	167555	167555
अखिल भारतीय जोड़	732173	728985	729083	734550	763245	768238	765916	769916

एर्नाकुलम और कालीकट के बीच रेलगाड़ी

210. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री थाइल जॉन अंजलोच :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एर्नाकुलम और कालीकट के बीच भी कोई नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) क्या अल्लेपी से होकर त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम के बीच भी कोई यात्री रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ियां कब तक शुरू कर दी जायेंगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). 1995-96 के दौरान एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

एगारवुड की तस्करी

211. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ल्ड वाइल्ड फण्ड (डब्ल्यू.डब्ल्यू. एफ.) की एक शाखा ट्रैफिक इण्डिया से "एगारवुड" की तस्करी के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस लुप्तप्राय लकड़ी के बचाव के लिए क्या उपाय किए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार को अगर की लकड़ी की तस्करी के संबंध में विश्व वन्यजीवन निधि के एक स्कंध, ट्रैफिक इण्डिया की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस लकड़ी की संकटापन्न प्रगति की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(1) अगर की लकड़ी को अंतराष्ट्रीय प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजाति व्यापार कन्वेंशन के परिशिष्ट-II में शामिल किया गया है।

भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सरंक्षित क्षेत्रों में तश्करी रोधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(3) आयातित सागौन के लट्ठों/शहतीर जो विशेष कर चीरे हुए काष्ठ के होते हैं, को छोड़कर काष्ठ और लट्ठे, शहतीर, ठूंठ, जड़ों, वल्कल, खपचियां, चूर्ण, पत्तर, बुकनी, लुग्दी तथा काष्ठ कोयला के रूप में काष्ठ उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कथित अनियमितताएं

212. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान और जनवरी, 1995 तक उचित दर की दुकानों पर घटिया किस्म के माल, कालाबाजारी और हेराफेरी के मामलों के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में कितनी धनराशि अंतःग्रस्त है;

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित वस्तुओं की उचित दर की दुकानों के जरिए वितरण करने हेतु संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केन्द्रीय सरकार ने वितरण में कदाचारों को रोकने तथा ऐसे कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उचित दर की दुकानों का समय-समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, जिनमें उन पर छापे मारना भी शामिल है। उचित दर की दुकानों के कार्यकरण के विरुद्ध शिकायतों पर शीघ्र और कारगर ढंग से प्रतितोष प्रदान करने के लिए उन पर स्थानीय प्रशासनिक स्तर, जैसे उप प्रभाग या जिला स्तर पर कार्यवाही की जाती है। केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों का विवरण नहीं रखा जाता है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे कदाचार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कारगर कार्यवाही करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे उचित दर की दुकानों के स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करें। जिनमें स्थानीय व्यक्तियों, उपभोक्ताओं तथा महिलाओं को शामिल किया जाए, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

नेवला और गोह का शिकार

213. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवले और गोह प्रजातियों के शिकार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन वन्य जीवों/प्रजातियों को संरक्षित घोषित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रजातियों के सरंक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) नेवले के शिकार की घटनाओं में वृद्धि होने की सूचना नहीं है। गोह एक विदेशी प्रजाति है जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है और भारत के वनों में नहीं पाई जाती है।

(ख) से (ङ). नेवले की सभी प्रजातियों को पहले ही सुरक्षा प्राप्त है और उनके शिकार पर प्रतिबंध है क्योंकि इन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-4 में शामिल किया गया है। गोह को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह एक विदेशी प्रजाति है। तथापि, मानीटर लिजार्डस जो गोह के समान है और भारत में पाए जाते हैं, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I (पीली मानीटर लिजार्ड) तथा अनुसूची-2 के भाग-2 (मानीटर लिजार्ड की अन्य प्रजातियों) में शामिल किया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की इन अनुसूचियों में शामिल किसी भी प्रजाति के शिकार पर प्रतिबंध है।

दिल्ली और औरंगाबाद के बीच सीधी रेलगाड़ी

214. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और औरंगाबाद के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

कुलपति

215. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिना कुलपतियों के चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). तेरह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल दो विश्वविद्यालय अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा विश्व भारती, कार्यकारी कुलपतियों के अधीन कार्य रहे हैं क्योंकि इनके कुलपतियों ने त्यागपत्र दे दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा विश्वभारती के कुलपतियों के त्यागपत्र को क्रमशः 8 सितम्बर, 1994 तथा 31 जनवरी, 1995 को स्वीकार किया गया था। इन दोनों विश्वविद्यालयों के अधिनियमों तथा सांविधियों के उपबंधों के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने उपाय शुरू कर दिए हैं।

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत सप्लाई की गई खाद्य वस्तुएं

216. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी निर्धारित गुणवत्ता के आनुपातिक वाले प्रोटीन और कैलोरी तत्वों की अपेक्षित मात्रा युक्त हाई प्रोटीन (सोया फोर्टीफाइड) बिस्कुटों का नियमित उत्पादक नहीं है;

(ख) क्या इन बिस्कुटों का निर्माण स्थानीय बेकरियों द्वारा विशेष क्रयादेशों पर किया जाता है जिसे दिल्ली में इन्हें समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए खरीदा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उत्पाद का वितरण अनियमितताओं तथा अन्य बातों से किसी सीमा तक मुक्त है और प्रतिष्ठित उत्पादकों से इस प्रकार के घटिया बिस्कुटों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों में सप्लाई किए गए बिस्कुटों उनकी खरीद के स्रोत आदि तथा खरीद की दरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) चूंकि समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत लाभप्राप्तकर्ताओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने का दायित्व संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है, इसलिए सरकार ने देश में प्रोटीन और कैलोरी के अपेक्षित मात्रा वाले उच्च प्रोटीन (सोया से संपुष्ट) के निर्धारित मूल्य वाले बिस्किटों के किसी नियमित उत्पादक का पता नहीं लगाया है।

(ख) और (ग). समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए दिल्ली सरकार प्रमुख समाचार पत्रों में निविदा सूचनाएं प्रकाशित कराती है। इन निविदा सूचनाओं के प्रत्युत्तर में प्राप्त कोटेशनों की क्रय समिति द्वारा जांच की जाती है। तत्पश्चात् वैध निविदाओं के नमूने रासायनिक विश्लेषण हेतु कृषि भवन स्थित सरकारी प्रयोगशाला को भेज दिए जाते है। निरीक्षण संबंधी संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर दरों की जांच की जाती है और टैण्डर मंजूर किए जाते हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बलात्कार तथा छेड़छाड़ की घटनाएं

217. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान आज तक राष्ट्रीय महिला आयोग को बलात्कार और छेड़छाड़ की कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ख) क्या आयोग द्वारा विशेष रूप से गुजरात में ऐसी घटनाओं की जांच की गई/जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) 24.

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). आयोग के ध्यान में लाए गए 24 बलात्कार के मामलों में से एक मामला गुजरात राज्य का है। यह मामला गुजरात के बड़ौदा जिले के अनतरस ग्राम में एक जनजातीय महिला के साथ

कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किए जाने का है। आयोग ने राज्य सरकार के साथ मामला उठाया है। इस बीच यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया और गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस मामले की जांच विशेष पुलिस महानिदेशक द्वारा की जा रही थी। उत्तर प्रदेश का एक मामला 1-2 अक्तूबर, 1994 को *मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड महिला आन्दोलनकर्त्ताओं के* साथ पुलिस द्वारा सामूहिक बलात्कर किए जाने के आरोपों से संबंधित है। आयोग की अध्यक्षा के नेतृत्व में आयोग के एक दल ने 13 अक्तूबर से 17 अक्तूबर, 1994 तक गढ़वाल क्षेत्र के मुख्य इलाकों का दौरा किया। इस जांच के आधार पर, आयोग ने अपनी रिपोर्ट उपयुक्त प्राधिकारियों को समुचित कार्यवाही हेतु भेज दी है।

अन्य सभी मामलों में, आयोग ने अपकृत व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त होने पर कथित अपराधों की ओर ध्यान दिया, मामलों की जांच की तथा इन मामलों से उत्पन्न मुद्दों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाया।

माल और यात्री डिब्बे

218. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में कितने माल और यात्री डिब्बों का निर्माण किया गया;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान कितने-कितने माल डिब्बों और यात्री डिब्बों का किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ग) इनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1993-94 के दौरान माल डिब्बों तथा सवारी डिब्बों का कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	माल डिब्बे (चौपहियों में)		*सवारी डिब्बे (वाहन यूनिटों में)	
	रेलवे आर्डरों के लिए	गैर रेलवे आर्डरों के लिए	रेल आर्डरों के लिए	गैर रेलवे आर्डरों के लिए
1991-92	25778	977.5	2437	—
1992-93	26129	215.5	2659	—
1993-94	19649	713	2489	—

*ई.एम.यू. सवारी डिब्बों सहित।

नई रेलगाड़ियों की शुरूआत

219. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में नई रेलगाड़ियां चलाने का कोई *प्रस्ताव है; और*

(ख) *यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?*

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) ये 1995-96 के बजट प्रस्तावों में शामिल हैं।

[हिन्दी]

शहतूश का संरक्षण

220. **कुमारी उमा भारती** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संरक्षित जंगली जानवरों की सूची में शहतूश को शामिल किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहतूश के शाल खुले बाजार में बेचे जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रजाति के संरक्षण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) शहतूश तिब्बती हिरण अथवा चिरू (पेन्थोलेप्स हॉगसोनी) जो संकटापन्न प्राणि है, से प्राप्त होने वाली ऊन (अन्डर वूल) का व्यापारिक नाम है। यह प्रजाति भारत के उत्तरी पश्चिमी लद्दाख में पाई जाती है। यह प्राणि मुख्य रूप से शीत ऋतु में इस क्षेत्र में आता है तथा इसकी मूल आबादी चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में पाई जाती है।

(ख) तिब्बती हिरण अथवा चिरू को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे उसके शिकार तथा उसके अंगों के वाणिज्यिक व्यापार से सम्पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। इस प्रजाति को वनस्पतिजात तथा प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के परिशिष्ट-I में भी शामिल किया गया है जो इस प्रजाति के तथा इसके अंग और उत्पाद के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निषिद्ध करता है। इसे सरकार की आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत निषिद्ध सूची में भी शामिल किया गया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली में शहतूश उत्पादों की बिक्री के बारे में सूचना मिलने पर अनेक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में छापे मारे गए थे तथा जिन फर्मों के परिसरों में शहतूश की शालें, मफ्लर और ऊन प्राप्त हुई थी उन्हें सील कर दिया गया था। इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय विमान पत्तन, दिल्ली तथा कलकत्ता हवाई अड्डे पर शहतूश ऊन और उत्पादों के कुछ परेषण भी पकड़े गए थे।

दिल्ली दुग्ध योजना

221. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबंधन में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को लगातार घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना को कितना घाटा हुआ है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य को लेकर दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना की गई है। यह उद्देश्य दिल्ली दुग्ध योजना के संचालन को प्रभावित करता आ रहा है। आम तौर पर दूध का विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से कम रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप इसके संचालन के लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को हुए घाटे तथा बजटीय समर्थन का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	वर्ष	बजट समर्थन	घाटा (करोड़ रुपये में) (अनन्तिम)
1.	1991-92	45.40	35.11
2.	1992-93	28.78	33.18
3.	1993-94	10.52	15.11
4.	1994-95 (अनन्तिम)	7.00	10.06

[अनुवाद]

चन्दन की लकड़ी का निर्यात

222. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान इस प्रतिबंध को हटाने का निर्णय किया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जी. नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बढ़िया किस्म के बीज

223. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गैट" समझौते के कार्यान्वयन के कारण विपणन स्थिति में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार में आयातित बीजों का मुकाबला करने तथा भारतीय बीजों के लिए निर्यात बाजार तलाश करने की दृष्टि से अनुसंधान संस्थाओं में बढ़िया किस्म के बीज तैयार करने के प्रयास किए गये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नई किस्मों के अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अब तक के अनुसंधान प्रयासों के फलस्वरूप 2000 से भी अधिक उन्नत और संकर किस्मों का विकास किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई महत्वपूर्ण किस्में हैं। : के.बी.एस.एच.-1 (सूरज मुखी) एच.बी.-224 (कपास), एच.एच.बी. 67 (बाजरा), पूसा दीपाली (फूलगोभी), पूसा शीतल और एफ-1 हाइब्रिड-1 और 2 (टमाटर), पूसा हाइब्रिड-5 और 6 (बैंगन) और पप्रिका।

आलू के विशुद्ध बीज से आलू का उत्पादन बढ़ाना, मौसमेतर नर्सरियों का विकास, जैव दवाओं के प्रति अंतर्निर्मित प्रतिरोध, प्रजनक बीज का गुणात्मक सुधार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल योजना

224. **श्री जे. चोक्का राव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 11 जनवरी, 1995 से आरंभ 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति की योजना के लिए शिक्षा से जुड़े 10 किलो मुफ्त चावल योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार से 320 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 2 रुपए प्रति किलो चावल पर तय की गई राज-सहायता की लागत शिक्षा से जुड़े 10 किलो की आपूर्ति योजना की लागत से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे आंध्र प्रदेश सरकार को कितना लाभ हुआ होगा?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 रुपए प्रति कि. ग्रा. की दर पर चावल की आपूर्ति करने की अपनी स्कीम पर 1995-96 में 1265 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय अनुदान के लिए अनुरोध किया है । यह सूचित किया गया है कि आंध्र प्रदेश सरकार इस स्कीम के तहत, राज्य सरकार द्वारा गरीब के रूप में पहचाने गए प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 25 किलोग्राम चावल मुहैया करा रही है। आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चावल का अधिक आवंटन करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार ने, पहले ही जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था, फरवरी, 1995 से चावल के मासिक आबंटन को 1,90,000 मी.टन प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,10,000 मी.टन प्रतिमाह कर दिया है। केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न एकसमान केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर उपलब्ध कराती है, जिन पर केन्द्रीय सरकार राज-सहायता देती है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अतिरिक्त अनुदान या राज-सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों के रूझान में बदलाव

225. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिलहन और गन्ने जैसी अधिक मुनाफा देने वाली फसलों के प्रति किसानों का रूझान बढ़ जाने से खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को पुनः खाद्यान्नों की खेती करने हेतु प्रेरित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1980-81 से 1993-94 की अवधि के दौरान तिलहनों और गन्ने की फसल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की वृद्धि दर सभी फसलों के क्षेत्र की वृद्धि दर की तुलना में अधिक रही है जबकि खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की वृद्धि दर नकारात्मक पाई गई है। इसके यह प्रकट होता है कि कुछ क्षेत्रों में तिलहनों और गन्ने की फसलें उगाना आरंभ हुआ है। बहरहाल, खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि का रूख प्रकट होता है।

(ख) विभिन्न कृषि आर्थिक कारणों, जिसमें फसल की उत्पादकता और उसकी लाभप्रदता भी शामिल है, को देखते हुए किसान अपनी मर्जी से विभिन्न फसलों के लिए अपने भू-संसाधनों का चयन व आबंटन करते हैं।

(ग) खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से समेकित अनाज विकास--चावल, गेहूं तथा मोट अनाज तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम जैसे फसलोन्मुखी उत्पादन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खेल नीति

226. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल नीति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और इसकी घोषणा किस तिथि को की गई थी;

(ख) क्या उक्त नीति का कार्यान्वयन अब तक नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) राष्ट्रीय खेल नीति 21 अगस्त, 1984 को संसद के दोनों सदनों में रखी गई थी। इसकी मुख्य बातें निम्न हैं :

(1) खेल बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा खेल मैदानों और खुले स्थानों को सुरक्षित रखना।

(2) शैक्षिक संस्थानों और गैर-सरकारी संस्थानों में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

(3) विभिन्न प्रकार के खेल संस्थानों की स्थापना और स्वैच्छिक खेल निकायों का सहयोग प्राप्त करना।

(4) खेल उत्कृष्टता के लिए पोषित करने के उद्देश्य से छोटी उम्र में प्रतिभाशालियों का पता लगाना।

(5) खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और रोजगार प्रदान करना।

(6) राष्ट्रीय टीमों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

227. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार निकट भविष्य में एक नया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकस मंत्रालय (शिक्षा विभाग संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं करता है। ये सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न तो विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए सक्षम है और न ही यह निकट भविष्य में एक नया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। तथापि कुछ समय पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु संबंद्ध विश्वविद्यालय की आवश्यकता की जांच की थी।

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

228. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वित्तीय कठिनाइयों के कारण विलम्ब होने वाली निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण किन-किन रेल-परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित रेल परियोजनाओं में वित्तीय तंगी के कारण विलम्ब हुआ है/विलम्ब होने की संभावना है।

कार्य का नाम	लंबाई कि.मी. में	अनुमानित लागत (करोड़ रूपयों में)	विलम्ब के कारण
नई लाइन			
1. बगहा-छितौनी रेल-एवं सड़क पुल	28	164.09	सह भागादारों यथा उ.प्र. बिहार तथा जल संसाधन मंत्रालय द्वारा समय पर अपना हिस्सा जमा न कराने के कारण।
2. आमान परिवर्तन लालकुआं-काशीपुर	72	45.00	कार्य को इसकी निम्न प्राथमिकता तथा संसाधनों की तंगी के कारण अस्थाई तौर पर रोक दिया गया है।

वन भूमि का अतिक्रमण

229. श्री भवानी लाल वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 18.9.1990 को परिचालित किए गए परिपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वन भूमि पर 24 अक्तूबर, 1980 तक हुए अतिक्रमण को ही नियमित किया जायेगा;

(ख) क्या मध्यप्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने 24 अक्तूबर, 1980 तक वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने संबंधी प्रस्ताव भेजें हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त हुए तथा उसके द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और अभी भी कितने प्रस्ताव उसके पास किन-किन कारणों से लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार ने 24 अक्तूबर, 1980 तक वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने के संबंध में नए सिरे से कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ). वन भूमि पर दिनांक 25.10.1980 से पूर्व के अवैध कब्जों को मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.9.1990 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कतिपय मापदण्डों को पूरा किए जाने पर नियमित किया जा सकता है। वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों में से मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मध्य प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा गुजरात के एक-एक प्रस्ताव के संबंध में औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अरूणाचल प्रदेश और गुजरात के एक-एक प्रस्ताव के संबंध में सिद्धांतरूप से अनुमोदन दे दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और महाराष्ट्र से दो-दो प्रस्तावों तथा राजस्थान और अरूणाचल प्रदेश से एक-एक प्रस्ताव के मामले में संबंधित राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे कतिपय जरूरी ब्यौरे भेजें। वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।

कपड़ा धोने का साबुन

230. श्री जीवन शर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार को कपड़ा धोने के साबुन सप्लायरों ने 1994-95 के बजट में कपड़ा धोने के साबुन पर उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण इनके मूल्यों में वृद्धि किए जाने के लिए आवदेन किया था;

(ख) यदि हां, तो सप्लायर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सप्लायर ने कितनी राशि की वृद्धि का अनुरोध किया था;

(ग) क्या सप्लायरों ने कपड़ा धोने के साबुन पर उत्पाद शुल्क समाप्त किए जाने के बाद बढ़ाए गये मूल्य कम कर दिये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इनके मूल्यों में कमी करके इन्हें पुराने मूल्यों के बराबर किया गया और यदि नहीं, तो सप्लायर-वार इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त मूल्य केन्द्रीय भंडार के मूल्यों की तुलना में कितनी कम या अधिक थे?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा भेजे गए ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

सुपर बाजार

क्र.सं.	सप्लायर का नाम	प्रश्नाधीन वृद्धि की राशि
1.	गोरा मल हरी राम	वर्तमान मूल्यों पर 10 प्रतिशत
2.	मोती सोप फैक्ट्री	-वही-
3.	खन्ना सोप फैक्ट्री	-वही-

केंद्रीय भण्डार

क्र.सं.	सप्लायर का नाम	प्रश्नाधीन वृद्धि की राशि
1.	मैसर्स मोती सोप फैक्ट्री	0.76 रुपए प्रति कि.ग्रा.
2.	मैसर्स मित्तल एण्टरप्राइजेज	0.78 रुपए प्रति कि.ग्रा.

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उत्पाद शुल्क वापस लिए जाने के पश्चात, केवल गोरा मल हरी राम के मामले को छोड़कर, जिन्हें विद्युत क्षेत्र में होने के कारण उत्पाद शुल्क देना पड़ रहा है, सप्लायरों ने बढ़ी हुई दरों को कम कर दिया है।

केन्द्रीय भण्डार ने भी सूचित किया है कि सप्लायरों ने वृद्धि यह कहते हुए हटा ली है कि उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि खन्ना सोप फैक्ट्री तथा मोती सोप फैक्ट्री के मामलों में बाद में उत्पाद शुल्क में वृद्धि को हटा लिया गया था। तदनुसार, गोरा मल हरी राम के मामले के सिवाय, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में होने के कारण यह फर्म उत्पाद शुल्क अदा कर रही है, दरों को कम कर दिया गया है।

केन्द्रीय भण्डार ने भी सूचित किया है कि उत्पाद शुल्क के कारण हुई वृद्धि को सप्लायरों द्वारा हटा लिया गया हैं।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ख), (ग) और (घ) में उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

जैव उर्वरक

231. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना की वर्तमान योजना के अलावा सरकार जैव उर्वरक पर प्रस्तावित प्रौद्योगिकी मिशन के जरिए जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने पर विचार कर रही है। इसके अधीन जैव उर्वरक के उत्पादन के लिए जैव उर्वरक उत्पादन एकक की स्थापना करने तथा प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित करने के लिए राज्यों तथा सुस्थापित संगठनों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है।

प्राइस स्टीकर

232. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुकानदार बाजार में पर्याप्त रूप से उपलब्ध प्राइस स्टिकरों पर वांछित मूल्य अंकित करके उन्हें पैकेटों पर लगाकर उपभोक्ताओं से ऊंचे मूल्य वसूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए इन स्टिकरों पर प्रतिबंध लगान का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में कोई अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में पहले से पैक की गई वस्तुओं पर विनिर्माताओं /पैकरों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं, जिनमें मूल्य की घोषणा शामिल हैं, में परिवर्तन करने के लिए अलग से लेबल चिपकाने से संबंधित संगत उपबंध को उपभोक्ताओं के हित में पहले ही 26 अगस्त, 1993 से वापस लिया जा चुका है।

चीनी मिलें

233. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन मिलों द्वारा राज्य-वार कितना वास्तविक उत्पादन किया गया तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु कितने आशय पत्र जारी किए गए; और

(घ) कितने आवेदनकर्ताओं को लाइसेन्स दिए गए?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) अर्थात 30.9.90 के अंत तक देश में चीनी मिलों की संस्थापित क्षमता 93.413 लाख टन थी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93 से 1996-97) के दौरान अर्थात 31.1.95 तक 15.8641 लाख टन क्षमता का उत्पादन शुरू हो चुका है जिससे कुल संस्थापित क्षमता 118,2541 लाख टन हो गई है।

(ग) और (घ). 8वीं योजना (31.1.1995 तक) के दौरान विस्तार की गई नई मिलों और चीनी फैक्टिरयों का 1994-95 के दौरान वास्तविक उत्पादन 11.23 लाख टन था। 31.1.95 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 74 आशय पत्र जारी किए गए हैं। राज्य-वार स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य	जारी किए गए आशय पत्र
1.	हरियाणा	4
2.	उत्तर प्रदेश	25
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	गुजरात	2
5.	महाराष्ट्र	17
6.	बिहार	1
7.	उड़ीसा	1
8.	आंध्र प्रदेश	15
9.	कर्नाटक	5
10.	तमिलनाडु	2
	कुल	74

झींगा मछली (श्रिम्प) में अज्ञात रोग

234. श्री हरि किशोर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में अज्ञात बीमारी के कारण झींगा मछली (श्रिम्प) के उत्पादन में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के समुद्रतटीय जिलों में रोग फैलने के कारण झींगा के उत्पादन में कुछ कमी हुई है।

(ख) झींगा में इस अज्ञात रोग के फैलने से लगभग 22660 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र प्रभावित हुआ है ऐसा अनुमान है। इस रोग के फैलने का वास्तविक कारण अभी पता नहीं चला हैं। लेकिन, झींगा उत्पादन में कमी करने वाले कुछ सामान्य रोग है श्वेत दाग रोग और नोक्रोसिस रोग।

(ग) इस रोग को फिर से फैलने से रोकने के लिये सरकार द्वारा सोचे गये कुछ सुधारक उपाय इस प्रकार है :

1. आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा एक कानून के माध्यम से झींगा पालन का विनियमन।
2. मछली पालकों को यह सलाह देना कि इसके पालन को कुछ समय के लिये बंद रखे और झींगा पालन केवल मई के अन्त में या जून, 1995 के आरम्भ में करें।
3. तालाब की तली को 2-3 महीने तक सुखाएं
4. झींगा के तालाबों से व्यर्थ पदार्थों को प्राकृतिक रूप स निकलने दें।
5. मछली पालन का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव रोकने क लिये पर्यावरणिक प्रबन्ध और मानिटरिंग योजना तथा व्यर्थ पानी उपचार प्रणाली लागू करना।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) चूंकि रोग फैलना प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत सहायता हेतु वर्गीकृत नहीं है इस लिए पहले की तरह ही प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सब्जियों के मूल्य

235. डा. साक्षीची : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई महीनों के दौरान सब्जियों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है; और

(ग) सब्जियों के मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, नहीं। पिछले कई महीनों में आपूर्ति की स्थिति उचित होने के कारण लगभग सभी सब्जियों के मूल्यों का रूख, कुल मिलाकर, अच्छा बना रहा है।

(ग) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों प्रकार के उपाय किये हैं अल्पावधिक उपायों में दिल्ली में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, नाफेड, और सुपर बाजार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जाने वाली सब्जियों की बिक्री आती है। दीर्घकालिक उपायों के रूप में सरकार एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना चला रही है जिसका उद्देश्य देश में सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करना है।

[अनुवाद]

फूलों का उत्पादन

236. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 1993 और 1994 के दौरान सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपायों से कौन-कौन से फूल लाभान्वित होंगे;

(ग) प्रत्येक वर्ष में विभिन्न किस्मों के फूलों के उत्पादन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान फूलों की विभिन्न किस्मों का निर्यात किया गया;

(ङ) यदि हां, तो किस्म-वार और राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में फूलों का निर्यात हुआ; और

(च) देशों के नामों सहित अब तक अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कृषि मंत्रालय, आठवीं योजना के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय से वाणिज्यिक पुष्प कृषि पर एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 की योजना के तहत शामिल किए गए कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आदर्श पुष्प कृषि केन्द्र महाराष्ट्र को बड़ी टिशु पालन इकाइयां (निजी क्षेत्र) सिक्किम, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में छोटी टिशु पालन इकाइयां (निजी क्षेत्र) की स्थापना करने और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम शुरू करने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी आदि क्षेत्रों में इकाइयां को पुष्पों सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और विपणन की समेकित परियोजनाओं के लिए उदार ऋण के रूप में सहायता प्रदान करता है।

(ख) इस कार्यक्रम के तहत वाणिज्यिक महत्व के सभी फूल सम्मिलित है।

(ग) यद्यपि धन किस्मवार नियत किया गया है तथापि 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत निर्मुक्त किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) निर्यात किए गये फूलों की किस्मवार और राज्यवार मात्रा का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(च) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान जिन देशों को फूल निर्यात किए गए उनका और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वाणिज्यिक पुष्पकृषि की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

धन की राज्यवार निर्मुक्ति

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.00	3.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	0.50
3.	असम	-	0.50
4.	बिहार	-	1.00
5.	गुजरात	1.00	1.00
6.	गोवा	-	1.00
7.	हरियाणा	1.00	2.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.00	3.00
9.	जम्मू व कश्मीर	3.81	14.50
10.	कर्नाटक	4.81	15.00
11.	केरल	2.81	13.50
12.	मध्य प्रदेश	1.00	2.00
13.	महाराष्ट्र	4.81	36.60
14.	मणिपुर	-	2.00
15.	मेघालय	-	0.50
16.	मिजोरम	-	0.50
17.	नागालैंड	-	0.50

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	–	1.00
19.	पंजाब	3.81	25.50
20.	राजस्थान	1.00	2.00
21.	सिक्किम	3.31	13.70
22.	तमिलनाडु	4.81	14.50
23.	त्रिपुरा	0.50	0.50
24.	उत्तर प्रदेश	4.81	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	4.81	14.50
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	0.50
27.	चण्डीगढ़	–	0.25
28.	दादर और नागर हवेली	–	0.25
29.	दिल्ली	1.00	1.00
30.	दमन और दीव	–	0.25
31.	लक्ष्यद्वीप	–	0.25
32.	पांडिचेरी	0.50	0.50
	कुल	46.79	187.30

विवरण–II

1992–93 और 1993–94 के दौरान भारत से तराशे हुए फूलों के निर्यात का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	देश	1992–93	1993–94
1	2	3	4
1.	यू.एस.ए.	271.581	403.879
2.	जर्मनी	139.587	182.890
3.	रूस	–	140.852
4.	यू.के.	108.213	88.423
5.	नीदरलैंड एंटिमस	–	73.662
6.	इटली	93.736	69.648
7.	सउदी अरब	50.074	39.870
8.	पोलैंड	–	31.871
9.	संयुक्त अरब अमीरात	12.330	23.974
10.	फ्रांस	11.750	23.404
11.	श्रीलंका	16.512	19.728
12.	आस्ट्रेलिया	10.213	14.861
13.	नीदरलैंड	29.466	10.656
14.	जापान	14.024	8.731
15.	हांगकांग	2.186	8.058
16.	स्पेन	27.531	6.109
17.	पाकिस्तान	2.480	5.535
18.	बहराइन	3.247	5.189
19.	कनाडा	2.555	4.352
20.	चीन	5.677	4.350
21.	फिनलैंड	–	3.949
22.	हंगरी	–	3.937
23.	मलेशिया	–	3.302
24.	ग्रीस	–	2.984
25.	बेलग्रियम	6.456	2.872
26.	इजराइल	1.256	2.441
27.	स्विटजरलैंड	–	1.880
28.	ओमान	6.134	1.190
29.	येमेन अरब गणराज्य	1.213	1.050
30.	सिंगापुर	2.455	0.835
31.	मारिशस	–	0.370
32.	कुवैत	1.187	0.383
33.	बहमास	–	0.128
34.	नेपाल	–	0.119
35.	फिलिपीन	–	0.094
36.	केन्या	0.053	0.045
37.	बंगलादेश	1.903	0.045
38.	इजिप्ट	8.388	–
39.	आस्ट्रिया	3.517	–
40.	लेबनान	2.341	–
41.	न्यूजीलैंड	2.267	–
42.	स्विटजरलैंड	2.154	–
43.	ट्यूनिशिया	1.274	–
44.	डेनमार्क	1.064	–
45.	जोर्डन	0.764	–
46.	क्वैटार	0.644	–
47.	मैक्सिको	0.129	–
	कुल	844.367	1191.662

[हिन्दी]

यातायात लेखा कार्यालय का स्थानांतरण

237. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर रेलवे के दिल्ली-किशनगंज लेखा कार्यालय का स्थानांतरण इलाहाबाद में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

238. **श्री मोहन रावले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन्यजीवों से प्राप्त उत्पादों की तस्करी के मामलों में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को और कड़ा बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने सहित अन्य कौन-कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी में वृद्धि का मुख्य कारण इन निषिद्ध उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वाणिज्यिक मूल्य अधिक होना है।

(ख) से (घ). वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, को और अधिक कठोर एवं प्रभावी बनाने के लिए इसमें गत 1991 में संशोधन किया गया था। फिलहाल इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए निर्यात के सभी बड़े पत्तनों पर चौकसी बढ़ाने के लिए पहले से विभिन्न उपाय किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रयोजनों को भी अपनी सुरक्षा प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की सलाह दी गई है। प्रत्येक राज्य में विशेष न्यायालय स्थापित करने का मामला निपटान के लिए लम्बित वन तथा वन्यजीव अपराध मामलों की संख्या पर निर्भर करेगा तथा इसे हमारी नीति में भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय बालवाड़ी कोष

239. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बालवाड़ी कोष ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में नए बालवाड़ी केन्द्र तथा आंगनवाड़ी एवं बालवाड़ी केन्द्र खोले जाने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक दी गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (ग). जी हां। सरकार द्वारा 21 मार्च, 1994 को स्थापित राष्ट्रीय शिशुगृह कोष ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य करना आरम्भ कर दिया है। अब तक आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वित करने के लिए 19 गैर-सरकारी संगठनों को 115 शिशुगृह तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को 150 आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह केन्द्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। तमिलनाडु राज्य में 6 आंगनवाड़ियों को आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए अब तक 32,100/- रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(घ) अब तक जारी किए गए सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय शिशुगृह कोष के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह केन्द्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत सामान्य शिशुगृहों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	स्वीकृत आंगनवाड़ी सह-शिशुगृह केन्द्रों की संख्या	आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह केन्द्रों के लिए स्वीकृत राशि	स्वीकृत शिशुगृहों की संख्या	शिशुगृहों के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10	53,500	30	2,12,400
2.	असम	4	21,400	-	-

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	11	58,850	–	–
4.	गुजरात	8	42,800	–	–
5.	हरियाणा	4	21,400	10	70,800
6.	हिमाचल प्रदेश	2	10,700	20	1,41,600
7.	कर्नाटक	9	48,150	–	–
8.	केरल	5	26,750	–	–
9.	मध्य प्रदेश	11	58,850	–	–
10.	महाराष्ट्र	11	58,850	–	–
11.	मणिपुर	2	10,700	–	–
12.	मेघालय	2	10,700	–	–
13.	नागालैंड	2	10,700	–	–
14.	उड़ीसा	9	48,150	–	–
15.	पंजाब	4	21,400	–	–
16.	राजस्थान	7	37,450	–	–
17.	सिक्किम	2	10,700	–	–
18.	तमिलनाडु	6	32,100	–	–
19.	त्रिपुरा	2	10,700	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	14	74,900	45	3,18,600
21.	पश्चिम बंगाल	11	58,850	10	70,800
22.	अंडमान और निकोबार	1	5,350	–	–
23.	अरूणाचल प्रदेश	2	10,700	–	–
24.	चण्डीगढ़	1	5,350	–	–
25.	दादर और नगर हवेली	1	5,350	–	–
26.	दिल्ली	2	10,700	–	–
27.	गोवा	2	10,700	–	–
28.	दमन और दीव	1	5,350	–	–
29.	लक्षद्वीप	1	5,350	–	–
30.	मिजोरम	2	10,700	–	–
31.	पांडिचेरी	1	5,350	–	–
	योग	150	8,02,500	115	8,14,200

राणाघाट–लालगोला सेक्शन पर नई गाड़ी शुरू करना

240. श्री जायनल अबेदिन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन के राणाघाट–लालगोला सेक्शन पर नई गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

येलाहांका और बंगारपेट के बीच आमान परिवर्तन

241. श्री वी. कृष्णा राव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक में येलाहांका और बंगारपेट के बीच आमान परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक राज्य में येलाहांका से बंगारपेट तक चरण-I का आमान परिवर्तन कार्य 25.88 करोड़ रुपए की लागत से अनुदान की पूरक मांग 1994-95 में अनुमोदित कर दिया गया है। इस कार्य को आरंभ करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था कर ली गई है।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

242. श्री लाल बाबू राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा रेल स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). छपरा रेलवे स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुसार सुविधाओं की पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। आगे विकास करने के उपाय के रूप में इस स्टेशन पर पानी सप्लाई प्रणाली में सुधार और प्लेटफार्म लाइन सं.1 पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था करने से संबंधित कार्यों को भी 25.54 लाख रुपए की लागत पर शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

हासन-करवाड़ रेल लाइन

243. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1994-95 अथवा 1995-96 के दौरान हासन-करवाड़ के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने के लिये कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी; और

(घ) रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, इस समय चल रहे अरसीकेरे-हसन-मंगलोर के आमान परिवर्तन का कार्य तथा कोंकण रेल लाइन पूरी हो जाने के बाद हसन और करवाड़ के बीच बड़ी लाइन उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

कृषि में पूंजी निवेश

244. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रावधान इस क्षेत्र की जरूरत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1991-92, 1992-93, और 1993-94 के दौरान देश में कृषि क्षेत्र के लिए कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र के लिए आवश्यक पूंजी की तुलना में कितनी वास्तविक पूंजी उपलब्ध करायी गई;

(ङ) इस क्षेत्र में पूंजी निवेश में गिरावट आने के क्या कारण है;

(च) सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(छ) 1994-95 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए अनुमानतः कितनी पूंजी की आवश्यकता है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि ऋण की मांगों का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक कार्य दल का गठन किया गया है। कार्य दल का वर्ष-वार मूल्यांकन तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरित वास्तविक ऋण निम्न प्रकार से है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यदल द्वारा किया गया ऋण की मांग संबंधी मूल्यांकन	वितरित किया गया संस्थागत ऋण
1991-92	15,129	11,202
1992-93	17,903	15,168
1993-94	21,107	17,337 * (अनन्तिम अनुमान)

(ङ) पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए निवेश ऋण में गिरावट का कोई रूझ नहीं है।

(च) कृषि के लिए ऋण के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें ये शामिल है :

1. कृषि संबंधी अग्रिमों के लिए प्रतिभूति मानदण्डों को उदार बनाना।
2. ऋण तथा पुनर्वित्त प्रबन्ध पर ब्याज की दरों को युक्ति संगत बनाना।
3. राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत वित्त प्रबन्ध के लिए कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।
4. केवल मछली पालन, पुष्प कृषि, टिशू कल्चर में नवीनतम तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाओं में धन लगाने के लिए ध्यान देने हेतु विशिष्ट शाखाएं खोलना।
5. उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाकर तथा एक उपयुक्त प्रसंस्करण एवं विपणन तन्त्र को विकसित करके कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में रोजगार देने और आय सृजन अभिमुखीकरण के उद्देश्य से एक स्वायत्त सम्मिलित सत्ता के रूप में छोटे किसान कृषि व्यापार संघ की स्थापना करना।

(छ) वर्ष 1994-95 के लिए योजना आयोग के कार्यदल द्वारा निर्धारित कृषि क्षेत्र के वास्ते ऋण की मांग 25,184 करोड़ रुपये है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

245. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण करने के लिए कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित रेलवे स्टेशनों सहित रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है जो यातायात की जरूरतों के अनुसार अपेक्षित होने पर किया जाता है बशर्ते धन उपलब्ध हो। इस संबंध में 1993-94 के दौरान 67.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे तथा वर्ष 1994-95 के लिए 67.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य में 1994-95 के दौरान शुरू किये गये कार्यों का ब्यौरा (10 लाख रुपये से अधिक लागत के प्रत्येक काम) इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

स्टेशन	कार्य	लागत
1	2	3
आरा	प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर धुलनीय एप्रन	17.54
आसनसोल	प्लेटफार्म सं. 1 और 2 पर सायबान का विस्तार	41.04
आसनसोल	लाइन सं. 5 पर धुलनीय एप्रन	61.55
वर्धमान	प्लेटफार्म सं. 1 पर सायबान का विस्तार	11.38
वर्धमान	प्लेटफार्मों पर सायबानों की व्यवस्था	12.00
बरियारपुर	प्लेटफार्मों को ऊंचा करना	13.19
बाउड़िया	जल आपूर्ति में सुधार	13.64
बेलूर	स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन	18.66
दलकोल्हा	जल आपूर्ति में सुधार	11.31
डायमण्ड हार्बर	जल आपूर्ति मे सुधार	10.61
डायमण्ड हार्बर	नई स्टेशन इमारत का विस्तार	24.61
हवड़ा	प्लेटफार्म सं. 12 का विस्तार	18.08
हवड़ा	ऊपरी पैदल पुलः मुख्य से दक्षिणी परिसर	48.45
हवड़ा	प्लेटफार्मों पर सायबानों का विस्तार	38.88
हवड़ा	प्लेटफार्म सं. 9 का विस्तार	13.20
जलपाईगुड़ी	ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था	10.52
खड़गपुर	प्लेटफार्म सं. 1 और 3 पर धुलनीय एप्रन	28.74
खड़गपुर	अतिरिक्त प्लेटफार्म सायबान	26.01

1	2	3
मालदा मंडल	4 स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेड का विस्तार	15.43
मालदा मंडल	4 स्टेशनों पर प्लेटफार्म शेड की व्यवस्था	15.29
न्यू अलीपुरद्वार	बैटरी चार्जिंग सुविधाएं	24.56
पानागढ़	अप और डाऊन प्लेटफार्मों का विस्तार	15.59
पुरूलिया	प्लेटफार्म स्तर को ऊंचा करना	14.50
राणाघाट	ऊपरी पैदल पुल का बदलाव	13.59
संतरागाछी	ऊपरी पैदल पुल का बदलाव	23.35
सियालदह	प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था	25.67
सियालदह	परिचलन क्षेत्र में सुधार	41.79
टिकियापाड़ा	जल आपूर्ति में सुधार	14.15

चीनी की मूल्य निर्धारण नीति

246. प्रो. के.वी. थामस : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ ने चीनी के मामले में दोहरी मूल्य निर्धारण नीति को वापस लेने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). भारतीय चीनी मिल संघ (इसमा) ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीनी का विनियंत्रण करने पर जोर दिया गया है। फिलहाल, मौजूदा नीति में परिवर्तन करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

247. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रचालन के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार के सहयोग का ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विज्ञान केन्द्र प्रायोजना के लिए 160 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है।

रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

248. श्री आनन्द अहिरवार :
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र को पट्टे के आधार पर कुछ रेलवे परियोजनाएं सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली –सहारनपुर–दिल्ली (वाया शामली) रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) इस पर कितनी राशि व्यय की गई अथवा किए जाने की संभावना है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). यद्यपि इस खंड के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है तथापि 3.70 लाख रुपये की लागत से इस खंड के विद्युतीकरण संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

[अनुवाद]

चोरी के मामले

249. श्री राजवीर सिंह : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994–95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के भंडारों से खाद्यान्नों की चोरी के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी अफसरों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) भविष्य में इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। 1994-95 के दौरान फरवरी, 1995 तक भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी के कुल 57 मामलों की सूचना है जिसमें 15.48 लाख रुपये की राशि है।

(ग) इन मामलों के संबंध में जांच करने और सभी दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट कर दी गई है।

(घ) भण्डारण क्षमता और वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निगम के गोदामों की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम में पहरा देने तथा निगरानी रखने वाले स्टाफ, राज्य सशस्त्र बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लगाया गया है। गेट पासों के साथ स्टाक का मिलान करने के लिए बाहर जाने वाले और अन्दर आने वाले वाहनों की नियमित जांच की जाती है। गोदामों को ताला लगाने, सील करने और खोलने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जब कभी आवश्यक होता है स्थानीय विधि प्रवर्तनकारी एजेंसियों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है। अति संवेदनशील डिपुओं के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाती है। नियमित आधार पर स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन और अचानक निरीक्षण किया जाता है।

गन्ने का मूल्य

250. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को इस समय गन्ने के 22 अलग-अलग मूल्य प्राप्त होते है;

(ख) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने 1993 में सम्पूर्ण देश के लिए गन्ने के समान मूल्य की सिफारिश की थी;

(ग) क्या सरकार ने ब्यूरो की सिफारिश स्वीकार कर ली थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जुड़े हुए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो पूरे देश में एक समान होते हैं, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की घोषणा करने में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रणालियां अपनाई जाती हैं और इस प्रकार राज्य द्वारा सुझाए गए गन्ने के मूल्यों के सम्बन्ध में बहुलता होती है।

(ख) से (ङ). औद्योगिक लागत और मूल्यों ब्यूरो ने 1983 में सिफारिश की थी (न कि 1993 में जैसाकि प्रश्न में उल्लेख किया गया है) कि चीनी की रिकवरी से जुड़े हुए गन्ने के सांविधिक मूल्य पूरे भारत में एक समान होने चाहिए। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो अब गन्ने के मूल्यों की सिफारिश नहीं करता है और अब भारत सरकार द्वारा गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर की जाती है। दिनांक 5 फरवरी, 1994 को हुए राज्य सरकारों के शर्करा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य द्वारा सुझाए जाने वाले गन्ने के मूल्यों के संबंध में युक्तिसंगत मूल्यों की नीति की सिफारिश करने के प्रयोजन से पांच राज्य सरकारों नामतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी।

महिला समृद्धि योजना

251. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक ग्रामीण महिलाओं द्वारा कितनी धनराशि जमा कराई गई है?

(ख) क्या इस योजना के आरम्भ काल से एक वर्ष के भीतर इस योजना में अनुमानित राशि जमा कराई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस योजना को लोकप्रिय बनाने और सभी राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). इस स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की प्रत्येक ग्रामीण महिला को महिला समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिला इस खाते में अपनी बचत की राशि जमा करा सकती है जो एक वर्ष में अधिकतम 300/- रुपए होगी। अधिक से अधिक संख्या में महिला समृद्धि योजना खाते खोलने पर बल दिया गया है ताकि भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं इस स्कीम में शामिल होकर इसका लाभ उठा सके।

विवरण

महिला समृद्धि योजना के संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जनवरी, 1995 तक खोले गए खातों की संख्या	जनवरी 1995 तक जमा राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1497734	134571830
2.	अरूणाचल प्रदेश	561	86914
3.	असम	498014	23635292

1	2	3	4
4.	बिहार	216400	21729545
5.	दिल्ली	2990	568347
6.	गोवा	15555	2474436
7.	गुजरात	125233	25121695
8.	हरियाणा	137540	23280714
9.	हिमाचल प्रदेश	62210	13941810
10.	जम्मू और कश्मीर	18309	2138851
11.	कर्नाटक	619987	76555664
12.	केरल	320311	30770112
13.	मध्य प्रदेश	675099	45038959
14.	महाराष्ट्र	333485	52766592
15.	मणिपुर	5862	236608
16.	मेघालय	831	51468
17.	मिजोरम	4056	443776
18.	नागालैंड	557	88222
19.	उड़ीसा	218065	28548283
20.	पंजाब	248150	27318972
21.	राजस्थान	110707	18585154
22.	सिक्किम	859	28926
23.	तमिलनाडु	1562663	76715432
24.	त्रिपुरा	11127	1024257
25.	उत्तर प्रदेश	846392	97808643
26.	पश्चिम बंगाल	137983	21901082
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2596	216834
28.	चण्डीगढ़	3546	179539
29.	दादर और नगर हवेली	1412	169510
30.	दमन और दीव	305	58196
31.	लक्षद्वीप	970	133496
32.	पांडिचेरी	12666	508996
	योग	7692196	726698153

[हिन्दी]

मानसी फारबिसगंज रेलवे लाइन के बीच आमान परिवर्तन

252. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में सरकार द्वारा कोई रूपरेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान आमान परिवर्तन के लिए बिहार स्थित मानसी फारबिसगंज रेलवे लाइन को शामिल किया गया है; और

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मानसी-फारबिसगंज के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

फल और सब्जी अनुसंधान केन्द्र

253. श्री राम पूजन पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में फल और सब्जी अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए अब तक पता लगाये गए स्थापना स्थल कौन-कौन से हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद

254. श्री राज नारायण : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए चालू रबी फसल 1995-96 के दौरान गेहूं खरीद योजना शुरू करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष कितनी मात्रा में गेहूं खरीदी गई और इस वर्ष कितनी गेहूं खरीदी जाएगी;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रति टन गेहूं, चावल और चीनी के लिए भारतीय खाद्य निगम को कितनी राज सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) इस अवधि के दौरान प्रति टन गेहूं, चावल और चीनी की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने ढुलाई प्रभार का भुगतान किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकारों/राज्य वसूली एजेन्सियों के सहयोग से भारतीय खाद्य निगम

360/- रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आगामी रबी विपणन मौसम, 1995-96 के लिए पहली अप्रैल, 1995 से गेहूं की वसूली शुरू करेगा।

(ग) वर्तमान रबी विपणन मौसम, 1994-95 में 1.3.1995 तक केन्द्रीय पूल के लिए वसूली एजेन्सियों द्वारा 118.69 लाख मीटरी टन गेहूं की मात्रा की वसूली कर ली गई है।

राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आरम्भिक अनुमानों के अनुसार आगामी रबी विपणन मौसम, 1995-96 के दौरान 130.00 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली होने की संभावना है।

(घ) और (ङ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले दो वर्षों, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गेहूं और चावल के संबंध में सब्सिडी की राशि और हैण्डलिंग लागत तथा रख-रखाव लागत की जानकारी

वर्ष	सब्सिडी की राशि			बफर स्टाक रखने	हैंडलिंग लागत (वितरण लागत)	
	गेहूं	चावल	लेवी चीनी	की लागत	गेहूं	चावल
1993-94	176.15	164.68	30.92	117.16	117.44	124.45
1994-95 (संशोधित अनुमान)	163.47	125.78	17.18	103.62	117.96	126.44

केन्द्रीय हिन्दी और उर्दू विश्वविद्यालयों की स्थापना

255. श्री राम कृपाल यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय हिन्दी और उर्दू विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये विश्वविद्यालय कहां-कहां खोले जायेंगे और कब तक खोले जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). दो नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अर्थात वर्धा में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधानों के मसौदों को तैयार करने की कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाएं

256. श्री येल्लैया नन्दी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान और 1 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार विदेशी सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और परियोजना-वार इनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) शेष मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई या कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निधि देने वाली एजेंसी	विदेशी सहायता की राशि (मिलियन में)	परियोजना स्थिति
1	2	3	4	5
1.	वानिकी परियोजना	विश्व बैंक	77.40 अमरीकी डालर	जारी
2.	सामाजिक वानिकी परियोजना	सीडा	17.28 क. डॉलर	पूरी हो गई
3.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना, चरण-2 कर्नाटक, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जानी है।	विश्व बैंक	180.00 अमरीकी डालर	बातचीत चल रही है।

1	2	3	4	5
4.	पर्यावरणीय सुरक्षा तथा प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद।	स्वीडन	15.00 सेक	जारी
5.	प्रदूषण के फैलाव की माडलिंग तथा निगरानी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा कार्यान्वित की जानी है।	नार्वे	10.5 एन ओ के	जारी
6.	हैदराबाद हरित पट्टी परियोजना	नीदरलैंड	4.81 डीएफएल	जारी
7.	पर्यावरणीय अनुसंधान एवं निगरानी कार्यक्रम रामागुंडम।	नीदरलैंड	1.05 डीएफएल	जारी

कृषि विकास हेतु धन-राशि

257. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उड़ीसा को कृषि विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अब तक वास्तव में कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान और धनराशि देने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कृषि के विकास के लिये 1993-94 और 1994-95 (फरवरी 1995 तक) के दौरान उड़ीसा सरकार को लगभग 81 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किया गया वास्तविक व्यय लगभग 40, करोड़ रुपये है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की अतिरिक्त भूमि

258. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास देश में कुल कितनी अतिरिक्त भूमि है;

(ख) क्या सरकार ने इस अतिरिक्त भूमि के उपयोग हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन तथा निर्यात

259. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान देश में कितनी चीनी का उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या 1995-96 के दौरान लक्ष्य से अधिक उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार चीनी के उत्पादन में हुई पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए चीनी का निर्यात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). चालू चीनी मौसम, 1994-95 के दौरान 15 फरवरी, 1995 तक चीनी उत्पादन 80.13 लाख टन (अनंतिम) था। चूंकि चीनी उद्योग कृषि आधारित है अतः चीनी मौसम, 1995-96 के दौरान उत्पादन का इतनी जल्दी अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

(ग) और (घ). ई.ई.सी., यू.एस.ए. और नेपाल के साथ कुछ निर्यात को छोड़कर 1994-95 चीनी-वर्ष के दौरान चीनी के व्यापारिक निर्यात के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों संबंधी आयात नीति

260. श्री रतिलाल वर्मा : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों के आयात के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेलों की कितनी मात्रा आयात की गई;

(ग) क्या वर्तमान आयात नीति के संबंध में कुछ विसंगतियां सामने आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास आयात नीति में उपयुक्त संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खाद्य तेलों के आयात के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति केवल अत्यधिक वांछनीय मात्रा का आयात करने की है ताकि देश में खाद्य तेलों के बीच मांग और आपूर्ति के अन्तर को दूर किया जा सके और साथ ही खाद्य तेलों की कीमतों को उचित स्तर पर रखा जा सके। राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 20% के रियायती शुल्क पर खाद्य तेलों को आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। 1-3-1995 से नारियल के तेल, ताड़ गिरी के तेल, आर. बी.डी. पाम ऑयल तथा आर.बी.डी. पाम स्टीयरिन को छोड़कर अन्य खाद्य तेलों का आयात 30% शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत करने की अनुमति दी गई है।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई खाद्य तेलों की मात्रा नीचे दी गई है :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा मी.टन में
1992-93	76,870 *
1993-94	78,965 *
1994-95	1,07,013

* इसमें वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान यू.एस.एड के तहत उपहार स्वरूप प्राप्त सोयाबीन तेल की क्रमशः 47,000 मी.टन और 37,000 मी.टन मात्रा शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खरीद मूल्य

261. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1995 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "पीडीएसः सब्सिडी आन टैक्स आन द पूअर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने और बफर स्टाक रखने की नीति से वर्षों से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य ही सुनिश्चित नहीं किया है बल्कि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने में भी सहायता की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर पर्याप्त लाभ प्रदान करता है और किसानों को खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता है जो देश की जनता के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में की गई वृद्धि से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सी. आई.पी.) में वृद्धि होती है। खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं का भुगतान करने की क्षमता, सामान्य इकॉनामी में निर्गम मूल्यों का सम्भावित प्रभाव, गरीबों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता और बढ़ी हुई लागत को खपाने के लिए सब्सिडी बजट की क्षमता जैसी घटक भी केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करते हैं। जनता के गरीब वर्ग की पहुंच के अन्दर इन्हें रखने के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य जानबूझ कर इकानामिक लागत से नीचे रखे जाते हैं और इस कारण से सरकार द्वारा भारी सब्सिडी वहन की जाती है।

उचित दर/राशन की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं विशेष रूप से जनता के गरीब वर्ग को खाद्यान्नों की आपूर्ति को पूरा करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जारी रहने से खाद्यान्नों के खुले बाजार के मूल्यों पर भी संतुलित प्रभाव पड़ा है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का आमान परिवर्तन

262. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर-कासगंज-बरेली-पीलीभीत मीटर लाइन कब तक बड़ी लाइन में बदल दी जाएगी;

(ख) क्या इस बारे में निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). कानपुर-कासगंज खंड को कार्य योजना के पहले चरण में शामिल किया गया है तथा नौवीं योजना अवधि में इसके आमान परिवर्तन की योजना बनाई गई है। जब कार्य योजना का अगला चरण शुरू किया जाएगा तब शेष लाइनों के साथ कासगंज बरेली-पीलीभीत के आमान परिवर्तन पर भी विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में बिपिन चन्द्र समिति की रिपोर्ट

263. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में बिपिन चन्द्र समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). स्कूल पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और केरल की कुछ इतिहास, सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों को निकाल देने की सिफारिश की है। इस प्रकार की सिफारिशों सहित समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित राज्य सरकारों के पास कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं।

केरल में रेलवे लाइन

264. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में फेरोक तथा नीलाम्बर और न्याधीरी तथा नंजनकोडे के बीच रेलवे लाइन बिछाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाने का है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण का कार्य इस मार्ग पर शुरू कर दिया गया है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने स्वीकृति हेतु कोई रेल विकास योजना प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फेरोक और नीलाम्बर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है वाइतिरी और नंजनकोडे के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ नहीं।

(घ) से (च). केरल सरकार ने कायनकुलम-कोल्लम, कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम तथा तिरूवनन्तपुरम-शोरूवण्णूर रेल लाइन के दोहरीकरण में तेजी लाने का अनुरोध किया है। ये कार्य पहले से ही प्रगति पर हैं और इन्हें उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना

265. डा. आर. मल्लू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना के अनुसरण में कोई बाल कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश के राज्य कार्रवाई कार्यक्रम में निम्नलिखित मुख्य घटक शामिल है :—

(1) बाल स्वास्थ्य
(2) मातृ स्वास्थ्य
(3) पोषाहार
(4) शिक्षा
(5) पेयजल
(6) पर्यावरणीय स्वच्छता
(7) बालिकाएं तथा किशोर लड़कियां
(8) शहरी बच्चे, जनजातीय बच्चे
(9) बाल श्रमिक
(10) बाल्यावस्था विकलांगताएं
(11) विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में बच्चे।

बच्चों को विकास का केन्द्र-बिन्दु मानते हुए राज्य कार्रवाई कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश में बच्चों की स्थिति, समस्याएं, चालू स्कीमें तथा क्षमताएं परिलक्षित है। प्रमुख लक्ष्यों के साथ-साथ विशिष्ट

लक्ष्यों का पता लगा लिया गया है तथा प्रत्येक लक्ष्य, उदाहरणतया शिशुमृत्यु दर को कम करना, मातृ-मृत्यु दर को कम करना, व्यापक नामांकन, पढ़ाई जारी रखना तथा अधिगम का न्यूनतम स्तर हासिल करना, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, सफाई के साधनों तक पहुंच में वृद्धि, बालिकाओं की स्थिति में सुधार और बन्धुआ बाल श्रम के उन्मूलन को कार्यान्वित करने के लिए नीतियां तैयार कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

लाकर्स आन व्हील्स

266. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में "लाकर्स आन व्हील्स" नामक एक पायनियर सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह योजना कितनी और कौन-कौन सी गाड़ियों में शुरू की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) इस सेवा की मुख्य विशेषताएं हैं :— गाड़ी में ही बुकिंग, गाड़ी के आगमन पर सुपुर्दगी, मूल्यवान पैकेजों की स्टील सेफ लाकरों में पूरी सुरक्षा, पार्टी द्वारा अपने निजी तालों के उपयोग करने की व्यवस्था, सेवा का समय पालन, पैकेजों की कोई रद्दोबदल/नुकसान नहीं।

(ग) इस सेवा को 2003/2004 नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस बरास्ता कानपुर, में शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

कन्नानोर एक्सप्रेस के मार्ग का विस्तार

267. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्नानोर एक्सप्रेस को अलेप्पी से लेकर क्विलोन तक बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

माल डिब्बा निर्माण एकक

268. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी भारत में गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में माल डिब्बा निर्माता एककों को माल डिब्बों के निर्माण के लिए क्रयादेश कम कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बनाई गई है कि माल डिब्बों के क्रयादेश में एकाएक कम किए जाने के फलस्वरूप इन निर्माण एककों में कार्यरत श्रमिकों को कठिनाई न हो?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) माल डिब्बों की आवश्यकता पर आधारित खरीद के कारण देश में सभी माल डिब्बा निर्माता यूनिटों के लिए माल डिब्बा आर्डर में कमी हुई है।

(ख) पूर्वी भारत में स्थित मालडिब्बा निर्माता इकाइयों को, 1993-94 के कुल 20,000 डिब्बों में से 14375 मालडिब्बों की तुलना में 94-95 में 12,000 में से 8810 चौपहिया मालडिब्बों के लिए आर्डर मिले हैं।

(ग) मालडिब्बों के लिए आर्डरों की मात्रा प्रत्येक वर्ष के परिवहन निष्पादन पर निर्भर करती है। मालडिब्बा उद्योग को कह दिया गया है कि 94-95 से 96-97 तक प्रत्येक वर्ष की मालडिब्बा आवश्यकता, चौपहियों के हिसाब से, 12000 मालडिब्बा के आस-पास होने की आशा है।

[हिन्दी]

चीनी पर राजसहायता

269. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आयातित चीनी के मूल्य पर हो रहे घाटे को पूरा करने के लिए चीनी पर दी जाने वाली राजसहायता को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) की गई वृद्धि पिछले दो वर्षों की तुलना में कितनी है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

नए पुलों का निर्माण

270. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के माटुंगा रोड स्टेशन के प्लेटफार्म पर किसी नए पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुल का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) से (ग). माटुंगा रोड पर एक नए ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य 15.07 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है तथा इसे 31.3.96 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनें

271. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकीनाड़ा, विशाखापत्तनम, भीमूनीपत्तनम के और कलिंगापत्तनम को जोड़ने वाली तटीय रेल लाइन और श्री काकूलम रोड और कलिंगापत्तनम के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

272. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** 14 जून, 1994 के तारांकित प्रश्न सं. 40 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के संबंध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). जी नहीं। लाइसेंस मुक्त के विकल्प सहित चीनी उद्योग की लाइसेंसिंग की वर्तमान नीति विचाराधीन है। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले चीनी उद्योग के शीर्ष निकायों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर भी पूर्णतया विचार किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश को चावल की आपूर्ति

273. प्रो. उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष चावल की अच्छी फसल हुई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने कितने चावल की वसूली की;

(ग) किसानों को कितना मूल्य दिया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 1995 तक केन्द्रीय पूल से राज्य को किस-किस श्रेणी के चावल की कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में उचित दर की दुकानों से 2 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल वितरण की योजना शुरू की गई है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य को वित्तीय सहायता देने और चावल का पर्याप्त कोटा प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान राज्य को कुल कितनी राज सहायता प्रदान की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). सूचना निम्नानुसार है :—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	उत्पादन	भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की वसूली
1993-94	94.87	39.87
1994-95 (लक्षित)	108.00	22.64 (28.2.1995 तक)

(ग) किसानों से धान की खरीदारी साधारण किस्म के लिए 340/-रुपये प्रति क्विंटल, बढ़िया किस्म के लिए 360/- रुपये प्रति क्विंटल और उत्तम किस्म के लिए 380/-रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर की जाती है।

(घ)

वर्ष	राज्य को आवंटित (लाख मीटरी टन में)	राज्य द्वारा किया गया उठान (लाख मीटरी टन में)
1992	17.83	15.03
1993	22.38	21.45
1994	21.90	21.65
1995 (जनवरी, 95)	1.90	1.79

(ङ) से (छ). यह योजना 1.1.1995 से आन्ध्र प्रदेश में शुरू की गई है। जनवरी, 1995 से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल की आपूर्ति करने की योजना लागू करने के कारण फरवरी, 1995 से चावल का आवंटन 1.90 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 2.10 लाख मीटरी टन करने और प्रति कार्ड की अधिकतम सीमा को 20

किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति कार्ड करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया गया और तदनुसार फरवरी, 1995 से चावल के आवंटन में वृद्धि कर दी गई है।

हिरोशिमा में आयोजित एशियाई खेल

274. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिरोशिमा में आयोजित बारहवें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुषों के टेनिस दल ने पहली बार एशियाई टीम टेनिस में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था;

(ख) क्या सरकार का विचार इस उपलब्धि के लिए टेनिस दल को राष्ट्रीय स्तर पर समुचित पुरस्कार देने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां। यह सही है कि हिरोशिमा में आयोजित बारहवें एशियाई खेलों में भारतीय टेनिस टीम ने पहली बार एशियाई टीम टेनिस स्वर्ण पदक जीता था।

(ख) और (ग). भारत सरकार पहले ही एशियाई खेल, 1994 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्यों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विशेष नकद पुरस्कार दे चुकी है :—

	खिलाड़ी का नाम	नकद पुरस्कार की राशि
1.	श्री लियंडर पायस	1,75,000/- रुपये
2.	श्री सैयद जीशान अली	50,000/-रुपये
3.	श्री गौरव नाटेकर	1,25,000/-रुपये
4.	श्री आसिफ इस्माइल	50,000/-रुपये

दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयां

275. श्री श्रीकान्त जैना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में चल रही पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अभी तक कितनी दुग्ध-प्रसंस्करण इकाईयों को पंजीकृत किया गया अथवा मंजूरी दी है और कितनी दुग्ध प्रसंस्करण इकाईयों में कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) अनिवार्य पंजीकरण के बिना चल रही इकाईयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टैम्पल इकोलोजी

276. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने बच्चों के ज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास पर "टैम्पल इकोलोजी" के प्रभाव के बारे में कर्नाटक में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने कर्नाटक के टैम्पल गांवों/कस्बों के बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास संबंधी स्थिति अध्ययन नामक एक परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तथाकथित रूप से अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया है;

(i) बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और शैक्षिक उपलब्धि पर "टैम्पल इकोलोजी" का प्रभाव

(ii) बच्चों के स्कूली उपलब्धि में सामाजिक-सांस्कृतिक और परिस्थिति-संबंधी परिवर्तनीय तत्वों का महत्व, और

(iii) शिक्षा में समुदाय की सहभागिता की भूमिका।

कोयला वैगनों की आपूर्ति

277. श्री हरिन पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लिए आबंटित किए गए वैगनों की संख्या राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार गुजरात के औद्योगिक एककों के लिए कोयला वैगनों की आवश्यकता की पूर्ति करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पर्याप्त आवंटन किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) रेलों ने उद्योगों पर कोयले के संचलन पर लगी अधिकतम सीमा जनवरी, 1994 से समाप्त कर दी है तथा राज्य सरकार को मुक्त रूप से मांग प्रायोजित करने के लिए कह दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार की लंबित परियोजनाएं

278. श्री छेदी पासवान : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए बिहार की कौन-कौन सी विकास योजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं किन-किन तिथियों से लंबित पड़ी हैं तथा इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के पास पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी के लिए लम्बित बिहार की विकास परियोजनाओं के नाम, उनके लम्बित होने की अवधि तथा लम्बित होने के कारणों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पूरे ब्यौरों के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर निर्णय लेने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कब से लम्बित है	लम्बित रहने के कारण
1	2	3	4
पर्यावरण मंजूरी के लिए परियोजनाएं			
1.	बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल की कोल ब्रिकेटिंग यूनिट	अक्तूबर, 1993	जांच के अंतिम चरण में।
2.	बिहार में बारवाडा-बाराकर सेक्शन में 4 लेनों को चौड़ा करना और विद्यमान 2 लेन को सुदृढ़ करना	अक्तूबर, 1994	परियोजना प्राधिकारी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
3.	पाइराइट्स फास्फेट एंड कैमिकल्स लि.-अमिझेरे खनन परियोजना	मार्च, 1989	कार्रवाई की जा रही है।
4.	सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि., उत्तरी उदिमिरी खुली खदान परियोजना	फरवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
5.	सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि., राय बाचरा भूमिगत परियोजना	फरवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
6.	सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि., टेपिंग दक्षिण खुली खदान परियोजना	अप्रैल, 1993	कार्रवाई की जा रही है
7.	सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. गोबिन्दपुर खुली खदान परियोजना	अप्रैल, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
8.	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., रोहिनी खुली खदान परियोजना	मई, 1993	कार्रवाई की जा रही है।
9.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., हेसालडांग डोलोमाइट परियोजना	जनवरी, 1994	परियोजना प्राधिकारी से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
10.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., भावंतपुर चूना पत्थर खान	मई, 1994	परियोजना प्राधिकारी से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
11.	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. हरिलांग भूमिगत (कोल)	दिसम्बर, 1994	परियोजना प्राधिकारी से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
12.	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., चुरी भूमिगत परियोजना	नवम्बर, 1991	कार्रवाई की जा रही है।
13.	सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., केडला खुली खदान	जुलाई, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
14.	सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि., अशोक खुली खदान परियोजना	अगस्त, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
15.	सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि., कोनार खुली खदान परियोजना	सितम्बर, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
16.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., तुलसीदामर डोलोमाइट खान	अक्तूबर, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
17.	सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लि., कावेरी खुली खदान परियोजना	जनवरी, 1993	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
वानिकी मंजूरी के लिए परियोजनाएं		(25.10.1992 को जारी संशोधित समेकित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को प्रत्यायोजित अधिकार के तहत उनके पास लम्बित परियोजनाओं को छोड़कर)	
18.	राजमहल खुली खदान परियोजना लाल मेतिय	फरवरी, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
19.	डी वी सी के पक्ष में पत्रातू से उत्तरी करनपुरा तक 132 ट्रासमिशन लाइन	फरवरी, 1995	कार्रवाई की जा रही है।
20.	सेल द्वारा तुलसीडामर डोलोमाइट खान (गढ़वा)	जुलाई, 1994	कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर प्रदेश को सहायता

279. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान किसानों को कृषि ऋणों के वितरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिये गत दो वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों के दौरान दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता राशि का ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को 1993-94 तक हर वर्ष खरीफ और रबी मौसम के लिये अलग-अलग अल्पकालिक ऋण दे रही थी जिससे कि वे कृषि आदानों जैसे उर्वरक, बीज और कीटनाशियों की खरीद कर सकें तथा इनको किसानों के समय पर उपलब्ध करा सके। राज्यों को अल्पकालिक ऋण की स्वीकृति बन्द कर दी गयी है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली ऋण सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	करोड़ रुपये
1992-93	42.55
1993-94	17.60

[अनुवाद]

दीघा-तामलुक रेलवे लाइन

280. श्री सुधीर गिरि : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में दीघा-तामलुक रेलवे लाइन के निर्माण कार्य पर आज की तारीख तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इसकी अनुमानित लागत वृद्धि क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 23.70 करोड़ रुपये।

(ख) परियोजना की स्वीकृति लागत 1988 के मूल्य स्तर पर 72.91 करोड़ रुपये थी। परियोजना की संशोधित लागत लगभग 170 करोड़ रुपये है।

(ग) नई लाइनों का वित्तपोषण पूरी तरह योजना आयोग द्वारा प्रति वर्ष उपलब्ध कराए जाने वाले बजटीय समर्थन से किया जाता है। योजना आयोग से नई लाइनों का परिव्यय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है तथा यदि अधिक धन की व्यवस्था हो जाती है तो इस परियोजना सहित सभी परियोजनाओं के आबंटन को उपयुक्त रूप से अपग्रेड कर दिया जाएगा। ताकि इनकी प्रगति में तेजी लाई जा सके।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

281. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित गोदामों में उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च अधिकारियों द्वारा हाल ही में 19 दिसंबर, 1994 को मारे गये छापों के दौरान अनियमितताएं पायी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम में भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा 19.12.1994 को कानपुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कोई छापा नहीं डाला गया था। तथापि, राज्य सरकार के तीन अधिकारियों ने 17.12.1994 को कानपुर में चन्देरी स्थित निगम के खाद्य भण्डारण डिपो का दौरा किया था और

वहां पर लगाए गए तोल-सेतु की जांच की थी। यह मशीन पूर्णतया चालू हालत में पाई गई थी और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई थी।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां

282. **डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां कौन-कौन सी हैं और इनकी संख्या कितनी है तथा इसकी सदस्यता के लिए क्या-क्या योग्यताएं निर्धारित की हुई हैं; और

(ख) पश्चिम रेलवे के रतलाम प्रमंडल के अन्तर्गत इस समय कौन-कौन सी प्रमंडलीय रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियां कार्यरत हैं तथा इनकी संख्या कितनी है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पनवेल-करजत रेल संपर्क

283. **श्री राम कापसे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मुम्बई-पुणे रेल लाइन पर पनवेल-करजत रेल संपर्क के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब से शुरू कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पनवेल-करजत नई रेल लाइन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित फील्ड आंकड़े इकट्ठे कर लिए गए हैं। योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा सरकार के राजपत्र के संबंधित भाग में प्रकाशन के लिए समाहर्ता को पत्र भेज दिए गए हैं। 1.00 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 1994 पहले ही राज्य सरकार की जमा करा दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भूमि अधिग्रहण से संबंधित औपचारिकताएं 31.12.95 तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है तब इस कार्य को योजना आयोग के परामर्श से शुरू किया जाएगा तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

[हिन्दी]

नए रेलवे स्टेशन

284. **श्री खेलन राम जांगडे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत 26 रेलवे स्टेशनों के निर्माण हेतु प्रस्तावों में से केवल सात प्रस्तावों पर ही विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकांश प्रस्तावों के संबंध में निर्णय नहीं लिये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त 26 प्रस्तावों में से 1993-94 के दौरान 8 हाल्ट स्टेशन स्वीकृत किए गए थे। इनमें से तीन हाल्ट स्टेशन यथा सवारी, श्याम चरणपुर और कठजोड़ी 1993-94 के दौरान चालू कर दिए गए हैं और एक अन्य हाल्ट स्टेशन यथा केडाई 1994-95 के दौरान चालू किया गया है। शेष चार हाल्ट स्टेशनों यथा ग्वालीपुर, मंगोली चांदवार, छतौड़ और जुदपाड़ा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दो और हाल्ट स्टेशन यथा निमकाना और सरथिली 1994-95 के दौरान स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से एक अर्थात् निमकाना चालू कर दिया गया है। शेष 16 हाल्ट स्टेशनों के प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों के अनुसार वाणिज्यिक तथा परिचालनिक आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाए गए हैं।

गुजरात में उपरिपुल

285. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से कितने उपरिपुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन पुलों के निर्माण को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) कोई नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि विकास संबंधी योजनाएं

286. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कृषि विकास की कुछ योजनाएं स्वीकृति प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सबंध में क्या निर्णय लिया है;

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार से 1994-95 में अनुमोदनार्थ कोई नई योजना प्राप्त नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार से विश्व बैंक की सहायता वाली कृषि विकास परियोजना आरम्भ करने के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक के चयन मिशन ने फ़रवरी, 1994 में महाराष्ट्र का दौरा किया और राज्य सरकार को सलाह दी कि विस्तृत अध्ययन किये जाएं और कृषि कार्यनीति और मैट्रिक्स तैयार करें। राज्य सरकार से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे अपने राज्यीय बजट के तहत समान धनराशि का प्रावधान करें।

रेल फाटकों पर दुर्घटनाएं

287. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री सत्यदेव सिंह :
कुमारी उमा भारती :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री मोहन रावले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रेलवे क्रासिंगों पर रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दुर्घटनाओं में मारे गये तथा घायल हुये व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) उक्त दुर्घटनाओं के शिकार कितने व्यक्तियों को अब तक मुआवजा दे दिया गया है तथा कितने मामले अभी लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). समपारों पर दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें मार गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
		मारे गए	घायल हुए
1991-92	47	98	316
1992-93	51	118	192
1993-94	66	168	306

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान समपारों पर गाड़ी दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को 11,88,955 रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। लंबित मामलों की संख्या 67 है।

(घ) और (ङ). दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समय-समय पर संरक्षा उपायों की समीक्षा की जाती है और दुर्घटना जांच समितियों की सिफारिशों के आधार पर नए उपाय किए जाते हैं। सड़क उपयोगकर्त्ताओं के समपारों को पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निरन्तर अंतराल पर मीडिया के जरिए प्रचार किया जाता है।

सड़क उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए, पैम्पलेट जारी करने सहित संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। सड़क उपयोगकर्त्ताओं को दण्डित करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए अचानक जांच भी की जाती है।

रेलवे क्रासिंग पार करते समय मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा ध्यान देने के लिए अनुशासित करने हेतु, राज्य सरकारों का सहयोग अपेक्षित है।

यातायात की मात्रा और राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी वहन करने के लिए सहमत होने पर बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में परिवर्तित किया जाता है। 1994-95 के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों को चौकीदार वाले समपारों में बदलने के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी।

[अनुवाद]

सुरक्षा अधिकारियों का सम्मेलन

288. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों में अपराधों को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये सरकार द्वारा दिसंबर, 1994 में एक सम्मेलन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या "चेन पुलिंग" से दृढ़तापूर्वक निपटने के लिये कोई विशेष सुझाव आया;

(घ) 1994 के दौरान गाड़ियों में कितने अपराध हुए; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 14.12.94 उत्तर रेलवे के मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली में एक कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें रेल अधिकारियों एवं उत्तर रेलवे से संबंधित राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस के प्रमुखों ने भाग लिया था।

एक अन्य कांफ्रेंस 16.12.94 को फेअरली प्लेस, पूर्व रेलवे कलकत्ता में आयोजित की गई थी जिसमें रेल अधिकारियों एवं

पश्चिम बंगाल राज्य के रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने भाग लिया था।

इन बैठकों में रेलों पर अपराधों की रोकथाम करने की दृष्टि से रेलों पर अपराधों की स्थिति पर चर्चा की गई थी।

(ग) 14.12.94 को नई दिल्ली में आयोजित कांफ्रेंस में खतरे की जंजीर खींचने की समस्या चर्चा की मदों में से एक थी। राज्य पुलिस के अधिकारियों पर जोर दिया गया था कि वे दोषियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाएं।

(घ) राजकीय रेलवे पुलिस से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 1994-95 के दौरान भारतीय रेलों पर गाड़ियों में किए गए अपराधों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

हत्या	51
डकैती	179
लूटपाट	267
यात्रियों के सामान की चोरी	7884

(ङ) संविधान के प्रावधानों के अनुसार, पुलिस की व्यवस्था करना राज्य का विषय होने के कारण रेल संपत्ति और ढुलाई के लिए सौंपे गए सामान की चोरी से इतर, चलती गाड़ियों और रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने और अपराध नियंत्रण राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य में राजकीय रेलवे पुलिस को यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा का भार सौंपा जाता है तथा वे रेल परिसरों और चलती गाड़ियों में कानून और व्यवस्था के सभी मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। राजकीय रेलवे पुलिस यात्री गाड़ियों के मार्ग-रक्षण, रेल परिसरों में गश्त लगाने, अपराध आसूचना एकत्र करने, अपराधियों और कुख्यात बदमाशों पर नजर रखने अलावा, उनके पास लाए गए मामलों की जांच पड़ताल और मुकद्दमे दर्ज करने जैसे कार्य करती है। रेलें अपनी ओर से राजकीय रेलवे पुलिस के साथ संपर्क बनाए रखती हैं तथा अपराधों पर नियंत्रण रखने में रा. रे.पु. को सभी प्रकार की सहायता देती है। रेलवे के अधिकारियों और राज्य पुलिस की प्राधिकारियों, राजकीय रेलवे पुलिस के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें कानून और व्यवस्था तथा अपराधों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा

289. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और मुम्बई के बीच चलने वाली राजधानी में एक्सप्रेस प्रत्येक श्रेणी के कोचों तथा आरक्षण कोटे में वृद्धि करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). 2951/2952 नई दिल्ली-मुम्बई सैंट्रल राजधानी एक्सप्रेस तथा 2953/2954 हजरत-निजामुद्दीन-मुम्बई सैंट्रल अगस्त क्रान्ति राजधानी एक्सप्रेस इन दो शहरों के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों की यातायात की मौजूदा आवश्यकताओं को अधिकांशतः पूरा कर रही है।

इन गाड़ियों में आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सवारी डिब्बा/डिब्बे जोड़ दिए जाते हैं बशर्ते कि अतिरिक्त सवारी डिब्बों की परिचालनिक व्यवहार्यता और उपलब्धता हो।

मछुआरिनों के लिये रोजगार योजनाएं

290. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछुआरा समुदाय की महिलाओं को रोजगार देने के लिये कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इनके अंतर्गत लाभान्वित होने वाली मछुआरिनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मछुआरिनों द्वारा मत्स्य उत्पादों के विपणन के लिये बनाई गई समितियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालयों में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). सरकार ने केवल मछुआरा समुदाय की महिलाओं को रोजगार देने की कोई विशेष योजना शुरू नहीं की है। बहरहाल चल रही सभी मत्स्य विकास योजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य मछुआरा समुदाय के लोगों को रोजगार देना है। जिसमें इस समुदाय को महिलाएं भी शामिल हैं। समेकित मात्स्यिकी परियोजना स्वच्छ जल कृषि जिसमें मत्स्य पालक विकास एजेंसियां भी आती हैं समेकित खारा पानी मत्स्य फार्म विकास आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किये जाते हैं। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त श्रिम्प तथा मत्स्य पालन परियोजना के अंतर्गत कुछ चयनित राज्यों के लगभग 14000 परिवारों को रोजगार दिये जाने का प्रस्ताव है। जिसमें से 30 प्रतिशत लाभानुभोगी महिलायें होगी और इन महिलाओं में से 10 प्रतिशत ऐसी होंगी जो अपने घर की मुखिया होंगी। उपर्युक्त योजनाओं की लाभानुभोगी महिलाओं की संख्या और मत्स्य उत्पादों को बेचने के लिए इन महिलाओं द्वारा बनायी गयी सोसाइटियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। वैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, और नागालैंड में मछुआरा समुदाय की चार महिला समितियों को मत्स्य पालन परिवहन और भण्डारण के लिए सहायता प्रदान की है जिस पर 9.92 लाख रुपये का खर्च आया है।

पश्चिम रेलवे

291. श्री चन्द्रश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में 1 जनवरी, 1994 से आज की तारीख तक कदाचार, दुर्व्यवहार, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और ऐसी अन्य गतिविधियों में कथित रूप से लिप्त रेलवे अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन शिकायतों पर की गई जांच तथा प्रशासनिक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1.1.94 से 28.2.95 तक पश्चिम रेलवे के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का मंडल-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मंडल	बदनीयती	दुर्व्यवहार	ड्यूटी के प्रति लापरवाही	अन्य
मुख्यालय	3	1	1	—
बंबई सेंट्रल	3	—	1	—
बड़ोदरा	12	—	3	—
कोटा	34	—	5	—
रतलाम	12	1	3	—
जयपुर	8	—	1	—
अजमेर	9	—	2	—
राजकोट	1	—	1	—
भावनगर परा	2	—	1	—
जोड़	84	2	18	—

(ख) की गई कार्रवाई का ब्यौरा :—

1. भेजने वाले का नाम व पता न दिए जाने के कारण फाइल कर दिए गए-9
2. आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को भेजे गये-18
3. सतर्कता शाखा को निरोधक जांच आयोजित करने के लिए कहा गया-23
4. जिनकी जांच की गयी-49
5. संदेहास्पद कर्मचारियों पर निगाह रखी जा रही है-5

जांच हेतु 49 मामलों में से 22 मामलों को निपटा दिया गया है, 9 मामलों को बंन्द कर दिया गया है क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हो सके। 6 मामलों में बड़ी शास्ति के लिए कार्रवाई शुरू की गई है; 7 मामलों में अभिलिखित चेतावनी तथा परामर्श पत्र जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

मिराज-सतारा सेक्शन में दुर्घटना

292. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोविन्दराव निकम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज-सतारा सेक्शन में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक पर 13 फरवरी को शहयाद्री एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना में कितने लोग मारे गये और घायल हुये; और

(घ) पीड़ितों को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी हां। 13.02.1995 को लगभग 4.40 बजे जबकि गाड़ी सं. 7303 सहयाद्री एक्सप्रेस दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली मण्डल के पुणे-मिराज खंड के नांद्रे और सांगली स्टेशनों के बीच चल रही थी। यह बिना चौकीदार वाले समपार सं. 127 पर एक बैलगाड़ी से जा टकराई बैलगाड़ी निकट आती हुई रेलगाड़ी के सामने से रेल लाइन पार कर रही थी।

(ग) इस दुर्घटना में बैलगाड़ी में सवार सभी चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कोई अन्य व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

(घ) इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर ऐसी गाड़ियों और सड़क वाहनों के बीच टक्करों के मामले में कोई दायिता नहीं होती है जिनमें रेल यात्री अंतर्ग्रस्त नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

293. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993, 1994 और 1995 के दौरान अब तक सुपर बाजार के कार्यकरण का कितनी बार आकलन और पुनरीक्षा की गई;

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस संबंध में उनके मंत्रालय ने क्या सलाह दी तथा इसका सुपर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार का सुपर बाजार को केंद्रीय भंडार में अथवा केंद्रीय भंडार का सुपर बाजार में विलय करने का अथवा इन दोनों संस्थाओं को दिल्ली सरकार को सौंपने संबंधी कोई प्रस्ताव है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सुपर बाजार के कार्यों की आवधिक समीक्षा और आंकलन पंचांग वर्ष, 1993 में तीन बार, पंचांग वर्ष 1994 में पांच बार किया गया था और 1995 के दौरान अभी तक कोई समीक्षा नहीं की गई है। मंत्रालयों ने सुपर बाजार के व्यापक सेवा के उद्देश्य की दृष्टि में रखते हुए बेहतर प्रचालन के परिणाम प्राप्त करने के लिए सुपर बाजार के कार्यकरण में और सुधार लाने हेतु उपाय सुझाए हैं।

(ग) सुपर बाजार को केन्द्रीय भण्डार के साथ अथवा केन्द्रीय भण्डार को सुपर बाजार के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय भण्डार सुपर बाजार को दिल्ली की सरकार को सुपुर्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल सुपर बाजार को दिल्ली की सरकार के सुपुर्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दालों का आयात

294. **श्री राघेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दालों के शुल्क मुक्त आयात को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने दालों के आयात के घरेलू मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की कोई समीक्षा की है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार नियमित आधार पर दालों के मूल्यों की मानीटरिंग कर रही है। दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर किया जाता है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है एक विशेष आयात शुल्क पर दालों का आयात करने के बारे में निर्णय लिया जाता है। देश में दालों की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग तीन मिलियन मीटरी टन तक का अन्तर है। 1993-94 के दौरान 6 लाख मीटरी टन और अप्रैल से नवम्बर, 1994 के दौरान 3.18 लाख मीटरी टन से अधिक् दालों का आयात करने से दालों की आपूर्ति में वृद्धि करने में सहायता मिली है परन्तु ये आपूर्तियां खुले बाजार में मूल्यों को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

गुजरात में रेल मार्ग

295. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक गुजरात सरकार द्वारा रेल मार्गों के संबंध में भेजे गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावों के अनुसार जिला-वार रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है;

(ग) इस संबंध में कार्यान्वयन के लिये स्वीकार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिये धनराशि आबंटित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) राज्य सरकार के कुछ प्रस्तावों को रद्द कर देने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) कपड़वंज-मोडासा नई रेल लाइन के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जबकि दिल्ली-अहमदाबाद तथा राजकोट-बेरावल आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए 1994-95 में क्रमशः 137 करोड़ तथा 3 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ङ) परियोजनाओं में कुछ की अव्यवहार्यता तथा संसाधनों की तंगी।

विवरण

(क) अन्य बातों के साथ-साथ गुजरात सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अनुरोध किया है :—

(i) अहमदाबाद-दिल्ली मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।

(ii) राजकोट-बेरावल मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन तथा इसे कोडिनार तक बढ़ाना।

(iii) बांकानेर-दहिंसरा-नवलाखी तथा दहिंसरा-मलिया मियाना मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।

(iv) सुरेन्द्र नगर-राजुला मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन तथा इसे पिपावाव तक बढ़ाना।

(v) नाडियाड़-कपड़वंज छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन तथा इसे मोडासा तक बढ़ाना।

(vi) गांधीधाम-भुज मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।

(vii) अंबजी तथा खेड़ ब्रह्मा के बीच एक नई लाइन का निर्माण।

(viii) भावनगर तथा तारापुर के बीच एक बड़ी लाइन का निर्माण।

(ix) अलंग शिप-ब्रेकिंग यार्ड के लिए एक नए संपर्क की व्यवस्था।

(x) धांगधरा-कडा साल्ट साइडिंग का बड़ी लाइन में परिवर्तन।

(ख) ऐसी सूचना राज्य-वार नहीं रखी जाती है।

(ग) नाडियाड-कपडवंज का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा अहमदाबाद-दिल्ली और राजकोट-वेरावल खंड पर कार्य प्रगति पर है। नाडियाड़-कपडवंज लाइन को मोडासा तक बढ़ाने का कार्य जिसे अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था, को पुनः शुरू किया जा रहा है। बांकानेर-दहिंसरा-नवलाखी-मलिया खंड के आमान परिवर्तन का कार्य 1995-96 में शुरू किया जाएगा। जबकि गांधीनगर-भुज खंड का कार्य, योजना आयोग द्वारा अनुमोदक दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की गति

296. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री मोहन रावले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही रेलगाड़ियों के लिये अधिकतम गति क्या निर्धारित की गई है;

(ख) क्या देश में चल रही रेलगाड़ियों की गति अन्य देशों में चल रही रेलगाडियों की गति की तुलना में बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों की गति बढ़ाने संबंधी कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) भारत में गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय गति 140 कि.मी. प्रति घंटा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). तथापि यात्री गाड़ियों को 160 कि.मी. प्र.घं. तथा मालगड़ियों को 100 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने की योजना बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

तम्बाकू के पत्ते पर कीटनाशकों के अवशेष

297. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान को तम्बाकू के पत्ते पर कीटनाशकों के अवशेष कम करने के उपाय ढूंढने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तम्बाकू के पत्ते पर कीटनाशकों के अवशेष कम करने के संबंध में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थानों ने अब तक क्या कार्य किया है; और

(घ) तम्बाकू की खेती करने वालों के लाभ में वृद्धि करने की दिशा में आगे क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). किये गये अनुसंधान कार्य के आधार पर केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने ये सिफारिश की है : (1) समेकित कीट प्रबन्ध क्रियाओं को अपनाना जिसमें आर्गनोफास्फोरस तथा कार्बोनेट मिश्रणों पर आधारित कीटनाशी सूत्रीकरण, जिसका फ्लू रोग मुक्त के दौरान 95 प्रतिशत की सीमा तक अपघटन होता है तथा डी डी टी जैसे क्लोटिनेडिट हाइड्रोकार्बन्स के उपयोग पर प्रतिबंध; (2) छिड़काव, फसल की कटाई के बीच पर्याप्त अन्तरालों से सिफारिश किये गये कीटनाशियों के छिड़काव के लिए उपयोग की समय सारणी तथा फसल की कटाई के कार्य के बाद के दौरान फ्लू रोगमुक्त पत्तियों में अवशेषों के विघटन के उपचार; (3) कीटों तथा रोगों के अन्तर्निहित प्रतिरोधी किस्मों से अधिक उपज वाली किस्मों का विकास; (4) विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के तहत उगाये गये विभिन्न प्रकार के तम्बाकू में कीटनाशी अवशिष्टों का प्रबोधन।

(घ) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने प्रस्ताव किया है कि (1) तम्बाकू के नये क्षेत्रों में कीटनाशी अवशिष्ट का विश्लेषण; तथा (2) तम्बाकू बोर्ड तथा उद्योग और अन्य संबद्ध अभिकरणों के अनुसंधान तथा विकास एककों के जरिए तम्बाकू की पत्ती में कीटनाशी अवशिष्ट की समस्या को न्यूनतम करने हेतु कीटनाशी उपयोग के अनुशंसित पैकेज को अपनाने के लिए व्यापक प्रचार।

कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली की समीक्षा

298. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के कार्यान्वयन तथा कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के घोषित लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया है; और

(ग) यह प्रणाली टिकट घोटालों तथा रेल दुर्घटनाओं को रोकने में कहां तक सफल रही है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों और उत्पादन इकाइयों, जहां कंप्यूटर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, में कंप्यूटर प्रणालियों के संबंध में कंप्यूटरों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है। अन्य प्रणालियों के समग्र मूल्यांकन का समय अभी नहीं आया है।

(ख) कंप्यूटर कार्य-प्रणाली के मूल्यांकित क्षेत्रों में यह पाया गया है कि आंकड़ों की अधिक सही और समय से उपलब्धता, कर्मचारियों द्वारा बारम्बार परिकलन करने में किया जाने वाला परिश्रम कम होने जैसे बेहतर उद्देश्य पूरे हो गए हैं।

(ग) कंप्यूटरीकरण से रेल कर्मचारियों द्वारा आरक्षित टिकटें जारी करने में शामिल कदाचार दूर हो गए हैं और इससे तथा इलैक्ट्रॉनिक प्रणालियों से कतिपय किस्म की दुर्घटनाएं कम हुई हैं।

[हिन्दी]

खेसारी दाल का दुष्प्रभाव

299. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खेसारी दाल के उपभोग से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों की कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (छ). खेसारी दाल की बिक्री पर मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रोक लगी हुई है। इस दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध इसलिए लगा दिया गया है कि इसमें न्यूरो टाक्सिन-बी-एन-आक्जलाइल-अमीनोएलामाइन (बी.ओ.ए.ए.) है और इसे सेण्ट्रल मीटर न्यूरान्स के प्रति एक शक्तिशाली एक्साइटोटाक्सिन पाया गया है। नेशनल न्यूट्रीशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किये गये महामारी-रोग-वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि खेसारी दाल का सेवन और न्यूरोलेथारिज्म का फैलना परस्पर रूप से जुड़ा हुआ है।

गुजरात में प्रदूषण

300. **श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वापी तथा गुजरात के कई अन्य नगरों में वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण का स्तर प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन नगरों में प्रदूषण स्तर कितना है;

(ग) इन प्रदूषण स्तरों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों की तुलना में इन नगरों का प्रदूषण स्तर कितना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क), (ख) और (घ). अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, वापी तथा गुजरात के अन्य शहरों में प्रदूषण के स्तर का ऐसा कोई निश्चित रूख नहीं है जिससे प्रति वर्ष प्रदूषण में वृद्धि का संकेत मिलता हो। सल्फारडाइआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइड सीमाओं के भीतर हैं जबकि नमूने लेने की कुछ अवधि में कतिपय स्थानों पर निलम्बित धूल कणों और ध्वनि का स्तर सीमाओं से अधिक था।

(ग) प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के तहत उद्योगों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के निदेश जारी किए हैं।

(2) गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोषी इकाइयों के खिलाफ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत अब तक लगभग 2000 मामले, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 328 मामले और अपराधिक दण्ड संहिता की धारा 133 के तहत 228 शिकायतें दायर की हैं।

(3) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(4) उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(5) उद्योगों की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

(6) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अनुकूल औद्योगिक एस्टेटों में ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। राख और फोस्फोजिप्सम जैसे ठोस अपशिष्ट के उपयोग के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(7) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत सभी प्रकार के वाहनों के लिए द्रव्य और ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्धारित सीमाओं का अनुपालन किया जाए।

इमारती लकड़ी की मांग और सप्लाई

301. **श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारती लकड़ी की मांग और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान मांग और सप्लाई के अनुपात का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इमारती लकड़ी की मांग और सप्लाई के बीच अंतर को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार इमारती लकड़ी का अनुमानित उत्पादन वार्षिक लगभग 12 मिलियन घन मीटर है जबकि इसकी वार्षिक मांग 27 मिलियन घर मीटर की है। तथापि, भारत के सभी राज्यों में इमारती लकड़ी की मांग तथा आपूर्ति के अनुपातों पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा इमारती लकड़ी की मांग व आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय ये हैं;

(1) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर अधिक बल दिया गया है। इसमें चराई, अग्नि तथा अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान है।

(2) राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अवक्रमित वन भूमि की सुरक्षा तथा पुनरूद्धार सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण समुदायों तथा स्वैच्छिक संगठनों को इसमें शामिल करें।

(3) वन आवरण में वृद्धि करने के लिए एक व्यापक वन-रोपण कार्यक्रम जिसमें बीस-सूत्री कार्यक्रम के तहत सामाजिक तथा कृषि वानिकी शामिल है, को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) इमारती लकड़ी की आयात नीति को उदार बना दिया गया है।

(5) पैकेजिंग, रेलवे स्लीपर, भवन निर्माण एवं फर्नीचर में लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है।

(6) अवक्रमित वन भूमियों पर वनरोपण के कार्य में उद्योग को शामिल करने की एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

गेहूं और धान की खरीद

302. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जनवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पंजाब में धान और गेहूं की खरीद में 1200 करोड़ रुपये की भारी राशि से जुड़े सुनियोजित और नियमित भ्रष्टाचार के संबंध में "वेअर मनी कीप्स मूविंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त, राज्य खाद्य विभाग, पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (पुनसुप), पंजाब राज्य विपणन संघ (मार्कफेड), राज्य भण्डारण निगम और अन्य जैसी अनेक एजेन्सियां पंजाब में वसूली परिचालन के कार्य में लगी हुई हैं। अतः भारतीय खाद्य निगम स्वयं शिकायतों की जांच नहीं कर सकता है। तथापि, निगम ने निर्णय किया है कि यह मामला सम्पूर्ण जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया जाए।

ट्रैफिक अप्रेंटिस

303. **श्री ललित उरांव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की सेवा में लिये जाने के पहले की प्रशिक्षुता अवधि को सेवा लाभों के लिए शामिल नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ख). अप्रेन्टिसशिप की अवधि की गणना वेतनवृद्धि भावी पदोन्नति के लिए न्यूनतम अपेक्षित सेवा, पेंशनी लाभों आदि के प्रयोजन से की जाती है। इस अवधि को वरिष्ठता के निर्धारण के लिए नहीं गिना जाता क्योंकि वरिष्ठता का निर्धारण अप्रेन्टिसशिप के सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात् एक कार्यकारी पद को संभालने की तारीख से किया जाता है।

डी.एम.एस. उत्पादों के मूल्य

304. **श्री कर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :
श्री विलासराव नामनाथराव गुंडेवार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और 1994-95 में दिल्ली दुग्ध योजना के दूध और इसके द्वारा उत्पादित तथा बेचे जाने वाले अन्य दुग्ध उत्पादों के मूल्यों में बहुधा उतार-चढ़ाव आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डी.एम.एस. द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के दूध तथा

योगर्ट के विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तथापि, मौजूदा बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना के घी तथा टेबल बटर के विक्रय मूल्य में इस प्रकार संशोधन किया गया है :-

दिनांक से	घी एक कि. ग्रा. पोलि पैक	घी एक कि. ग्रा. टिन	घी दो कि. ग्रा. टिन	टेबल बटर 500 ग्राम रुपये/पैक	सफेद मक्खन 500 ग्राम रुपये/पैकेट
11-4-92	90.00	95.00	190.00	39.00	40.00
19-6-92	84.00	89.00	178.00	35.00	36.00
2-1-93	80.00	87.00	174.00	34.00	35.00
22-4-94	90.00	-	-	39.00	40.00
7-12-94	110.00	-	-	47.00	48.00

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तरों को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ड्रिप सिंचाई

305. **श्री तारा सिंह :**
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ड्रिप और बौछारी सिंचाई प्रणालियों के प्रयोग हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) इस समय कौन-कौन से राज्य इस प्रणाली को नहीं अपना रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में इन सिचाई प्रणालियों के प्रयोग हेतु सहायता प्रदान करने के वर्तमान मानदंडों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी भी प्रकार की फसल उगाने वाले किसानों को इन संशोधित मानदंडों में शामिल किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) (क) सिंचाई की ड्रिप और बौछारी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

(अ) ड्रिप प्रणाली :

1. चाय, काफी और रबर को छोड़कर तथा आयल पाम सहित सभी बागवानी फसलों के लिए 50 प्रतिशत या प्रति हेक्टेअर 15,000 रुपये की राजसहायता प्रदान करना,
2. राज्य फार्मों में ड्रिप प्रदर्शन के लिए 75% या 22,500/- रुपये प्रति हेक्टेअर की दर से राजसहायता प्रदान करना।
3. इन प्रणालियों के उपयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना।

(ब) बौछारी सिंचाई प्रणाली :

तिलहनों और दलहनों के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेटों पर राजसहायता छोटे और सीमांत किसानों के मामले में लागत का 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के मामले में लागत का 75% और अन्य वर्गों के किसानों के मामलों में लागत के 25% तक दी जायेगी, जो प्रति लाभानुभोगी अधिकतम 10,000 रुपये तक है।

केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बौछारी सेटों पर राजसहायता दी जा रही है जिसकी दर प्रति एकड़ इकाई के लिए एक सेट की लागत का 50% है, जो प्रति सेट अधिकतम 10,000 रुपये है।

(ख) ड्रिप प्रणाली योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जहां तक बौछारी प्रणाली का सम्बन्ध है, इसे तिलहनी फसलों के लिये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और केरल में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार बौछारी प्रणाली को दलहनों के मामले में मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। कपास के मामले में बौछारी प्रणाली आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में चलाई जा रही है।

(ग) से (च). किसानों को ड्रिप और बौछारी सिंचाई प्रणाली के लिये दी जाने वाली सहायता के वर्तमान प्रतिमान में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इंदौर में रेलवे उपरिपुल का निर्माण

306. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर में रेलवे उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). इंदौर में समपार सं. 246 के बदले एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण 1987-88 का अनुमोदित कार्य है। रेलवे, जिसको रेलपथों पर पुल का निर्माण करना है, राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य शुरू किये जाने के बाद यह कार्य शुरू करेगी।

नगर वन क्षेत्र

307. **डा. आर. मल्लू :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रत्येक राज्य में नगर वन क्षेत्र बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य के कतिपय नगरों, व शहरों में "नगर वन क्षेत्र" बनाने के निमित्त कार्यक्रम चलाने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भी महसूस किया कि राष्ट्रीय वनीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों के साथ ही साथ शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में भी इन प्रयासों के संबंध में कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (नैब) ने राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दिए जाने की एक नई प्लान योजना का प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा था। इस संबंध में अभी तक कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

राज्यों में सुपर बाजार की शाखाएं

308. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्यों में सुपर बाजार की शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं। राज्यों में सुपर बाजार की नई शाखाएं खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। सुपर बाजार अभी तक बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुआ है।

दिल्ली और कोटद्वार के बीच सीधी गाड़ी

309. **श्री प्रेम चन्द राम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और कोटद्वार के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइन का विस्तार

310. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समस्तीपुर-दरभंगा बड़ी लाइन का गोरखपुर के साथ जोड़ते हुये सीतामढ़ी-नरकटियागंज क्षेत्र का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, 1995-96 में समस्तीपुर-दरभंगा आमान परिवर्तन के पूरा हो जाने पर दरभंगा बड़ी लाइन से जुड़ जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

महिलाओं का विकास

311. **डा. साक्षीजी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कोई कार्यकारी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय सरकार से इस प्रस्तावित योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को समुचित धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सहमत है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, दोनों राज्य महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम/परियोजनाएं चला रहे हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

उपनगरीय रेल प्रणाली

312. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में उपनगरीय रेल प्रणाली में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू कर दिया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उपनगरीय क्षेत्रों में मौजूदा रेल नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और ग्रेडोन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह आवश्यकताओं, अग्रता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष की उपनगरीय रेल प्रणाली के ग्रेडोन्नयन के लिए कोई विनिर्दिष्ट कार्यक्रम या परियोजना हाथ में नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर-दिल्ली एक्सप्रेस की दुर्घटना

313. श्री मोहन रावले :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4546 सहारनपुर-दिल्ली एक्सप्रेस की 5 फरवरी, 1995 को निघोरा गांव के निकट लोनी (उत्तर प्रदेश) में चौकीदार रहित रेल फाटक पर एक ट्रक से टक्कर हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई जनहानि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। 5.2.1995 को जब 4546 सहारनपुर-दिल्ली एक्सप्रेस चल रही थी, ईंटों से भरा एक ट्रक उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के शाहदरा-शामली खंड पर नुसरताबाद खड़खड़ी हाल्ट के निकट बिना चौकीदार वाले समपार सं. 9-ग पर लगभग 9.20 बजे गाड़ी से टकरा गया।

(ख) इस दुर्घटना में ट्रक में सवार सभी 10 व्यक्ति मारे गए।

भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियां

314. श्री एन.चे. राठवा : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित पदों को नहीं भरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये पद कब तक भरे जायेंगे?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). जहां तक भारतीय खाद्य निगम का संबंध है, श्रेणी-1 में रिक्तियों का हिसाब अखिल भारतीय आधार पर लगाया गया है और श्रेणी-2 की रिक्तियों का हिसाब आंचलिक आधार पर लगाया गया है। श्रेणी-3 और 4 में रिक्तियों का हिसाब क्षेत्रीय आधार पर लगाया गया है। गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के दो कार्यालयों अर्थात क्षेत्रीय कार्यालय और संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन परिचालन) के कार्यालय, कान्डला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं।

गुजरात क्षेत्र में श्रेणी-3 और 4 में रिक्तियां पहले इसलिए नहीं भरी जा सकी थीं क्योंकि प्रवेश स्तर के पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की कार्यकारी समिति/निदेशक मंडल ने हाल ही में प्रवेश स्तर(एन्ट्री लेवल) के विशिष्ट पदों पर भर्ती करने के लिए अनुमोदन कर दिया है और दिनांक 23 नवम्बर, 1994 को आंचलिक प्रबन्धकों को इस निर्णय की सूचना दे दी गई है।

जहां तक केन्द्रीय भण्डारण निगम का संबंध है गुजरात क्षेत्र में कोई पिछली रिक्ति (बैकलाग) शेष नहीं है।

खिलाड़ियों के लिये आरक्षण

315. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को व्यावसायिक तथा अन्य महाविद्यालयों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के दाखिले के लिए उन्हें रियायती अंक देने या उनके लिए सीटें आरक्षित करने के कोई दिशानिर्देश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). इस संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी नहीं किए हैं। परंतु, उनसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विशेष महत्व देने पर विचार करने का अनुरोध किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिशा-निर्देश तैयार व अनुमोदित किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का प्रावधान है कि अवरस्नातक स्तर के डिग्री पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में 10% स्थान उन खिलाडियों के लिए आरक्षित किये जाएं जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है। परंतु, प्रवेश हेतु, इस प्रकार के खिलाड़ियों को अपनी पिछली परीक्षाओं में न्यूनतम निर्धारित प्रतिशतता प्राप्त करनी होगी। इन दिशानिर्देशों में आगे यह परिकल्पना की गई है कि 3% स्थान इस प्रकार के खिलाड़ियों के लिए उनके बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित किये जाएं।

[हिन्दी]

गाजियाबाद में रेल दुर्घटना

316. श्री अंकुशराव टोपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गाजियाबाद में हुई रेल दुर्घटना की जांच करने के संबंध में आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मृतकों के निकटतम संबंधी और घायल व्यक्तियों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई; और

(घ) इस तरह की दुर्घनाएं रोकने के लिये क्या कदम उठाए जायेंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी, हां। 21.9.1994 को उत्तर रेलवे के गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी अप नंगलडैम माल गाड़ी के पिछले हिस्से तथा दिवाना माल गाड़ी के बीच 23.05 बजे हुई टक्कर की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी।

पिछले हिस्से की टक्कर के परिणामस्वरूप उप दीवाना माल गाड़ी के इंजन सहित चार लदे हुए बाक्स माल डिब्बे तथा उप नंगलडैम माल गाड़ी के पिछले ब्रेकयान सहित 4 लदे हुए बॉक्स माल डिब्बे पटरी से उतर गए थे।

इस दुर्घटना में दीवाना माल गाड़ी का ड्राइवर तथा सहायक ड्राइवर मारे गए थे।

जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना दीवाना स्टेशन के ड्राइवर द्वारा गाजियाबाद स्टेशन के होम सिगनल को "आन" स्थिति में पास करने के कारण हुई।

(ग) मृतक ड्राइवर तथा सहायक ड्राइवर के आश्रितों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे के रूप में क्रमशः 69008 रुपये तथा 58,480 रुपये की देय राशि, मृतकों के आश्रितों/कानूनी उत्तराधिकारियों को देने के लिए, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति के पास जमा कर दी गई है।

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित संरक्षा उपाय किए गए हैं :—

(1) 10 वर्ष से कम की सक्रिय ड्राइविंग सेवा वाले लगभग 17,000 ड्राइवरों की विशेष रूप से जांच की गई तथा अकुशल ड्राइवरों को पाठ्यक्रम से बाहर क्रैश प्रशिक्षण दिया गया है।

(2) 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की आउट आफ कोर्स जांच की गई थी तथा अकुशल कर्मचारियों को गैर-निर्धारित संरक्षा प्रशिक्षण दिया गया था।

(3) आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश अथवा ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों की तैनाती शुरू की गई है।

(4) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों को नियमित सलाह दी जाती है।

(5) गंभीर गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए दोषी कर्मचारियों को "बरखास्त करने" अथवा सेवा से हटाना जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(6) रेलों के महाप्रबंधकों के लिए दुर्घटनाओं को रोकना एक उद्देश्य बनाया गया है।

गैंडे

317. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो गणनाओं के आधार पर गैंडों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या खाल और सींगों को प्राप्त करने के लिए गैंडों को बड़े पैमाने पर मारा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लुप्तप्रायः प्रजाति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं शुरू की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गैंडों की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में जहां गणना की गई थी, 1989-93 के दौरान गैंडों की अनुमानित आबादी निम्नानुसार थी :—

राज्य	1989	1991	1992	1993
असम				
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1250+	1129	-	1164
मानस राष्ट्रीय उद्यान	85	-	-	80+
पोबित्रा	65	-	-	56
ओरांग	100	97	-	97
लाओखोआ	03	-	-	
अन्य पैकेट	40	-	-	-
	1543			
पश्चिम बंगाल				
जलदापाडा	27	-	33	-
गोरूमारा	12	-	11	-
	39		44	
उत्तर प्रदेश				
दुधवा	09	-	11	-

(- गणना नहीं की गई)

(+ स्थानीय अनुमानित रिपोर्टों के अनुसार)

(ख) और (ग). मुख्यतया गैंडे के सींग के लिए इसके चोरी-छिपे शिकार के मामले ध्यान में आए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान चोरी-छिपे शिकार किए गए गैंडों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1992	1993	1994
असम	66	70	27
पश्चिम बंगाल	2	1	0
उत्तर प्रदेश	–	–	–

(घ) गैंडे के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखत उपाय किए गए हैं :—

(1) प्रजातियों तथा इसके वासस्थल के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार "असम में गैंडों का संरक्षण" नामक एक विशेष स्कीम 1992-93 से संसाधनों समेत राज्य सरकार को अंतरित कर दी गई है;

(2) गैंडे को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में रखा गया है जिससे इसे अत्यधिक सुरक्षा प्राप्त है;

(3) गैंडे के अंगों एंव उनके उत्पादों के व्यापार पर भी कानूनी प्रतिबंध है;

(4) चोरी-छिपे शिकार रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है;

(5) चोरी-छिपे शिकारकर्त्ताओं तथा अवैध व्यापारियों को पकड़ने में आवश्यकतानुसार पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, डी.आर.आई. तथा सेना की भी सहायता ली जाती है;

(6) भारत, प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइट्स) का एक सदस्य है और कन्वेंशन के उपबंधों के अंतर्गत जीव-जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमों का पालन करता है;

(7) गैंडों के लिए वैकल्पिक आवास प्रदान करने और उनके पूर्व वासस्थल में उन्हें फिर से बसाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कटरनीघाट वन्यजीव अभयारण्य में "गैंडों के पुनर्वास" के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

[अनुवाद]

कमल नयन काबरा समिति

318. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख वस्तुओं के सुचारू विपणन के लिए वायदा व्यापार के संबंध में कमल नयन काबरा समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कार्यान्वित कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). कमल नयन काबरा समिति, जिसकी नियुक्ति नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अन्य बातों के साथ वायदा बाजारों के प्रचालनों, जिन्स एक्सचेंज के कार्यकरण की समीक्षा करने और भावी सौदा व्यापारों को कारगर ढंग से विनियमित करने में वायदा बाजार आयोग की भूमिका का आकलन करने आदि के लिए जून, 1993 में की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

(ग) और (घ). सरकार ने समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि इसमें विभिन्न विभागों तथा अन्य संबंधित संगठनों से परामर्श करना अपेक्षित है।

स्टील ब्रेक

319. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन उद्योग को 1995-96 में स्टील ब्रेक की खरीददारी स्वयं करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे सरकारी क्षेत्र का वैगन उद्योग प्रभावित नहीं होगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). अभिप्राय सम्भवतः इस्पात और वात ब्रेक उपस्कर से है। माल डिब्बो निर्माण उद्योग को और अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए 1995-96 के लिए उन्हें उन मदों को स्वयं खरीदने की सलाह दी गई है।

(ग) चूंकि ये मदें पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं, इसलिए किसी कठिनाई की संभावना नहीं है।

खान-पान सेवाएं

320. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलगाड़ियों में घटिया किस्म की खान-पान सेवाओं के संबंध में यात्रियों से शिकयतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलगाड़ियों में भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) 1994-95 के दौरान 185 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) पौष्टिक, स्वास्थ्यकर एवं अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ तथा यात्रियों की सेवा सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रस्तावित प्रयासों में नियमित एवं गहन जांच, कर्मचारियों के लिए त्वरित प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशिष्ट एवं व्यावसायिक खान-पान प्रबंधकों की सेवाएं लेना, आधार रसोई घरों में सुधार, व्यंजन सूची की किस्मों आदि में पुनर्सुधार करना शामिल है। भोजन और सेवा की गुणवत्ता के बारे में मत प्राप्त किए जाते हैं और तदनुसार इनमें सुधार लागू किए जाते हैं। जिम्मेदार पाए गए ठेकेदारों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

321. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों में ठेका प्रणाली समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रम सहकारी समिति ने केरल के सभी डिपो में अच्छी तरह कार्य किया है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों में श्रम सहकारी समिति कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या श्रम सहकारी समिति प्रणाली के कार्य निष्पादन का अध्ययन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; और

(च) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के अधिकतर डिपुओं/गोदामों में कार्य की मात्रा परिचालनों के मौसम/मौसमों के बीच की अवधि की प्रकृति के हिसाब से माह दर माह, दिन-प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होती है। अतः भारतीय खाद्य निगम के बहुत से डिपुओं/गोदामों में नियम के अधीन ठेका प्रणाली जारी है क्योंकि इससे भारतीय खाद्य निगम को परिचालन संबंधी लचीलापन प्राप्त होता है।

(ग) मई, 1994 तक केरल में भारतीय खाद्य निगम के 8 गोदामों में श्रमिक सहकारी समिति प्रणाली कुल मिलाकर ठीक प्रकार से कार्य कर रही थी जब 8 डिपुओं के कामगारों ने एफ.सी.आई. वर्कर्स यूनियन के आदेश पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधा भुगतान करने की मांग को लेकर काम करना बन्द कर दिया। तथापि, इनमें से तीन डिपुओं ने उसी प्रणाली के अधीन पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

(घ) यद्यपि, कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, तथापि भारतीय खाद्य निगम अधिक से अधिक डिपुओं में श्रमिकों को अपनी श्रम सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु श्रम सहकारी समितियों को बयाना जमा करने के भुगतान से छूट, टेंडर स्वीकार करने में तरजीह, यदि उनकी पेशकश प्रतिस्पर्द्धी न हो तो प्रति-पेशकश करना, प्रतिभूमि जमा का किस्तों में भुगतान की अनुमति जैसे कुछ प्रोत्साहन दे रहा है।

(ङ) जी, हां।

(च) समिति ने श्रम कल्याण के लिए आरक्षित निधियां बनाने में सहकारी समितियों की सहायता करने के लिए और ई.पी.एफ. के लिए अंशदान के संबंध में समितियों द्वारा वहन किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहनों की सिफारिश की है। भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा सभी सम्बन्धित कार्यालयों/अधिकारियों को अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

मुनाबाओ-खोलेरोपुर चेकपोस्ट

322. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-पाकिस्तान सीमा पर मुनाबाओ-खोलेरोपुर रेलवे चेकपोस्ट को पुनः खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस चेकपोस्ट के माध्यम से घुसपैठ और नशीली दवाओं की तस्करी की रिपोर्टें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस घुसपैठ और नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुनाबाओ से पकड़े गए घुसपैठियों तथा जब्त किए गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1992	1993	1994	1995
1. मुनाबाओ क्षेत्र से घुसपैठ (व्यक्तियों की संख्या)	13	99	89	31
2. नशीले पदार्थों की तस्करी	–	–	70 लीटर एसेटिक एनही-ड्राइड,	

टिप्पणी : पकड़े गए उपरोक्त व्यक्ति अधिकांश बंगलादेश के नागरिक थे।

(घ) सरकार सतर्क है तथा खुफिया तंत्र को सक्रिय बनाकर संबंधित केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की एर्जेसियों के साथ खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा समन्वित कार्रवाई करके, सामरिक महत्व के स्थानों पर अर्ध सैनिक बलों को तैनात करके तथा उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी करके गहन गश्त लगाकर तथा अतिरिक्त जांच चौकियों की स्थापना करके तथा दिन और रात के समय में प्रभावी निगरानी हेतु विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति करके सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

मछुआरों का गांव

323. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मछुआरों के आधारभूत विकास के लिए आदर्श गांव एवं अन्य राहत योजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में मछली उतराई केन्द्र/बंदरगाह बनाने संबंधी प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजराल समिति की रिपोर्ट

324. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू को बढ़ावा देने हेतु गुजराल समिति की सिफारिशों को 19 वर्ष बीतने के बाद भी कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). गुजराल समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार ने उस पर विचार किया और गुजराल समिति की सिफारिशों की जांच करने और उनके क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा उनके क्रियान्वयन के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए श्री अली सरदार जाफरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया था। जाफरी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

इस बीच जाफरी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, हैदराबाद में, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निर्णय पहले ही ले लिया गया है और तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के स्थान पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद स्थापित की गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रेल लाइन

325. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में दक्षिण-मध्य रेलवे के अंतर्गत तेलापुर-पटार-चेरू-संगारेड्डी-मेडक से रमनापेट होते हुए सीड्डीपेट तक इस समय कोई रेल लाइन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पहले कोई सर्वेक्षण कराया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). तेलापुर से पाट्टनचेरू तक पहले ही एक बड़ी लाइन मौजूद है, विगत में संगारेड्डी मेडक, रमनापेट, सीडीपेट तथा करीमनगर के रास्ते इस बड़ी लाइन का पाटनचेरू से पेद्दापल्ली तक विस्तार करने हेतु इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। तथापि, सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चला था कि यह परियोजना अलाभप्रद थी तथा इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर ऋणात्मक थी। इसे देखते हुए तथा रेलों को पेश आ रही संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका।

बहरहाल, पेद्दापल्ली से निजामाबाद तक बरास्ता करीमनगर एक नई बड़ी लाइन स्वीकृत कर दी गई है जिसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का लक्ष्य है।

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड

326. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के कार्यकरण की जांच करने हेतु गठित की गई समिति की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताओं और इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कहां तक लागू किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यह नोट किया है कि समिति ने प्रमुख रूप से यह अवलोकन किया है कि (1) विशेषज्ञ-पैनलों तथा उनके कार्यकरण के संबंध में उपलब्ध सूचना पूरी नहीं थी, (2) कि सहायता-अनुदान की योजनाओं के संबंध में समाचार पत्रों में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया था, (3) कि विशेषज्ञ समिति द्वारा अस्वीकृत पुस्तक को अनुवाद के लिए दिया गया था, (4) कि एक अस्वीकृत पुस्तक की पाण्डुलिपि एक अन्य विशेषज्ञ को अनुकूल टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई थीं, (5) कि ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा आवश्यक रूप से बार-बार दौरे किए गए थे, (6) कि एक सेमिनार के आयोजन के लिए निधियां मुक्त की गई थीं जो न तो मांगी गई थीं तथा न ही संस्वीकृत आदि की गई थीं, (7) कि पुस्तक प्रौन्नति ब्यूरो में विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रतिशीघ्र भरा जाना चाहिए, (8) कि प्रशासनिक अनुभव से सम्पन्न एक विशेष-कार्य अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ). सरकार ने उर्दू भाषा को प्रोन्नत करने, विकसित करने और उसका प्रचार करने, वैज्ञानिक और शिल्प-वैज्ञानिक गतिविधियों के ज्ञान और साथ ही आधुनिक सन्दर्भ में विकसित विचारों के ज्ञान को उर्दू भाषा में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करने और भाषा के संवर्धन के लिए ऐसा कोई कार्यकलाप जिसे परिषद द्वारा उपयुक्त समझा जाए, आरम्भ करने के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद का अब गठन किया है।

प्रबन्धन सेवाओं को युक्तिसंगत बनाना

327. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारतीय रेलवे में प्रबन्धन सेवाओं को युक्तिसंगत बनाने" संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) समिति द्वारा भारतीय रेलों के संगठनात्मक ढांचे और प्रबंधन प्रकृति का अध्ययन करने के लिए की गई सिफारिशें संगठनात्मक ढांचे और प्रबंधन प्रणाली में ऐसे परिवर्तनों का उल्लेख किया है जो भारतीय रेलों को व्यापारिक उद्यम की भांति कार्य कर सके।

(ख) समिति की रिपोर्ट वैचारिक प्रकृति की है जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार की समितियों/कृतिक बलों का गठन किया जाना है जो विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में विचार करेंगे और यदि ऐसा होता है इनके लिए तरीके और प्रक्रियाएं निर्धारित करेंगे। समिति की सिफारिशों के अनुसार रिपोर्ट में शामिल कुछ महत्वपूर्ण मदों का गहराई से अध्ययन करने और उनके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का निर्णय करने के लिए कृतिक बल बनाये गए हैं।

कन्नानौर में केन्द्रीय विद्यालय

328. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कन्नानौर जिले में तेल्लीचेरी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ख) क्या केरल सरकार अथवा किसी अन्य संगठन ने इस केन्द्रीय विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने का वचन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). तेल्लीचेरी, जिला कन्नानौर, केरल में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को एक अनुरोध प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि राज्य सरकार उक्त विद्यालय के लिए भूमि देने के लिए सहमत हो गई है। जिला कलेक्टर को विद्यालय खोलने के संबंध में मानदंडों, शर्तों को एक सेट इस अनुरोध के साथ भेजा गया है कि वह एक पूर्ण प्रस्ताव भेजें।

मोटर-मैनों की आवश्यकता

329. **श्री राम नाईक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1994 तक पश्चिम रेलवे के उपनगरीय सेक्शन के अंतर्गत कुल कितने मोटर-मैनों की आवश्यकता थी;

(ख) 31 दिसंबर, 1994 तक कुल कितने मोटर-मैनों की वास्तव में नियुक्ति की गई; और

(ग) सरकार द्वारा मोटर-मैनों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के हित में उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 31.12.94 को मोटर-मैनों की कुल मांग 336 थी।

(ख) वास्तव में नियुक्त किये गये मोटर-मैनों (यानि सेवारत कम्रचारियों) की सं. 284 थी।

(ग) रेल भर्ती बोर्ड, बंबई सेन्ट्रल से सीधी भर्ती वाले 65 प्रत्याशियों का एक पैनल प्राप्त हुआ है तथा नियुक्ति से पहले की जाने वाली औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं जिसके पश्चात् उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा।

जैव सामाग्री की तस्करी

330. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1994 के "स्टेट्समैन" में "बायोमैटीरियल स्मग्लिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वनस्पति और सूक्ष्म जीवों जेसी बहुमूल्य जैव सामग्री को देश से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाने तथा इनकी तस्करी रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सरकार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन), अधिनियम, 1992 के तहत आनुवंशिक सामग्री के देश से बाहर जाने को नियंत्रित करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

[हिन्दी]

चीनी का आयात

331. **श्री श्रीकान्त जैना :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया जा चुका है तथा और आगे किये जाने का विचार है;

(ख) इसका कुल मूल्य कितना है और किन देशों से यह आयात किया गया है;

(ग) चीनी के आयात के अनुमान का आधार क्या है और 1993 की वार्षिक खपत की तुलना में 1994 में चीनी की खपत में कितनी वृद्धि हुई तथा 1995 में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) चीनी का आयात किस दर से किया जायेगा और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ङ) क्या चीनी के आयात से देश में चीनी का मूल्य प्रभावित होगा;

(च) 1 जनवरी, 1994 से फरवरी, 1994 के दौरान चीनी का कितना उत्पादन हुआ; और

(छ) सरकार द्वारा चीनी के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). अपेक्षित स्तर तक चीनी उत्पादन न होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के विचार से सरकार ने जुलाई और अगस्त डिलिवरियों के लिए लगभग 5 लाख टन आयातित चीनी के लिए अग्रिम अनुबंध की अनुमति दे दी है। अभी तक एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. द्वारा लगभग 505.22 करोड़ रुपये पर जिसमें 428.25 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन सी. एंड एफ. एफ.ओ. के औसत मूल्य पर 1554.53 लाख यू.एस. डॉलर की विदेशी मुद्रा शामिल है। पर लगभग 3.63 लाख टन की मात्रा का अनुबंध किया है। अनुबंध की गई मात्रा में से 1.08 लाख टन ब्राजील से, 0.73 लाख टन थाईलैंड से और शेष मात्रा वास्तविक शिपमेंट लागू होने पर पता चल सकेगी।

(ङ) घरेलू चीनी मूल्यों पर चीनी के आयात का असर चीनी का वास्तविक आयात होने पर ही पता चलेगा।

(च) 1 जनवरी, 1994 से 15 फरवरी, 1995 तक चीनी का उत्पादन लगभग 14.8 मिलियन टन (अनंतिम) है।

(छ) देश को चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई चीनी फैक्टियों और विस्तार परियोजनाओं की पर्याप्त लाइसेंसिंग

शुरू की गई हैं। अन्य उपायों में गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी, नई चीनी फैक्ट्रियों/विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था, जल्दी/देर से पेराई अवधि के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

गांधीं नगर को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ना

332. श्री हरिन पाठक : क्या **रेल मंत्री** 8 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2047 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी नगर को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए किए गए सर्वेक्षण के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) सर्वेक्षण अक्तूबर, 95 तक पूरा हो जाने की संभावना है। कार्य सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

333. श्री छेदी पासवान :
श्री काशीराम राणा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के संबंध में कमियों को दूर करने के लिए कार्य योजना के अंतर्गत दैनिक यात्रियों को क्या-क्या आधारभूत और अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधाएं पहले ही दे दी गई हैं; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितना व्यय हुआ है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). उन स्टेशनों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था जहां 1.4.91 को आधारभूत यात्री सुविधाओं यथा प्रतीक्षालयों, बेंचों, पीने के पानी, शौचालयों, प्लेटफार्मों आदि की कमियां थीं। तदनुसार, सभी रेलों पर पहचान किए गए ऐसे 2000 से अधिक स्टेशनों पर ऐसी कमियां दूर करने के लिए 31.3.95 तक ऐसी सभी कमियों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई है। जहां तक मूल सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का संबंध है, यह एक सतत् प्रक्रिया है और स्टेशनों पर इनकी व्यवस्थ सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुसार आवश्यकता के आधार पर की जाती है, जो धन की समग्र उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इस संबंध में 1993-94 के दौरान 67.36 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था और वर्ष 1994-95 के लिए 67.25 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

कोयला तथा बुक किएं गए सामान की चोरी

334. श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री महेश कनोडिया :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोन में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश और गुजरात जोन में गत वर्ष के दौरान वैगनों से कोयले तथा बुक कराए गए सामान की चोरी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने लोगों को पकड़ा गया तथा उनसे कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित ठोस कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) जहां तक संभव हो कीमती और महत्वपूर्ण परेषण ले जाने वाली गाड़ियों का मार्ग-रक्षण करना।

(2) यार्डों और अन्य भेद्य स्थलों/खण्डों में गहन गश्त लगाना।

(3) चोरी आदि की आशंका वाले परेषण ले जाने वाले माल डिब्बों/सीलों की हालत देखने के लिए अंतरबदल स्थलों पर संयुक्त जांच।

(4) जहां तक संभव होता है, भेद्य खण्डों में रे.सु.ब. की सशस्त्र टुकड़ियां नियुक्त/तैनात की जाती हैं।

(5) अपराधियों का पता लगाने के लिए अपराध आसूचना एकत्र करने हेतु सादे कपड़ों में रे.सु.ब. कर्मियों की तैनाती भी की जाती है।

(6) भेद्य यार्डों और स्थलों में, उपलब्धता के अनुसार गश्ती कुत्ता-दस्तों की भी तैनाती की जाती है।

(7) अपराधियों और चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने वालों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर रे.सु.ब., राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय बनाये रखा जाता है।

(8) अपराध आसूचना के आधार पर, अपराधियों/चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करने वालों को पकड़ने के लिए उनके अड्डों पर छापे मारे जाते हैं और तलाशी ली जाती है।

विवरण

कोयले की चोरी(1994)		सपत्ति का मूल्य (रुपयों में)		
रेलवे	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	चुराई गई	बरामद की गई	गिरफ्तारियां
मध्य रेलवे	61	45,695	5,235	63
पूर्व	306	6,43,881	6,75,539	239
उत्तर	108	5,53,199	7,391	62
पूर्वोत्तर	3	660	660	3
पूर्वोत्तर सीमा	1	500	500	1
दक्षिण	–	–	–	–
दक्षिण मध्य	28	13,156	13,156	81
दक्षिण पूर्व	7	570	570	12
पश्चिम	220	34,847	34,847	334
कुल	734	12,92,508	7,37,898	795
बुक किए गए सामान की चोरी (1994)				
मध्य रेलवे	130	1,14,18,919	1,11,79,006	115
पूर्व	3435	1,61,29,710	13,41,505	230
उत्तर	1046	72,74,084	.11,38,806	320
पूर्वोत्तर	59	2,46,705	29,891	12
पूर्वोत्तर सीमा	1290	78,90,904	1,74,719	67
दक्षिण	46	2,18,454	16,638	67
दक्षिण मध्य	37	8,63,471	8,52,462	154
दक्षिण पूर्व	166	22,12,442	18,96,295	194
पश्चिम	671	3,58,972	3,07,561	173
कुल	6880	4,66,13,661	1,69,36,883	1332

उत्तर प्रदेश और गुजरात के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रेलों पर राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

तुलसीपुर में डिब्बों का पटरी से उतर जाना

335. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर–गोण्डा के बीच तुलसीपुर में 187 अप यात्री गाड़ी के सात डिब्बे उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और इसमें कितने लोग घायल हुए;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) (क) और (ख). 22.1.1995 को दक्षिण पूर्व रेलवे के गेंसरी और तुलसीपुर स्टेशनों के बीच 187 अप यात्री गाड़ी के सात सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसके परिणामस्वरूप 3 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई, 16 गंभीर रूप से घायल हुए तथा 99 यात्रियों को मामूली चोटें आईं।

(ग) से (ङ). इस दुर्घटना की वैधानिक जांच–पड़ताल रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर सर्कल द्वारा की गई है। इनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रेल संरक्षा आयुक्त के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के आधार पर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(च) दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित संरक्षा उपाय किए गए हैं :–

(1) 10 वर्ष से कम की सक्रिय ड्राइविंग सेवा वाले लगभग 17,000 ड्राइवरों की विशेष रूप से जांच की गई तथा अकुशल ड्राइवरों को पाठ्यक्रम से बाहर क्रैश प्रशिक्षण दिया गया है

(2) 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की आउट आफ कोर्स जांच की गई थी तथा अकुशल कर्मचारियों को गैर–निर्धारित संरक्षा प्रशिक्षण दिया गया था।

(3) आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश अथवा ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों की तैनाती शुरू की गई है।

(4) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों को नियमित सलाह दी जाती है।

(5) गंभीर गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए दोषी कर्मचारियों को "बरखास्त करने" अथवा सेवा से हटाना जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(6) रेलों के महाप्रबंधकों के लिए दुर्घटनाओं को रोकना एक उद्देश्य बनाया गया है।

(7) पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 60,000 कर्मचारियों ने संरक्षा कैंप तथा पुनश्चर्या पाठयक्रमों में भाग लिया था।

(8) सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर रेलपथ नवीकरण के बकाया काम को पूरा किया जा रहा है।

(9) 25 करोड़ रुपये की लागत से बिना चौकीदार वाले 500 समपारों पर चौकीदार सैन्नात किए जा रहे हैं।

(10) राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस के मार्गों के रेलपथ परिपथन के कार्यों को तेज किया गया है।

(11) चल स्टाक के सवारी और मालडिब्बों के जांच को कड़ा तथा युक्तियुक्त बनाया गया है।

आयाड़े रोड पर रेलवे स्टेशन

336. **श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिवा-वसई रेल लाइन पर डोम्बी वाली के नजदीक आयाड़े रोड पर रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिवा-वसई खण्ड पर आयाड़े रोड पर एक नया हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है किन्तु इसे परिचालनिक दृष्टि से व्यवहार्य अथवा वित्तीय रूप से न्यायोचित नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में इंटरसिटी रेलगाड़ियां

337. **श्री खेलन राम जांगडे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितनी इंटरसिटी रेलगाड़ियां चल रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी रेलगाड़ियां राज्य के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस राज्य में इन रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश दक्षिण, पूर्व-पश्चिम गाड़ियों द्वारा सेवित है तथा इनमें से कुछ गाड़ियां दिन और रात दोनों समय में मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों को जोड़ते हुए अंतरनगरीय समय सेवा उपलब्ध कराती हैं। इन गाड़ियों में शामिल हैं :

(1) जी.टी एक्सप्रेस

(2) तमिलनाडु एक्सप्रेस

(3) निजामुद्दीन-इन्दौर एक्सप्रेस

(4) मालवा एक्सप्रेस

(5) हावड़ा-बंबई मेल

(7) गोण्डवाना एक्सप्रेस

(8) ताज एक्सप्रेस

(9) नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस

(10) अमरकण्टक एक्सप्रेस

(11) महानदी एक्सप्रेस

1995-96 में भोपाल और इन्दौर के बीच अंतरनगरीय समयों पर डी.एम.यू. पुश-पुल सेवा आरंभ किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

[अनुवाद]

नडियाद-कपड़वंज मीटर लाइन का आमान परिवर्तन

338. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नडियाद-कपड़वंज मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा मोडासा तक इसका नई बड़ी लाइन के रूप में विस्तार करने के कार्य में बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बाधाओं को दूर करने तथा निर्धारित समयावधि में इसे पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). निम्न परिचालनिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की तंगी के कारण कार्य कुछ वर्षों के लिए रोक दिया गया था। बहरहाल, इसे 1994-95 में पुनः शुरू कर दिया गया है तथा इस वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस कार्य को पुनः शुरू करने के लिए प्रारम्भिक प्रबंध किए जा रहे हैं।

(ग) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए प्रगति भी की जाएगी।

शोध परियोजनाएं

339. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में विश्व विद्यालयों तथा कालेजों के स्थायी शिक्षकों द्वारा विभिन्न शिक्षा शाखाओं में शोध परियोजनाएं शुरू करने हेतु नए मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ इसके लिए योग्यता विभिन्न शिक्षा-शाखाओं संबंधी परियोजनाओं हेतु नियोजित शुल्क, अवधि आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए इस योजना हेतु कितनी राशि नियोजित की गई है और 1995-96 के लिए कितनी राशि निर्धारित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 28 अप्रैल, 1994 को हुई अपनी बैठक मे अनुमोदित वृहद एवं लघु अनुसंधान परियोजनाओं की स्कीम की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

I. वृहद अनुसंधान परियोजनायें

कोई भी स्थायी, जिसके पास पी.एच.डी. की डिग्री हो और जो वृहद अनुसंधान परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहता हो, उन्हें अपने विभाग/संस्थान के जरिए अपनी अनुसंधान परियोजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करनी चाहिए। परियोजना को प्रस्तुत करने से पहले इसकी विधिवत गठित अनुसंधान समिति, जिसमें कम से कम दो संकाय सदस्य और संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक बाहरी विषय विशेषज्ञ हो, द्वारा संवीक्षा की गई हो। वृहद अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता का अधिकतम स्तर निम्नलिखित होगा :—

(i) विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	7.00 लाख रु.
(ii) मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं	5.00 लाख रु.

संशोधित दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि शिक्षाविदों को एक अनुसंधान परियोजना पर 70 वर्ष की आयु तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए।

परियोजना 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है, जिसे किए गए कार्य की प्रगति के अनुरूप वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

II. लघु अनुसंधान परियोजना

कोई भी कॉलेज शिक्षक जो किसी लघु अनुसंधान परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अपने विभाग/कॉलेज के जरिए अनुसंधान परियोजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत करनी चाहिए और यह प्रस्ताव कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा विश्वविद्यालय, जिससे कॉलेज संबद्ध है, तथा कॉलेज शिक्षा निदेशक को भेजा जाए।

लघु अनुसंधान परियोजना के लिए सहायता का स्तर निम्नलिखित है :—

(i) विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	40,000/-
(ii) मानविकी, सामाजिक विज्ञान और भाषाएं	30,000/-

यह परियोजना 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है जिसे किए गए कार्य की प्रगति के आधार पर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार इस स्कीम के लिए 1994-95 में 5.75 करोड़ रु. और 1995-96 में 8.20 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

चीनी आयात संबंधी करार को रद्द किया जाना

340. डा. आर. मल्लू : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के निदेशक ने हाल ही में चीनी के आयात को रद्द किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीनी का आयात करने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या योजना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम के निदेशक ने दिनांक 15.10.1994 के अपने पत्र द्वारा भारतीय राज्य व्यापार निगम/खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. द्वारा किए जा रहे शेष चीनी के आयात को मुख्यतः आयातित चीनी का देर से पहुंचना, चीनी की उपलब्धता में सुधार, चालू मौसम के लिए बेहतर आसार आदि करणों के आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया था।

(ग) व (घ). खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी के आयात को अनुमत करने का निर्णय विदेशी मुद्रा की स्थिति सहित, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद किया गया है।

जिमनास्टिक को प्रोत्साहन

341. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी ओलम्पिक और एशियाई खेलों में जिमनास्टिक को उचित प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस खेल के लिए कौन-कौन सी आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं; और

(ग) सरकार ने इस खेल के प्रोत्साहन हेतु क्या-क्या सिफारिशें की हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय मानक जिम्नास्टिक हाल कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध हैं अर्थात् लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा केन्द्र, त्रिवेन्द्रम तथा ग्वालियर, तैलीचेरी केरल, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, भारतीय खेल प्राधिकरण के दिल्ली और कलकत्ता स्थित केन्द्र। भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में आयातित उपस्कर प्रदान किए गए हैं। मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, राई तथा इलाहाबाद

जिम्नास्टिक एसोसिएशन, इलाहाबाद के पास भी हाल और जिम्नास्टिक उपस्कर उपलब्ध हैं। कुछ राज्यों के पास बहु-उद्देशीय इंडोर हाल हैं जिनमें जिम्नास्टिक कोचिंग और प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं।

(ग) जिम्नास्टिक एक सहायक (मदर) खेल विधा होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं में विकसित करनी अपेक्षित है। मानक उपस्कर की सुविधाओं का सृजन भी आवश्यक होगा। समग्र मानकों के सुधार के लिए भारतीय जिम्नास्टिक संघ और इसके अभिन्न एककों द्वारा सभी स्तरों के लिए दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा और अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित करनी होगी ताकि खेल को लोकप्रिय बनाया जा सके। नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण अधिकारियों के स्तरों को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता होगी। अपेक्षाकृत विशिष्ट जिम्नास्टिक के लिए बेहतर कोचिंग और प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन आवश्यक होगा।

डेयरी क्षेत्र में पूंजी निवेश

342. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेयरी क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में अन्य देशों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु कोई समझौते किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है तथा प्रत्येक मामले में कितनी राशि का पूंजी निवेश किया जायेगा?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

आभूषणों में मिलावट

343. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 अक्तूबर, 1994 के "दैनिक जागरण" में "आभूषण व्यवसाय पर मिलावट व मुनाफाखोरी का साया; सरकार की उदार नीतियों से व्यापारियों को तो फायदा हुआ पर उपभोक्ता अभी भी लुट रहा है।" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तैयार आभूषणों की बिक्री में मुनाफाखोरी और इनमें मिलावट से आम आदमी के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने कितने मामले दर्ज किए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यदि तैयार आभूषण खरीदा गया है और वह दोषपूर्ण पाया जाता है तो असंतुष्ट उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दायर कर सकता है।

(ग) मंत्रालय यह सूचना संकलित नहीं करता है।

ओझा समिति

344. **श्री राजेंद्र अग्निहोत्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने न्यायाधीश ओझा की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पट क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) ओझा समिति की गोवा राज्य में कोंकण रेलवे के लिए विभिन्न वैकल्पिक संरेखणों की जांच करने तथा इस संबंध में सभी अभ्यावेदनों पर विचार करके अपनाए जाने के लिए सर्वोत्तम संरेखण की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है।

विवरण

(घ) समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में सिफारिश की है कि "कोंकण रेलवे का अनुमोदित संरेखण यात्री एवं माल यातायात दोनों की दृष्टि से जनता की सेवा के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा" यह कि "इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि वर्तमान संरेखण "पर्यावरण प्रभाव" के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम संरेखण है।" समिति ने आगे कहा है कि "इन सभी परिस्थितियों, लागत सुविधा तथा पर्यावरण एवं वनों की न्यूनतम क्षति को देखते हुए मौजूदा मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ तथा एक मात्र मार्ग प्रतीत होता है।"

तथापि, पर्यावरण को होने वाली क्षति को टालने की आवश्यकता पर विचार करते हुए एवं लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने के लिए, समिति ने इस योजना में कतिपय सुधारों की सिफारिश की है जो संक्षिप्त रूप से नीचे दिए गए हैं :-

(क) देवार द्वीप एवं जुआरी संपर्क पर जहां कहीं भी तटबंध 10 मीटर से अधिक ऊंचा है सेतुओं की व्यवस्था करना।

(ख) देवार द्वीप पर मिट्टी संबंधी कार्य से क्षतिग्रस्त हुए टीलों को समतल किया जाए।

(ग) चापेल के निकट पहाड़ी पर सुरंग में किसी भी क्षति को रोकने के लिए कंपन-रोधी उपाय किए जाने चाहिए।

(घ) खज़ान लैण्ड्स में जहां कहीं भी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को गुजरना होता है वहां अतिरिक्त जलमार्गों की व्यवस्था की जाए।

(ङ) जहां कहीं भी रेलपथ रिहाइशी क्षेत्रों से गुरजता है वहां बाड़/चारदीवारी की व्यवस्था की जाए। जहां विद्यालय जाने वाले शिशुओं को रेल लाइन पार करनी होती है, वहां पैदल-पुलों की व्यवस्था की जाए।

राजकोट में रेल माल डिब्बों की सप्लाई

345. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट डिवीजन में कच्छ जिले में गांधी धाम और कान्दला स्टेशनों पर आयात/निर्यात के प्रयोजनार्थ माल लादने तथा उतारने हेतु आज तक कितने रेल माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये जाने वाले माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1994-95 के दौरान (फरवरी, 1995 तक) लदान उतराई के लिए उपलब्ध कराए गए माल-डिब्बों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(माल डिब्बे चौपहिया यूनिटों में)

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
लदान	139448	124179
उतराई	62573	2388

(ख) और (ग). भारतीय रेलों पर माल डिब्बे सामान्य पुल में हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता और मांग के आधार पर सप्लाई किए जाते हैं।

कड़क तंबाकू का उत्पादन

346. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में कड़क तम्बाकू की खेती को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उच्च गुणवत्ता वाले कड़क तम्बाकू के उत्पादन हेतु नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न जोनों में कोई व्याख्यापरक परीक्षण किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले उपायों के साथ-साथ इन नए क्षेत्रों में कड़क तम्बाकू का उत्पादन कब तक आरंभ कर दिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). बर्ले तम्बाकू आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में उगायी जाती है। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने एक फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह संस्थान नई किस्मों के विकास और इसकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भी शोध-कार्य कर रहा है।

(ग) से (ङ). मध्य प्रदेश के बस्तर जिले और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम तथा काकाकुलम जिलों में अन्वेषणात्मक परीक्षण किये जा रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बर्ले तम्बाकू के उत्पादन के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उड़ीसा के रायगढ़ जिले में भी कुछ परीक्षण किये गये थे। उड़ीसा में किये गये इस अन्वेषणात्मक परीक्षणों से उत्साहवर्धक परिणाम सामने नहीं आए अतः आगे से इन परीक्षणों को बंद कर दिया गया। नये क्षेत्रों में बर्ले तम्बाकू का उत्पादन घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। इस काम को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टेर द्वारा किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की लंबित परियोजनाएं

347. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा परियोजना हेतु पर्यावरण और वन स्वीकृति संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उनके मंत्रालय के पास पयार्वरण औरर वन संबंधी स्वीकृति हेतु पश्चिम बंगाल से प्राप्त ऐसे अन्य लंबित प्रस्ताव कौन-कौन से हैं;

(घ) ये प्रस्ताव कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों को निर्धारित समय में स्वीकृत दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सुवर्णरेखा परियोजना फरवरी, 1994 में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्राप्त हुई थी, न कि वानिकी मंजूरी के लिए।

(ख) सुवर्णरेखा परियोजना को सितम्बर, 1994 में पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई थी।

(ग) व (घ). पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास निम्नलिखित दो परियोजनाएं केवल पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं :–

नाम	प्राप्ति की तारीख	लंबित रहने के कारण
1. जगदीशपुर में मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि. का 0.5 एमटीपीए इस्पात उत्पाद।	28.9.1994	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
2. सागरदिगी ताप विद्युत स्टेशन, 2×5000 मे.वा., पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	15.2.1993	संशोधित पर्यावरणीय प्रमुख मूल्यांकन की प्रतीक्षा है।

चूंकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः वानिकी मंजूरी का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मंत्रालय को पूरी सूचना भेजे जाने की तारीख से तीन मास के भीतर परियोजना प्रस्तावों पर पर्यावरण दृष्टि से निर्णय लेने के लिए विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

उपनगरीय यात्रियों के लिए नयी योजना

348. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे ने उपनगरीय यात्रियों के लिये "ट्रैवल" नाम से एक नयी योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या अन्य रेलवे जोनों के लिए भी ऐसी ही योजना लागू किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). यह योजना मध्य रेलवे प्रणाली पर भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

विवरण

पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू की गई प्रणाली में तीन किस्म की रेल यात्रा कूपन पुस्तिकाओं की बिक्री शामिल है :-

टाइप I : इसकी लागत 30 रुपये है जिसमें 1 रुपये के 10 कूपन और 2 रुपये के 10 कूपन शामिल हैं।

टाइप II : इसकी लागत 30 रुपये है जिसमें 2 रुपये के 10 कूपन और 5 रुपये के 2 कूपन शामिल है।

टाइप III : इसकी लागत 50 रुपये है जिसमें 2 रुपये के 15 कूपन और 5 रुपये के 4 कूपन शामिल हैं।

वे कूपन जो कतिपय सुरक्षा विशेषताओं सहित मुहैया किए जाते हैं, उन्हें एक वित्त वर्ष के अंत तक किसी भी समय एकल उपयोग हेतु बढ़ी हुई वैधता प्रदान की गई है। यात्री इन कूपनों की पुस्तिकाएं खरीद सकते हैं और जब कभी वे पश्चिम रेलवे उपनगरीय प्रणाली पर यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें केवल यात्रा की नियत दूरी के लिए कुल किराए के बराबर कूपन फाड़ने होते हैं और उसके बाद इन कूपनों को उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर सुविधापूर्ण स्थलों पर मुहैया की गई अनेक कूपन वैधता मशीनों में वैधता के लिए डालना होता है। ये मशीनें प्रत्येक कूपन की प्रविष्टि पर तीन प्रविष्टियां मुद्रित करती है। ये प्रविष्टियां तारीख, समय और चढ़ने वाले स्टेशन से संबंधित होती है। यात्री प्रत्येक मशीन के ऊपर प्रदर्शित किराया सारिणी में पढ़कर ही उपयोग किए जाने वाले कूपनों की राशि के बारे में निर्णय कर सकते हैं।

इसका उद्देश्य यात्रियों का बुकिंग खिड़कियों के सामने प्रतीक्षा समय में कमी करना है।

[अनुवाद]

मछली और झींगा पालन

349. **डा. विश्वनाथम कैनिथी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने और उसके विपणन में सामान्य रूप से और झींगा पालन में विशेष रूप से कोई संकट है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). यद्यपि आमतौर से मछलियों और इसके विपणन में कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं है तथापि आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय जिलों में कुछ

बीमारियों के फैलने से श्रिम्प के उत्पादन में कमी होने की जानकारी प्राप्त हुई है।

(ग) श्रिम्प से संबंधित रोगों को पुनः फैलने से रोकने के लिए विचारित कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :-

(i) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कानून बनाकर श्रिम्प पालन को विनियमित करना।

(ii) किसानों को सलाह देना कि वे फिलहाल मछली पालन बंद कर दें और 1995 के मई के अंत में या जून के प्रारंभ में श्रिम्प पालन करें।

(iii) तालाबों की तलहटी को 2-3 महीनों तक सूखा रखना।

(iv) झींगा तालाबों से व्यर्थ पदार्थ प्राकृतिक रूप से निकलने देना।

(v) जल कृषि पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंध और प्रबोधन योजना और बेकार जल के उपचार की प्रणाली तैयार करना।

देय राशियों का भुगतान न करना

350. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक आपूर्ति विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम के बीच कुछ देय राशियों का भुगतान न करने के मामले पर विवाद के कारण राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जा रही सप्लाई घटिया किस्म की पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, कुछ विवादास्पद दावे हैं जिन्हें नागरिक आपूर्ति विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार) और भारतीय खाद्य निगम के बीच अभी भी तय किया जाना है परन्तु इसका दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) और (घ). जी, नहीं। केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों वाले खाद्यान्न ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए राज्य सरकारों और उनकी प्राधिकृत एजेंसियों को जारी किए जाते हैं। राज्य सरकारों और उनकी प्राधिकृत एजेंसियों को इन वस्तुओं की वास्तविक सुपुर्दगी लेने से पहले इस स्टाक की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करने की सुविधा दी जाती है। खुदरा दुकानों पर प्रदर्शन के लिए संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से लिए गए और सील किए गए नमूने भी दिए जाते हैं। एक बार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक बाहर निकाल लेने के बाद वितरण और इस स्टाक की गुणवत्ता/मात्रा के रख-रखाव का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों का होता है।

अतिरिक्त खाद्यान्न

351. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वसूल की जाने वाली दरों से कम दरों पर निर्धन लोगों में वितरित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस खाद्यान्न को किस दर पर वितरित किया जायेगा;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार के निपटान के मामले पर राज्य सरकारों के साथ किए गये सहयोग का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के अधिशेष स्टाक से सब्सिडी प्राप्त दरों पर गरीबों लिए उपलब्ध करने हेतु घोषणा की गई योजनाओं का ब्यौरा।

योजना	जारी की जाने वाली मात्रा/दर	कैफियत
1	2	3
1. उन होस्टलों के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आपूर्ति करना जहां रहने वाले कम से कम दो तिहाई विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के हों।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल/गेहूं के निश्चित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 500 रुपये प्रति मीटरी टन कम दर पर 1.68 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष।	राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं कि इन योजनाओं का जिला स्तर पर व्यापक प्रचार करें ताकि सभी पात्र श्रेणियों को अधिकतम लाभ मुहैया किया जा सके।

1	2	3
2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों द्वारा खाद्य उत्पाद तैयार करके रोजगार सृजित करने के लिए पांच वर्षों के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आपूर्ति।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल/गेहूं के निश्चित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम दर पर प्रतिवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 लाख मीटरी टन और शहरी क्षेत्रों में 1.5 लाख मीटरी टन।	राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे इन योजनाओं का जिला स्तर पर व्यापक प्रचार करें ताकि सभी पात्र श्रेणियों को अधिकतम लाभ मुहैया किया जा सके।
3. सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों की आपूर्ति।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल/गेहूं के निश्चित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 500 रुपये प्रति मीटरी टन कम दर पर प्रतिवर्ष 3.2 मिलियन मीटरी टन।	राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के अपने आबंटन में से इस प्रयोजन के लिए खाद्यान्न लें।

[हिन्दी]

समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम

352. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्डों के चयन संबंधी वर्तमान मानदण्डों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संशोधनों के बाद इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को लाभ मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). 1994-95 के दौरान क्षेत्र प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण के कार्यान्वयन के लिए समन्वित अनाज विकास कार्यक्रमों के ऐसे प्रखंड़ों को अभिज्ञात किया गया है, जहां तुलनात्मक रूप से अनाजों के अधीन क्षेत्र कवरेज अधिक हैं तथा उत्पादकता स्तर/राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ग) और (घ). इस योजना से 25 राज्य और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी लाभान्वित हुए हैं।

[अनुवाद]

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को लाइसेंस

353. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लाइसेंस रद्द करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य किसी से आपत्तियां मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ये अनुदेश अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 26.9.1994 को निर्देश जारी किए गए थे कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली का राज्य परिवहन प्राधिकरण (परिवहन निदेशालय) तब तक कोई बस या अन्य भारी मोटर गाड़ी चाहे वह दिल्ली परिवहन निगम के स्वामित्व/नियंत्रण में हो अथवा परिवहन निदेशालय, दिल्ली के प्रभार/नियंत्रण में हो, नहीं चलाए जब तक ऐसी बसें/भारी मोटर वाहन निर्धारित उत्सर्जन मानकों के अनुकूल न हों।

(ख) निदेश के अनुप्रयोग के बारे में कुछ स्पष्टीकरणों को छोड़कर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। ये स्पष्टीकरण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को दे दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को जारी किए गए निर्देश अन्य राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते जिनके मामले में विशिष्ट निदेशों की जरूरत होगी।

[हिन्दी]

अवैध शिकार करना

354. श्री प्रेम चन्द राम : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान बिहार में वन्य जीवों के अवैध शिकार करने संबंधी घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उपरोक्त राजय में अवैध शिकार करने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). बिहार राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सिंहभूम जिले की डालमा पहाड़ियों में 2 मई, 1994 को हुए आदिवासियों द्वारा पारंपरिक शिकार को छोड़कर, जिसमें कुल 33 जंगली जानवरों का शिकार हुआ था, राज्य में गत एक वर्ष के दौरान जंगली जानवरों के बड़े पैमाने पर अवैध चौरी-छिपे शिकार की कोई घटना नहीं हुई है। इसके अलावा, ग्रामीणों द्वारा मुख्यतः अपने प्राणों तथा फसल की सुरक्षा के लिए वन्य पशुओ को मारने की यदा-कदा घटनाएं होती रहती हैं और इस प्रकार के मामलों में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम एवं अन्य संबद्ध कानूनों के तहत कार्यवाही की जाती है।

(ग) वन कार्मिकों द्वारा नियमित गश्त लगाई जाती है तथा राज्य में अवैध चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाती है तथा उनके खिलाफ मुकदमें चलाए जाते हैं। तथापि, जहां तक डालमा पहाड़ियों में आदिवासियों द्वारा शिकार का संबंध है, व्यापक प्रचार प्रसार एवं व्यक्तिगत सम्पर्क के जरिये इस पद्धति के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

355. डा. साक्षीजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन स्कूलों में कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नवोदय विद्यालयों में कुछ रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए, समिति ने पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें की हैं तथा जिन रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरा जाना है, उनके लिए विज्ञापन भी निकाले हैं। शिक्षण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए, कुछ शिक्षकों को अल्पावधि संविदा आधार पर भर्ती किया गया है। इन पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में अंशकालिक नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

आयात की गयी चीनी की बिक्री

356. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तथा इसके बाहर 1994 के दौरान तथा फरवरी, 1995 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयात की गयी चीनी का वितरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं और प्रति किलोग्राम विक्रय दर क्या है;

(ग) क्या आयातित की गयी चीनी का इससे पूर्व उचित दर दुकानों के माध्यम से खुले बाजार में 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की गयी थी;

(घ) क्या आयातित चीनी को खुले बाजार में बिक्री को उपभोक्ताओं में कोई लोकप्रियता नहीं मिली;

(ङ) क्या आयात की गयी चीनी को उचित दर-दुकानों के माध्यम से कार्ड-धारकों को की गई बिक्री जबरन एवं उनकी इच्छा के विरूद्ध थी;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार का दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ख). सितम्बर, 1994 से मार्च, 1995 तक लेवी चीनी का जो आबंटन किया गया था, वह आयातित चीनी तथा देशीय चीनी का मिश्रण था। सारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देशीय चीनी तथा आयातित दोनों प्रकार की चीनी 9.05 प्रति कि.ग्रा. के एक समान खुदरा बिक्री मूल्य पर वितरित की गई है।

(ग) द इंडियन शुगर एंड जनरल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कार्पोरेशन लि. ने दिल्ली, बम्बई आदि में उपभोक्ता बिक्री केंद्रों जैसे केंद्रीय भंडार, सुपर बाजार और निजी दुकानों के माध्यम से खुले बाजार में आयातित चीनी की बिक्री के लिए एक स्कीम इस शर्त पर चलाई है कि खुदरा बिक्री मूल्य 14.50 रुपए प्रति कि.ग्रा. से अधिक नहीं होगा।

(घ) से (च). किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से ऐसी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल अधिकारों संबंधी बैठक

357. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अधिकारों संबंधी एक उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में 1994 के अन्त में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) इसमें दिए गए सुझावों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय बाल कल्याण परिषद् द्वारा यूनिसेफ की सहायता से और महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के समर्थन से 21-23 नवम्बर, 1994 तक नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत की जानी वाली भारत सरकार की रिपोर्ट में गैर-सरकारी संगठनों का निवेश शामिल करना था। लगभग 150 विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों और भारतीय बाल कल्याण परिषद् के अधिकारियों ने परामर्श बैठक में भाग लिया।

(ग) और (घ). इस बैठक में दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषाहार, समेकित बाल देखभाल जैसे क्षेत्रों में गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच में सुधार लाना, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना; समेकन और संकेन्द्रण को सुदृढ़ करना और वंचित बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करना, सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना, महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाना, वर्तमान स्थिति में आधारभूत और सतत् परिवर्तन के आधार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कानूनों को सुदृढ़ बनाना और प्रवर्तन के लिए तंत्र को सक्रिय बनाना, स्थानीय सरकारों को क्रियाशील बनाना, नवीन कार्यों और सामुदायिक सहभागिता का संवर्धन करना, सिविल सोसाइटी और जन प्रतिनिधियों को सजग बनाने और प्रेरित करने की आवश्यकता इत्यादि शामिल है। सरकार ने ये सुझाव और सिफारिशें नोट कर ली हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही अनेक स्कीमों और कार्यक्रमों के साथ-साथ, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम एक प्रमुख प्रयास है, जिसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए सेवाओं का समेकन और संकेन्द्रण करना तथा अपेक्षित स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी सेवाएं प्रदान करके वंचित वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करना है। यह कार्यक्रम मूल रूप से ग्राम आधारित है, इसमें स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शैक्षिक संस्थाओं और विशेषज्ञों की सहायता और सहभागिता प्राप्त की जाती है और इस कार्यक्रम में सेवाओं के संकेन्द्रण के लिए अन्तर्निहित गुंजाइश भी है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अधिकांश जनसंख्या वंचित वर्गों से है। संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जहां संभव है, विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं।

गुजरात के ऐतिहासिक स्थल

358. श्री एन.जे. राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1995 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अन्तर्गत गुजरात में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में पड़ने वाले प्राचीन किलों तथा ऐतिहासिक स्थलों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक इन किलों तथा ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, पुनरूद्धार तथा रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन स्थानों पर प्रवेश शुल्क के रूप में कितनी राशि एकत्रित हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात में केन्द्रीय संरक्षित कुल 203 स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष हैं जिनमें से तीन जनजातीय क्षेत्रों में है।

(ख) इन तीनों स्मारकों के परिरक्षण, पुनरूद्धार तथा रखरखाव पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) इन स्मारकों पर कोई प्रवेश-शुल्क नहीं लगाया गया है।

विवरण

जनजातीय क्षेत्र, गुजरात में ऐतिहासिक स्थानों पर पिछले तीन वर्षों अर्थात 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा।

क्र. सं.	स्मारक का नाम	ग्राम	तालुका	जिला	किया गया व्यय			
					1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (6-3-95 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	6-ए	6-बी	6-सी
1.	महादेव का पुराना ध्वस्त मंदिर	बावका	दहोड़	पंचमहल	6,859	4,203	8,072	1,50,000
2.	फतेह बुर्ज	व्यारा	सोनगढ़	सूरत	3,039	1,858	3,752	2,854
3.	प्राचीन स्थल	कामरेज	कामरेज	सूरत	—	—	—	—

"नागार्जुन सागर बांध"

359. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने नागार्जुन सागर बांध के अनुप्रवाह में "टेल पॉड" बांध बिजली घर के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा नागार्जुन सागर परियोजना की अधोगामी धारा पर 21.06 कि.मी. नीचे एक टेल पौण्ड बांध के निर्माण वाली 30 मेगावाट पम्प भण्डारण स्कीम दिसम्बर, 1987 में प्राप्त हुई थी और उसे उसी माह के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। 50 मेगावाट की संस्थापित क्षमता सहित एक संशोधित प्रस्ताव बाद में मार्च 1991 में प्राप्त हुआ जिसमें बाघ घाटी में वन भूमि का डूब क्षेत्र शामिल था। तथापि, अपेक्षित वन भूमि के अंतरण के लिए वन (परिरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस स्कीम पर कोई निर्ण क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्ताव की प्रगति के पश्चात ही संभव होगा।

कृषि को संवर्ती सूची में सम्मिलित करना

360. **श्री अकुंशराव टोपे :**
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री पी. सी. चाको :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को संवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सूची में राज्य सूची के किन-किन विषयों को सम्मिलित किया जाएगा तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों और कृषि में विशेषज्ञों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि समस्त देश को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि नीति का निर्बाधित कार्यान्वयन है, सभी संबंधितों के परामर्श से कृषि को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली-पलवल मार्ग पर लोकल रेलगाड़ियां चलाना

361. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-पलवल मार्ग पर दैनिक यात्रियों की संख्या में दिनों-दिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर लोकल रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). कुछ समय से दिल्ली-पलवल मार्ग पर दैनिक यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। दिल्ली-पलवल सहित विभिन्न खण्डों पर अतिरिक्त गाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है बशर्ते कि यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता हो।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों पर आयात शुल्क

362. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती करने तथा इसके घरेलू मूल्यों में वृद्धि को रोकने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष 65 प्रतिशत शुल्क के साथ खाद्य तेलों के अप्रतिबंधित आयात की अनुमति दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यापारी आयात शुल्क को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य व्यापार निगम द्वारा देय आयात शुल्क के समान करने की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या व्यापारियों को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राज्य व्यापार निगम के समान रियायती दर पर आयात करने की अनुमति देने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने तथा खुले बाजार में कीमतों को संतुलित करने के लिए 1.3.1995 से चुनिंदा खाद्य तेलों का खुले सामान्य लाइसेंस के तहत 30 प्रतिशत शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) केवल खाद्य वनस्पति पामोलीन तेल को 20.4.1994 से 65 प्रतिशत शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया था।

(ग) निजी व्यापारियों द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राज्य व्यापार निगम के अनुरूप करने की मांग की गई थी ताकि अधिक आयात किया जा सके तथा कीमतों को कम किया जा सके।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा भिन्न दृष्टि से आयात किया जाता है। खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात के संबंध में शुल्क को पहले ही काफी कम, अर्थात 30 प्रतिशत कर दिया गया है। उक्त शुल्क को राज्य व्यापार निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए अनुमत 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क के अनुरूप लाने हेतु उसमें और कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजधानी एक्सप्रेस को पालघाट जंक्शन पर रोकना

363. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**
श्री वी.एस. विजयराघवन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हजरत निजामुद्दीन-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस को पालघाट जंक्शन पर रोकने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) अति शीघ्र।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रंथालय

364. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों में क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं के सचल ग्रंथालयों की स्थापना करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन ग्रंथालयों की स्थापना किन-किन राज्यों में की जायेगी; और

(ग) सभी ग्रामीण क्षेत्रों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). जी नहीं, महोदय। चूंकि 'विद्यालय एवं ग्रामीण ग्रंथालय' नामक एक योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत विद्यमान विद्यालय की इमारत में ही एक ग्रंथालय चलाया जाएगा जिसमें एक अंशकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत नवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश भर में प्रत्येक पंचायत में कम से कम ऐसा एक ग्रंथालय गठित करने का विचार है।

खाद्यान्नों का निर्यात

365. **श्री गुरुदास कामत : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में चावल और गेहूं के निर्यात संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनका कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा और इन खाद्यान्नों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाएगा;

(ग) क्या यह सच है कि उचित दर की दुकानों की चावल और गेहूं की समुचित मात्रा में आपूर्ति समय से नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक की स्थिति अच्छी होने की दृष्टि से सरकार ने खुले बाजार से निर्यात करने के लिए जारी की गई 5 लाख मीटरी टन की सीमा के अंदर 1994-95 के दौरान अपने स्टॉक से गैर-डुरुम गेहूं निर्यात करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया है। तथापि 1994-95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम सीधे गेहूं की कोई मात्रा निर्यात करने में सक्षम नहीं हुआ है। भारतीय खाद्य निगम को निर्यात के प्रयोजन के लिए खुले बाजार के बिक्री मूल्य पर राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को 3 लाख मीटरी टन गेहूं बेचने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। भारतीय खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम की इकनामिक लागत पर माननीय नेपाल सरकार को 30,000 मीटरी टन उत्तम चावल निर्यात करने के लिए भी प्राधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त, बंगला देश को निर्यात करने के लिए खुले बाजार के बिक्री मूल्य पर राज्य व्यापार निगम को 75,000 मीटरी टन चावल बेचने के लिए भी भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया गया है। 1995-96 के दौरान भी निर्यात जारी रखने का प्रस्ताव है। खाद्यानें की मात्रा और देश, जिसे खाद्यान्न निर्यात करने की संभावना है, मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों आदि पर निर्भर करेंगे।

(ग) केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मांग प्राप्त होने पर केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संगत मांगों, मौसमी उपलब्धता, उठान की प्रवृत्ति और अन्य संबंधित घटकों के संबंध में उन्हें माह दर माह आधार पर केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करती है। सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के लिए आवंटित खाद्यान्नों का आंतरिक वितरण करने का मामला राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में है। अधिकतर मामलों में 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों का वास्तविक उठान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आवंटित मात्रा से कम हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी आयातकों को लाभ

366. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के शुल्क मुक्त आयात के फलस्वरूप निर्यातकों को कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या इन निर्यातकों को आयातित चीनी उचित लाभ पर जनता को बेचनी पड़ी;

(ग) यदि हां, तो इसके आयात का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था और किस मूल्य पर इसे जनता को बेचा गया; और

(घ) इस आयात के कारण विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई?

खाद्य मंत्री (श्री. अजित सिंह) : (क) से (घ). चीनी की मांग और आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने और उचित मूल्यों पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। निजी आयातकों ने श्रेष्ठ व्यापारिक निर्णय के अनुसार चीनी का आयात किया है और वे खुद ही खुले रूप से बाजार में इसकी बिक्री का प्रबंध कर रहे हैं। खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किए जा रहे चीनी आयात के संबंध में आयातक चीनी की मात्रा, दर, आयात किए जाने वाले मूल देश का नाम और उनके विक्रय मूल्य आदि से संबंधित विवरण सरकार को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. ने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 9.05 रु. प्रति किलो की समान दर पर लगभग 387 यू एस डॉलर प्रति मी. टन के औसत सी एंड एफ मूल्य पर चीनी आयात की है।

चीनी मिलों को सहायता

367. श्री हरिन पाठक : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कम क्षमता वाली चीनी मिलों की मौजूदा क्षमता बढ़ाने और इनका आधुनिकीकरण करने हेतु गुजरात सरकार से वर्ष 1993-94 के दौरान तथा आज तक वित्तीय सहायता मंजूर करने संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) गुजरात में कम क्षमता वाले किसी चीनी उपक्रम का विस्तार/आधुनिकीकरण करने के संबंध में 1993-94 के दौरान और उसके बाद अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। गुजरात में किसी चीनी उपक्रम का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के संबंध में और कोई प्रस्ताव चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर करने के लिए खाद्य मंत्रालय के पास लंबित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

अवपथन संबंधी जांच

368. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर के येलांहका में उद्यान एक्सप्रेस के पटरी से उतरने संबंधी जांच के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा भारतीय रेल अधिनियम 1989 के उपबंधों के अंतर्गत रेल सुरक्षा आयुक्त के संवैधानिक प्राधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसकी घोर निन्दा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों के अनुसार "स्वयं के अपराधों पर रेलवे को स्वयं ही निर्णय का अधिकार देना" नैसर्गिक न्याय के हित में नहीं है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने यह मांग भी की है कि इस संबंध में जांच उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार विशेषज्ञों के सुझावों से सहमत है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ). जी, नहीं। केवल 10.01.95 को एक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट में बेंगलूरु के एक वकील के विचार को छोड़कर रेल मंत्रालय द्वारा किसी ओर से अथवा रेल परिचालन के किसी विशेषज्ञ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्रेस रिपोर्ट में रेल सुरक्षा आयुक्त की संवैधानिक स्थिति के बारे में अनेक भ्रांतियां थीं, जोकि रेल मंत्रालय से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं तथा नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होते हैं। यह स्थिति बाद में उसी समाचार-पत्र में आम जनता के लाभ के लिए स्पष्ट की गई है। चूंकि वह प्रेस रिपोर्ट अशुद्धियों पर आधारित थी, अतः कोई अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

गोदामों की स्थापना

369. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भाण्डागार निगम के स्वामित्व में किराये पर राज्यवार कितने गोदाम हैं;

(ख) सभी राज्यों में कुल भण्डारण क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या 1995 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध भण्डारण क्षमता से अधिक खाद्यान्न खरीदे जाने की संभावना है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हुआ;

(ङ) भारतीय खाद्य निगम को इस कारण कितनी हानि हुई है;

(च) सरकार द्वारा राज्यवार विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक गोदाम बनाने/किराये पर लेने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) ये गोदाम भारतीय खाद्य निगम को कब तक उपलब्ध हो जाएंगे?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भण्डारण निगम और निजी गोदाम के मालिकों से किराये पर लिए गए गोदामों सहित भारतीय खाद्य निगम के अपने/किराये पर लिए गए गोदामों की कुल संख्या 1891 है। केन्द्रीय भण्डारण निगम के अपने/किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या 451 है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दिसम्बर, 1993 से दिसम्बर, 1994 के बीच की अवधि में केन्द्रीय भंडारण निगम और भारतीय खाद्य निगम की कुल भंडारण क्षमता में क्रमशः 4.10 लाख मीटरी टन और 34.31 लाख मीटरी टन की वृद्धि हुई है।

(ग) जी, नहीं। मैक्रो स्तर पर भण्डारण क्षमता 1995 के दौरान खाद्यान्नों की संभावित वसूली को रखने के लिए पर्याप्त समझी गई है। तथापि, मैक्रो स्तर पर भण्डारण की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है कि वे जहां आवश्यक हो वहां अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लें।

(घ) और (ङ). पिछले वर्षों के दौरान इस कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाई गई क्षति और हानि की मात्रा नीचे दी गई है :-

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)	राशि (रुपयों में)
1992-93	10,307.609	*शून्य
1993-94	11,338.279	7,28,98,511.40

* क्षतिग्रस्त अनाज की बिक्री से प्राप्तियां इस अनाज के खाता मूल्य से अधिक थी इसलिए इस कारण से भारतीय खाद्य निगम को हानियां नहीं हुई।

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डरण निगम और भारतीय खाद्य निगम का क्रमशः 2.06 लाख मीटरी टन और 3 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है जिसमें जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों में निर्माण की जाने वाली एक लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है। पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा गोदामों का निर्माण करना इन क्षेत्रों में प्रसर्ग होने वाली सही मांग पर निर्भर करेगा बशर्ते उन क्षेत्रों में कारोबार की संभावना उपलब्ध हो। भारतीय खाद्य निगम द्वारा सृजित की गई क्षमता का उपयोग खाद्यान्नों के लिए किया जाता है जबकि केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा सृजित की गई क्षमता आंशिक रूप से खाद्यान्नों के लिए है और आंशिक रूप से अन्य वस्तुओं के लिए है। दीर्घकालिक नीति के रूप में भण्डारण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

(1) चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है;

(2) भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता में इसके गोदामों के परिसर में उपलब्ध भूमि की सीमा तक वृद्धि की जा रही है;

(3) विशाल कैप काम्प्लेक्स बनाने के लिए परित्यक्त हवाई पट्टियों को किराये पर लेने के लिए राष्ट्रीय हवाई पत्तन और रक्षा प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क किया जा रहा है; और

(4) खुले भण्डारण के लिए प्लिंथ और ढके हुए गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी पार्टियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(छ) यह अनुमान लगाया गया है कि अपनाई गई उपर्युक्त इस दीर्घ कालिक नीति के परिणामस्वरूप मार्च, 1996 तक भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 2 से 3 मिलियन मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो जाएगी।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्माण किए गए/किराए पर लिए गए राज्यवार/संघ शासित प्रदेशवार गोदामों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा निर्माण किए गए/ किराए पर लिए गए गोदाम	भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण किए गए/ किराए पर लिए गए गोदाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	54	155
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	03

1	2	3	4
3.	असम	05	41
4.	बिहार	17	59
5.	गोवा	02	01
6.	गुजरात	27	55
7.	हरियाणा	16	134
8.	हिमाचल प्रदेश	02	17
9.	जम्मू और कश्मीर	—	16
10.	कर्नाटक	21	40
11.	केरल	05	32
12.	मध्य प्रदेश	40	156
13.	महाराष्ट्र	61	73
14.	मणिपुर	01	03
15.	मेघालय	06	06
16.	मिजोरम	01	04
17.	नागालैंड	01	05
18.	उड़ीसा	10	48
19.	पंजाब	30	487
20.	राजस्थान	14	108
21.	सिक्किम	—	03
22.	तमिलनाडु	27	31
23.	त्रिपुरा	02	07
24.	उत्तर प्रदेश	51	294
25.	पश्चिम बंगाल	47	83
26.	चंडीगढ़	01	17
27.	दिल्ली	14	10
28.	पांडिचेरी	01	03
	जोड़	451	1891 *

* इसमें केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिए गए गोदाम शामिल हैं।

केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

370. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रिंटिंग प्रेस परिसर, कोराट्टी, केरल में केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार कोराट्टी, केरल में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फलों और सब्जियों की बिक्री

371. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मदर डेयरी के विक्रय केन्द्रों से बेची जाने वाली फल तथा सब्जियां सामान्यतया खुले बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की तुलनात्मक दृष्टि से पुरानी, घटिया किस्म की तथा मंहगी होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन विक्रय केन्द्रों से बेचे जाने वाले फल और सब्जियों की किस्म में सुधार लाने तथा खुले बाजार से कम मूल्य न होने पर भी इन्हें मूल्यों पर बेचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में फल और सब्जी के बिक्री केन्द्रों का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाना तथा इन्हें उचित मूल्य पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना है।

महाराष्ट्र में रेलवे परियोजनाएं

372. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण तथा रेलवे लाइन के दोहरीकरण से संबंधित परियोजनाओं सहित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कब तक ये परियोजनाएं पूरी हो जायेंगी; और

(ग) महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों को रेल से जोड़ने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). महाराष्ट्र में इस समय नई लाइनें आमान परिवर्तन दोहरीकरण तथा रेल लाइनों के विद्युतीकरण से संबंधित उन चालू परियोजनाओं, जिन

पर कार्य प्रगति पर है तथा उनके पूरा होने की लक्ष्य तिथि इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी.)	पूरा होने की लक्ष्य तिथि
I. **नई लाइनें**		
(i) पनवेल--करजत (भूमि अधिग्रहण)	28.5	31.12.1995
(ii) अमरावती-नरखेड़	138.0	भूमि अधिग्रहण का काम प्रगति पर है जब भी राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाएगा तो वास्तविक निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
II. **आमान परिवर्तन**		
(i) मिरज-लातूर	359.0	योजना आयोग की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हुई है। इस कार्य को शुरू करने से संबंधित प्रारंभिक कार्य अभी हाथ में है।
(ii) **परभनी-मुदखेड़-आदिलाबाद**	248.0	
(क) परभनी-पूर्णा		पूरा हो गया है।
(ख) पूर्णा-नांदेड़		1994-95
(ग) नांदेड-मुदखेड़		1995-96
(घ) मुदखेड़-आदिलाबाद		1996-97
(iii) **गोंदिया-चंदाफोर्ट**		242.0
(क) गोंदिया-वडसा		पूरा हो गया है।
(ख) वडसा-चंदाफोर्ट		1996-97
(iv) **शोलापुर-गदग**	300.0	योजना आयोग की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हुई है। इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे है।
III. **दोहरीकरण**		
कोई नहीं		
(IV) **विद्युतीकरण**		
(i) मानिक गढ़-गढ़चांदूर विजयवाड़ा-बल्हारशाह की शाखा लाइन	29.0	मार्च, 1995
(ii) माजरी-राजूर (वर्धा-बल्हारशाह की शाखा लाइन)	21.0	मार्च, 1995

(ग) रेलवे ने महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की समग्र विकासात्मक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, योजना आयोग के परामर्श से विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं। उनमें से कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं :-

(i) अमरावती-नरखेड़ नई रेल लाइन।

(ii) पूर्णा-नांदेड-मुडखेड़-आदिलाबाद, गोंदिया चंदाफोर्ट-मिरज-लातूर और शोलापुर गदग खंड।

(iii) मानिकगढ़-गढचांदूर खंड का विद्युतीकरण।

उद्यान एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

373. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री पी. कुमारासामी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंबई से बंगलौर जाने वाली उद्यान एक्सप्रेस के 31 दिसम्बर, 1994 को बंगलौर के पास रेल पटरी से उतरने की घटना की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) यदि हां, तो इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितनी जानें गई और कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(घ) पीड़ितों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय के तत्वाधान में रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिणी सर्किल द्वारा एक सांविधिक जांच की गई है। रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट, जिसमें निष्कर्ष दिए गए हैं, अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप 8 व्यक्ति मरे, 21 को भारी चोटें आईं तथा 27 को मामूली चोटें आईं।

(घ) मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था रेल दावा अधिकरण, बेंगलूरू का निर्णय और डिकरी प्राप्त होने पर की जाएगी। बहरहाल, मारे गए व्यक्तियों के परिवारों और घायल यात्रियों को 1,00,250/-रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

(ङ) रेल संरक्षा आयुक्त के निष्कर्षों के आधार पर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध मौजूदा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

पशु पालन और डेयरी विकास

374. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशु पालन और डेयरी विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा 1994-95 में दी गई विदेशी सहायता का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक हुई प्रगति का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त सहायता राशि में से व्यय की गई राशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गई है जो पशु पालन एवं डेयरी क्षेत्र/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, तथा इसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

तम्बाकू अनुसंधान संस्थान

375. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने तम्बाकू की खेती के लिए किन्हीं महत्वपूर्ण कृषि-तकनीकों का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन तकनीकों को तम्बाकू कृषकों को उपलब्ध करा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तम्बाकू कृषकों में इन नयी तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने जैविक तथा अजैविक दबावों के लिए अन्तर्निहित प्रतिरोधिता वाली उन्नत स्थानिक विशिष्ट फ्लू रोग मुक्त किस्में (हेमा, गौतमी, वी टी-1158, सी एम-12, भव्य, स्वर्ण) स्थूल तम्बाकू (बैंकेट-ए 1), चबाने वाली तम्बाकू की किस्म (मीनाक्षी, पूसा तम्बाकू-76, वैशाली विशेष), नाटू तम्बाकू (नाटू विशेष) विकसित की हैं। इसके अलावा प्रमुख कीटों के प्रबन्ध के लिए फाइटो-रसायनों तथा जैव नियंत्रण एजेन्टों के उपयोग को अनुकूल बनाया गया है। किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शुद्ध बीज के उत्पादन के अलावा एफ वी सी तम्बाकू के उपचार में ऊर्जा बचत उपायों का विकास किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) तम्बाकू बोर्ड, तम्बाकू विकास परिषद, तम्बाकू कंपनियों जिनमें अनुसंधान तथा विकास प्रभाग हैं, भारतीय तम्बाकू विकास संघ, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से खेतों पर प्रदर्शन-परिरक्षणों आदि के द्वारा इन प्रौद्योगिकियों को तम्बाकू उगाने वाले किसानों तक पहुंचाया गया है।

उचित दर दुकानों में वस्तुओं की अनुपलब्धता

376. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :
श्री शिव शरण वर्मा :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूरे देश में राशन की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई किये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) सरकार ने संशोधन राशनिंग प्रणाली में उत्पन्न हुई खराबी को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या राशन सामग्री के मूल्य में वृद्धि से खुले बाजार में वस्तुओं के भाव बहुत बढ़ गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो मूल्यों में यथास्थिति बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या उचित दर दुकानें आयात की गई चीनी को लेना नहीं चाहती हैं;

(छ) क्या लाखों टन चीनी के आयात के बावजूद दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में उचित दर दुकानों पर चीनी उपलब्ध नहीं थी;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और गत छः महीनों के दौरान चीनी की राज्य-वार कितनी कमी का अनुमान है;

(झ) क्या उचित दर दुकानों को फरवरी तथा मार्च माह के लिए चीनी के स्टाक की सप्लाई कर दी गयी है;

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ट) सरकार ने चीनी, खाद्य तेलों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की मांग का पूरा करने तथा उचित दर दुकानों को उपयुक्त दर तथा समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) और (ट). केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली छः मुख्य आवश्यक वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर इन वस्तुओं के वितरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली स संबंधित शिकायतों/सुझावों का निपटान इन शिकायतों के कारगर तथा शीघ्र प्रतितोष के लिए जिला/स्थानीय स्तरों पर किया जाता है। ऐसे ब्यौरे केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 57.23 लाख मी.टन गेहूं, 37.48 लाख मी.टन चावल, 71.06 लाख मी.टन मिट्टी के तेल और 42.99 लाख मी.टन चीनी का वितरण किए जाने की सूचना है। केंद्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इन वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सलाह देती रही है कि वे मूल्य की स्थिति पर कड़ी नजर रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि जनता को, विशेषकर कमी वाले मौसम में, आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति होती रहे।

(च) से (ञ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय खाद्य निगम और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के बीच समन्वय की समस्याओं के कारण दिसम्बर, 1994 और जनवरी, 1995 के दौरान अनेक उचित दर दुकानों को चीनी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा सकी। दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिकों की मार्जिन आदि में संशोधन की मांग के कारण आयातित चीनी स्वीकार करने में दिखाई गई अनिच्छा भी दिल्ली की उचित दर दुकानों में चीनी की अपर्याप्त आपूर्ति का एक कारण बताई जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिए मार्च, 1995 से भारतीय खाद्य निगम से लेवी चीनी के वितरण का कार्य अपने हाथ में ले लेने का निर्णय किया है।

रेलवे स्टेशनों पर विकास परियोजनाएं

377. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के दौरान शोशनूर और मंगलौर रेलवे स्टेशनों के बीच कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं और 1995-96 के दौरान ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू किए जाने का विचार है; और

(ख) इस सेक्टर के किन-किन रेलवे स्टेशनों ने सबसे अधिक राजस्व कमाया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेलवे स्टेशनों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इसे जहां कहीं यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित होता है, धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, 1994 के दौरान शोरूण्णूर और मंगलोर के बीच रेलवे स्टेशनों पर निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए थे। 1995-96 के दौरान भी यातायात की आवश्यकता के अनुसार

स्टेशनों पर ऐसे कार्य किए जाएंगे, जो धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा :—

(लाख रुपयों में)

स्टेशन	कार्य	लागत
मंगलोर	अतिरिक्त प्लेटफार्म की व्यवस्था	7.50
	यात्रियों के लिए डारमिटरी की व्यवस्था	2.00
मंगलोर कालीकट	इलेक्ट्रानिक प्रदर्श प्रणाली की व्यवस्था	8.00
कासरगोड कान्हागढ़ पय्यनूर	प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था	6.60
कान्हागढ़	प्लेटफार्म सं. 1 पर सायबान का विस्तार	6.36
पय्यनूर	प्लेटफार्म सं. 2 पर सायबान का विस्तार	3.08
	प्लेटफार्म सं. 1 को ऊंचा करना	2.35
कण्णनोर	दत्त प्रतीक्षालय की व्यवस्था	9.85
	द्वीप प्लेटफार्म पर सायबान का विस्तार	9.26
	अतिरिक्त विश्राम कक्ष की व्यवस्था	6.00
तेल्लिचेरी	प्लेटफार्म सं. 2 पर सायबान का विस्तार	6.89
माहे	प्लेटफार्म सं. 1 पर सायबान की व्यवस्था	5.65
कुइलाण्डि	प्लेटफार्म सं. 2 को ऊंचा करना	5.83
	प्लेटफार्म सं. 2 का विस्तार	3.72
कालीकट	परिचलन क्षेत्र का सुधार	4.00
	प्लेटफार्म सं. 1 को चौड़ा करना	4.00
कालीकट कण्णनोर	अल्पाहार कक्षों की रसोई का सुधार	2.50
परपनगड़ी	प्लेटफार्म सं. 2 की व्यवस्था	6.80
तिरूर	ऊपरि पैदल पुल की व्यवस्था	12.35
कुट्टिपुरम पटटाम्बी कान्हागढ़	प्लेटफार्म पर कंक्रीट का फर्श बिछाना	5.74
शोरूण्णूर	प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर सायबान का विस्तार	9.64

(ख) मंगलोर

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

378. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में चालू की गई पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या वितरण ग्राम पंचायतों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में वितरण के लिए नियत खाद्यान्न, विशेष रूप से राजसहायतायुक्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी करती है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य केंद्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति क्विंटल 50 रुपये कम होते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में खाद्यान्नों का अंतिम खुदरा मूल्य, केन्द्रीय निर्गम मूल्य से प्रति क्विंटल 25 रुपये से अधिक नहीं होने चाहिये। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को हर महीने खाद्यान्नों की 20 कि.ग्राम मात्रा प्राप्त हो। केन्द्रीय सरकार, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण करने तथा वैगनें खरीदने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित वस्तुओं के वितरण की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। यह निर्णय करना उनका कार्य है कि क्या ग्राम पंचायतों को वितरण का कार्य सौंपा जाए।

उत्तम किस्म के बीजों की उपलब्धता

379. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को विभिन्न फसलों के लिए उन्नत किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बेहतर किस्म के बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और उन्हें किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). वर्ष 1993-94 और 1994-95 में क्रमशः 67.79 लाख क्विंटल और 69.47 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में क्वालिटी बीजों की समग्र उपलब्धता क्रमशः 71.69 और 80.00 लाख क्विंटल थी।

(ग) क्वालिटी बीजों के उत्पादन तथा किसानों को इसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए एक सुस्थापित अवसंरचना है। इस अवसंरचना में निजी क्षेत्र के संगठनों के अलावा राष्ट्रीय बीज संगठन, राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम शामिल हैं।

भारत सरकार ने सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों, दोनों में अवसंरचना, उत्पादन क्षमता, बीज क्वालिटी नियंत्रण सुविधाओं में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय बीज परियोजना शुरू की है। विभिन्न केन्द्रीय फसल विकास योजनाओं के अधीन क्वालिटी बीज के उत्पादन और वितरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस पार्सल गाड़ियां

380. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्री पी.सी. चाको :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई एक्सप्रेस पार्सल गाड़ियों के द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर बुक किए हुए माल को उसके गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए कोई वजन-सीमा तथा लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका माल-भाड़ा/किराया कितना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). बाड़ी बंदर से शालीमार, और मुंबई और दिल्ली तथा अमलसाड़ और नया आजादपुर के बीच पार्सल गाड़ियां नयी-नयी चलाई गई हैं। कोई भार सीमा नहीं रखी गई है। पार्सल यानों की ढुलाई क्षमता के अनुसार पार्सलों का लदान किया जाता है। माल भाड़ा/किराए पार्सल/नश्य मदों पर लागू सामान्य पार्सल दरों के अनुसार ही प्रभारित किए जाते हैं। अमलसाड़ से नया आजादपुर तक चलने वाली गाड़ी में केवल नश्य मद तथा चीकू की ढुलाई की जाती है। अब तक बाड़ी बंदर से शालीमार को 8 पार्सल गाड़ियां, बंबई से दिल्ली को 6 तथा अमलसाड़ से नया आजादपुर को 10 गाड़ियां भेजी गई हैं। इसमें कोई प्रत्याभूत समय नहीं है तथा कोई विशेष प्रभार नहीं लगाए गए।

गुजरात में रेल यात्री डिब्बा कारखाना

381. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में, विशेषरूप से जनजातीय क्षेत्रों में रेल यात्री डिब्बा कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). देश में सवारी डिब्बा निर्माण की क्षमता भारतीय रेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

मादा शिशुओं की हत्याएं

382. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ चुने हुए राज्यों में मादा शिशुओं की हत्याओं के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इन राज्यों में सर्वेक्षण के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मादा शिशुओं की हत्याओं को रोकने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (ग). जी, हां। बालिका शिशु हत्या के संबंध में एक सर्वेक्षण आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश के 9 चुने हुए राज्यों में प्रायोजित किया गया है। तमिलनाडु और गुजरात राज्यों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। शेष राज्यों में अध्ययन कार्य जारी है।

(घ) महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए सरकार द्वारा देश में कार्रवाई और समर्थन के विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। बालिका की सकारात्मक छवि प्रक्षेपित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि उनके प्रति समाज के रवैये में बदलाव लाया जा सके। सरकार ने बालिका के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता विकसित करने के लिए एक प्रचार अभियान भी शुरू किया है। बालिकाओं की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दक्षेस बालिका दशक (1991-2000 ई.) के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की गई है। किशोर बालिकाओं के लिए विशेष उपायों को समेकित बाल विकास सेवा के ढांचे के माध्यम से संस्थानीकृत किया गया है।

कोंकण तटीय रेलवे

383. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक रेल सेवा (आर. आई.टी.ई.एस.), नई दिल्ली ने कोंकण तटीय रेलवे के संबंध में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) दसगांव और रत्नागिरी के मध्य संरेखण निर्धारित करने तथा पुलों, सुरंगों तथा स्टेशनों आदि के स्थान निर्धारण के लिए सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) इस संरेक्षण पर लाइन का निर्माण किया जा रहा है।

पूयमकुट्टी पन-बिजली परियोजना

384. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पूयमकुट्टी परियोजना को पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कुल कितने हेक्टेयर वन भूमि नष्ट होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). केरल मे पूयमकुट्टी जल-विद्युत परियोजना को मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी 3.6.1985 को प्रदान की गई थी। तथापि, पूयमकुट्टी जल-विद्युत परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को उपयोग में लाने के बारे में केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव को गुणदोष के आधार पर 31.1.1991 को नामंजूर किया गया था। बाद में, प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के राज्य सरकार के अनुरोध पर परियोजना स्थल का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। राज्य सरकार से कतिपय ब्यौरे और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया गया था। ये प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(घ) केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पूयमकुट्टी जल-विद्युत परियोजना के प्रस्ताव में 3001.8 हेक्टेयर वन भूमि का वनेतर इस्तेमाल शामिल है।

गेहूं और चावल का व्यापार

386. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष खाद्यान्नों के भण्डार की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यों को गेहूं और चावल का व्यापार लाइसेंस मुक्त करने और इनकी भण्डारण सीमा को उदार बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने 31 अक्तूबर, 1994 को राज्यों से फिर ये अपनी सिफारिशें दोहराई हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों ने किस हद तक इन सिफारिशों को स्वीकार किया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, मेघालय, कर्नाटक, नागालैंड, मिजोरम तथा दमन और दीव की राज्य सरकारों ने गेहूं के व्यापार को लाइसेंसमुक्त करने के लिए कार्रवाई की है। गुजरात, केरल, सिक्किम, लक्षद्वीप और पांडिचेरी की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि इन राज्यों में गेहूं का व्यापार लाइसेंस के अधीन नहीं है। उड़ीसा और पंजाब वर्तमान स्थानीय परिस्थितियों के कारण गेहूं को लाइसेंसमुक्त करने के पक्ष में नहीं है।

जहां तक स्टाक रखने का संबंध है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम, मणिपुर, मिजोरम, और दिल्ली की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने स्टाक रखने की सीमाएं समाप्त कर दी हैं। उड़ीसा, गुजरात, हरियाण, केरल, पंजाब और संघशासित प्रदेश चण्डीगढ़ में गेहूं और चावल का स्टाक रखने के संबंध में कोई सीमा नहीं है।

स्टाक रखने की सीमा और गेहूं के लाइसेंस, दोनों के संबंध में अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनुस्मारक भेजे गए हैं।

सफेद चीनी के लिए निविदा

387. श्री गुरुदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सफेद चीनी के लिए प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने सफेद चीनी खरीदने के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की है। तथापि, एस.टी.सी./एम.एम.टी.सी. ने लगभग 3.63 लाख टन आयातित चीनी खरीदने के लिए आगे अनुबंध किया है।

(ग) और (घ). सफेद चीनी का औसत लंदन दैनिक मूल्य जनवरी, 1995 में 413.44 प्रति मीट्रिक टन के औसत से फरवरी, 1995 में 400.48 प्रति मीट्रिक टन के औसत की गिरावट आई है।

[हिन्दी]

पैलेस ऑन व्हील्स

389. **श्री प्रेम चन्द राम :**
श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और राजस्थान के बीच चलने वाली "पैलेस ऑन व्हील्स" रेलगाड़ी को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेलगाड़ी को पुनः चलाने का है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग). "पैलेस ऑन व्हील्स" के मार्ग का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन हो जाने के कारण, मीटर लाइन की "पैलेस ऑन व्हील्स" पर्यटक गाड़ी को, चालू पर्यटक सीजन के दौरान, 1.2.95 से केवल तीन महीने के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसका, 1.9.95 से एक नई बड़ी लाइन की "पैलेस ऑन व्हील्स" पर्यटक गाड़ी से बदल दिया जाएगा।

[अनुवाद]

गुजरात में बाढ़ के कारण हानि

390. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में इस वर्ष सितम्बर में पुनः अभूतपूर्व भारी वर्षा और बाढ़ के कारण पशुधन, जानमाल और सम्पत्ति की भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इससे पशुधन, जानमाल, सम्पत्ति और फसल से हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी गई है तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मध्य तथा दक्षिण गुजरात के कुछ जिले सितम्बर, 1994 में बहुत भारी वर्षा तथा नर्मदा तथा उकाई जलाशयों से जल छोड़े जाने के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए। सितम्बर की बाढ़ों के कारण जन और धन की हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. जन हानि	-128
2. पशु धन की हानि	-8400
3. फसल क्षेत्र को नुकसान	8.80 हैक्टेअर
4. सार्वजनिक संपत्ति का अनुमानित नुकसान	530.00 करोड़ रुपये

(ग) दक्षिण पश्चिम मानसून, 1994 के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए 303.52 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए गुजरात सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। वर्तमान योजना के अधीन राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह आपदा राहत कोष की निधि का उपयोग करते हुए प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किए जाने वाले उपाय करें। भारत सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करने में राज्य सरकार को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 1994-95 के लिए आपदा राहत कोष का संपूर्ण अंश, जो 63.75 करोड़ रुपये है (इसमें अंतिम त्रैमासिक किस्त की निर्मुक्ति शामिल है) निर्मुक्त कर दिया है।

दुधारू पशुओं के लिए अनुसंधान केन्द्र

391. **श्री हरिन पाठक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक दूध देने वाले पशुओं के लिए कौन-कौन से अनुसंधान केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर गुजरात में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अधिक दूध देने वाले पशुओं के लिए निम्नलिखित संस्थान और उनके क्षेत्रीय केन्द्रों में अनुसंधान-कार्य किया जा रहा है :

(1) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा।

(2) केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार, हरियाणा।

(3) भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश।

(4) भवेशी प्रायोजना निदेशालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

(5) केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा, उत्तर प्रदेश।

(6) कई राज्यों में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के पशु विज्ञान विभाग।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मौजूदा अनुसंधान केन्द्र गुजरात सहित देश के सभी राज्यों की जरूरतें पूरी करते हैं।

कन्टेनरों की आवाजाही

392. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया और रेलवे ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर कन्टेनरों की आवाजाही पर पाबन्दी लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पाबन्दी के कारण निर्यातकों को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). जवाहरलाल नेहरू पोत पर कंटेनरों को सम्हालने की असमर्थता के कारण जनवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में 5 दिन के लिए यातायात का अस्थाई तौर पर नियमन करना पड़ा था। अब यातायात का चालन सामान्य हो चुका है।

चावल निर्यातकों द्वारा चावल की बिक्री

393. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने सरकार से चावल की खुले विक्रय मूल्य से एक रुपये प्रति किलो कम दर पर बेचने की अनुमति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संघ को यह अनुमति देने से मना कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ). सरकार को भारतीय खाद्य निगम द्वारा निश्चित किए गए खुले बाजार के मूल्यों से कम मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की आपूर्ति करने के लिए आल इंडिया एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सहित निर्यातकों से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है।

लोक सभा

लिखित उत्तर हेतु, प्रश्न सूची का शुद्धि पत्र
14 मार्च, 1995/23 फाल्गुन, 1916 (शक)

प्रश्न संख्या	शुद्धि
282	प्रश्न इस प्रकार पढ़िए : (क) जोन-वार जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समितियों में कितने सदस्य हैं तथा उनके नाम क्या हैं और इन समितियों की सदस्यता के लिए अपनाई जा रही पात्रता शर्तें क्या हैं; और (ख) पश्चिम रेलवे के अंतर्गत रतलाम में जोनल रेल प्रयोक्ता परामर्शदात्री समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसकी सदस्य संख्या कितनी है?

नई दिल्ली;
4 अगस्त, 1995
13 श्रावण, 1917 (शक)

आर.सी. भारद्वाज,
महासचिव

11.20 म.पू.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

12.01 बजे म.प.

लोक सभा बारह बजकर एक मिनट म.प. पर पुनः समवेत हुई (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बिहार में चुनाव स्थगित किये जाने के बारे में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : स्थिति अब भी बिल्कुल अस्पष्ट है। हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में सरकार की क्या राय है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : हम कुछ सुनना चाहते हैं। कम से कम श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनिए, वह क्या कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मेरी बात सुनिए। आप हम दोनों की बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : शर्त यह है आप सभी बैठ जाएं। मुझे एक-एक करके बुलाने दें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप से अनुरोध है कि आप हमें भी अवसरे दें। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हम एक गम्भीर मामला आपके समक्ष रख रहे हैं। इसके कारण हमारे जनतंत्र की जड़ें हिल गई हैं। जनतंत्र में चुनाव जरूरी हैं। जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देना ही होगा। बिहार में चुनावों की घोषणा की गई। पर कानून और व्यवस्था की दुहाई देकर बार-बार चुनाव-तिथियां बदली जा रही हैं। किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। अखिल भारतीय स्तर पर या राज्य स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल को इसकी जानकारी नहीं है। केवल एक व्यक्ति बिना किसी संगत आधार के निर्णय ले रहा है। हो सकता है उसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। पर चुनाव-प्रचार की अवधि निर्धारित कर दी गई थी। विधान सभा का कार्य-काल समाप्त होने से पहले निर्वाचन तिथियां निश्चित कर दी गई थीं। चुनाव हो जाते और नई सरकार सत्ता संभाल लेती। बिहार में किसकी सरकार बने, यह बात बिहार की जनता पर छोड़ दी जाए। पर हो क्या रहा है? कानून और व्यवस्था के नाम पर चुनावों को स्थगित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रही है, चुनाव स्थगित करने की बात कर रही है उससे अहम बात यह है कि इस सभा का मुख्य विरोधी दल भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है, चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहा है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर काम कर रहे हैं। यह बिहार की जनता के जनतंत्रीय अधिकारों पर हमला है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए यह बहाना ढूढ़ा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा को पता है कि वह बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। यह एक साजिश है, मिलीभगत है। देश के जनतंत्र के भविष्य के लिए यह बड़ी चिन्ता का विषय है। देश में चुनाव का दारोमदार, देश की जनता द्वारा चुनावों में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का दारोमदार आज एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। आज ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं जिनसे उस व्यक्ति पर दबाव पड़े जिसे इस विषय में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं और वह देश के सत्ताधारी दल तथा एक राजनीतिक दल विशेष के हित में निर्णय ले।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में भविष्य में चुनाव किस प्रकार होंगे। यह स्थिति अन्य राज्यों में भी पैदा हो सकती है। कानून और व्यवस्था के नाम पर या किसी अन्य आधार पर राज्यों के चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बहाना बन सकती है। हम जानते हैं कि कई दिनों से वोटों की गिनती नहीं हुई है। शायद इसलिए कि इसका असर अन्य राज्यों के चुनाव पर पड़ेगा। पर बिहार के बारे में उनका क्या कहना है। जब वह कहते हैं कि बिहार में चुनाव स्थगित होंगे तो अन्यत्र वोटों की गिनती क्यों की गई। किस तरह से काम कर रहा है यह अधिकारी। चुनाव आयोग के आदेश पर चुनाव-विश्लेषण भी बन्द कर दिया गया। पर दो दिन बाद ही वह ओदश वापस ले लिया। क्या भारत के हर व्यक्ति को एक व्यक्ति की सनक का आदर करना होगा। क्या इस सभा का, जनता का इससे कोई सरोकार नहीं? लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। भावी चुनावों पर आशंका के बादल मंडराते रहेंगे और सब कुछ एक व्यक्ति पर निर्भर करेगा। आप इस तरह से एक के बाद एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते। मैं जानना चाहूंगा कि इसमें सरकार की भूमिका क्या है? क्या सरकार ने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है? तब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए। कुछ राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद आप किसी अन्य राज्य में चुनाव कैसे करा सकते हैं। वोटों की गिनती कई दिनों तक नहीं हुई। इसका कुछ आधार, कुछ सिद्धान्त होना चाहिए। इसमें मनमानी नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि समय बढ़ाया जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। पर मुझे जानकारी है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सभा में कह रहा हूं कि मुझे कल रात 8.30 बजे मंत्री जी ने बताया कि चुनाव स्थगित हो रहे हैं। यह कैसे हो सकता है... **(व्यवधान)**। ऐसा प्रतीत होता है कि रात 12.00 बजे आदेश जारी हो गए हैं। निश्चित ही वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। मैं सरकार के विचार जानना चाहता हूं। आप विधान सभा के कार्यकाल को समाप्त होने देंगे। तब विपक्ष-नेता राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करेंगे। आप मुख्य विपक्षी दल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। अगर यही करना है तो देश में संसदीय जनतंत्र समाप्त हो जाएगा। केवल एक व्यक्ति इसकी नियति का फैसला कैसे कर सकता है।

अतः महोदय हम इस बारे में अत्यन्त चिंतित हैं। क्या आप संसदीय जनतंत्र को संविधान के अनुसार काम करने देंगे या सब एक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार और मुख्य विरोधी दल की सह पर काम कर रहा है?

महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इस संसद को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। अब समय बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बिहार में चुनावों से पहले किसी हालत में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। सरकार इसका स्पष्ट आश्वासन दें। अन्यथा आज इस संसद का कार्य करने का कोई अर्थ नहीं है। ...**(व्यवधान)**

हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। हम यहां मूकदर्शक नहीं बन सकते। सरकार को अपनी बात स्पष्ट करनी होगी। मैं अपनी बात साफ करना चाहता हूं। हम यह नहीं होने देंगे। देशवासी यह स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत हो चुका। लोग इस प्रकार शक्ति का मनमाना प्रयोग सहन नहीं कर सकते। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की अनुमति दी। अच्छा होता प्रश्नकाल के बाद यह चर्चा होती, हम प्रश्नकाल का भी उपयोग कर लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इस समय माननीय सदस्यों को उत्तेजित कर रहे हैं। एक तो हाल में जो

चुनाव हुए हैं और उनमें सत्ता पक्ष को जो पराजय का मुंह देखना पड़ा है, उससे यह मांग उठना स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष जनता का आदेश खो चुका है और उसे नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए।

दूसरा प्रश्न बिहार के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए नए-नए लोकतंत्रवादी देश हमारे यहां आ रहे हैं। चुनाव में मतदान का वही स्थान है जो हृदय की धड़कन का है। मतदान स्वतंत्र हों, मतदान निष्पक्ष हों, 18 साल का मतदाता अपनी तकदीर का, देश की तकदीर का फैसला स्वयं करे, यह हमारे संविधान निर्माताओं की, कानून निर्माताओं की मंशा थी। अनेक प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, आंध्र में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में और वहां सत्ता पक्ष हारी। कहीं भी यह आरोप नहीं लगा कि चुनाव में धांधली हो रही है, बूथों पर कब्जा किया जा रहा है, अफसरों का दुरूपयोग किया जा रहा है, उनकी निष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मतदाता डराया जा रहा है। यह शिकायत कहीं नहीं हुई और यह देश के लिए सौभाग्य की बात है, लोकतंत्र के लिए गर्व की बात है... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मणिपुर में भी नहीं। वहां 99% मतदान हुआ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मणिपुर में भी जहां धमकी दी गई थी, हमारे कार्यकर्त्ता को गोली से उड़ा दिया गया, वहां भी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए आए और उन्होंने लोकतंत्र में अपनी निष्ठा रखी। केवल बिहार का मामला क्यों उठ रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं? बिहार में क्यों आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं? स्वतंत्र चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस संबंध में प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं। राजनैतिक दलों के मन में डर क्यों है? बिहार के मामले में चुनाव कमीशन भी आवश्यकता से अधिक सक्रिय क्यों है? मैं नहीं मानता कि बिहार की सरकार के साथ और चुनाव कमीशन के साथ कोई व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता है। इस आधार पर फैसले नहीं किए जाते। पहले बिहार में 5-7-9 तारीखें तय हुई थीं। अच्छी तारीखें थीं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उससे पहले और तारीखें भी थीं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बिहार विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव हो जाते, परिणाम आ जाते और जो भी परिणाम होते उन्हें स्वीकार किया जाता। फिर तारीखों में परिवर्तन किया गया और 11-15-19 तारीखें की गईं। 11-15-19 तारीखों पर हमको भी थोड़ी आपत्ति थी क्योंकि 17 तारीख को होली है। होली के दो दिन पहले मतदान और फिर होली के दो दिन बात मतदान। व्यवहारिक कठिनाई है, बिहार के लोगों ने बताया कि यह हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। होली में वैसे ही हुल्लड़ होता है और बिहार में तो और भी हुल्लड़ होता है। मतदान में कठिनाई पैदा होगी, यह बात इलैक्शन कमीशन के सामने प्रस्तुत की गई थी, उनको यह तय करना था। अब तारीखें बदलकर 15-21-25 आई हैं। ये बदलती हुई तारीखें, चुनाव का बढ़ता हुआ प्रचार, खर्चा, परेशानी।

मैं सात दिन बिहार में घूमकर आया हूं। बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, यही पता नहीं लगता कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। अजीब हालत है, मगर चुनाव एक मौका दे देता है हमें स्थिति को देखने का, इस दृष्टि से अच्छा है। मगर अगर 25 तारीख तक मतदान चलना है...

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : कानून व्यवस्था है नहीं।... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं उसपर आ रहा हूं। अब अगर 25 तक मतदान चलना है तो 29 तक काउण्टिंग वगैरह होगी, बक्से इकट्ठे होंगे। वहां पूर्णिया का जो मामला है, वह एक अलग मामला है, मैं मानता हूं। अब "हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता", मैं तो शेषन का शाब्दिक अर्थ यह समझता हूं, शेष न, अशेष। कही तो शेष होना चाहिए। लेकिन एक और पहलू है, जो जरा गम्भीर पहलू है। बिहार की विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में आर्टिकल 172 बिल्कुल स्पष्ट है :

[अनुवाद]

"प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा।"

[हिन्दी]

बिहार की विधान सभा की अवधि बढ़ाई जाय, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार की विधान सभा 15 तारीख को समाप्त हो जानी चाहिए और मैं आशा करता हूं, होगी। अब सवाल है कि क्या विधान सभा समाप्त होने के बाद उस विधान सभा से निकली हुई, उस विधान सभा पर निर्भर, उस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी सरकार चल सकती है? उत्तर है कि कामचलाऊ सरकार चल सकती है। दो चार दिन की बात हो तो चल सकती है। अब यह दो चार दिन की बात नहीं है। यह पूरा महीना चलने की बात है। फिर अगर वह कामचलाऊ हो दखल न दे, हस्तक्षेप न करे, नाम के लिए बनी रहे, शासन अपने ढर्रे से चलता रहे, तो ठीक है। लेकिन बिहार की सरकार पहले भी जिस तरह से आचरण कर रही थी और विधान सभा भंग होने के बाद जिस तरह से आचरण करेगी, उससे बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कामना करना नितान्त असम्भव है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : वह सभी जगह पर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभी जगह पर कही नहीं है। और प्रदेशों में चुनाव हो गये, यह प्रारम्भ में मैंने लिया था, कहीं इस तरह

से नहीं हुआ। कहीं बूथों पर कब्जा करने की घटनाओं की आशंकाएं प्रकट नहीं की गई।...**(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार : आप अकेले जजमेंट नहीं दे सकते।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप मुझे कहने दीजिए, आप बाद मे बोलिएगा। यह ठीक है कि बिहार में इसका एक इतिहास है, लेकिन इतिहास बदला जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर सारे देश को लाना चाहिए और लाना पड़ेगा।...**(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार : बिहार की जनता के अगेन्स्ट आप शिकायत कर रहे हैं, तमाम बिहार के लोगों की परम्परा के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं। यह क्या बात है। ऐसा नहीं किया जा सकता। आप पूरे बिहार की जनता के खिलाफ, परम्परा के खिलाफ शिकायत लगा रहे हैं। आपने बिहार को क्या दिया है और बिहार से आपने क्या लिया है? आप बिहार की महान परम्परा के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : बाद में आपके नेता को बोलना नहीं है क्या? हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हर प्रदेश में, जिनमें बिहार भी शामिल है, चुनाव शान्ति से हों, कर्मचारी निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का पालन करें, बूथों पर कब्जे की घटनाऐं न हों, मतदान ठीक हों।

चीफ इलैक्शन कमिश्नर का यह उत्तरदायित्व है। अगर चीफ इलैक्शन कमिश्नर के निर्णय से किसी को शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले दिए हुए हैं, लेकिन सलाह लें कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो दावा करती है कि उसने जनता से विश्वास प्राप्त किया है। वह जनता के हित के लिए काम करती रही है, वह फिर से दुबारा चुनाव में आने के लिए सारे नियमों को ताक पर रखकर धांधलियां करके प्रदेश का वातावरण विषाक्त क्यों करे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह शिकायत केवल बिहार में क्यों आ रही है, यह बिहार वाले बताएं?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्योंकि वहां न कांग्रेस है और न भारतीय जनता पार्टी ये जहां कही भी है वहां गड़बड़ नहीं होती?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी बिहार में जहां एक दिन मतदान हुआ, वहां आशा की जाती थी कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर यहां मतदान का प्रबंध करेंगे। आप वहां के समाचार-पत्रों की रिपोर्ट देख लीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के फैक्स देख लीजिए। अभी-अभी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र जो बात कह रहे थे, हम उनके शब्दों को उद्धृत नहीं करना चाहते हैं कि जहां-जहां मतदान हुआ वहां धांधली हो रही थी। विशेष प्रकार के मतदाताओं को वोट डालने दिए गए, अन्य प्रकार के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिए गए। जो केन्द्रीय सुरक्षा बल था, वह दुकानों की रक्षा कर रहा था, सड़कों पर पहरा दे रहा था और मतदान केन्द्र के भीतर गड़बड़ हो रही थी। जिले के अधिकारियों ने, जिले के एस.पी. ने खुले रूप से, गलत ढंग से चुनाव होने दिया और मतदान होने दिया।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : क्या आप निर्वाचन आयोग की निन्दा कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक दिन मतदान हो गया और अभी मतदान और आगे है। अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, अगर मतदाता निष्पक्ष होकर, निडर होकर वोट नहीं डाल सकते तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का यह मतलब नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार राज्यपाल से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मंगाए। हम कल राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करने के लिए गए थे...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 15 मार्च के बाद जब विधान सभा समाप्त हो जाएगी तो प्रदेश सरकार की स्थिति क्या होगी? उसके काम-चलाऊ अधिकार कितने होंगे? क्या अफसरों को नियुक्त करने की, उन्हें स्थानांतरित करने की, उन अफसरों को डराने-धमकाने की, उनकी पदोन्नति करने की काम-चलाऊ सरकार की क्षमता और शक्ति बनी रहेगी? ऐसे में काम कैसे चलाया जाएगा? इलैक्शन कमिशन से भी यह बात की जानी चाहिए। हम इलैशक्न कमिशन से कहते रहे हैं कि आप सभी दलों की बैठक बुलाकर जो फैसला करना चाहते है, करें। मैं तारीख का खंडन करना चाहता हूं।

सोमनाथ बाबू इस तरह का आरोप लगाने के लिए बहुत सस्ते तरीके से कह देते हैं—मैं उनसे ऐसी आशा नहीं करता कि कांग्रेस और विरोधी दल भी मांग कर रहा है। कोई ऐसी चीज हो सकती है जिस पर कांग्रेस और विरोधी दल की राय मिल जाए? कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिस पर कांग्रेस और सोमनाथ बाबू की राय मिल जाए? इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जाते और निष्कर्ष निकालना गलत होगा। चुनाव बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष को कौन चुनौती दे रहा है। चुनाव बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष का स्थान लेने के लिए तैयारी कौन कर रहा है।

मैंने एक निवेदन यह किया कि केन्द्र सरकार राज्यपाल महोदय से रिपोर्ट मंगाए। केन्द्र सरकार अपने सूत्रों से भी रिपोर्ट मंगा सकती है कि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है। सरकार में जब काम-चलाऊ सरकार नहीं थी, धक्का-धक्की सरकार थी, तब भी सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती थी। अब इस सरकार का कोई स्टेक नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। उसके चलते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सरकार को भी जाने दो, विधान सभा को भी जाने दो। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत बिहार में तत्काल चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैंने आपको स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था जो आपने रद्द कर दिया। यह नोटिस उसी विषय पर था जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव कराने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त संविधान की वर्तमान व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जो भी निर्णय लेंगे उसे हमें मानना पड़ेगा। संविधान में उन्हें निर्विवाद अधिकार दिए गए हैं। आज इस सभा में हम उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। पर निश्चय ही हम राजनैतिक दृष्टि से उठाए गए कदमों के प्रति अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, आलोचना या विरोध प्रकट कर सकते हैं। चुनाव तिथियों में बार-बार परिवर्तन करने से बिहार में चुनाव लड़ रही पार्टियों और उम्मीदवारों को जो भारी असुविधा और कठिनाई हो रही है उसे आप समझ सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है वह कानून और व्यवस्था से सम्बद्ध है।

विपक्ष के नेता सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार बिहार के राज्यपाल से रिपोर्ट मगंवाए। अगर स्थिति इतनी खराब है तो राज्यपाल स्वयं रिपोर्ट भेज सकते हैं। क्या उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि बिहार में खून की नदियां बह रही हैं, वहां हजारों लोगों का कत्ले आम हो रहा है? क्या उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट भेजी है?

सभी जानते हैं कि बिहार में कुछ ऐसे गुट काम कर रहे हैं जिनका चुनावों से कोई सरोकार नहीं है, जो स्पष्टतः चुनावों के विरूद्ध हैं। जिन्होंने घोषणा की है कि वह चुनाव नहीं होने देंगे। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं हम उन्हें अपना लक्ष्य बनाएंगे, कुछ को मार भी सकते हैं क्योंकि हम चुनाव नहीं चाहते, हम चुनाव में गड़बडी फैलाएंगे। उन्होंने कई लोगों की हत्या भी कर दी है। मैं उन ग्रुपों का नाम नहीं लेना चाहता। उनके नाम अखबारों में लगातार छप रहे हैं। वह चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है। आप इस विषय में क्या कर रहे हैं? क्या आप तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक ऐसे आतकंवादी तत्वों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता? यह आप कर नहीं सकते।

इसी प्रकार के आतंकवादी लोग मणिपुर में भी सक्रिय हैं। उनके पास आधुनिक हथियार हैं। वह मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला बोल रहे हैं। पुलिस चौकियों, सैनिक दस्तों पर हमला कर रहे हैं। यह प्रश्न तब क्यों नहीं उठाया गया जब मणिपुर में चुनाव कराये जा रहे थे? वहां भी तथाकथित कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं थी। क्या राज्यपाल ने वहां से कोई रिपोर्ट भेजी? या उन्हें रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। वहां अब 80-90 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। हमें उनके साहस, उनकी निष्ठा और चुनाव प्रक्रिया के प्रति उनकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। मणिपुर की तुलना में बिहार में क्या कुछ हो रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछली अर्द्धरात्रि को, जो आदेश जारी किया है, उसमें उन्होंने बिहार में कुछ स्थानों पर सुरक्षा बल तैनात न किये जाने की बात कही है। उनका कहना है कि कुछ स्थानों पर कोई भी सुरक्षा कर्मचारी नहीं भेजा गया और कुछ स्थानों पर उन्हें ले जाने के लिए वाहन उपलब्ध नहीं थे। ऐसा हो सकता है। मुझे तथ्यों का ज्ञान नहीं है। न ही मेरे पास उनका कोई विवरण है। स्थिति में सुधार लाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के उच्च अधिकारियों, पुलिस, मुख्य सचिव आदि के साथ लगातार बैठकें करते रहे हैं। वहां जो कमियां हैं उनमें सुधार लाना जरूरी है इसमें कोई सन्देह नहीं है। किन्तु महोदय, जिस तरह से लगातार चुनाव की तारीखों में परिवर्तन किया जा रहा है उससे सम्पूर्ण चुनाव व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो रहा है। यदि हर दूसरे-तीसरे दिन चुनाव की तारीखें बदल दी जाएंगी तो कोई भी चुनाव की तैयारी कैसे कर पाएगा, चुनाव अभियान कैसे जारी रख सकेगा। मुख्य-निर्वाचन आयुक्त के पास ऐसी शक्तियां हो सकती हैं। मैं उनकी संवैधानिक शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं। पर मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। वह पहले मनमाने आदेश जारी करते हैं और फिर उन्हीं आदेशों को रद्द कर देते हैं। इसका एक उदाहरण यहां दिया जा चुका है। दो-तीन दिन पहले उन्होंने कहा था-दूरदर्शन और रेडियो पर चुनाव परिणामों का विश्लेषण दिखाया या सुनाया नहीं जाऐगा क्योंकि इसका प्रभाव अन्यत्र हो रहे चुनावों पर पड़ सकता है। किन्तु आज उन्होंने उस आदेश को भी वापस ले लिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किन्तु परिणाम स्थगित नहीं किए गए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मुझे मालूम है। यह सब चल रहा है। यह कैसे हो सकता है कि दूसरे राज्यों के चुनावों के परिणामों की घोषणा का बिहार के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा। जिन अन्य राज्यों में चुनाव हुए वहां इसका असर पड़ा। जिस तरह से चुनाव कराने के आदेश दिए जा रहे हैं वह सम्पूर्ण पद्धति तर्कहीन और असंगत है। सही तरीके से चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव बिना किसी भेदभाव के लोकतांत्रिक और शान्तिपूर्ण ढंग से होने चाहिए। पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का रवैया ऐसा नहीं है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

इसके साथ ही एक और तथ्य पर भी ध्यान देना है। कल विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि सरकार कल या परसों के बाद क्या करना चाहती है। इसके बारे में हमें बताया जाए। भारत सरकार ने इस पर अवश्य विचार कर लिया होगा। निश्चय ही वह अपना दिमाग बनाने के लिए कल तक इन्तजार नहीं करेंगे। वह निश्चय ही किसी निष्कर्ष पर पहुंची होगी और सभा को इस बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। क्या वहां कुछ समय के लिए कोई भी सरकार नहीं होगी, कोई प्रशासन नहीं होगा। तथाकथित विशेषज्ञ संवैधानिक पहलुओं पर अलग-अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां कामचलाऊ सरकार नहीं बन सकती । विधानसभा ही नहीं होगी तो सरकार को अधिकार कहां से प्राप्त होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल अथवा आवश्यक हुआ तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए किसी को भी कामचलाऊ सरकार के रूप में काम करने को कह सकते हैं। जो भी हो भारत सरकार ने कोई फैसला किया होगा और इस पहलू पर अवश्य विचार कर लिया होगा। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन्होंने अपने कानूनी विशेषज्ञों से अवश्य परामर्श किया होगा। अब अधिक समय

नहीं रह गया है क्योंकि विधान सभा का कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है। बिहार की जनता को इसका ज्ञान नहीं है और उसे अन्धेरे में रखा गया है। हमें यहां स्पष्ट रूप से बताया जाए कि सरकार क्या करने जा रही है।

यह एक तथ्य है और संयोग भी हो सकता है। श्री वाजपेयी जी इसे मात्र संयोग मानते हैं। किन्तु यह भी सत्य है और एक अजीब बात भी कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के नेता तथा मुख्य विरोधी विपक्षी दल के नेता बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर तुले हुए हैं। यह बड़ी विचित्र बात है। हम राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के लिए तैयार किये जा रहे आधारों का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत है और बिहार की जनता को अपनी सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रखने का प्रयास है। मैं यह नहीं जानता कि इस सभा में हुई चर्चा का परिणाम क्या रहेगा किन्तु हमारी बात रिकार्ड में अवश्य आ जायेगी। हो सकता है इसका सम्बद्ध पक्षों अर्थात सरकार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और श्री वाजपेयी जी पर कोई असर न पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट की जाए और हमें आधिकारिक रूप से बताया जाए। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जो ने कहा था कि हम बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करेंगे। किन्तु कुछ ही दिनों बाद एक और वक्तव्य जारी किया गया। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यंक्ष ने भी बयान जारी किए हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। श्री आडवाणी और श्री वाजपेयी जी लगातार राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। पर वहां राष्ट्रपति शासन क्यों हो? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राज्यपाल ने किसी अभूतपूर्व स्थिति की रिपोर्ट नहीं भेजी है। यदि ऐसी गम्भीर स्थिति विद्यमान थी ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : 15 तारीख को चुनाव कैसे हो सकते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कैसे हो सकते हैं। 17 की होली है। उसके दो दिन पहले 15 हैं और दो दिन बाद 19। वह तारीखें बदलते जा रहे हैं। जिस मनमाने ढंग से, झक्कीपन से काम हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।

अतः महोदय हम अपना विरोध रिजिस्टर करना चाहते हैं। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने जैसी हल्की बातें बन्द होनी चाहिए। सरकार और राज्यपाल कल क्या करने जा रहे हैं, यह हमें बताया जाए। देश के लोग, बिहार की जनता यह जानना चाहती है। यदि इस प्रकार के मामलों में संसद को अंधेरे में रखा जाता है तो संसद का प्रयोजन क्या है?

महोदय, मुझे खेद है कि आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस नामंजूर कर दिया है। पर फिर मैं समझता हूं कि इस विषय पर यहां अच्छी चर्चा हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते थे कि वह नामंजूर कर दिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सन्देह का लाभ आपको देता हूं । धन्यवाद।

श्री श्रीकान्त जेना (कटवा) : महोदय, विपक्ष के नेता का भाषण सुनने के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भाजपा बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद चुनाव चाहती है। कांग्रेस पार्टी की भी यही मंशा है। चुनाव आयोग ने कल आधी रात जो आदेश जारी किया, वह मैंने पढ़ा है। उसमें कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण चुनाव स्थगित करने की बात नहीं कही गई है। अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती तो चुनाव आयोग 2 दिन, 3 दिन या 15 दिन के लिए चुनाव स्थगित नहीं करता। वह साफ कह सकता था कि नहीं, यह सम्भव नहीं है। विधि और व्यवस्था की स्थिति खराब है और चुनाव स्थगित किए जाते हैं।

यह सब जानबूझ कर किया जा रहा है। यह एक साजिश है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने और 15 को चुनाव स्थगित करने का षडयंत्र है।

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, आप एक मिनट रूकिए। इस मामले पर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आप सब ऐसा चाहते हैं। इस पर अखबारों में चर्चा हो रही है, बाहर चर्चा हो रही है न्यायालयों में चर्चा हो रही है। पर इसकी एक मर्यादा है और अगर हम उसे तोडेंगे तो हमारे लिए कठिनाई पैदा होगी।

मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। लेकिन साजिश आदि जैसे शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सरकार यह कर रही है वह कर ही है, तो उसका उत्तर देने के लिए वह यहां मौजूद हैं पर जिस व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जो यहां उपस्थित नहीं है उसकी ओर से सरकार उत्तर कैसे दे सकती है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मुझे आशंका है, सभी संकेत उसी दिशा को इंगित कर रहे हैं। यह बिहार में चुनाव की बात ही नही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात तथा मणिपुर के चुनाव परिणामों का भी प्रश्न है। मणिपुर के बारे में घोषणा की गई कि वोटों की गिनती होगी। वह तब की गई जब खुफिया विभाग ने यह जानकारी दी कि मणिपुर में चुनाव में कांग्रेस के जीतने के आसार हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में वोटों की गिनती महीनों तक नहीं हुई। गिनती में 15 दिन लग गए। इसका क्या कारण था। कारण यह था कि इस गिनती का असर अन्य राज्यों पर भी पड़े। बिहार में चुनावों की तारीख निश्चित हो गई थी। फिर भी वोटों की गिनती के आदेश दिए गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एक साजिश थी। यह बिहार में चुनाव स्थगन या राष्ट्रपति शासन लागू करने की ही बात नहीं थी। उसके पीछे भावना यह थी कि चुनावों को इस तरीके से स्थगित किया जाए कि वहां जनता दल की सरकार न रहे। उसके बाद वहां चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग ने कल रात जो भी निर्णय लिया हो, मेरी जानकारी यह है कि चुनाव निर्धारित तिथियों के अनुसार नहीं होंगे। और उन्हें दो-तीन महीनों के लिए रोक दिया जाएगा। अतः अगले तीन महीनों में भी चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यह साजिश चल रही है और सरकार इसके पीछे है। अभी अभी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सरकार को इससे कुछ लेना-देना नहीं है और यह बिहार सरकार और चुनाव आयोग का आपसी मामला है। उनका कहना है कि भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

अब कहा जा रहा है कि विधि और व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होने के कारण चुनावों को तीन या सात दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। क्या तीन दिन में कानून और व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। यदि विधि और व्यवस्था खराब है तो चुनाव कई महीनों के लिए स्थगित किए जा सकते हैं। वस्तुतः यह जानबूझ कर इस समय-सीमा को समाप्त करना चाहते हैं और उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। तब वहां चुनाव कराए जाऐंगे। जैसे कि इन्द्रजीत बाबू और सोमनाथ जी ने कहा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यह काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही बिहार में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। **(व्यवधान)**

हम सही स्थिति जानना चाहते हैं। भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका है या नहीं। आप चाहे कोई भी तारीख निश्चित करें हम केवल यह जानना चाहते हैं कि इस महीने की 25 तारीख को चुनाव होंगे या नहीं। कल ही हमें बताया गया था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जायेगा। हम जानना चाहेंगे कि इसमें भारत सरकार और चुनाव आयोग क्या भूमिका निभा रहे हैं। बिहार की जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित किया जा रहा है, इसकी हमें चिन्ता है। आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा और उसके बाद ही वहां चुनाव होंगे। आप बिहार की जनता के साथ छुपम-छुपाई का खेल क्यों खेल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : पिछले कुछ महीनों में देश के आठ राज्यों में चुनाव हुए हैं। सभी जगह विकट परिस्थितियों के और विकट कठिनाइयों के होते हुए भी चुनाव हुए हैं और लोगों ने निष्पक्ष रूप से अपना वोट दिया है, जिसको वो चाहते थे उसको अपना वोट दिया है। यह एक बड़ी बात हुई है कि हमारे प्रजातंत्र में सारी कठिनाइयों के बावजूद चुनाव हुए हैं। अब प्रश्न, जिसपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह है कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कुछ समय से लोगों की राय यह थी कि वहां शांति और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और वहां की सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कई क्षेत्रों से उठती रही है। लेकिन हमारी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। हमने शुरू में ही कहा है कि हम बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते हैं, चुनी हुई सरकार की बर्खास्तगी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन जो वहां की स्थिति है उसको हल करने में हम दूसरी तरह से सक्षम हैं। बिहार में चुनाव का कार्यक्रम जो शुरू में बना था तो हम चाहते थे कि उसी कार्यक्रम के अनुसार अगर चुनाव करा लिया गया होता तो अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य से उस कार्यक्रम के अनुसार चुनाव नहीं हो पाया और वहां बार-बार चुनाव टालना पड़ा। मैं स्वयं बिहार के चुनाव अभियान में गया था। मुझे खुशी हुई थी कि चुनाव में न कोई हुड़दंग था, न लाउडस्पीकरों का शोर, न ज्यादा पर्चे वगैरह देखने को मिल रहे थे और मीटिंग्स शांतिपूर्ण ढंग से हो रही थी। मुझे खुशी हो रही थी कि बावजूद सारी परिस्थितियों के चुनाव हो रहा है।

इसके दो पक्ष हैं कि 13 या 15 तारीख को अगर वहां की विधान सभा की अवधि समाप्त हो जाती तो उसके बाद वैधानिक स्थिति क्या है? हमारे संविधान की धारा 172 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो विधान सभा चुनी गयी है, पांच वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद वह समाप्त हो जायेगी, उसका कार्यकाल नहीं बढ़ सकता। जहां तक विधान सभा का सवाल है वह पांच वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि जो सरकार वहां चल रही है, क्या वह सरकार उक्त अवधि के बाद काम-चलाऊ सरकार के रूप में चल सकती है, जब तक कि दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, चुनाव नहीं हो जाते और सरकार नहीं बन जाती। उसमे भी साफ बात है कि विधान इसको नहीं रोकता। विधान के मुताबिक जब तक दूसरी सरकार नहीं बनती तब तक वह चल सकती है। इसमें कोई अड़चन नहीं है।

मैं वहां शांति व्यवस्था की बात भी नहीं कर रहा हूं, यह एक अलग प्रश्न है। लेकिन आज जो प्रश्न पैदा होता है वह यह है कि क्या वहां चुनाव की स्थिति है, क्या चुनाव की व्यवस्था हो रही है, क्या बिहार का मतदाता निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से और निर्भीक रूप से अपना मतदान कर सकता है? वहां चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है जोकि हमारे संविधान के अंदर उसको दी हुई है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वह भी इसमें दखल नहीं दे सकती है, विधान में भी कहा गया है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी तो न्यायालय भी दखल नहीं देगा। क्योंकि संविधान के मातहत वही एक सर्वोच्च संस्था है जो चुनाव करायेगी। चुनाव आयुक्त इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं और चुनाव टालना चाहते हैं, यह आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। आखिर कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस भी चार राज्यों मे हारी है। दूसरे राज्य में भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। हमें इस पर पार्टी की भावना से प्रेरित होकर काम नहीं करना चाहिए। यह एक संविधान की बात है, प्रजातंत्र की बात है, प्रजातांत्रिक मर्यादाओं की बात है। चुनाव आयुक्त भी कई बार पटना गये। उन्होंने कई बार बात की, कई बार कम्पनीज मांगी, उन्होंने भेजी।

उनकी कोशिश थी कि चुनाव विधिवत हो जायें। लेकिन चुनाव आयोग जिस नतीजे पर पहुंचा है क्या उस पर हम नहीं सोचेंगे? चुनाव आयुक्त का कहना है कि हमने चुनाव के लिए व्यवस्था की, हमने केन्द्रीय बल मांगे, लेकिन वहां की राज्य सरकार उनको उन स्थानों पर नहीं भिजवा रही है। खाली राज्य सरकार ही नहीं, कई तत्व वहां ऐसे हैं जिनका चुनाव में विश्वास नहीं है, उनको भी रोकना है। प्रजातंत्र के ऊपर, मतदान के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन सरकार वहां मदद नहीं करेगी, सुरक्षा बलों को ट्रांसपोर्ट सुलभ नहीं करायेगी, कम्पनीज जाकर अपने कैम्प में बैठी रहेगी और कुछ केन्द्रों तक सीमित रहेगी, फिर चुनाव कैसे होगा? इसलिए बिहार की मौजूदा सरकार इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि इस सरकार ने चुनाव आयोग को सहयोग नहीं दिया है कि वहां निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सकें। उसने उस तरह की व्यवस्था नहीं की है जो उसकी प्रजातांत्रिक जिम्मेदारियां थी। खाली नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी। बिहार सरकार का चुनाव आयोग से असहयोग करना स्वयं में एक गम्भीर बात है। जिसकी वजह से वहां चुनाव टल रहे हैं। उसकी भुक्तभोगी वहां की जनता हो रही है, वहां के दल हो रहे हैं, हमारी प्रजातांत्रिक

व्यवस्था हो रही है। यह कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, यह ठीक है, यह एक गम्भीर बात है। मैं विपक्ष के नेता वाजपेयीजी से सहमत हूं और उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं कि यह वहां की सरकार की ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार को संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करनी है। वह राज्यपाल से रिपोर्ट मांगें। मगर चुनाव आयोग को मानना चाहिये कि वहां पर चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, चुनाव की व्यवस्था नहीं है उनको मानना चाहिये। इसलिये कि गवर्नर केन्द्रीय सरकार का एजेंट है, यह प्रजातांत्रिक एजेंट है, उसको प्रतिनिधि कह लीजिये।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : तब आप राज्यपाल से अपनी अर्जी की रिपोर्ट मंगा लीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं यह नहीं कहता हूं कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव कर देने से स्थिति में एकदम से परिवर्तन आ जायेगा। मैं तो यह कहता हूं कि वहां की शासन व्यवस्था इसमें सहयोग नहीं कर रही है तो वह इसके लिये जिम्मेदार है, बिहार की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री उसके लिये जिम्मेदार हैं क्योंकि चुनाव में सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक पद्धति में रूकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिये मैं इस पक्ष में हूं कि वहां पर चुनाव निष्पक्ष रूप से होने चाहिये। चुनाव की माकूल व्यवस्था होनी चाहिये और अगर यह सरकार वहां पर चलने की नहीं है तथा उसकी अवधि समाप्त हो रही है तो राष्ट्रपति शासन लागू करके भी वहां चुनाव कराया जाना चाहिये, यह हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : श्री चन्द्रजीत यादव का यह आरोप गलत है कि बिहार सरकार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है। चुनाव आयुक्त ने यह कभी नहीं कहा कि बिहार सरकार उन्हें सहयोग नहीं दे रही है। यह बिल्कुल मिथ्या आरोप है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : वहां पर एक मजिस्ट्रेट और ड्राईवर मार दिया गया।

[अनुवाद]

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की दलील बड़े ध्यान से सुनी है। उन्होंने सरकार और विपक्ष यानि भाजपा के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगाया है। महोदय, क्या मैं विपक्ष से एक साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं। यदि इन दोनों की मिलीभगत थी तो गुजरात में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल समाप्त होने के बाद प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : तब मैं सरकार से प्रश्न पूछता न कि विपक्ष से।

महोदय, प्रश्न बहुत ही साधारण है। आरोप लगाया गया है कि सरकार और विपक्ष ने मिलकर साजिश की है। अगर यही बात थी तो गुजरात और महाराष्ट्र में क्या हुआ। क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, और महाराष्ट्र राज्यों में कांग्रेस सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखे जाने के बावजूद वहां कांग्रेस की पराजय हुई। इन राज्यों में लोगों को मतदान करने की पूरी स्वतत्रंता थी। पर बिहार में क्या हुआ। वहां भय और आतंकवाद का बोलबाला रहा। उसके डर से लोग मतदान केन्द्रों पर जाकर मतदान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस राज्य में जो आतंक फैलाया गया, लोगों पर जो अत्याचार किए गए, उसको ध्यान में रखकर मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार जाकर वहां के उच्चाधिकारियों से विचार-विमर्श करना पड़ा। इसके लिए वह सरकार की आलोचना कैसे कर सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्थिति का जायजा लिया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विद्यमान परिस्थितियों में वहां स्वतंत्र चुनाव नहीं कराए जा सकते। उन्हें चुनाव स्थगित करने का पूरा अधिकार है। महोदय, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : यही तो मैं कहना चाहता था। अब मैं यह समझता हूं कि अटल जी इस बात को स्वीकार करेंगे। यह बात अब बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं। यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ...**(व्यवधान)**

डा. मुमताज अन्सारी (कोडरमा) : अध्यक्ष महोदय, देश के इस राज्य में पहली बार चुनाव नहीं हो रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। पर चुनाव तिथियां पहली बार इस तरह बदली गई हैं। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा है चुनाव की तारीख पांच से बदल कर सात, सात से नौ, नौ से ग्यारह कर दी गई हैं। ये तारीखें कई बार बदली गई हैं। यह पहली बार नहीं हुआ। पहले फरवरी में चुनाव होने थे। उसे बदल कर मार्च कर दिया गया। अब 11, 15 और 19 तारीख को बजाए किन्हीं अन्य तारीखों को 25 तारीख तक चुनाव होंगे। यह एक विरोधाभास है। चुनावों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। उसका क्या औचित्य है। यह स्थिति किसने पैदा की। संवैधानिक संकट कौन पैदा कर रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने चुनाव आयोग को पूरा सहयोग नहीं दिया। यह निराधार है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कहने पर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बदल दिया गया... **(कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया)** मुख्य चुनाव आयुक्त कई प्रकार के नियम और विनियम जारी कर रहे हैं। राज्य सरकार को निर्देश दे रहे हैं और राज्य सरकार उनका पालन कर रही है। पर केन्द्र सरकार चुप बैठी है। यह संवैधानिक संकट जानबूझ कर पैदा किया गया है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

डा. मुमताज अन्सारी : इनकी मंशा फरवरी से ही स्पष्ट थी। अंतिम तिथि 15 मार्च थी। 15 मार्च से पहले चुनाव कराने का उत्तरदायित्व किसका था? देश के अन्य राज्यों में चुनाव कैसे कराए गए? पंजाब में चुनाव कैसे हुए। इनका परिणाम क्या रहा। कितना प्रतिशत मतदान हुआ। पर आज लोग कहते हैं कि बिहार में कानून और व्यवस्था मौजूद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल में प्रश्न नहीं पूछते। आप भाषण देते समय प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

डा. मुमताज अन्सारी : आन्ध्र प्रदेश में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने चुनावों में गड़बड़ी कराई। वहां कई मौतें भी हुईं। मणिपुर में भी ऐसी स्थिति थी। पर वहां चुनाव कराए गए। चुनाव आयुक्त ने पहली बार यह घोषणा की कि चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए जाऐंगे। यह सब बिहार के चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया है। उड़ीसा के मामले में भी चुनाव तिथि फरवरी से मार्च कर दी गई। इस प्रक्रिया का चुनाव पर असर पड़ा और इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। अब बिहार के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए चुनाव तारीखें बदली जा रही हैं। कभी रमजान के नाम पर, कभी होली के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं। अब राज्यपाल की रिपोर्ट मंगाई जाने की बात कही जा रही है। राज्यपाल से क्या रिपोर्ट देने को कहा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात को दोहराइए मत।

डा. मुमताज अन्सारी : जब उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष झूठा शपथ पत्र पेश किया तो लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पर जब लालू प्रसाद सरकार चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई सभी पाबन्दियों का आदर किया जा रहा है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास हो रहा है। यह गलत है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाएं।

डा. मुमताज अन्सारी : अगर यही स्थिति चलती रही तो बिहार के लोगों का आन्दोलन पर उतर आने से कोई नहीं रोक सकेगा। देश के उस भाग में पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। उसके जो परिणाम होंगे उसका उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार और चुनाव आयोग पर होगा।

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई थी। उसी पर हम यहां विचार कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने इस विषय पर विभिन्न दलों के नेताओं को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

सर्वप्रथम मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि इस मामले में कोई साजिश चल रही है।

1.00 बजे म.प.

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तथा चुनाव आयोग इस स्थिति का गुण-दोषों के आधार पर निपटारा कर रहे हैं। ऐसी किसी साजिश या मिलीभगत का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता जो संविधान या नियमों के विरूद्ध जाती है। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से कराए जाऐंगे। मतदाता निडर होकर मतदान कर सकेंगे। सभा में जो विचार व्यक्त किए गए हैं हम उसके आलोक में इस विषय पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। हमें बिहार प्रशासन, बिहार के राज्यपाल से रिपोर्ट मिल गई है। हम इस पर आज विचार करेंगे। उसके उपरान्त ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाएगी। ...**(व्यवधान)**

1.0½ बजे म.प.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1994-95 का 'आर्थिक सर्वेक्षण, तथा दसवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा उस पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) "वर्ष 1994-95 के आर्थिक सर्वेक्षण" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7074/95]

(2) संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दसवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7075/95]

रेल सूचना प्रणाली केन्द्र के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा एवं इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7076/95]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7077/95]

(ख) (एक) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) की मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7078/95]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) तीसरा संशोधन नियम, 1994, जो 14 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 863(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ), जो 25 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 दिसम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 863(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7079/95]

गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गान्धीनगर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण पर समीक्षा और उन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7080/95]

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और उपर्युक्त पत्रों आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7081/95]

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी 7082/95]

1.1 ½ म.प.

विधेयक पर अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं वर्तमान सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन), विधेयक 1995 सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा 2 बजे म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.03 म.प.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजकर 3 मिनट म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, भोजन काल से पहले संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था जो बिल्कुल अस्पष्ट था। इससे सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं होता। उनका कहना है कि पूरी कार्यवाही आदि का अध्ययन करने के बाद वह किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।

यह एक गम्भीर मामला है। हम सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करते हैं। सरकार ने इस पर अवश्य विचार कर लिया होगा और अपना दिमाग बना लिया होगा। कृपया सदन को विश्वास में लीजिए और देशवासियों को इस विषय से अवगत कराइए।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम इस विषय पर विचार कर रहे थे। अब जबकि विपक्ष के माननीय नेताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। हम इस पर उसी सदंर्भ पर विचार कर रहे हैं। मैं सभा और विपक्ष के नेताओं के ध्यान में एक संवैधानिक मुद्दा रखना चाहता हूं। बिहार सरकार धन का 31 मार्च तक विनियोग कर सकती है। चुनाव आयोग ने कल जो तारीखें घोषित की हैं उसके अनुसार 25 मार्च तक चुनाव होंगे और 3 या 4 दिन मतगणना में लगेंगे। फिर सदन के गठन के लिए अधिसूचना जारी होगी। सभा की बैठक होगी, शपथ ग्रहण होगा और कोई मुख्यमंत्री बनेगा। विधान सभा ही धन का विनियोग कर सकती है। सरकारी खर्च के लिए धन मजूंर कर सकती है। यह काम राज्य विधान मंडल के अलावा और कोई नहीं कर सकता।

यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो वहां के खर्च की मजूंरी संसद को देनी पड़ेगी। संसद या विधान मण्डल के अलावा इस काम को और कोई नहीं कर सकता। अतः हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। हमें ऐसी युक्ति सोचनी होगी जिससे बिहार राज्य को इस संवैधानिक संकट का सामना न करना पड़े। मैं सभा में उपस्थित सभी नेताओं से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं ताकि हम इस पर उचित राय कायम कर सकें और सभा में अपना सामान्य कार्य कर सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका सबसे सरल समाधान यह है कि चुनाव की तारीख 25 की बजाय 21 मार्च कर दी जाए। हम जानते हैं कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश नहीं दे सकते। पर उनसे अनुरोध किया जा सकता है। आप हमारा यह अनुरोध उनको भेज दें। सरकार भी इसमें शामिल हो। तब चुनाव भी हो पाएंगे और सभी समस्याएं सुलझ जाऐंगी।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, मुद्दा यह है कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। तो बात चाहे 21 तारीख की हो या 25 की, यह बात अहम् नहीं है। प्रश्न है कल क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ...**(व्यवधान)** आप अपनी ही नहीं चला सकते। संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार इसकी अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए।

श्री श्रीकान्त जेना : हमने संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनी। उनका कहना है कि राज्य सरकार के खर्च के विषय में संवैधानिक समस्या पैदा हो जाएंगी क्योंकि बजट 31 मार्च तक के लिए ही पारित है। यदि चुनाव 25 तारीख को होते हैं और 29 या 30 को मतगणना की जाती है तो निश्चय ही यह समस्या पैदा होगी।

इसलिए जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने सुझाव दिया है, चुनाव 25 की बजाय 21 या 19 को कराए जाएं। जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। 19 तारीख को भी चुनाव किए जा सकते हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग को 19 या 21 तारीख को चुनाव कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप संवैधानिक संकट को दूर करना चाहते हैं तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

दूसरी बात, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। सरकार भी वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहती। तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है। चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाए कि जो तकनीकी कठिनाई अब सामने आई है उसे देखते हुए चुनावों की तारीख पहले कर दी जाए ताकि मतदान, मतगणना, परिणामों की घोषणा, नई विधान सभा द्वारा शपथ ग्रहण आदि के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और नई सरकार धन विनियोग कर सके। अन्यथा यह भी स्थिति पैदा हो सकती है कि सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन भी न मिल पाए। इससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं, जो कुछ पहले कहा गया है, उसे दोहराना नहीं चाहता। मैंने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाने के लिए आपकी अनुमति हेतु कुछ सूचनाएं दी थीं। कई बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। हमारे लिए सबसे चिन्ता की बात है केन्द्र सरकार की तथा चुनाव कराने वाले अधिकारियों की मनमानी। चुनाव तारीखों में मनमाना परिवर्तन किसी को संतुष्ट नहीं करेगा।

[हिन्दी]

अब 15 तारीख का इलेक्शन होना है फिर 25 तारीख को होना है, इससे किसी को संतोष नहीं मिलता। कानून का जो पहलू है, व्यवस्था का जो पहलू है उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लोग कह चुके हैं। आज बिहार में क्या परिस्थिति है। माननीय इन्द्रजीत जी ने इसका उल्लेख किया है। वह चर्चा का विषय नहीं है। यदि कानून या व्यवस्था के कारण इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि चुनाव नहीं हो सकते तो यह उनका अधिकार हो सकता था। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, शायद आप यहां उपस्थित नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने संवैधानिक कठिनाई बताई है। यदि एक तारीख विशेष के बाद वेतन का भुगतान करने आदि के लिए पैसा नहीं होगा तब क्या होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि यही एक संवैधानिक कठिनाई है। अब इस कठिनाई पर काबू कैसे पाया जाए। संसद को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव आयोग भी संवैधानिक प्राधिकरण है। हम सबको मिलकर संवैधानिक समस्या का समाधान करना होगा। इस समस्या को और जटिल न बनने दिया जाए।

श्री जसवन्त सिंह : यह मैं समझता हूं। पर मुझे मंत्री जी के कार्यालय से गलत संदेश मिला। मुझे वहां पहुंचने के लिए कहा गया। मैं यहां पहुंचने की बजाय उनके कार्यालय पहुंचा। इस बीच उन्होंने इस सभा में अपनी बात स्पष्ट कर दी। ये दोनों बातें, यानि सत्र के दौरान मुझे अपने कार्यालय में बुलाना तथा सरकार का बिहार की समस्या सुलझाने में असमर्थ रहना, एक जैसी हैं।

अध्यक्ष महोदय : शायद वह अपने कार्यालय में आपको संवैधानिक कठिनाई से अवगत कराना चाहते थे जिससे कि चर्चा के दौरान हमें उनकी बात को समझना आसान हो जाता।

श्री जसवन्त सिंह : यह मैं समझता हूं। यदि केन्द्र सरकार सतर्क होती तो वह इन अन्तिम क्षणों में संवैधानिक कठिनाई को लेकर सामने नहीं आती। उन्हें पता था कि चुनाव स्थगित हो सकते हैं। निश्चय ही चुनावों को 19 तारीख तक स्थगित करना पड़ा। विभिन्न कारणों से 19 तारीख के बाद भी पुनः चुनावों को स्थगित करना पड़ा है। परिणामतः 29 तारीख तक अन्तिम मतगणना नहीं हो पाएगी। इस महीने के अन्त तक नई विधान सभा गठित नहीं हो पाएगी। तो इस बीच सरकार क्या करने जा रही है। हम सुबह से यही तर्क प्रस्तुत करते आ रहे हैं। कल यानि 15 तारीख से बिहार सरकार की क्या स्थिति होगी। और बिहार के राज्यपाल ने वस्तुतः क्या रिपोर्ट भेजी है। बिहार के राज्यपाल को इस पहलू पर विचार करना चाहिए था कि यदि चुनाव स्थगित हुए तो क्या होगा। इसलिए हमारे विचार से इन सभी समस्याओं का समाधान, चाहे चुनावों का स्थगन हो या विधि और व्यवस्था का मामला हो, या स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग हो, कल राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा और कुछ नहीं है। हमारी किसी सरकार से कोई शत्रुता नहीं है। वहां का काम चलाने के लिए एक कामचलाऊ सरकार बनाई जा सकती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमें चुनावों को पुनः स्थगित किए जाने तथा नई चुनाव तारीखें निश्चित किए जाने की जानकारी नहीं थी। चुनाव आयोग केन्द्र सरकार के परामर्श से चुनाव तिथियां आदि निश्चित नहीं करता। उनका अपना मूल्यांकन होता है और वही तारीखों की घोषणा करते हैं। किन्तु यह पहलू विशेष सामने आया है और मैंने इसका स्पष्टीकरण सभा को दिया है। सदन के सभी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मैं निश्चय ही सभा की इच्छा और सभा की भावना चुनाव आयोग को प्रेषित करूंगा ताकि यह संवैधानिक संकट समाप्त हो सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज ही करिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां।

2.16 म.प.

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

सत्तासीवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के "केन्द्रीय सरकार द्वारा संपत्तियों की खरीद" संबंधी बावनवें प्रतिवेदन पर की गई-कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का सत्तासीवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.16½ म.प.

रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

नौवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री एम. वागा रेड्डी (मेदक) : मैं वर्ष 1995-96 के लिए "लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामले" के बारे में रेल अभिसमय समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

2.17 म.प.

रेल संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं रेल संबंधी स्थायी समिति (1994-95) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) भारतीय रेल में गेज परिवर्तन के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) "भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयां" के बारे में बारहवां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

2.17 ½ म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय (पर्यावरणीय प्रदूषण और तत्संबंधी मामले) के वार्षिक प्रतिवेदन (1993-94) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के सोलहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

2.18 म.प.

समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) प्राक्कलन समिति

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक

लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सहकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्य 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1995 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1996 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.22. म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कोठपुरा में रेल फाटक पर एक ऊपरिपुल बनाने और पंजाब के फिरोजपुर और फरीदकोट शहरों को और रेल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : मैं पंजाब के फिरोजपुर और फरीदकोट जिलों के लोगों की रेल सुविधाओं की कतिपय वास्तविक मांगों की ओर रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दिल्ली-फिरोजपुर तथा दिल्ली-फाजिल्का रेलवे लाइन की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। कोठपुरा में रेल फाटक पर एक फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए। नई रेलगाड़ियां चलाने के बजाय रेल प्राधिकारियों ने 1 एफ बी-2 एफ बी फिरोजपुर-गंगानगर, 347-348, फिरोजपुर-अम्बाला, 1 आर एफ-2 आरएफ, फाजिल्का-रेवाड़ी रेलगाड़ियां भी बन्द कर दी हैं। 369-370 फिरोजपुर-दिल्ली; 87-88, फिरोजपुर-कालका एक्सप्रेस आदि रेलगाड़ियों को बार-बार प्रार्थना किये जाने पर भी पुनः चलाया नहीं जा रहा है। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मामले की ओर ध्यान दें।

(दो) विमान यात्रियों की समस्याओं की जांच के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त किये जाने की आवश्यकता।

श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा (चित्रदुर्ग) : केन्द्रीय सरकार ने विमान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये मुक्त हवाई सेवा (ओपन स्काई पालिसी) शुरू की है। यह एयरलाइन आपरेटरों में स्वस्थ प्रतिद्वंदिता पैदा कर संसाधनों और मानवशक्ति का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए किया गया है ताकि यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिल सकें। परन्तु इससे दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। एक तो यह कि मुख्य मार्गों पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है परन्तु नये क्षेत्रों के लिए विमान सेवा शुरू करने पर कम ध्यान दिया जा रहा है।

इस कारण बड़ौदा, दिल्ली-वाराणसी, भुवनेश्वर, दिल्ली-उदयपुर और औरंगाबाद जैसे स्थानों के लिये विमान टिकट मिलना बहुत कठिन हो गया है। कुछ हवाई अड्डों में सुधार करने, सुरक्षा उपाय, उड़ान भरने और उतरने की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसलिये विमान यात्रियों की इन समस्याओं की जांच करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति शीघ्र गठित की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं/प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता।

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गये अप्राधिकृत कालोनियों को नियमित करने तथा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने इत्यादि जैसे अनेक मामले एवं प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रालयों में काफी समय से लम्बित पड़े हैं। इसके कारण दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान में देरी हो रही है, जिसके कारण हजारों परिवारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि दिल्ली सरकार द्वारा भेजी गई परियोजनाओं तथा प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति दे; जिससे दिल्ली निवासियों की समस्याओं का सुचारू रूप से समाधान हो सके।

(चार) अजमेर (राजस्थान) को वायु सेवा से जोड़ने की आवश्यकता।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नगर है। इस नगर का सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक शैक्षिक दृष्टि से अति विशिष्ट महत्व है। यहीं पर सुप्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर एवं महान सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ है, यहां प्रतिवर्ष देश-विदेश से तीर्थयात्री एवं जायरीन आकर पुण्य लाभ कमाते हैं। मेलों के अवसर पर लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है। अजमेर में ही सुप्रसिद्ध मेयों कालेज स्थित है तथा कई प्रसिद्ध और पुरानी शिक्षण संस्थायें एवं विश्वविद्यालय हैं। यहां देश के विभिन्न क्षेत्रों से आकर छात्र विद्या अध्ययन करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी अजमेर और पुष्कर का अपना महत्व है। यहां की जलवायु, यहां के ऐतिहासिक स्थल तथा धार्मिक आस्था के केन्द्र देशी एवं विदेशी पर्यटकों को निरन्तर आकर्षित किए रहते हैं।

राष्ट्रीयता के प्रथम उन्नायक महर्षि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण भी इसी नगर में हुआ था। अतः विश्व भर के आर्यसमाजी भी उनकी निर्वाणस्थली पर आते रहते हैं। अजमेर में लगभग एक लाख से भी अधिक व्यवसायी परिवार निवास करते हैं। जिनका व्यापार हांगकांग, सिंगापुर, फिलीपाइंस, अफ्रीका, दुबई, आबूधाबी आदि स्थानों पर भी फैला हुआ है। अतः निरन्तर आवागमन रहता है।

अजमेर राजस्थान की हृदयस्थली है। इसी के पास एक ब्यावर जेसी सुप्रसिद्ध ऊन, कपड़ा, एस्बैस्टोस, सीमेंट के उत्पादन की मंडी है तथा औद्योगिक नगरी है, तो दूसरी ओर नसीराबाद जैसी सुप्रसिद्ध सैनिक छावनी है। इसी नगर के पास किशनगढ़ जैसा संगमरमर तथा पावरलूम व्यवसाय का औद्योगिक केन्द्र है।

अजमेर ने स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया है। राजस्थान में और सब रजवाड़े देशी रियासतें थीं। अतः समस्त राजस्थान के स्वाधीनता सैनानियों की कर्मस्थली तथा क्रांतिकारियों का केन्द्र अजमेर ही था। परन्तु इतने महत्वपूर्ण नगर को अभी तक हवाई यातायात से नहीं जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप समस्त तीर्थयात्रियों, जायरीनों, पर्यटकों, व्यवसाइयों को बहुत असुविधा होती है। कई बार सरकार तथा राष्ट्र के बड़े नेताओं ने आश्वासन दिए पर अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है, जिससे लोगों में असंतोष व्याप्त है।

अतः केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रह है कि अजमेर में अविलम्ब हवाई अड्डे की व्यवस्था कर इसे वायु सेवा से जोड़ा जाए, ताकि इस नगर का सर्वांगीण विकास हो सके।

[अनुवाद]

(पांच) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रानीनगर जंक्शन के निकट रेलवे फाटक स्वीकृत करने की आवश्यकता।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाइगुड़ी) : महोदय, पश्चिम बंगाल के रानीनगर रेलवे जंक्शन, जलपाइगुड़ी के निकट एक रेल फाटक स्वीकृत करने की तत्काल आवश्यकता है। यह स्थान रवीन्द्र नाथ हाई स्कूल को जाने वाली सड़क पर है। हर रोज हजारों लोग तथा स्कूली छात्र यहां इस रेल लाइन को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। वहां कोई दूसरी सड़क नहीं है। इसके कारण वहां प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस बात को लेकर यहां के लोग काफी उत्तेजित हैं।

अतः मैं सरकार से वहां दुर्घटनाएं रोकने के लिए एक रेल फाटक स्वीकृत करने हेतु तुरन्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

2.29 म.प.

पेटेंट (संशोधन) विधेयक-1995

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेटेंट अधिनियम-1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : पेटेंट उत्पादों को संरक्षण प्रदान करने हेतु पेंटेट अधिनियम में परिवर्तन के लिए हमारे पास 10 वर्ष का समय है। इतनी जल्दी क्या है। सरकार इस विधेयक को अभी क्यों लाई है। यह हमारे हित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर तब चर्चा कर सकते हैं जब यह पुनः चर्चा के लिए लिया जाएगा। अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने विधेयक की पुरःस्थापना के समय आपत्ति नहीं उठाई है। आप इसके विचार किए जाने के समय आपत्ति उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : हम इस पर मत विभाजन चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, विधेयक पेश नहीं किया जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि पेटेंट अधिनियम 1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"
>
> जो इसके पक्ष में हैं वह वह 'हां' करें।

कई माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसका विरोध करना चाहते हैं वह 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं'

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, 'हां' वालों के मत अधिक हैं।

कुछ माननीय सदस्य : 'नहीं, वालों के मत अधिक हैं, महोदय, हम मत विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है लॉबी खाली कर दी जाए।

हम यह मशीन पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए थोड़े स्पष्टीकरण की जरूरत है। हमने घोषणा की है कि हम टी.वी. पर लोगों को बजट दिखाऐंगे। अगर आप सहमत हों तो मैं मंत्री महोदय को बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता हूं। बजट प्रस्तुत हो जाने के बाद हम इस मद को ले सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या मत विभाजन बाद में होगा।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। क्योंकि कुछ स्पष्टीकरण जरूरी है।

कुछ माननीय सदस्य : यही ठीक रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : दरवाजे खोल दिए जाएं।

2.32 म.प.

रेल बजट, 1995-96

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं भारतीय रेलों के वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान और 1995-96 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इससे पहले कि मैं अगले वर्ष के अनुमानों की भूमिका तैयार करने के लिए चालू वर्ष के कार्य-निष्पादन की सामान्य समीक्षा शुरू करूं, मैं चाहूंगा कि इस माननीय सदन के सामने सरकार द्वारा 1991 में कार्यभार संभाले जाने से लेकर अब तक रेलों के कार्य-निष्पादन की एक झलक पेश की जाए। यह समीक्षा इस समय चल रहे आर्थिक सुधारों के संदर्भ में करनी होगी। चूंकि रेल परिवहन की मांग एक व्युत्पन्न मांग है, इसलिए आर्थिक स्थिति में बदलाव का रेलों के कार्य-निष्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण अवसंरचना होने के कारण रेलों को देश के आर्थिक विकास में बहुत अहम् भूमिका निभानी पड़ती है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रेरणादायक नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधार और उदारीकरण के कार्यों से आर्थिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला है। सारी दुनियां में यह माना जा रहा है कि हमारा देश आर्थिक और

संरचनात्मक सुधारों को लागू करने में विश्व के सफलतम देशों में से है और यह विनियमित अर्थव्यवस्था से बाजार-अनुकूल अर्थव्यवस्था में बदलाव के साथ जुड़ी किन्हीं कठिनाइयों के जाल से भी मुक्त रहा है। इन सुधारों के परिणामस्वरूप, अर्थ-व्यवस्था अब विकास की ओर अग्रसर है। विदेशी मुद्रा का भंडार अब तक का सर्वाधिक है, कृषि उत्पादन नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है और आशा है कि चालू वर्ष में औद्योगिक विकास आठ प्रतिशत के करीब होगा। स्वाभाविक है कि रेल परिवहन की मांग में तेजी से वृद्धि होगी।

अमल में लाए जा रहे आर्थिक सुधारों की भावना के अनुरूप ही, रेलों ने बदलाव लाने के लिए अनेक नए-नए कदम उठाए हैं। रेल परिसंपत्तियों के सृजन के लिए निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने में कुछ सफलता प्राप्त की गई है। यहां मैं "अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए" नामक संशोधित योजना का उल्लेख करना चाहूंगा। इस योजना ने रेलों के अधिकाधिक ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आशा है कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले, इस योजना के अंतर्गत हम बहुत बड़ी संख्या में माल डिब्बों के आर्डरों को अंतिम रूप दे पाने में सफल होंगे। चालू वर्ष में चार मार्गों पर निजी उद्यमियों द्वारा पांच पर्यटक गाड़ियां चलाने की पहल भी की गई है।

मौजूदा परिसंपत्तियों के बेहतर रख-रखाव और मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर वैकल्पिक मार्गों के सृजन के माध्यम से क्षमता बढ़ाने की ओर बराबर ध्यान दिया जाता रहा। इस संबंध में मैं खास तौर से यह उल्लेख करना चाहूंगा कि रेलपथ के नवीकरण के बकाया काम में अत्यधिक कमी हुई है। आठवीं योजना के शुरू में 9,600 कि.मी. रेलपथ के नवीकरण का काम बकाया था जबकि योजना के अंत तक इसके घटकर लगभग 1,950 कि.मी. रह जाने की संभावना है। एक-आमान परियोजना, जिसकी कुछ नेक-नीयती से परन्तु गलत जानकारी के कारण आलोचना हुई है, के कार्यान्वयन पर काफी जोर दिया गया, ताकि आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों में 4,700 कि.मी. और अगले वर्ष 1,500 कि.मी. लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा किया जा सके। इस प्रकार, चार वर्षों में हम योजना के 6,000 कि.मी. के निर्धारित लक्ष्य को पार कर सकेंगे। आधुनिकीकरण की इस अति-महत्वपूर्ण योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में माननीय प्रधान मंत्री जी से जो आशीर्वाद, प्रोत्साहन और सहायता हमें मिली है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अन्य जिन उपलब्धियों का यहां विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है, वे हैं-बड़ी लाइन प्रणाली से भाप कर्षण को पूर्णतः समाप्त किया जाना और रेल इंजनों, पहियों एवं धुरों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता लाना। 27 मार्शलिंग याडों को बंद करके माल डिब्बों की गतिशीलता में सुधार किया गया है।

वर्ष 1991 से, वित्तीय निष्पादन की ये विशेषताएं रही हैं कि सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान में कभी कोई चूक नहीं हुई, 416 करोड़ रुपये की आस्थगित लाभांश दायिता को समाप्त किया गया और पहले के वर्षों में विकास निधि कार्यों के लिए खर्च किये गये 534 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 985 करोड़ रुपये की एक बड़ी रकम रखी गई और परिचालनिक अनुपात में सुधार करके 1990-91 के 92% की तुलना में 1993-94 में इसे 83% तक लाया गया। वस्तु-सूची पर कारगर नियंत्रण के परिणामस्वरूप, वस्तु-सूची टर्न-ओवर अनुपात में कमी करके इसे 24% तक लाया गया, जिससे लगभग 233 करोड़ रुपये की बचत हुई। कंक्रीट के स्लीपरों के निर्माण के लिए अपेक्षित कुछ वस्तुओं को केन्द्रीकृत खरीद तथा कुछ वस्तुओं के संबंध में परम्परागत रूप से अपनाए जा रहे खरीद के तरीके को बदलकर सीमित टेंडरों के बजाय खुले टेंडरों के माध्यम से करने के फलस्वरूप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के सृजन और अपेक्षाकृत कम कीमतों पर खरीद की संभावना बनी है। इन्हें जारी रखने की जरूरत है। स्क्रैप के निपटान से संबंधित प्रयासों में तेजी लाने से काफी लाभ हुआ है, क्योंकि उनसे प्राप्तियां 1990-91 के 410 करोड़ रुपये से बढ़कर 1994-95 में 900 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं। योजना के लिए वित्त की व्यवस्था करना वित्तीय निष्पादन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बाजार से ऋण सहित योजना व्यय के आंतरिक संसाधन घटक इस कदर बढ़ गए हैं कि 1993-94 में रेलें 17% और 1994-95 में 18% के निम्न बजटीय समर्थन से काम चला रही हैं, जो पूर्ववर्ती योजनाओं की तुलना में बहुत ही कम है।

इस अवधि के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास किए गए, हालांकि ये अभी भी अपर्याप्त हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान, 464 नई गाड़ियां चलाई गईं और 277 मौजूदा गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया, जो एक रिकार्ड है। अन्तर्नगरीय यात्रा के लिए तीव्र और सुविधाजनक शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां, मुख्य लाइन की ई एम यू और डी एम यू गाड़ियां भी चलाई गई हैं और इस प्रकार परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

रेल किराया और माल भाड़ा समिति (डा. नांजुन्दप्पा समिति) तथा 'भारतीय रेलों के संगठनात्मक ढांचे और प्रबंधन की प्रकृति' से संबंधित समिति (प्रकाश टंडन समिति) की कुछ सिफारिशों को लागू करने के संदर्भ में, कार्यविधियां निर्धारित करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। गुप्ता-प्रकाश नारायण समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें संगठनात्मक प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए, विभिन्न रेल सेवाओं में भर्ती से संबंधित कुछ पहलू शामिल हैं। एक अन्य समिति, अर्थात् पौलोस समिति ने सामान्य वित्त और रेल वित्त के बीच के संबंधों को विनियमित करने के लिए, सरकारी स्वामित्व और परिचालनों की मौजूदा व्यवस्था के भीतर एक संशोधित दस्तावेज के जरिए बेहतर वाणिज्यिक अनुकूलन कायम करने के लिए कुछ नए उपाय सुझाए हैं। एक तीसरी समिति, यानि हसन इकबाल समिति ने भारतीय रेलों पर जवाबदेही लेखांकन के सिद्धान्तों को लागू करने के उद्देश्य से लागत प्रणाली, लागत नियंत्रण, राजस्व लेखांकन इत्यादि में दूरगामी सुधारों की सिफारिश करते हुए एक वैचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन सभी रिपोर्टों पर रेल मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। मेरा यह प्रयास होगा कि जहां तक संभव हो, इन सिफारिशों को बहुत जल्दी लागू किया जाए।

श्रीमन्, वर्तमान सरकार के अन्तर्गत रेलों की उपलब्धियों के सिंहावलोकन के बाद, जो कि कुछ ही देर में पेश किये जाने वाले बजट का आधार है, मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि विश्व की रेल प्रणालियों में सबसे बड़ी और वर्ष-दर-वर्ष लाभ कमाने वाली एक-मात्र भारतीय रेल की अद्वितीय छवि को बरकरार रखने के लिए बराबर कोशिश की जाती रहे।

श्रीमन्, आपको पता है कि देश के कई भागों में उत्पन्न अशान्त स्थिति से 1992-93 में यातायात के निष्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ऐसा समझा गया था कि यह एक अस्थायी स्थिति होगी। लेकिन प्रतिकूल प्रभावों का असर वर्ष 1993-94 में भी जारी रहा। खासकर, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से यातायात की पेशकश प्रत्याशा से कम रही। रेलें 359 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल का संचलन कर पाईं जो 1992-93 में ढोए गए माल से तो 9 मिलियन टन अधिक था, परन्तु 362 मिलियन टन के संशोधित लक्ष्य से कम रहा। यात्री यातायात में भी उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी प्रारम्भ में प्रत्याशा थी।

यातायात में संभावित कमी के परिणामस्वरूप, यातायात से आमदनी का संशोधित अनुमान, 19,086 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर 18,505 करोड़ रुपये किया गया। वास्तव में जो आमदनी हुई, वह केवल 18,259 करोड़ रुपये थी। इस स्थिति में और भी बिगाड़ आया क्योंकि रेलों को मिलने वाली बकाया राशि बढ़ती ही गई। विशेषकर राज्य बिजली बोर्डों और अन्य बिजली घरों के पास बकाया पड़ी राशि में 1993-94 के अंत तक लगभग 300 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप, यातायात से वास्तविक सकल प्राप्तियां 17,946 करोड़ रुपये हुई जबकि संशोधित अनुमान 18,585 करोड़ रुपये का था। वर्ष के लिए साधारण संचालन व्यय 11,760 करोड़ रुपये था जो 11,755 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से थोड़ा ही अधिक, परन्तु 11,955 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 195 करोड़ रुपये कम था। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग को, जिसे योजना के आकार में कटौती को देखते हुए 2,400 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर संशोधित अनुमान में 2,100 करोड़ रुपये कर दिया गया था, अंततः 1,875 करोड़ रुपये पर समायोजित किया गया। सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान प्रायः उतना ही रहा जितना संशोधित अनुमान के स्तर पर था। अन्ततोगत्वा, वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 'आधिक्य', 1,806 करोड़ रुपये का था, जो बजट और संशोधन अनुमान के 2,195 करोड़ रुपेय के आंकड़े से कम था।

श्रीमन्, आठवीं योजना में योजना आयोग द्वारा निर्धारित 418 मिलियन टन के राजस्व उपार्जक माल यातायात के लक्ष्य को देखते हुए, रेलों ने वर्ष 1994-95 के लिए 380 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया था। चालू वर्ष में माल यातायात का निष्पादन वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान प्रत्याशा के अनुरूप नहीं रहा। वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान लदान के 273 मिलियन टन के आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में रेलों को पेश किए गए यातायात की सभी मांगों को पूरा करने के बाद वास्तविक लदान 265 मिलियन टन हुआ। परिवहन क्षमता उपलब्ध थी लेकिन उसका पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। हाल ही में अधिकाधिक यातायात की पेशकश के उत्साहवर्धक संकेत मिले हैं। रेलें इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके अलावा, परिवहन क्षमता का ह्रास हो जाता है और इसके सृजन पर भारी धन खर्च करना पड़ता है। रेलों की अवसंरचना इस समय दिखाई पड़ने वाले अत्यधिक सघन स्वरूप को समाहित नहीं कर सकती और कुछ विलम्ब अपरिहार्य हो जाता है। पहले आठ से नौ महीनों में अतिरिक्त क्षमता बेकार चली जाती है, जबकि बाकी महीनों में अधिक यातायात की पेशकश होती है; ऐसी स्थिति में मांगें पूरी नहीं हो पाती।

इस चुनौती का सामना सभी रेल उपयोगकर्ताओं के सहयोग से ही किया जाना है। इसमें रेलों को भी अपनी भूमिका निभानी है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, "अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए" की संशोधित योजना के प्रति उद्योग का प्रत्युत्तर बहुत उत्साहवर्धक रहा है। जो एक और पहल की गई है, वह है "बनाइए, मालिक बनिए, पट्टे पर दीजिए और हस्तांतरित कीजिए" (बमापह) नामक योजना के अंतर्गत अवसंरचना और चल स्टाक को पट्टे पर लिया जाना। इस योजना में पर्याप्त रुचि दृष्टिगोचर हो रही है परन्तु इसकी वास्तविक सफलता तभी पता चल पाएगी जब वास्तव में परिसंपत्तियां उपलब्ध हो जाएंगी। इन दो पहलों से रेलें निवेश की प्राथमिकताओं में यथावश्यक समायोजन करके आगामी वर्षों के दौरान यातायात में होने वाली वृद्धि को सम्भालने की चुनौती को स्वीकार कर पाएंगी।

कंटेनरों द्वारा यातायात के संचलन में उल्लेखनीय वृद्धि से थोक संचलन में आई कमी को कुछ हद तक पूरा कर लिया गया है। यह भारतीय कंटनेर निगम के बढ़े हुए व्यापार से परिलक्षित होता है।

यह एक शुभ संकेत है कि यात्री यातायात में प्रत्याशा से अधिक वृद्धि हुई है। हमें पूरा यकीन है कि रेलों द्वारा यात्री सेवाओं में सुधार के उपायों के फलस्वरूप ऐसा हुआ है।

श्रीमन्, माल यातायात में और गमन दूरी में हुई कमी को देखते हुए माल यातायात से होने वाली आमदनी का लक्ष्य 14,289 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर संशोधित अनुमान में 13,700 करोड़ रुपये किया जा रहा है। चूंकि यात्री यातायात में प्रत्याशा से अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए यात्री यातायात से होने वाली आमदनी के अनुमान में संशोधन करके इसे 5,138 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,410 करोड़ रुपये किया जा रहा है। अन्य कोचिंग और अन्य फुटकर आमदनी भी बजट अनुमान से अधिक होने, अर्थात् इसमें 18 करोड़ रुपये की थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए यातायात से होने वाली कुल आमदनी में संशोधन करके इसे 19,970 करोड़ रुपये रखा जा रहा है जबकि इसका बजट अनुमान 20,269 करोड़ रुपये था जो कि 299 करोड़ रुपये की कमी का द्योतक है। विद्युत क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली राशियों के जमा हो जाने के कारण, यातायात से सकल प्राप्तियों में भी काफी कमी करके इन्हें संशोधित अनुमान में 19,920

करोड़ रुपये करना होगा जबकि बजट अनुमान में यह राशि 20,394 करोड़ रुपये थी।

पिछले वर्षों की तरह प्रणाली की कुशलता को बरकरार रखते हुए, किफायत के कई उपाय अपनाकर परिचालन लागत में कमी करने के लिए रेलों ने एक कार्य योजना शुरू की है। माल की ढुलाई में कमी के कारण भी खर्च में कुछ कमी होने की संभावना है। तदनुसार संचालन व्यय में लगभग 257 करोड़ रुपये की बचत होने की संभावना है। इसलिए साधारण संचालन व्यय का संशोधित अनुमान 13,307 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर 13,050 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वर्ष 1994-95 के लिए अनुमोदित 6,515 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में 18,000 माल डिब्बे खरीदने की व्यवस्था थी। परिवहन आउटपुट में कटौती और परिचालन सूचकांकों में सुधार को देखते हुए, जरूरत पर आधारित समीक्षा करने से यह पता चला है कि 12,000 से अधिक माल डिब्बे खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इससे लगभग 280 करोड़ रुपये की बचत हुई है। लेखांकन पर कड़ी नजर रखने के कारण प्राप्यों की बेहतर वसूली तथा परित्यक्त सामग्री के निपटान से भी मदद मिली है। हमें आशा है कि स्क्रैप के निपटान से हम 965 करोड़ रुपये के बढ़े हुए लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए प्रस्ताव है कि 1994-95 के लिए कुल योजना परिव्यय 6,255 करोड़ रुपये, अर्थात् बजट में रखे गये 6,515 करोड़ रुपये से 260 करोड़ रुपये कम रखा जाए।

योजना परिव्यय में कटौती को देखते हुए, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग की राशि में कमी करके संशोधित अनुमान में 2,140 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव है जबकि बजट अनुमान में यह राशि 2,300 करोड़ रुपये रखी गई थी। पेंशन निधि में विनियोग की राशि को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर संशोधित अनुमान में 1,750 करोड़ रुपये किया जा रहा है क्योंकि इस मद पर अब अधिक खर्च होने की संभावना है। शुद्ध विविध प्राप्तियों और सामान्य राजस्व को देय लाभांश में कुछ मामूली परिवर्तनों के कारण 1,870 करोड़ रुपये का "आधिक्य" होगा। यह राशि, जो बजट अनुमान में प्रत्याशा से 100 करोड़ रुपये कम है, योजना परिव्यय के संशोधित अनुमान के अनुसार पूंजी निधि तथा विकास निधि को प्रभार्य निर्माण-कार्यों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

सभी सुधारों का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि जनता को समुचित लाभ और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं ताकि उनके जीवन-स्तर में सुधार आए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सवारी डिब्बों का गहन उपयोग करके और रेक संपर्कों को सुधार कर एवं उन्हें युक्ति-संगत बनाकर अतिरिक्त गाड़ियों, नई सेवाओं, सेवाओं के विस्तार और कुछेक अतिरिक्त हाल्टों के रूप में कई सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता हूं। जिन कुछ अतिरिक्त सुविधाओं का प्रस्ताव है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—उन्नीस नई गाड़ियां चलाना, चार इलाकों में पूर्णरूपेण अनारक्षित गाड़ियां चलाना, नौ गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाना, चार एक्सप्रेस गाड़ियों के फेरे बढ़ाना, दो जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस और एक जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के ठहरावों को बढ़ाना, पंद्रह और इलाकों में डीजल मल्टीपल यूनिट गाड़ियां चलाना, दस और इलाकों में मुख्य लाइन की बिजली मल्टीपल यूनिट गाड़ियां चलाना, आठ अतिरिक्त इलाकों में रेल बस सेवाएं चलाना इत्यादि।

सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 1995-96 के दौरान निम्नलिखित 19 नई गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है :—

(1) हवड़ा और बोकारो के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस।

(2) हवड़ा और राउरकेला के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस।

(3) मद्रास और कोयम्बटूर के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस।

(4) हुबली और बेंगलूरू के बीच एक शताब्दी एक्सप्रेस।

(5) जयपुर के रास्ते हवड़ा और जोधपुर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी (3111/3112 जयपुर-सियालदह एक्सप्रेस के बदले)।

(6) दिल्ली और वाराणसी/मुजफ्फरपुर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(7) बीकानेर-जयपुर इंटर-सिटी एक्सप्रेस।

(8) तिरूपति-कडपा इंटर-सिटी एक्सप्रेस।

(9) बेंगलूरू और मिरज के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(10) एलेप्पी के रास्ते एर्णाकुलम-तिरूवनन्तपुरम इंटर-सिटी एक्सप्रेस।

(11) जयपुर-दिल्ली इंटर-सिटी एक्सप्रेस।

(12) रक्सौल और मुजफ्फरपुर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी (इस खंड के बड़ी लाइन में बदल जाने पर)।

(13) कानपुर-फर्रूखाबाद इंटर-सिटी एक्सप्रेस (मी.ला.)

(14) अहमदाबाद-भावनगर इंटर-सिटी एक्सप्रेस (मी.ला.)

(15) बम्बई और तिरूपति के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी।

(16) मदुरै के रास्ते नागरकोइल और बम्बई वी.टी. के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(17) हवड़ा और गुवाहाटी के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(18) वाराणसी के रास्ते हवड़ा और गोरखपुर के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(19) एलेप्पी के रास्ते बेंगलूरू और कोल्लम के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यात्रियों को पुष्ट आरक्षण पाने में बड़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा कई यात्री अपनी यात्रा का कार्यक्रम ऐन मौके पर बनाते हैं जिससे उन्हें तत्काल आरक्षण उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरूआती तौर

पर मैंने चार क्षेत्रों में पूरी तरह अनारक्षित गाड़ियां चलाने का फैसला किया है। ये हैं :—

(1) सहारनपुर के रास्ते अमृतसर और बरौनी के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(2) भागलपुर और मुजफ्फरपुर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी।

(3) विजयनगरम/रायपुर के रास्ते पुरी और अहमदाबाद के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी।

(4) सूरत और वाराणसी के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक एक्सप्रेस गाड़ी।

श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि सदन को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि कोंकण रेल चालू वर्ष के दौरान ही खुल जाएगी। कुछ उन एक्सप्रेस गाड़ियों के अलावा, जिन्हें कोंकण रेल मार्ग से चलाया जाएगा, इस रास्ते पर बम्बई और मडगांव के बीच एक इंटर-सिटी/शताब्दी एक्सप्रेस तथा कुर्ला और मडगांव के बीच एक रात्रि-कालीन एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने का प्रस्ताव है।

निम्नलिखित नौ गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है :—

(1) 5657/5658 सियालदह-गुवाहाटी कंचनजंगा एक्सप्रेस को लमडिंग तक।

(2) 2479/2480 हजरत निजामुद्दीन-मिरज गोवा एक्सप्रेस को कैसल रॉक तक।

(3) 8011/8012 हवड़ा-राउरकेला इस्पात एक्सप्रेस को झारसुगुडा तक।

(4) सप्ताह में तीन बार चलने वाली 5185/5186 सियालदह-छपरा एक्सप्रेस को गोरखपुर तक।

(5) 3021/3022 हवड़ा-मुजफ्फरपुर मिथिला एक्सप्रेस को रक्सौल तक।

(6) 5327/5328 लखनऊ-दुधवा सैंक्चुअरी एक्सप्रेस को तिलकुनिया तक (मी.ला.)।

(7) 5325/5326 मथुरा-बरेली गोकुल एक्सप्रेस को आगरा फोर्ट से चलाकर गोंडा तक (मी. ला.)

(8) 2015/2016 नई दिल्ली-जयपुर शताब्दी एक्सप्रेस को अजमेर तक।

(9) 7015/7016 सिकन्दराबाद-श्रीकाकुलम रोड-विशाखा एक्सप्रेस को पलासा तक।

1995-96 के दौरान निम्नलिखित चार एक्सप्रेस गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएंगे :—

(1) 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार।

(2) 7003/7004 सिकंदराबाद-हवड़ा-फलकनुमा एक्सप्रेस को सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार।

(3) 3141/3142 सियालदह-हल्दीबाड़ी/न्यू अलीपुरद्वार तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस को सप्ताह में छह दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन।

(4) 2801/2802 नई दिल्ली-पुरी पुरूषोत्तम एक्सप्रेस को सप्ताह में पांच दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन।

वर्तमान गाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव देने की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनेक मांगों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित ठहरावों की व्यवस्था की जाए :—

(क) नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच गाड़ी नं. 2423/2424 राजधानी एक्सप्रेस का न्यू बोंगाईगांव में ठहराव।

(ख) हजरत निजामुद्दीन और तिरूवनंपुरम के बीच गाड़ी नं. 2431/2432 राजधानी एक्सप्रेस का पालक्काट में ठहराव।

(ग) नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच गाड़ी नं. 2011/2012 शताब्दी एक्सप्रेस का अम्बाला में ठहराव।

सुपरफास्ट गाड़ियों को अतिरिक्त ठहराव देने से उनके चालन समय और समय-पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे उनकी सुपरफास्ट छवि भी बिगड़ती है। अतिरिक्त ठहरावों के अनुरोधों पर विचार करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है।

मैंने पिछले बजट भाषण के दौरान ऐसे क्षेत्रों में, जो विद्युतीकृत लाइनों द्वारा सेवित नहीं हैं, डीजल मल्टीपल यूनिट/डीजल पुश-पुल सेवाएं शुरू करके तथा विद्युतीकृत लाइनों पर मुख्य लाइन बिजली मल्टीपल यूनिट चलाकर छोटी दूरी के यात्री यातायात को लम्बी दूरी के यात्री यातायात से अलग करने की रेलों की कार्यनीति का उल्लेख किया था। डीजल मल्टीपल यूनिटों को पहले जालंधर क्षेत्र में और मुख्य लाइन बिजली मल्टीपल यूनिटों को पूर्व रेल के आसनसोल-वर्धमान खंड पर तथा उत्तर रेल के दिल्ली-पानीपत खंड पर चलाया गया था। इसके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों में डीजल पुश-पुल सेवाओं को शुरू किया गया है :—

(1) डोम्बीविली/दिवा-वसई रोड।

(2) दिवा-रोहा-वीर

(3) सम्बलपुर-झारसुगुडा-राउरकेला।

(4) राणाघाट-गेडे।

(5) मानसी-बरौनी-पटना।

(6) दिल्ली-शामली-सहारनपुर।

(7) सिकंदराबाद-बोलारम, सिंकदराबाद-उम्दानगर और सिंकदराबाद-बीबीनगर।

(8) विशाखापत्तनम-पलासा और विशाखापत्तनम-तुनि।

(9) बैद्यनाथधाम-जसीडीह-झाझा-किऊल।

(10) साहिबगंज-जमालपुर-भागलपुर।

(11) बेंगलूरू-मैसूर, बेंगलूरू-अरसीकेरे और बेंगलूरू क्षेत्र।

(12) दुर्ग-रायपुर-बागबहारा।

(13) दिल्ली-मुरादाबाद।

(14) दिल्ली-मेरठ-सहारनपुर।

वर्ष 1995-96 के दौरान, निम्नलिखित 14 अतिरिक्त खंडों पर डीजल मल्टीपल यूनिट/डीजल पुश-पुल सेवाएं शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है :—

(1) भागलपुर-बड़हरवा-कटवा

(2) आद्रा-खड़गपुर

(3) फाजिल्का-भटिंडा

(4) फाजिल्का-फिरोजपुर

(5) पुणे-दौंड-बारामती

(6) इंदौर-भोपाल

(7) अहमदाबाद-वीरमगांव

(8) एर्णाकुलम- कोल्लम

(9) एर्णाकुलम-गुरूवायूर

(10) गुंटूर-रेपल्ल

(11) गुंटूर-माचेर्ला

(12) तेनाली-विजयवाड़ा

(13) बरौनी-समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-गोरखपुर

(14) गुवाहाटी-न्यू बोंगाईगांव

इसके अलावा, निम्नलिखित 10 अतिरिक्त क्षेत्रों में मुख्य लाइन की विद्युत मल्टीपल यूनिट (एमईएमयू) शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(1) धनबाद-गया

(2) गया-मुगलसराय

(3) टाटा नगर-खड़गपुर

(4) आद्रा-आसनसोल

(5) रायपुर क्षेत्र

(6) मथुरा-आगरा-टूंडला/बयाना

(7) सूरत-वलसाड

(8) सूरत-वडोदरा

(9) वडोदरा-अहमदाबाद

(10) मद्रास -सेलम

मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सेवाओं से न केवल कम दूरी तक यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि लम्बी दूरी की गाड़ियों पर दबाव भी घटेगा।

मैंने अपने पिछले बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि कम घनत्व वाली शाखा लाइनों पर रेल बसें चलाई जाएंगी। सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पहली रेल बस उत्तर रेल के मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी खंड पर (राजस्थान में) शुरू कर दी गई है। वर्ष 1995-96 के दौरान निम्नलिखित आठ अतिरिक्त क्षेत्रों में रेल बस सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(1) ग्वालियर-पनिहार

(2) पांडेश्वर-पलास्थला

(3) बीकानेर-कोलायत

(4) मनकापुर-कटरा

(5) बंगारपेट-मारिकुप्पस

(6) होसपेट-कोट्टरू और होसपेट-स्वामिहल्लि

(7) बोब्बिली-सालूर

(8) नडियाद-कपडवंज

मैंने अपने पिछले बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि महत्वपूर्ण गाड़ियों में वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बे लगाए जाएंगे। तदुनसार, सभी राजधानी गाड़ियों में (अगस्त-क्रांति एक्सप्रेस को छोड़कर) वातानुकूल कुर्सी यानों के स्थान पर वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बे लगा दिए गए हैं और इन्हें नई दिल्ली-इलाहाबाद प्रयाग राज एक्सप्रेस और नई दिल्ली-हवड़ा पूर्वा एक्सप्रेस में भी लगाया गया है। ये सवारी डिब्बे अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं और चालू वर्ष के दौरान और भी बहुत सी महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में इनकी व्यवस्था की जाएगी।

श्रीमन्, मैं इस बात को भली-भांति समझता हूं कि यात्रियों को आरामदेह सेवाएं प्रदान करने के लिए रेलों द्वारा सभी उपाय किए जाने के बावजूद अभी भी समयपालन, गाड़ियों में सफाई और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में काफी कुछ किया जाना शेष है। मैं कुछ ऐसे उपायों का उल्लेख करना चाहूंगा जो किये गये हैं अथवा जिनके किये जाने का प्रस्ताव है :—

(क) त्वरित कार्य दलों का गठन : यात्रियों को आरामदेह, संरक्षित और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए रेलों ने त्वरित कार्य दल गठित किए हैं। भेद्य खंडों पर चलने वाली चुनिंदा मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में इन कार्यदलों द्वारा, जिनमें वरिष्ठ संवाहक, हथियारों से लैस रेल सुरक्षा बल के जवान, सवारी डिब्बा परिचर तथा सफाई वाले होते हैं, मार्गरक्षण किया जाता है। उन्हें अलग किस्म की वर्दियां दी जा रही हैं जिससे कि यात्री उन्हें आसानी से पहचान सकें। इन कार्यदलों को चल-वार्तायंत्र (वाकीटाकी) भी दिए गए हैं ताकि ये दल चालक, गार्ड और राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकें और गाड़ी में यात्रियों की शिकायतों और समस्याओं को सुलझाया जा सके। जिन महत्वपूर्ण गाड़ियों में त्वरित कार्यदल तैनात किये गए हैं, उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं-तमिलनाडु एक्सप्रेस, केरल एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, एन.ई. एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस इत्यादि। इस प्रणाली को शुरू करने के संबंध में यात्रियों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। इन कार्यदलों की

कार्यप्रणाली को क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड के स्तर पर मानीटर किया जा रहा है। क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक त्वरित कार्यदल तैनात करने के लिए किसी भी गाड़ी को नामित कर सकते हैं।

(ख) इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के सभी पहलुओं पर पूरी तरह से ध्यान देने और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए लगभग 50 महत्वपूर्ण गाड़ियों में एक-एक गाड़ी अधीक्षक तैनात करने का प्रस्ताव है।

(ग) विभिन्न सेवाओं के लिए रेकों को मानकीकृत किया गया है और उनमें से कुछ को महत्वपूर्ण कोचिंग डिपुओं में आरक्षित रखा गया है, ताकि गाड़ियों के देर से चलने के मामलों में उनका उपयोग किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि इस उपाय से गाड़ियों के देर से चलने के क्रमिक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

(घ) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बों में बिस्तर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लगभग 100 चुनिंदा गाड़ियों में, वातानुकूल शयनयान दर्जों के सभी यात्रियों के लिए बिस्तर सुलभ कराए जाएंगे। नई तरह के बिस्तर, जो हल्के और बेहतर किस्म के हैं, खरीदे जा रहे हैं।

(ङ) कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण एक अत्यंत लोकप्रिय उपाय सिद्ध हुआ है। अब लगभग 80% आरक्षण कम्प्यूटर द्वारा ही किए जा रहे हैं। इसका अब छोटे केन्द्रों तक विस्तार किया जा रहा है। लगभग 155 अन्य स्थानों पर, टिकट शीघ्रता से जारी करने के लिए स्वतः मुद्रण मशीनें लगाई गई हैं; इन्हें अब अन्य स्टेशनों पर भी लगाया जा रहा है।

(च) कुछ चुनिंदा गाड़ियों में पीने के पानी की आपूर्ति को मिनरल वाटर की बोतलों और जलशीतकों की व्यवस्था करके सुधारा जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति के लिए अपने जल शीतक लगाने के लिए प्राइवेट पार्टियों का सहयोग लिया जा रहा है। मुझे आशा है कि यात्री इन उपायों का स्वागत करेंगे।

(छ) पर्यावरण को सुधारने की हमारी वचनबद्धता के अनुसरण में, रेलें कुछ यात्री डिब्बों में जैविक रूप से मल नष्ट करने वाले प्रकार के शौचालय देने का प्रयोग कर रही हैं। इनके उत्साहजनक परिणाम निकले हैं। चलती गाड़ियों मे मलत्याग के निर्वात निकास की एक अन्य प्रणाली विकसित की गई है और इसे कतिपय सवारी डिब्बों में प्रयोग में लाने की योजना है। आगामी वर्षों में कुछ चुनिंदा गाड़ियों में बेहतर प्रणाली शुरू की जाएगी।

(ज) गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 के दौरान एक कार्य योजना शुरू की गई थी। अन्य बातों के साथ क्षेत्रीय रेलों के लिए परिसम्पत्ति, विश्वसनीयता और परिसम्पत्ति उपयोग के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस दिशा में पर्याप्त सुधार हुआ है। रेलपथ, सिगनल, रेल इंजनों और शिरोपरि विद्युत उपस्करों में सुधार होने से और गहन मानीटरिंग के जरिए 1994-95 में मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के समय पालन में 87.4% तक सुधार हुआ है जबकि लक्ष्य 85% तक का था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 90% करने का प्रस्ताव है। यह देखने के लिए गहन जांच की जा रही है कि समयबद्ध तथा संतोषजनक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए रेलें अपने दायित्व को कैसे सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर सकती हैं और जब कोई बड़ी खराबी आ जाए तो प्रभावित यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

मैंने पिछले वर्ष अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था कि खान-पान सेवा को व्यावसायिक बनाने और उसे गुणवत्ता की दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए रेल खान-पान निगम की स्थापना करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। निगम के लिए आवश्यक प्रारंभिक पूंजी के रूप में बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जा रही है।

श्रीमन्, चलती गाड़ियों में बेहतर गुणवत्ता वाली खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने में कई निहित कठिनाइयां सामने आती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। गतायु रसोई यानों को धीरे-धीरे बदला जा रहा है। उच्च अग्रता वाली कुछ चुनिंदा गाड़ियों में नई सेवाएं शुरू की गई हैं। पीने का पानी स्वच्छ बोतलों और थैलियों में उपलब्ध कराया जा रहा है।

जैसा कि सदन को पता है, रेलों के पास एक जन शिकायत निवारक तंत्र है जो क्षेत्रीय रेलों और मंडल स्तरों पर कार्यरत है। रेल उपयोग-कर्त्ताओं की शिकायतों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। वरिष्ठ रेल अधिकारी जनता की शिकायतों और समस्याओं पर स्वयं ध्यान देते हैं और जनता के लिए निर्धारित विशिष्ट समय में उनसे मिलते हैं। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी, जो जनता के सीधे संपर्क में आते हैं, रेल उपयोगकर्त्ताओं को विनम्रतापूर्वक सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त ढंग से प्रशिक्षित किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की शिकायत का मौका न आने पाए। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रेलों के विरुद्ध शिकायतों के मामले में 1992-93 की तुलना में 1993-94 में लगभग 3% सुधार हुआ है।

श्रीमन्, मैंने पर्यटन के विकास के लिए रेलों द्वारा किए गए प्रयासों के विषय में पहले भी कई बार उल्लेख किया है। इस वर्ष गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से तीन नई पर्यटक गाड़ी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। भारत सरकार और राज्यों के पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से शुरू किए गए

सप्ताहान्त अवकाश के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 38 रेल सप्ताहान्त यात्राओं की योजना बनाई गई है और इनमें से नौ योजनाओं को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। यह योजना पर्यटकों को यात्रा के लिए एक ही खिड़की से सभी सुविधाएं, यथा गंतव्य पर रहने की जगह, खानपान, स्थल दर्शन और परिवहन की सुविधाएं प्रदान करती है।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि रेलों द्वारा पर्यटकों को आसानी से वहन की जा सकने वाली लागत पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल की भूमि पर 100 कम खर्चीले (बजट) होटलों के निर्माण में सहायता देने का प्रस्ताव है। इनके स्थान-निर्धारण को पर्यटन विभाग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

श्रीमन्, नियमित जांच और विशेष गहन अभियान शुरू करने के बावजूद भारतीय रेलों पर अभी भी काफी बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रा हो रही है। इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हाल ही में, चल टिकट परीक्षकों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है ताकि उनके द्वारा की गई नियमित जांच के माध्यम से बेहतर परिणाम निकल सकें।

श्रीमन्, गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर कमी हुई है, जो 1993-94 में घटकर 520 रह गई है। प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर दुर्घटनाओं की संख्या में भी सुधार हुआ है और यह संख्या 1984-85 में 1.5 से घटकर 1993-94 में 0.82 हो गई है। भिड़न्तों, जो इन सब में ज्यादा गंभीर हैं और उनके कारण होने वाले हताहतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी कम रही लेकिन जब तक दुर्घटनाएं होती रहेंगी, यह चिंता का विषय रहेगी। संरक्षा को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी, दुर्घटनाओं के सबसे महत्वपूर्ण कारक "मानवीय चूक" का समाधान प्रभावकारी ढंग से खोजना होगा। यह सतत् प्रक्रिया है जिसमें गाड़ी चालन से संबद्ध कर्मचारियों का प्रशिक्षण, परामर्श और निगरानी के पहलू शामिल हैं। इन पहलुओं की ओर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकीय सुधारों पर, जो मानवीय चूक की संभावना को कम करने में सहायक हो सकते हैं, बराबर नजर रखी जाती है। फील्ड यूनिटों की कमियों और खामियों का मौके पर पता लगाने के लिए रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर विशेष दलों का गठन किया गया है और इन कमियों को दूर करने के लिए तत्काल निवारक उपाय किए जाते हैं।

सदन को स्मरण होगा कि अक्तूबर 1994 में चक्रधरपुर के निकट बम्बई-हवड़ा मेल में आग लगने की एक भीषण दुर्घटना हुई थी। तब मैंने दुर्घटना के मूल्यांकन के काम में सहायता देने के लिए रेल मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति के पांच संसद सदस्यों की एक समिति की सहायता ली थी। इस समिति ने गत माह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें बारह सिफारिशें की गई हैं। इनमें रेलों पर संरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं। इनमें से अनेक सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं अथवा कार्यान्वित कर दी गई हैं। समिति ने त्वरित कार्य दल के गठन का भी स्वागत किया है और जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह दल चुनिंदा गाड़ियों पर कार्य कर रहा है।

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। ये मुख्यतः सड़क उपयोगकर्त्ताओं की लापरवाही के कारण होती हैं। इस तरह की लापरवाही के खतरों के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय निकायों की सहायता प्राप्त करने और व्यापक प्रचार करने के उपाय किये गये हैं। पिछले बजट में मैंने बिना चौकीदार वाले 500 समपारों पर चौकीदार तैनात करने के लिए 25 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान की घोषणा की थी। स्पष्ट है कि यह एक महंगा समाधान है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत इलैक्ट्रानिक्स लि. की सहायता से एक किफायती समाधान का पता लगाया जा रहा है। इस पद्धति में, जब गाड़ी लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर होगी, तब समपार पर एलार्म बजेगा और इस प्रकार सड़क उपयोगकर्ताओं को रास्ता साफ कर देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। दस स्थानों पर एक पायलट परियोजना अमल में लाई जा रही है और यदि यह परियोजना सफल रही, तो बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर इसे चरणबद्ध आधार पर शुरू किया जायेगा।

श्रीमन्, मौजूदा हालात में रेलों पर पर्याप्त निवेश किया जाना अनिवार्य है। रेलों को अर्थव्यवस्था में हो रहे विकास की दर की तुलना में परिवहन के क्षेत्र में विकास की कहीं अधिक ऊंची दर की योजना बनानी होगी, ताकि मांग से अधिक क्षमता का सृजन हो सके, क्योंकि परिवहन क्षमता का सृजन एकाएक नहीं किया जा सकता। रेलपथ और अन्य परिसम्पत्तियों के बदलाव और नवीकरण, जहां ऐसा किया जाना है, की प्रगति को प्रभावित किए बिना, रेल विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन, चल स्टाक और टर्मिनल सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निश्चित रूप से प्राथमिकता प्रदान करनी होगी। तदनुसार, 7,500 करोड़ रु. की एक योजना तैयार की गई है जो अनिवार्यतः आवश्यकता पर आधारित है। यह राशि अपनी-अपनी परियोजनाओं के लिए क्रमशः कोंकण रेलवे निगम द्वारा जुटाए जाने वाले 120 करोड़ रु. और भारतीय कंटेनर निगम द्वार जुटाए जाने वाले 74 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण, परियोजना के लिए बजटीय समर्थन चालू वर्ष के 1,150 करोड़ रु. के बराबर ही रखा गया है। मुझे आशा है कि वर्ष के दौरान सरकार बजटीय समर्थन की इस राशि को बढ़ाने में सक्षम होगी जिससे ऊंची लागत पर पूंजी उधार लेने के कारण रेलों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा।

योजना का प्रमुख तत्व आंतरिक संसाधन हैं, जो 4,100 करोड़ रु. के होंगे। हाल के वर्षों की तरह, बाजार से उधार लेकर बजटेतर संसाधनों का सहारा भी लेना होगा। बहरहाल, "अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए" योजना के अंतर्गत, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, कतिपय निवेश प्राप्त होने की संभावना है, कुछ परियोजनाओं को "बनाइए, मालिक बनिए, पट्टे पर दीजिए और हस्तांतरित कीजिए" योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत निजी उद्यमियों को रेलवे के निर्माण कार्यों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और इसकी प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही है। यदि यह योजना मूर्त रूप धारण कर लेती है, तो बाजार से उधार में समुचित कमी आएगी।

श्रीमन्, चालू वर्ष में नई लाइन खंडों, जिनकी कुल लम्बाई 42 कि.मी. है, का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ये हैं :—

1. ब्यास-गोइंदवाल, इस परियोजना को पूरा करना, और
2. लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना परियोजना का कुलपी-निशिंचतपुर

तीन नई लाइनों, यथा मध्य प्रदेश में ढल्लीराजहरा-जगदलपुर, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में अहमदनगर-बीड परजीवैजनाथ और कर्नाटक में कोट्टूरू-हरिहर लाइनों और काकीनाडा-कोटिपल्ली लाइन के पुनर्निर्माण को 1995-96 में शुरू करने का प्रस्ताव है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा। जहां तक ढल्लीराजहरा-जगदलपुर लाइन का संबंध है, इस्पात मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के साथ लागत में भागीदारी के संबंध में एक समझौता ज्ञापन को भी कार्य शुरू करने से पहले औपचारिक रूप दिया जाना है। उसके बाद कार्य शुरू किया जायेगा।

राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच एक सीधी लाइन के लिए पुरजोर मांग की जा रही है। इस लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और यह कार्य 1995-96 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

श्रीमन्, कश्मीर घाटी का तेजी से विकास करने तथा वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, एक मजबूत अवसंरचनात्मक आधार तैयार करने के सरकार के संकल्प के अनुसरण में मैंने इस वर्ष जम्मू-ऊधमपुर नई लाइन के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इस लाइन को श्रीनगर तथा बारामुला तक बढ़ाने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण भी शुरू किया गया था तथा ऊधमपुर से कटरा तक पहला चरण पूरा हो चुका है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होते ही इस क्षेत्र में काम शुरू कर दिया जाएगा।

जम्मू-ऊधमपुर लाइन के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए बजट में 50 करोड़ रु. का आबंटन किया जा रहा है। नई लाइन की अनेक अन्य परियोजनाओं के लिए की गई वचनबद्धताओं के अनुरूप, वर्ष 1995-96 में नई लाइनों के लिए निर्धारित 200 करोड़ रु. की समग्र सीमा के भीतर, पर्याप्त आबंटन किया जाना अपेक्षित है। अतः वर्ष के दौरान कुछ नई लाइनों का निर्माण-कार्य पूरा करने की मेरी प्रबल इच्छा के बावजूद उनके लिए अपेक्षित धनराशि आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। बहरहाल, वर्ष के दौरान स्थिति की समीक्षा की जाएगी और यदि अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध हुई तथा आबंटन में पर्याप्त वृद्धि हो सकी, तो इन्हें तेजी से पूरा किया जाएगा।

श्रीमन्, एक-आमान परियोजना की व्यापक प्रशंसा हुई है और इसे विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन एवं प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ है। बेहतर सेवा, बढ़ी हुई थ्रू-पुट और औद्योगिक विकास जैसे प्रत्याशित लाभ सिद्ध हो रहे हैं।

निम्नलिखित 14 खंडों के आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने की योजना है :—

(1) हिसार-रेवाड़ी
(2) रेवाड़ी-जयपुर, फुलेरा-अजमेर
(3) दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर महसाणा-खोडियार
(4) मिरज-बेंगलूरू मार्ग पर चिकजाजूर-हरिहर- हुबली-लोंडा-मिरज
(5) हासपेट-वास्को मार्ग पर संबद्ध शाखा लाइनों सहित हुबली-गदग और आलनावर-अम्बेवाड़ी।
(6) जोधपुर-जैसलमेर
(7) बिरूर-शिमोगा
(8) गुंटूर-गुंतकल मार्ग पर दोनकौंडा-गिड्डलूर
(9) बेल्लारी-चिकजाजूर मार्ग पर चिकजाजूर-चित्रदुर्ग
(10) परभनी-आदिलाबाद मार्ग पर परभनी-पूर्णा-नांदेड
(11) गोंदिया-चांदाफोर्ट मार्ग पर अरजुनी-वाडसा
(12) मुजफ्फरपुर-रक्सौल
(13) गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ मार्ग पर लमडिंग-दीमापुर
(14) चापरमुख-हैबरगांव

वर्ष 1995-96 के दौरान, निम्नलिखित खंडों के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(1) नरकटियागंज-बाल्मीकि नगर
(2) गोरखपुर-खड्डा
(3) आगरा-बांदीकुई
(4) वांकानेर-मलिया-मियाणा
(5) रुपसा-बांगरीपोसी
(6) मथुरा-अछनेरा
(7) हासन-मैसूर
(8) सलेम-यशवंतपुर
(9) तिरूच्चिरापल्ली-नागौर-कारैक्काल
(10) गांधीधाम-भुज

इनमें से अंतिम पांच परियोजनाओं को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्यान्वित किया जायेगा।

निम्नलिखित आठ मार्गों को वर्ष 1995-96 के दौरान बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है :—

(1) दिल्ली-अहमदाबाद
(2) कांडला-भटिंडा
(3) वांकानेर-मलिया-मियाणा
(4) हासपेट-स्वामिहल्लि
(5) औंडिहार-छपरा
(6) आगरा-बांदीकुई
(7) समस्तीपुर-दरभंगा
(8) परसिया-छिंदवाड़ा

सोलापुर-गदग और मिरज-लातूर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का काम भी 1995-96 में शुरू किया जाएगा। ये परियोजनाएं, जिन्हें 1993-94 के बजट में शामिल किया गया था, योजना आयोग की मंजूरी के लिए रुकी पड़ी थीं। योजना आयोग की मंजूरी हाल ही में मिली है।

लाइनों के दोहरीकरण के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है और वर्ष 1995-96 में इसके लिए धनराशि बढ़ाकर 269 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 161 करोड़ रु. आबंटित किए गये थे।

कुट्टीपुरम-कालीकट खंड का दोहरीकरण हो जाने से, शोरवण्णूर से कुट्टीपुरम तक की लाइन का कार्य भी शुरू करने का प्रस्ताव है, बशर्ते आवश्यक मंजूरियां मिल जाएं। कालीकट-मंगलौर खंड के दोहरीकरण का कार्य "बनाइए, मालिक बनिए, पट्टे पर दीजिए और हस्तान्तरित कीजिए" योजना के अंतर्गत शुरू करने का प्रस्ताव है।

श्रीमन्, बहुत से सर्वेक्षणों का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। प्रणाली का और विस्तार करने तथा इसकी क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से, 1995-96 के दौरान रेलवे का 40 अन्य सर्वेक्षण कराने का विचार है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विकास के लिए नए क्षेत्रों को खोलने की अपनी खोज में हमने नई लाइनों के सर्वेक्षण के कई कार्य शामिल किये हैं। इनमें से कुछ सर्वेक्षण हैं — बियावरा-राजगढ़-सिरोंज-बीना, धौलपुर-गंगापुर सिटी (धौलपुर-सिरमथरा के ब.ला. में आमान परिवर्तन सहित), गिरिडीह-कोडरमा, पटियाला-जाखल/नरवाना, नागौर-फलौदी, पानीपत-मेरठ, दिगारू-बर्नीहाट, सबरीमाला-दिण्डीगुल, ताकजी-तिरूवल्ला-पतनमतिट्टा, भद्राचलम रोड-कोव्वूर, ओंगोल-दोनकोंडा, कामाख्यानगर उप मण्डल को जोड़ने वाला एक नया लाइन सम्पर्क तथा गांधीनगर को अहमदाबाद-दिल्ली मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण। बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए शुरू किए जाने वाले कुछ प्रस्तावित सर्वेक्षण इस प्रकार हैं : मानसी-सहरसा-बनमंखी-कटिहार, धांगधरा खुडा साल्ट साइडिंग, रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा, टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदगा और मद्रास बीच-ताम्बरम के बीच उपनगरीय प्रणाली।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1994-95 में हमने 450 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया है और ये 1-4-1994 को विद्युत कर्षण के 11,793 मार्ग कि.मी. में जुड़ गए हैं। कटनी-बिलासपुर के विद्युतीकरण का काम मार्च, 1995 तक पूरा हो जाएगा और बीना-कटनी के विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। निम्नलिखित पांच खंडों के विद्युतीकरण का काम 1995-96 में पूरा किये जाने की संभावना है :—

(1) सोननगर-पतरातू
(2) जामादोबा-महूदा
(3) बंडेल-कटवा
(4) दिल्ली-अम्बाला
(5) विजयवाड़ा-बल्हारशाह की शाखा लाइनें

संतोष की बात है कि 2x25 के.वी.ए.सी. कर्षण प्रणाली के लिये विश्व मानचित्र पर अब भारत का नाम भी आ गया है। मध्य रेलवे के बीना और कटनी के बीच इस प्रणाली पर नियमित गाड़ी सेवाएं पहले ही चल रही हैं और दक्षिण पूर्व रेलवे के कटनी-अनूपपुर-विश्रामपुर खण्ड पर भी इस प्रणाली का विस्तार किये जाने की संभावना है।

बहुत सी मीटर लाइनों तथा छोटी लाइनों का आमान परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप, महत्वपूर्ण तथा तेज रफ्तार वाले बड़ी लाइन खण्डों पर रेलपथ नवीकरण के सभी बकाया कार्यों को समाप्त करने का लक्ष्य है। चालू वर्ष में, 2,550 कि.मी. रेलपथ के नवीकरण का कार्य पूरा किया जायेगा। 1995-96 में 2,600 कि.मी. रेलपथ के नवीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

1993-94 के दौरान उत्पादन कारखानों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी ने 152 रेल इंजनों का निर्माण किया जबकि लक्ष्य 150 डीजल रेल इंजनों का था। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने ने 140 बिजली रेल इंजनों का निर्माण करके, 135 इंजनों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पार कर लिया। इसने 140 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से 26 सवारी डिब्बों को कर्षित कर सकने की क्षमता वाले 5000 अश्व शक्ति के एक यात्री रेल इंजन का तथा 160 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियों को कर्षित कर सकने की क्षमता वाले एक यात्री रेल इंजन का भी निर्माण किया।

भारतीय रेलों के दो सवारी डिब्बा कारखानों ने 2,063 सवारी डिब्बों का निर्माण किया, जबकि इन दोनों कारखानों का लक्ष्य 2,000 सवारी डिब्बों के निर्माण का था। स.डि.का. में निर्मित ई.एम.यू. तथा डी.एम.यू. गाड़ियां सेवा के दौरान बहुत सफल सिद्ध हुई हैं।

डीजल कलपुर्जा कारखाना, पटियाला ने 53.29 करोड़ रु. मूल्य के विभिन्न प्रकार के पुर्जों का निर्माण किया और 68 रेल इंजनों का पुनर्निर्माण करके उन्हें ईंधन-कुशल रेल इंजनों में परिवर्तित किया।

पहिया एवं धुरा संयंत्र, बेंगलूरू ने 1993-94 में 32,664 पहिया सेटों को असेम्बल करके अपने लक्ष्य से ज्यादा कार्य किया। इसने 68,000 पहियों के लक्ष्य की तुलना में 69,489 पहियों का और 47,000 धुरों के लक्ष्य की तुलना में, 47,698 धुरों का निर्माण किया। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस आधुनिक इकाई ने आई एस ओ 9002 प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, जो गुणवत्ता की उत्कृष्टता का प्रतीक है।

श्रीमन्, परिसंपत्तियों के उपयोग पर रेलें अधिक बल दे रही हैं। चल स्टाक की उपयोगिता में सुधार होने के परिणामस्वरूप, रेलों के सभी उत्पादन कारखानों में अतिरिक्त निर्माण क्षमता उपलब्ध हो गई है। चल स्टाक के निर्यात की पहचान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की गई है। निर्यात संबंधी सभी प्रकार की पूछताछ के शीघ्र निपटान के लिए एक उच्च स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति गठित की गई है। राइट्स तथा इरकान के माध्यम से किये गये पूर्ववर्ती प्रयास फलदायक सिद्ध हुए हैं। मलेशियन रेलवे को चौबीस डीजल रेल इंजन पट्टे पर

दिये गये हैं। वियतनाम से 15 सवारी डिब्बों के निर्यात आदेश, दस रेल इंजनों के लिए बांग्लादेश से तथा नेपाल से दो रेल इंजनों और छह सवारी डिब्बों के निर्यात आदेशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। बांग्लादेश, म्यांमार, इण्डोनेशिया, घाना तथा श्रीलंका को चल स्टाक के निर्यात पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

श्रीमन्, रेलवे का लखनऊ स्थित अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इसकी कुछ उपलब्धियां इस प्रकार है :—

(1) ऐसे खंडों पर चालन के लिये रेल बसों का अभिकल्प तैयार करना तथा उनका विचार करना, जहां यात्री यातायात का घनत्व कम है।

(2) 5000 अश्व शक्ति के यात्री बिजली रेल इंजनों का अभिकल्प तैयार करना तथा विकास करना।

(3) गैर विद्युतीकृत खंडों पर उच्च घनत्व के तीव्र शहरी यातायात के लिए डी.एम.यू. गाड़ियों का विकास ।

(4) 160 कि.मी. प्रति घंटा की उच्च रफ्तार वाली गाड़ियों के लिये डब्ल्यू.ए.पी. 3 रेल इंजन का चिरकालिक सफल परीक्षण चालन।

अब समय आ गया है कि हम अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन की भूमिका को पुनः परिभाषित करें और इसे पूरी तरह स्वायत्त बनाएं। वास्तव में, इस संगठन को अनुसंधान और अभिकल्प मिशन-क्षेत्रों जैसी गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे शैक्षिक उत्कृष्टता के केन्द्रों और उद्योगों के साथ अपना तालमेल बढ़ाना चाहिए। निरीक्षण, नये स्रोतों का विकास आदि आनुषंगिक गतिविधियों को उत्पादन इकाइयों/कारखानों द्वारा बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है। इस सोच के अनुसरण में कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव है।

श्रीमन्, बम्बई उपनगरीय रेल प्रणाली के दैनिक यात्रियों को जिन गंभीर समस्याओं का समाना करना पड़ता है, उनकी जानकारी मुझे है। माननीय सदस्यों को संभवतः यह पता होगा कि रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ परामर्श करके इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया है और बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय सेवाओं के सुधार करने के लिए कई उपायों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार हैं :—

(1) 31.3.95 तक पश्चिम तथा मध्य रेलवे पर चार-चार, अर्थात् कुल आठ पुराने/क्षतिग्रस्त रेकों को बदलकर प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार लाना, रेलपथ नवीकरण की गति बढ़ाना तथा यात्री सूचना प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना।

(2) अल्प-कालिक तथा भावी आवश्यकताओं के लिए प्रणाली की क्षमता बढ़ाना।

(3) समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों का निर्माण करना और राज्य सरकार तथा बम्बई नगर निगम की सहायता से अतिक्रमणों को हटाना।

(4) स्टेशन परिसर, शौचालय जैसे सामान्य सेवा क्षेत्रों का सुधार करना।

(5) परिचलन क्षेत्रों तथा प्लेटफार्मों में सुधार लाने तथा यात्रियों की शीघ्र निकासी के लिये मास्टर-प्लान तैयार करना।

(6) बोरिवली-विरार के बीच रेलपथ को चौड़ा करना और सान्ताक्रुज से बोरिवली तक पांचवीं लाइन का विस्तार करना तथा टर्मिनल क्षमता के अन्य निर्माण कार्य करना।

इनमें से कुछ उपायों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है, जिससे बम्बई उपनगरीय प्रणाली में स्थिरता आई है। वर्ष 1995-96 के दौरान, 16 अतिरिक्त रेक इस प्रणाली में शामिल किए जाएंगे।

कई निर्माण कार्यों को बम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II में शामिल करने के लिए उनकी पहचान की गई है, जिन्हें अन्ततः विश्व बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा। ऐसे रेल कलपुर्जों के बारे में, जिनकी लागत लगभग 2,000 करोड़ रु. है, पांच अध्ययन किए जा रहे हैं। इस बीच, बोरिवली-वसई रोड के बीच रेलपथ को चौड़ा करने के काम को 131.34 करोड़ रु. की लागत पर 1995-96 के बजट में शामिल किया जा रहा है और बम्बई सेन्ट्रल तथा सान्ताक्रुज के बीच छठी लाइन की व्यवस्था करने का काम भी शुरू किया जा रहा है।

न्यू बम्बई क्षेत्र में, निम्नलिखित कार्यों को बजट में शामिल किया गया है, बशर्ते इन्हें आवश्यक मंजूरियां मिल जाएं। उसके बाद इन्हें शुरू किया जायेगा।

(1) थाणे-दुर्भे नेरूल-वाशी खंड

(2) बेलापुर-पनवेल दोहरी लाइन

इन परियोजनाओं की लागत को रेलों तथा 'सिडको' के बीच 1:2 के अनुपात में बांटने का प्रस्ताव है, जैसा कि मानखुर्द-बेलापुर परियोजना के मामले में किया गया है।

श्रीमन्, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कलकत्ता मेट्रो परियोजना अब पूरी होने वाली है। गिरीश पार्क तथा सेन्ट्रल के बीच 1.5 कि.मी. के टुकड़े को छोड़कर, सभी खंड इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक सेवा के लिये खोल दिये गये हैं। बाकी बचे टुकड़े को भी 1995 के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा।

बम्बई में मानखुर्द-बेलापुर परियोजना को चालू वर्ष के दौरान पहले ही पूरा कर लिया गया है।

व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना, मद्रास भी पूरी होने ही वाली है। पार्क टाउन और चेपाक के बीच एक अन्य खंड को इस वर्ष वाणिज्यिक सेवा के लिये खोल दिया जायेगा। इस परियोजना के शेष खंडों को 1996 के दौरान खोला जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कलकत्ता उपनगरीय रेलवे के बारे में क्या कहना है? आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : इसको मेट्रो के समापन पर लिया जाएगा।

भारतीय रेल वित्त निगम ने 1993-94 के लिये प्रदत्त अंश पूंजी पर 12% लाभांश घोषित किया, जो 27.84 करोड़ रु. बनता है, जबकि 1992-93 के लिये 10% लाभांश घोषित किया था, जो 23.20 करोड़ रु. बनता था।

चालू वर्ष के दौरान, भारतीय रेल वित्त निगम ने 1,050 करोड़ रु. की व्यवस्था करनी है, जिसमें से 550 करोड़ रु. कर-योग्य बंध-पत्र जारी करके और 500 करोड़ रु. कर-मुक्त बंध पत्र जारी करके जुटाए जायेंगे। आशा की जाती है कि भारतीय रेल वित्त निगम विपरीत बाजार स्थितियों के बावजूद पूरी राशि जुटाने में समर्थ रहेगा।

वर्ष 1993-94 में इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 391 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 29 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित की। कंपनी द्वारा 12.5 प्रतिशत की दर से 62 लाख रुपये के लाभांश का भुगतान कंपनी भी किया गया है।

"इरकान" ने बंग्लादेश और मलेशिया में शुरू की गई सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है और मलेशिया में किये गये काम के लिये उसे आई एस ओ 9002 प्रमाणपत्र भी मिला है। कंपनी ने चार अन्तर्राष्ट्रीय ठेके भी प्राप्त किये हैं, जिनमें टर्की, मलेशिया, नेपाल और बांग्लादेश प्रत्येक का एक-एक ठेका है।

चालू वर्ष के दौरान, कोंकण रेल निगम ने इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिये, जो अब पूरा होने वाला है, निधि की व्यवस्था करने के लिये कर-मुक्त बंधपत्र जारी करके संसाधन जुटाकर सराहनीय कार्य किया है। अगले वर्ष के दौरान पुनः 120 करोड़ रुपये का ऋण लेने की योजना है ताकि इसे कार्यान्वित करने के लिये कुल अपेक्षित निधि जुटायी जा सके। इस नई लाइन को माल यातायात के लिये 1995 के तीसरी तिमाही के दौरान और यात्री यातायात के लिये दिसम्बर, 1995 में खोले जाने की संभावना है। "बनाएं-परिचालित करें-हस्तांतरित करें" के सिद्धांत के अनुसार, इस लाइन को चालू किये जाने के बाद कुछ वर्षों के लिए इस लाइन के परिचालन की जिम्मेदारी निगम की रहेगी।

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकॉनामिक सर्विसिज लिमिटेड ने 1993-94 में 65.2 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा 4 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने 45 लाख रुपये के लाभांश का भुगतान किया है।

भारतीय कंटेनर निगम में विविधता आई है और इसने वर्ष के दौरान इंदौर, न्यू मुलुंड तथा आगरा में तीन नए कंटनेर टर्मिनल स्थापित करके चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। निगम द्वारा सम्हाले गए यातायात में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे इसका कारोबार पिछले वर्ष के 81 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 114 करोड़ रुपये हो गया है।

कंटेनर निगम के परिचालनों के माध्यम से भारतीय रेल ने मल्टि-माडल परिवहन की मुख्य धारा में प्रवेश कर लिया है। यह निगम बंबई, मद्रास और कलकत्ता के महत्वपूर्ण पत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय यातायात सम्भालता है और शीघ्र ही कांडला और तूतीकोरिन पत्तनों पर भी यातायात सम्भालने का कार्य शुरू करने वाला है।

रेल सूचना प्रणाली केन्द्र (रे.सू.प्र.के.) कंप्यूटरीकरण की अनेक परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं "माल परिचालन सूचना प्रणाली" का विकास एवं कार्यान्वयन। इस केन्द्रीय प्रणाली के साफ्टवेयर का उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में परीक्षण चल रहा है। परीक्षण के संतोषजनक ढंग से पूरा हो जाने पर, इस प्रणाली का विस्तार उत्तर रेलवे के अन्य मंडलों पर किया जाएगा।

श्रीमन्, भारतीय रेल कल्याण संगठन सेल्फ फाइनेंसिंग योजना के माध्यम से "कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं," के आधार पर रेल कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण कर रहा है। इसने देश के विभिन्न भागों में ग्यारह आवास योजनाएं शुरू की हैं और नौ अन्य स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया है। दो आवास-परियोजनाएं, एक नौएडा में और एक गोरखपुर (फेज-1) में, समय से और उसी लागत में पूरी हो गई हैं।

भारतीय रेल के खिलाड़ियों ने 1993-94 के दौरान बारह चैंपियनशिप खिताब जीते। पिछले राष्ट्र मंडल खेलों के दौरान, रेल के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता। जापान में हिरोशिमा में आयोजित 12वें एशियाई खेलों में, रेलवे के खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता।

भारतीय रेल पूरे देश में फैले अपने 122 अस्पतालों और 670 औषधालयों के नेटवर्क के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त भारतीय रेल कार्डियक सर्जरी आर्थोपीडियक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी गेस्ट्रोएंट्रोलाजी, माइक्रो वैस्कुलर सर्जरी तथा कैंसर के क्षेत्रों में भी अति-विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

हमने हाल ही में जगजीवन राम अस्पताल, बंबई में एक 50 बिस्तरों वाला उन्नत अति-विशिष्ट गैस्ट्रोएंट्रोलाजी केन्द्र खोला है, जिसमें उन्नत थेराप्युटिक एंडोस्कोपिक सर्जरी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़े मंडल अस्पतालों में अल्ट्रासोनोग्राफी और डाइग्नास्टिक एंडोस्कोपों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वाराणसी में भारतीय रेल कैंसर संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान बन गया है तथा उसका और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

रेल कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक देखभाल में सुधार लाने के लिए भारतीय रेलों के 60 औषधालयों में प्रयोगशाला तथा ईसीजी की सुविधाओं की भी व्यवस्था करने का मेरा प्रस्ताव है।

भारतीय रेल चिकित्सा सेवा डाक्टरों के लिए आकर्षक नहीं है। चुने गए डाक्टरों में से केवल 20 प्रतिशत ही सेवा ज्वाइन करते हैं और उनमें से भी बहुत से छोड़कर चले जाते हैं। रेलवे डाक्टरों के लिए केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के समकक्ष पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराकर मेरा इस सेवा को अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव है।

श्रीमन्, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि रेलवे कार्यप्रणाली के आधुनिकीकरण में संगठित श्रम सकारात्मक सहयोग प्रदान कर रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता शुरू करने के प्रति बहुत उत्सुक हैं और इसके लिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था, समवेत उद्यम दलों का पुनर्गठन किया गया तथा प्रबंध में रेल कर्मियों की भागीदारी के लिए दल गठित किये गए।

मैं इसमें एक कदम और जोड़ना चाहूंगा। मैं रेलवे की कार्य प्रणाली के महत्वपूर्ण मामलों में रेलवे बार्ड तथा श्रमिक संगठनों के बीच उच्चतम स्तर पर सहभागिता की एक प्रणाली शुरू करना चाहता हूं, जिससे ज्यादा पारदर्शिता बनेगी। इससे लागत कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के भारतीय रेलों के समवेत उद्देश्यों की प्राप्ति के हमारे प्रयासों में श्रमिक संगठन भी अपने आपको भागीदार समझेंगे।

...(व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ : अब मैं समझता हूं आप इस बात से सहमत होंगे कि हम आपसे अधिक श्रमिकों के शुभचिंतक हैं।

क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर संबद्ध यूनियनों के साथ रेल परिचालन तथा ग्राहक सेवा पर प्रभाव डालने वाले मामलों पर व्यापक सहभागिता होगी। सीधी भागीदारी तथा स्वतः प्रयास करने के लिए निचले स्तर पर स्व-प्रबंधन दल गठित किये जायेंगे। पश्चिम रेलवे के वडोदरा स्टेशन में पहले ही एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जहां स्व-प्रबंधन दल गठित किये गए हैं जिनमें पर्यवेक्षण कर्मचारी तथा निचले स्तर के वे कर्मचारी शामिल हैं जो बुकिंग, आरक्षण, पार्सल सम्हलाई तथा स्टेशन की सफाई आदि के कार्य से जुड़े हैं।

श्रीमन्, यह सरकार गरीबों की दशा सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले चार वर्षों में, रोजगार के अवसर जुटाने और कमजोर वर्गों की दशा सुधारने के लिए कई उपाय किए गए हैं। कतिपय कोटियों को अधिक बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है :—

(i) बेरोजगार युवा : बेरोजगार युवा, जिन्हें सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और जिन्हें यात्रा का खर्च नहीं दिया जाता, "कॉल लैटर" प्रस्तुत करने पर 50 प्रतिशत रियायत पाने के पात्र होंगे।

(व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ : अब आप जनता दल के लिए मेजें थपथपाएंगे और जनता दल आपके लिए।

(ii) लाइसेंसशुदा भारिक : रेलवे प्लेटफार्मों या स्टेशन के परिसरों के प्रवेश द्वारों पर लाइसेंसशुदा भारिकों की उपस्थिति रेल यात्रियों में राहत , सुरक्षा और विश्वास की भावना का संचार करती है। यह स्व-नियोजित वर्ग यात्री सुविधाओं का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है, जो यात्रियों के भारी सामान को उठाकर उनकी सहायता करता है। इनमें से अधिकांश लोग रात और दिन काफी लंबे समय तक रेलवे प्लेटफार्मों पर रहकर यही काम करते हुए अपना सारा जीवन गुजार देते हैं। रेलें उनके द्वारा की जा रही सहायता को मानती है और उनकी सराहना करती है। उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए, मेरा इस समर्पित कोटि के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है :—

(व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ : आप कह रहे हैं कि यह सरकार गरीबों की समर्थक नहीं है। आप और क्या चाहते हैं?

(क) बहिरंग चिकित्सा सुविधाएं जो, इस समय लाइसेंस शुदा भारिकों को उपलब्ध हैं लेकिन उनके परिवारों को उपलब्ध नहीं हैं, उनकी पत्नी और आश्रित बच्चों को भी प्रदान की जाएंगी।

(ख) मैं उनके बच्चों को रेलों द्वारा या रेलकर्मी संगठनों और महिला समितियों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

लाइसेंसशुदा भारिकों को ये सुविधाएं पूर्णतः अनुग्रह के रूप में दी गई हैं और ये उन्हें रेल प्रतिष्ठान में किसी नियमित हैसियत के लिए कोई अधिकार या अधिकार का संकेत नहीं देती।

(iii) आशा है कि तेज रफ्तार गाड़ियों में लगे टर्मिनलों के जरिये चल टेलीफोन संचार की व्यवस्था करने के लिए एक पायलट परियोजना संचार मंत्रालय के सहयोग से जून 1995 से शुरू कर दी जाएगी। प्रारंभ में यह सेवा बंबई-नई दिल्ली राजधानी और बड़ी लाइन की "पैलेस-आन-व्हील्स" नामक गाड़ियों में उपलब्ध कराई जाएगी। इस पायलट परियोजना के सफल निष्पादन के बाद, यह सुविधा तेज रफ्तार की अन्य गाड़ियों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे भारतीय रेलों पर आधुनिकीकरण के नए युग का सूत्रपात होगा। यह अच्छी प्रोद्योगिकी है और संचार मंत्रालय ने इसका समर्थन किया है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि अपने पिछले बजट भाषण में, मैंने "एक-आमान परियोजना" तथा कोंकण रेल परियोजना द्वारा यातायात के बदले हुए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए रेल नेटवर्क के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया था। क्षेत्रीय रेलों का पिछला पुनर्गठन लगभग तीन दशक पूर्व 1966 में किया गया था, जब दक्षिण-मध्य रेल का गठन किया गया था। तब से रेलों ने माल यातायात और यात्री यातायात के कारोबार में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कार्यभार भी बहुत अधिक बढ़ गया। इस संबंध में अब विस्तृत अध्ययन पूरा कर लिया गया है और मंत्रालय द्वारा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और उन पर आगे कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल, इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बजट में एक सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

मुझे विश्वास है कि इस कार्रवाई को शुरू करने से, जिसे बहुत पहले ही शुरू कर दिया जाना चाहिए था, यह संगठन अधिक सुदृढ़ होगा और यह प्रणाली बाजार की स्थिति के बदलते हुए स्वरूप और ग्राहकों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से और तेजी से निपटाने में समर्थ होगी।

हाल ही के वर्षों में और जबसे रेल सुरक्षा बल संघ का सशस्त्र बल बना है, इस पर गृह मंत्रालय के अनुरोध पर विभिन्न राज्यों में कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए तैनाती की मांग बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विशेष रूप से विधान सभा के चुनावों के समय, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिये रे.सु.ब. को नियमित रूप से तैनात किया जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिये अन्य केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के साथ रे.सु.ब. की 80 कंपनियों की तैनाती की गई है। जहां कहीं भी रे.सु.ब. के अधिकारियों और कर्मियों ने ड्यूटियां की हैं, उन्होंने उन्हें बखूबी निभाया है, जिसे राज्य सरकारों ने बहुत सराहा है और इससे रेल सुरक्षा बल और रेलवे को बहुत गौरव प्राप्त हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उनके संघों को मान्यता देने के बारे में क्या स्थिति है? सभा में आश्वासन दिया गया था।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : हम उनकी सहायता और सेवा कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मान्यता की क्या स्थिति है?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : यह सम्मानजनक बात है यदि यह मान्यता नहीं है तो क्या है?

इसके अतिरिक्त, रे.सु.ब. को टिकटों की जांच करने से संबंधित अभियानों में वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की सहायता करने और खतरे की जंजीर खींचने, अनधिकृत फेरी लगाने आदि की बुराई के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों के लिए भी तैनात किया जाता है। चूंकि अन्य ड्यूटियों के लिये बहुत बड़ी संख्या में तैनात कर दिये जाने के कारण रे.सु.ब. के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम रह जाती है, अतः मैं इस बल की संख्या में समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। इन बलों के कार्य संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद, रे.सु.ब. और राजकीय रेलवे पुलिस की भूमिका को पुनः परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। रे.सु.ब. कर्मिकों की परिलब्धियों की बारीकी से जांच करने का भी विचार है ताकि समानता की दृष्टि से इन्हें भारत सरकार के अन्य समान बलों के समक्ष लाया जा सके।

अब मैं 1995-96 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं। प्रारम्भ में, मैं इस माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आमदनी और व्यय का वास्तविक आधार पर आकलन करने में हमने बहुत सावधानी बरती है और ऐसा करते समय अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से होने वाली प्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप यातायात में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा है तथा साधन-सामग्री की बढ़ी हुई लागतों के बड़े भाग को लागत में कमी के उपाय अपनाकर समाहित किया गया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, रेल क्षमता का सृजन उसकी मांग से अधिक करना होगा ताकि गंभीर गत्यावरोध पैदा होने से रेलों की स्थिति दर्दनाक न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए और योजना आयोग द्वारा लगाए गए पूर्वानुमानों के आधार पर, मैंने अगले वर्ष के लिए राजस्व उपार्जक माल यातायात के 398 मिलियन टन के विशाल लक्ष्य को ही रहने दिया है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमें लक्ष्यों में संशोधन करके उन्हें नीचे लाना पड़ा है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इसमें रेलों का कोई दोष नहीं था। मुझे यकीन है कि सदन इस बात को ध्यान में रखेगा कि रेल परिवहन की मांग प्रायः पूरी तरह अर्थव्यस्था के विकास पर निर्भर करती है। यदि 1995-96 में अर्थव्यवस्था के तीव्रतर विकास की उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि रेलें माल यातायात के अनुमानित लक्ष्य को पूरा न कर सकें। हाल में यात्री यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे मैं अगेल वर्ष के लिए यात्री यातायात में चार प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगा सका हूं। "अन्य कोचिंग" और "फुटकर अन्य आमदनी" में भी इतनी ही वृद्धि होने की आशा है। इन अनुमानों के आधार पर, वर्तमान किराये और भाड़े की दरों में यातायात से 21,205 करोड़ रुपये की सकल प्राप्तियां होने का अनुमान है, जिनमें बिजली क्षेत्र की ओर बकाया रकमों की कुछ वसूलियां भी शामिल हैं। इस प्रकार आशा की जाती है कि यातायात से सकल प्राप्तियां चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 1,285 करोड़ रुपये अधिक होंगी।

यह मानते हुए कि रेलें साधन-सामग्री की लागतों में होने वाली कुछ वृद्धि को आत्मसात् कर सकने में सक्षम होंगी, सचांलन व्यय के वास्तविक अनुमान के आधार पर, संचालन व्यय की आवश्यकता 14,790 करोड़ रु. बनती है, जो 1994-95 के संशोधित अनुमान से 1,740 करोड़ रुपये अधिक है। वर्धमान यातायात की ढुलाई के लिए अपेक्षित साधन-सामग्रियों की लागत, लागतों में अन्य वृद्धियों और भारतीय रेल वित्त निगम को देय उच्चतर पट्टा प्रभारों को इस रकम से पूरा किया जाएगा।

चल-स्टाक के पट्टे के आधार पर प्रापण से और "अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए" योजना के अत्यधिक फलीभूत होने के कारण मूल्यह्रास के लिए की जाने वाली व्यवस्था में कमी अपेक्षित है। तदनुसार, मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 2,000 करोड़ रुपये के विनियोग का प्रस्ताव है। यह राशि चालू वर्ष के 2,140 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से थोड़ी कम है।

अगले वर्ष पेंशन निधि से अधिक रकम की निकासी की प्रत्याशा है, जिसकी पूर्ति के लिए चालू वर्ष के 1,750 करोड़ रुपये के विनियोग की तुलना में, वर्ष 1995-96 में 1,970 करोड़ रुपये के विनियोग का प्रस्ताव है।

सामान्य राजस्व को देय लाभांश का आकलन रेल अभिसमय समिति द्वारा निधारित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1995-96 के लिए लाभांश की व्यवस्था उसी दर पर की गई है जिस दर पर चालू वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन यह उस समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद समुचित समायोजनों के अध्यधीन है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सामरिक लाईनों की परिचालनिक हानियों की

145 करोड़ रुपये की राशि को सन्तुलित करने के बाद, यह राशि 1,371 करोड़ रुपये बनती है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के बाद तथा शुद्ध विविध प्राप्तियों को हिसाब में लेने के बाद, "आधिक्य" 1,305 करोड़ रुपये बनता है।

श्रीमन्, 1995-96 के लिए समुचित आकार की वार्षिक योजना के कार्यान्वयन के लिए रेलों को संसाधनों की अत्यधिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। किराये तथा माल भाड़े की वर्तमान दरों के आधार पर लगभग 3,350 करोड़ रुपये के आन्तरिक संसाधन उपलब्ध होंगे। 2,250 करोड़ रु. के प्रस्तावित ऋणों तथा 1,150 करोड़ रु. के बजटीय समर्थन को मिलाकर, कुल उपलब्ध संसाधन 6,750 करोड़ रु. बनते हैं, जबकि आवश्यकता पर आधारित जरूरत 7,500 करोड रु. की है। अपेक्षाकृत उच्चतर लागतों पर और अधिक ऋण लेना न तो रेलों के वित्तीय हित में होगा और न ही विवेक सम्मत। जैसा कि सदन को मालूम है, पिछले चार वर्षों के दौरान रेलों ने आन्तरिक किफायत बरत कर लागतों में वृद्धि को आत्मसात् करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। इन्हें जोरदार ढंग से अमल में लाया जा रहा है। ऐसे उपायों के प्रभाव भी इन बजट अनुमानों में परिलक्षित हो रहे हैं। लेकिन, संसाधनों की आवश्यकता तथा उपलब्धता के बीच अन्तर इतना ज्यादा है कि उसे मात्र इन उपायों से पूरा नहीं किया जा सकता है। एक आसान तरीका यह है कि योजना के आकार में कमी कर दी जाए, लेकिन ऐसा करने से न केवल रेलें, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था भी जोखिम में पड़ जाएगी। रेलों द्वारा योजना के आकार को कम करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि रेलों की क्षमता में कमी आने से, देश की आर्थिक प्रगति खतरे में पड़ जाएगी। अतः सरकार ने 7,500 करोड़ रुपये के योजना आकार को बनाए रखने का निर्णय किया है। इसके लिए, किराये तथा माल भाड़े की दरों में चुनिंदा आधार पर मामूली समायोजन करके लगभग 750 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाना आवश्यक है। अब मैं इन प्रस्तावों की चर्चा करूंगा।

यात्रियों के व्यापक हित में, मैंने यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित दर्जों के मामले में किसी भी दूरी के लिए किराए में कोई वृद्धि न की जाए :—

(1) दूसरा दर्जा साधारण

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे विजयवाड़ा) : कितनी दूरी के लिए छूट उपलब्ध है? **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : आप कभी सरकार का पक्ष नहीं लेते हैं। आप अच्छे उपायों की भी सराहना नहीं करते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने गाड़ियों की संख्या कम कर दी है **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, आपने देश की जनता के लिए इसे देखने की जो व्यवस्था की है उससे मैं प्रसन्न हूं। आपके माध्यम से मैं इसे उनके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि यह उनकी सेवा के लिए है।

(2) दूसरा दर्जा मेल और एक्सप्रेस

(3) शयनयान दर्जा (सभी गाड़ियां) ; और

(4) पहला दर्जा (साधारण)

वातानुकूल पहले दर्जे, वातानुकूल 2-टियर शयनयान दर्जे, वातानुकूल कुर्सीयान और मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों के पहले दर्जे के किरायों में 10% वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वातानुकूल 3-टियर के किराये, पहले की भांति, वातानुकूल कुर्सी यान के किरायों से 25% अधिक लिए जाते रहेंगे। इन मामलों में, न्यूनतम किरायों में भी समुचित संशोधन किया जाएगा। पहला दर्जा (साधारण) के मामले में, न्यूनतम किराये को, जो इस समय 32 रुपये है, घटाकर 20 रुपये करने का प्रस्ताव है।

रेलों ने नए डिजाइन का वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बा बनाया है जिसमें सरकने वाले दरवाजे लगे केबिन होंगे। केबिन में स्थान के आबंटन के लिए मेरा 5% अधिभार लगाने का प्रस्ताव है, जो न्यूनतम 50 रु. प्रति यात्री होगा।

वातानुकूल 2-टियर शयनयानों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को बाद में अधिसूचित की जाने वाली किसी तारीख से किराये में उपयुक्त समायोजन करके, गाड़ियों में बिस्तर प्रभार वूसल किए बिना बिस्तर सप्लाई करने का प्रस्ताव है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : सभी माननीय सदस्य वातानुकूल 2 टियर के लिए हकदार हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपने कर्मचारियों को राहत दी है और संसद सदस्यों को नहीं दी है। **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : चुनाव परिणामों को देखते हुए हमने ऐसा किया है। हम परिणाम नहीं देखते हैं। हम देश और जनता का हित देखते हैं।

यात्रियों को प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता को देखते हुए, अगस्त क्रांति सहित राजधानी एक्सप्रेस तथा शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए एक अलग किराया संरचना लागू करने का प्रस्ताव है।

उपनगरीय सेवाओं में अनेक सुधारों की योजना है, जिन पर भारी निवेश अपेक्षित है। यह उचित ही होगा कि उपनगरीय सेवाओं के उपयोगकर्ता इस प्रकार के सुधारों पर खर्च में कुछ हद तक योगदान करें। अतः इस तरह के उपयोगकर्ताओं के संबंध में कुछ समायोजन करने का मेरा प्रस्ताव है।

श्रीमन्, सदन को मालूम है कि सीजन टिकटों के लिए उपनगरीय किराया संरचना अत्यधिक रियायती है। इस समय, उपनगरीय यात्री एक महीने में 10 कि.मी. पर 23 इकहरी यात्राओं और 110 कि.मी. पर 9 इकहरी यात्राओं के किराए का भुगतान करता है, जिससे यह पता चलता है कि कितनी अधिक सब्सिडी दी जाती है।

रेल किराया और माल भाड़ा समिति ने सिफारिश की है कि सीजन टिकटधारी को अवरोही क्रम में कम से कम 25 से 11 इकहरी यात्राओं के लिए भुगतान करना चाहिए। इसे स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। पहले चरण में, दूसरे

दर्जे के मासिक सीजन टिकट के किरायों में न्यूनतम दूरी पर 5 रु. की वृद्धि से लेकर 91 कि.मी. और इससे ज्यादा दूरी पर 30 रु. की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मध्यवर्ती दूरियों के लिए समुचित वृद्धियां करने का प्रस्ताव है। इससे न्यूनतम दूरी पर मात्र 17 पैसे प्रतिदिन तथा 91 कि.मी. और इससे ज्यादा दूरी पर एक रुपया प्रतिदिन की वृद्धि होगी।

रेल किराया ओर माल भाड़ा समिति ने यह भी सिफारिश की है कि तिमाही सीजन टिकट के किरायों का तीन मासिक सीजन टिकट के किरायों से 10% कम पर निर्धारण किया जाए। तिमाही सीजन टिकटों के किराये अब मासिक सीजन टिकट के किरायों का मौजूदा 2.5 गुना के बजाय 2.7 गुना के हिसाब से लिए जाएंगे।

पहले दर्जे के सीजन टिकटों का किराया दूसरे दर्जे के सीजन टिकटों के किराये का चार गुना लिया जाता रहेगा।

यात्री आरक्षण प्रणाली के संगणकीकरण का स्वागत हुआ है और इसका विस्तार करने की मांग की जा रही है। आशा है कि वर्ष 1994-95 के अंत तक, प्रतिदिन 300 या इससे अधिक आरक्षण वाले लगभग सभी केन्द्रों को कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा। आरक्षण पर होने वाले अधिक खर्च की आंशिक पूर्ति के लिए, आरक्षण प्रभारों में समुचित वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

लागत में हो रही वृद्धि की पूर्ति के लिए, लिपिकीय प्रभारों तथा रद्दकरण के न्यूनतम प्रभारों में संशोधन करने का भी मेरा प्रस्ताव है।

इस समय, कालका-शिमला, सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग, मेट्टुपालयम-उदगमंडलम और पठानकोट-जोगिन्दरनगर खंडों पर यात्री किराया स्फीत दूरी के आधार पर लिया जाता है। हालांकि ये खंड बराबर घाटे पर चल रहे हैं, फिर भी इन खंडों के भीतर यात्रा करने वाले स्थानीय यात्रियों को राहत पहुंचाने का मेरा प्रस्ताव हैं, क्योंकि यहां के अधिकांश लोग समाज के कमजोर वर्गों से हैं। खंड के भीतर यात्रा करने पर ये सभी यात्री सामान्य किराये का भुगतान करेंगे। बहरहाल, इन खंडों से बाहर के स्टेशनों से इन खंडों पर स्थित किसी स्टेशन के लिए तथा विलोमतः बुक किए गए यात्री स्फीत दूरी के आधार पर ही किराये का भुगतान करते रहेंगे।

श्रीमान्, मालभाड़े के संबंध में मेरे प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

1. रेल किराया और माल भाड़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही कागज, जूते, नारियल जटा उत्पाद, चाय, कॉफी, रबड़, पूरी दबी हुई तथा आधी दबी हुई कच्ची कपास, चिकित्सा भण्डार, दूध का पाउडर, हल्दी, बिजली उपकरण, कृषि उपकरण (बिजली द्वारा चालित) आदि का वर्गीकरण कम करने का प्रस्ताव है।

2. सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न, चीनी और रासायनिक खाद डिवीजन ए, बी और सी को छोड़कर सभी वस्तुओं की भाड़ा दरों में 7 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

श्रीमन्, सदन इस बात से सहमत होगा कि जितनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, वह स्फीति की लगभग 10 प्रतिशत की मौजूदा दर से कम है, जिससे यह पता चलता है कि बाकी जो कमी रह गई है, वह रेलों द्वारा आत्मसात् की जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैसा मैंने पहले कहा था, रेल उपयोगकर्ताओं पर मैं सबसे कम और अपरिहार्य बोझ डाल रहा हूं।

1-4-1995 से लागू होने वाले इन प्रस्तावों से पूरे वर्ष में लगभग 750 करोड़ रुपये प्राप्त होने की संभावना है। यह रकम संसाधनों की खाई को पाटने भर के लिए काफी है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस तरह जुटाए गए संसाधनों का प्रणाली विस्तार तथा इसे सुदृढ़ बनाने के लिए कारगर ढंग से उपयोग किया जाएगा।

श्रीमन, यह सरकार ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश के दीर्घकालीन हित में है **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : इसलिए हम चुनाव परिणाम नहीं देख रहे हैं। मेरे लिए यह आसान था कि मैं योजना के आकार मे कमी करके किराए और भाड़े की दरों में वृद्धि करने से बचता अथवा रेलों को निरन्तर बढ़ते हुए ऋण के बोझ तले दबने देता। लेकिन, ऐसा करना निस्सन्देह भारतीय रेलों की प्रगति और विकास के लिए खतरनाक होता। श्रीमन्, मुझे विश्वास है कि राष्ट्र की जीवन-रेखा के लिए सदन कदापि ऐसा नहीं होने देगा।

श्रीमन्, प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी के प्रति मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने विकास संबंधी हमारे सभी प्रयासों में अपना पूर्ण समर्थन दिया है और हमारा हौसला बढ़ाया है। रेल कर्मियों ने जिस कर्तव्य-निष्ठा और समर्पण की भावना से अपना कार्य किया है, उसकी भी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहूंगा।

महोदय, एक बार फिर हम प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव, योजना आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह, संचार मंत्री श्री सुख राम के सहयोग और विकास कार्यों में प्रोत्साहन देने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं रेल कर्मियों द्वारा ईमानदारी और निष्ठा से किए गए कार्य की सराहना करता हूं।

श्रीमन्, इन शब्दों के साथ, मैं अब 1995-96 का रेल बजट इस सदन को संस्तुत करता हूं।

3.58 ½ म.प.

...(व्यवधान)...

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1994-95

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : महोदय, मैं वर्ष 1994-95 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।...**(व्यवधान)**

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान की पूरक मांगों (रेलवे) की सूची

मांगें की संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की पूरक मांग की राशि
1.	रेलवे बोर्ड	1,15,00,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	1,54,00,000
8.	परिचालन व्यय-चल स्टाफ और उपस्कर	29,08,55,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	50,11,50,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की अदायगी और अति पंजीकरण का प्रतिशोधन	8,00,00,000
16.	परिसम्पत्तियां-खरीद निर्माण व बदलाव अन्य व्यय पूंजी	1119,02,81,000

3.59 म.प.

इस समय डा. गिरिजा व्यास तथा एक अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(व्यवधान)

4.00 म.प.

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आपने चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह सब क्या हो रहा है।.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, कृपया आप बैठ जाइए। सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मंत्री जी सभा में आप सदस्यों से इस तरह बात नहीं कर सकते। सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप अपनी सीट पर जाइए। मैं मंत्री जी को कहूंगा कि वह आपके प्रस्ताव के बारे में आपसे बात करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सभा में इस तरह का व्यवहार करना शोभा नहीं देता।

(व्यवधान)

4.03 म.प.

इस समय डा. गिरिजा व्यास तथा एक अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : ...**(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप बार-बार खड़े हो जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपने जो बजट पेश किया उससे बहुत से लोग संतुष्ट हैं, पर कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप हमेशा इसी तरह बोलते हैं। आप किसी रेलवे इंजिन में नहीं बैठे हैं। आप रेल न बनें। मंत्री जी, ऐसा लगता है, कुछ सदस्यों की वास्तविक समस्याएं हैं। यदि आप उन्हें बुलाकर उनके साथ विचार-विमर्श करें तो बहुत अच्छा होगा।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपके इस प्रकार से बोलने पर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप बैठ जाइए। यह रिकार्ड में नहीं जा रहा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको बात करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : पिछले 5 सालों में...**(व्यवधान)**। जब आप मेरी बात सुनेंगे तभी मैं इसका स्पष्टीकरण कर पाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप मुझे सम्बोधित कीजिए। यदि आप उनसे बात करेंगे तो वह आपसे और अधिक बात करना चाहेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, आप बैठ जाइए। आप पहले मंत्री जी की बात सुनिए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, पिछले साल प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप किया था और कहा था कि जो राज्य उपेक्षित हैं वहां नई योजनाएं शुरू करनी होंगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की अपनी कठिनाइयां हैं। देश बहुत बड़ा है और मांगें बहुआयामी हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : किन्तु रेल मंत्रालय उड़ीसा राज्य का ध्यान नहीं रख रहा है जबकि उसे वहां से अधिकतम आमदनी छोटी है। प्रधान मंत्री के आश्वासन को भी पूरा न करना बड़े दुर्भाग्य की बात है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैं आपसे एक छोटा सा आश्वासन चाहता हूं। आपको पता है कि सदस्यों की कुछ समस्याएं हैं। मुझे आपसे अपेक्षा है कि आप उन्हें आमंत्रित करें, उनसे बातचीत करें, उनके साथ चाय पीएं, उनके साथ भोजन करें और उन्हें जहां तक सम्भव हो, संतुष्ट करने का प्रयास करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात उनको बाद में बता दीजिए।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों में...

अध्यक्ष महोदय : आपका साधारण सा उत्तर होना चाहिए। मैं यह करूंगा।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : कृपया मेरे साथ सहयोग करें। क्योंकि एक ऐसी भावना बन गई है कि हमने, कुछ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत कुछ किया है। पर कुछ लोग उत्तेजित हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : राजस्थान में पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए निवेश की राशि की तुलना नहीं की जा सकती । इतिहास साक्षी है कि हमने राजस्थान के बराबर धन निवेश किसी और राज्य में नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : यह सही है कि आप हर समस्या का समाधन नहीं कर सकते । पर आप उनकी बात तो सुनिए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं । मैं पुनः योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा वित्त मंत्री से मिलूंगा और देखूगां कि चर्चा और मतदान के दौरान मैं क्या कुछ कर सकता हूं...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : बोलनगीर-कुर्दा लाइन का क्या हुआ। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैं कोटा-बीना के बीच में एक ऐक्सप्रेस गाड़ी की मांग कर रहा हूं लेकिन मंत्री जी उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो भी वह लिखकर देंगे वह आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और जितनी मदद कर सकते हैं वह करेंगे। नहीं कर सकते है तो आप समझा देना।

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : यदि हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे। हमें चाय पिलाकर संतुष्ट करने की कोशिश न करें। हमकों सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा।...**(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

4.10 म.प.

पेटेंट (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एम. अरुणाचलम द्वारा पेश किए गए पेटेंट (संशोधन) विधेयक को लेता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि पेटेंट अधिनियम 1970 में और संशोधन वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

कुछ माननीय सदस्य : हम मत विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : लॉबी खाली कर दी जाए। लॉबी खाली हो गई है।

अब मैं मतदान करने की प्रक्रिया स्पष्ट करता हूं :

सबसे पहले मशीन को ऑपरेट करने के लिए सदस्य को अपनी आवंटित सीट पर बैठना होगा और वहां बैठकर घण्टी बजने की आवाज तथा प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगाए गए संकेत 'अब मतदान' कीजिए का जलने का इन्तजार करना होगा। फिर मतदान इनिशियेशन स्विच दबाना होगा। साथ ही पुश बटन दबाएं हरा (ए) बटन 'हां' के लिए है, लाल (ए) बटन 'नहीं' के लिए है और पीला (ओ) मतदान में भाग न लेने के लिए है।

स्विच तथा पुश बटन एक साथ तब तक दबाए रखने होंगे जब 10 सैकिण्ड बीत जाने के बाद दूसरी बार घण्टी बजे।

मत विभाजन के दौरान 'अम्बर बटन' (पी) न दबाएं। यदि कोई माननीय सदस्य अपने मतदान में सुधार करना चाहता है तो उसे घण्टी बजने से पूर्व 10 सैकिण्ड तक पुश बटन तथा वोट स्विच दबाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : कृपया बताएं कि वोट इनिशिएशन स्विच कहां रखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : शायद वह मेज के नीचे रखा हुआ है। बाकी सब बातें आपको मालूम हैं। अभी तक हम जिस व्यवस्था का प्रयोग कर रहे थे, उसमें और इसमें अधिक अन्तर नहीं है। केवल आपकी मेज पर रखे हुए बटन को दबाना है। बाकी सब पहले जैसा है।

लॉबी खाली कर दी गई है। अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि पेटेंट अधिनियम 1970 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान दीजिए-मैं परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा में हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। पर आपको मुझे भी तंग नहीं करना चाहिए।

जिनका मत रिकार्ड नहीं हुआ उन्हें एक पर्ची दी जाएगी। आप अपना मत रिकार्ड करेंगे। हम उस पर्ची को आपसे लेंगे और तब परिणाम घोषित करेंगे।

आप पर्ची ले लीजिए और अपना मत रिकार्ड कीजिए।

4.22 म.प.

मत विभाजन संख्या-1

पक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी.
अयूब खां,
अरुणाचलम, श्री एम.
अहमद, श्री ई.
इस्लाम, श्री नुरुल
उन्नीकृष्णन, श्री के.पी.
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्ब्रे, श्री लाईता
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी
कहाडोले, श्री जेड. एम.
कामसन, प्रो. एम.
कालियापेरूमल, श्री पी.पी.
काले, श्री शंकरराव दे.
कुप्पुस्वामी, श्री सी.के.
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो. पी.जे.
कुली, श्री बालिन
कृष्ण स्वामी, श्री एम.
केवल सिंह, श्री
कौल, श्रीमती शीला
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी
खन्ना, श्री राजेश
खां, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान

गगोई, श्री तरुण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलौत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतूभाई
गालिब, श्री गुरचरण सिंह
गाबीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरि, श्री सुधीर
गिरियप्पा, श्री सी.पी.
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव
चंद्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी.
चाको, श्री पी.सी.
चलिहा, श्री किरिप
चिदम्बरम, श्री पी.
चेन्नित्तला, श्री रमेश
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, डा. के.वी.आर.
चौधरी, श्रीमती संतोष
जंगबीर सिंह, श्री
जांगडे, श्री खेलन राम
जाटव, श्री बारे लाल
जाफर शरीफ, श्री सी.के.
जावाली, डा. बी.जी.
जीवनरत्नम, श्री आर.
झिकराम, श्री मोहन लाल
टिंडिवनाम, श्री के. राममूर्ती
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह
डेनिस, श्री एन.
डेका, श्री प्रबीन
तंगका बालू, श्री के.वी.
तारा सिंह, श्री
तिरिया, कुमारी सुशीला
तोपनो, कुमारी फ्रिडा
थुंगन, श्री पी.के.
दलबीर सिंह, श्री
दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह
दिघे, श्री शरद
दीवान, श्री पवन
देशमुख, श्री अनंतराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नायक, श्री जी. देवराय
नायक, श्री सुभाष चन्द्र
नायकर, श्री डी.के.
निकम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पांडियन, श्री डी.
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
डा. (श्रीमती) पद्मा
पाटिल, श्री विजय एन.
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर
पाल, डा. देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वी.आर. नायडू
पोतदुखे, श्री शांताराम
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसल, श्री पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बरार, श्री जगमीत सिंह
भक्त, श्री मनोरंजन
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
मनफूल सिंह, श्री
मरबनिआंग, श्री पीटर जी.
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा. आर.
माथुर, श्री शिव चरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिर्धा, श्री राम निवास
मीणा, श्री भेरु लाल
मुजाहिद, श्री बी.एम.
मुरलीधरन, श्री के.
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर
मैथ्यू, श्री पाला के.एम.
राजेश्वरन, डा. वी.
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम बदन, श्री
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री रामनिहोर
राव, श्री जे. चौक्का
राव, श्री पी.वी. नरसिंह

राव, राम सिंह कर्नल
रावत, श्री प्रभु लाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डय्या यादव, श्री के.पी.
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रोशन लाल, श्री
लक्ष्मण, प्रो. सावित्री
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, के. विमला
वर्मा, श्री शिव शरण
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी.एस.
विलियम्स, मेजर जनरल आर.जी.
व्यास, डा. गिरिजा
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शिगडा, श्री डी.बी.
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, डा. राजगोपालन
संगमा, श्री पूर्णो ए.
सईद, श्री पी.एम.
सज्जन कुमार, श्री
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
सिंगला, श्री संतराम
सिलवेरा, डा. सी.
सिंह, श्री खेलसाय
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह देव, श्री के.पी.
सुरेश, श्री कोडीकुन्नील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सोडी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री जी. वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

विपक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जान
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अवैद्य नाथ, महन्त
आचार्य, श्री बसुदेव
उराव, श्री ललित
कटियार, श्री विनय
कालिकादास, श्री
कस्वां, श्री राम सिंह
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण
केशरी लाल, श्री
कोली, श्री गंगा राम
खंडूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र
खां, श्री सुखेन्दु
गंगवार, डा. परशुराम
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजा देवी, श्रीमति,
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गौतम, श्रीमती शीला
घंघारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव
चक्रवती, प्रो. सुशांत
चटर्जी, श्री निर्मल कांति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जटिया, श्री सत्यनारायण
जसवंत सिंह, श्री
जायनल अबेदिन, श्री
जैना, श्री श्रीकान्त
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री दाऊ दयाल
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डोम, डा. राम चन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
तोपदार, श्री तरित वरण
तोमर, डा. रमेश चन्द
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री द्वारकानाथ
दीक्षित, श्री ओश चन्द्र
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह
धर्मभिक्षम, श्री
पटनायक, श्री शरत
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री सुरेन्द्रपाल
पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र
प्रकाश, श्री शशि
प्रसाद, श्री हरि केवल
बर्मन, श्री उद्धव
बर्मन, पलास
बसु, श्री चित्त
बाला, डा. असीम
बालयोगी, श्री जी.एम.सी.
बालियान, श्री नरेश कुमार
बैरवा, श्री राम नारायण
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मलिक, श्री पूर्ण चंद्र
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस.
महतो, श्री बीर सिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुब्रत
मुखर्जी, श्री प्रमथेश
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरमु, श्री रूप चन्द
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन सिंह, श्री
यादव, श्री चन्द्रजीत
राजनारायण, श्री
राम, श्री प्रेम चन्द्र
राय, श्री एम. रमन्ना
राय, श्री लाल बाबू
राय, डा. सुधीर
राय, श्री हाराधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
राव, श्री डी. वेंकटेश्वर
रावत, प्रो. रासा सिंह
रावल, डा. लाल बहादुर
रेड्डी, श्री बी.एन.
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, प्रो. रीता
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
शर्मा, श्री जीवन
शर्मा, श्री राजेंद्र कुमार
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास
सिंह, श्री देवी बक्स
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सुर, श्री मनोरंजन
स्वामी, श्री सुरेशानन्द
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

अध्यक्ष महोदय : शुद्धिकरण* के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में — 145

विपक्ष में — 103

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम. अरुणाचलम : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

4.38 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र–जारी

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1994, द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, मैं पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश 1994 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7085/95]

---

* सर्व श्री ए. अशोकराज, श्री बी. राज रविवर्मा, डा. एन. मुरुगेसन, श्री पी.कुमारासामी, डा. श्रीमती के.एस. सौन्दरम और श्री आर. नायडू रामास्वामी ने मतदान में भाग नहीं लिया। (5+3.38) — 6

4.39 ½ म.प.

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक दोनों पर एक साथ आगे विचार करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक पर बोलते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सूचना टेक्नालाजी के क्षेत्र में आज जो टेक्नालाजिकल क्रान्ति आई है उसका प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा है। इसके कारण हमारी संस्कृति पर हमला होने का खतरा पैदा हो गया है। हमें विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित किया जा रहा है। इसका असर हमारे समाज पर पड़ रहा है जबकि इसका हमारे जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे हमारे देश में तथा कुछ अन्य देशों में जो स्थिति पैदा हो गई है, अगर सरकार उसका ईमानदारी से सामना करना चाहती है तो हम इसका स्वागत करते हैं।

4.40 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

आरम्भ में मंत्री जी ने इस विधेयक के उद्देश्य की जो व्याख्या दी है उसके अनुसार इससे इस देश के केबल आपरेटरों के हितों की रक्षा होगी। देश में करीब 60,000 से 70,000 केबल आपरेटर हैं। हो सकता है आज इनकी संख्या एक लाख से भी अधिक हो गई हो। इस विषय में उस समय एक अध्यादेश जारी किया गया था। जब यह देखा गया कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस व्यवसाय पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। इसके कारण न केवल हमारी संस्कृति को अपितु हमारी सार्वभौमिकता को भी खतरा हो सकता था। यद्यपि अध्यादेश जारी करने की इस प्रथा का मैं विरोध करता हूं, पर जिस प्रयोजन से यह विधेयक लाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

केबल आपरेटरों के अनिवार्य पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई है, वह भी स्वागत योग्य है। इससे सरकार को केबल आपरेटरों की अन्धाधुन्ध बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है क्योंकि इनमें से बहुत से गैर-जिम्मेदार हैं। वह भारतीय युवावर्ग, संस्कृति और समाज के हितों की परवाह नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। फिर भी मुझे शंका है कि सरकार उनका पंजीकरण करके ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकेगी। फिर भी सरकार को उन बेईमान केबल आपरेटरों पर अंकुश लगाने का हथियार मिल जाएगा जो हमारी संस्कृति को दूषित कर रहे हैं और हमारे सामाजिक तंत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझे हमारे देश में एक ऐसी घटना की जानकारी है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो एक केबल आपरेटर ने ऐसी गलत बातें फैलाई जिससे हमारे देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता था। यह बात लोगों द्वारा ही सरकार के ध्यान में लाई गई। लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने पर ही इसे रोका गया और देश के विभिन्न समुदायों में तनाव समाप्त हुआ।

महोदय, मैं केबल आपरेटरों द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन किये जाने के बारे में सरकार पर गम्भीर आरोप लगाता हूं। सरकारी मीडिया एक आदर्श मीडिया के रूप में कार्य करने की बजाय, उन्हीं बातों से समझौता करने का प्रयास कर रहा है जिसका वह विरोध कर रहा था। एम.टी.वी. को ही लीजिये। यह जो कुछ दिखाता है उसका हमारी संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर दूरदर्शन भी इसमें सहयोग कर रहा है। इससे सरकार का उन बेईमान केबल आपरेटरों का विरोध करने और उनकी आलोचना करने का अधिकार समाप्त हो जाता है जो इस प्रकार का प्रसारण करते हैं जिससे हमारा समाज दूषित होता है।

जहां तक दूरदर्शन द्वारा दो चैनलों का पुनर्प्रसारण करने का सवाल है, यह काम केबल आपरेटरों द्वारा कराया जाना चाहिए। उन्हें इसे राष्ट्रीय दायित्व समझना चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि तीव्र आलोचना के बावजूद, इलेक्ट्रानिक मीडिया आज भी पक्षपात कर रहा है। समाचारों और विचारों का एक तरफा प्रसारण हो रहा है। समाचारों में शहरी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को तरजीह दी जाती है, ग्रामीण जीवन की उपेक्षा की जाती है। समाज में हो रही वास्तविक घटनाओं की उपेक्षा होती है। इसलिए मैंने एक अन्य मंच पर एक राष्ट्रीय मीडिया नीति तैयार करने की मांग की थी। करीब एक वर्ष पहले सरकार, एक मंत्रालय विशेष ने श्री पी. चिदम्बरम् की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित करने का फैसला किया था, पर इसकी आज तक एक भी बैठक नहीं हुई है। इस उप-समिति का काम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मीडिया नीति का प्रारूप तैयार करना था। सरकार ने एक मंच-विशेष में एक प्रारूप प्रस्तुत किया। उस पर चर्चा हुई। पर विद्यमान परिस्थितियों में बिना किसी राष्ट्रीय मीडिया नीति के इलेक्ट्रानिक मीडिया क्या भूमिका निभा सकता है? सूचना टेक्नालाजी, उपग्रह चैनलों तथा सार्वभौमिकरण के कारण सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है। हमारे शयन-कक्ष, हमारी बैठक विदेशी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, इस स्थिति का कैसे मुकाबला किया जाए? इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका होगी? क्या हमारे जो कार्यक्रम हैं उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है? इन सब बातों पर विचार-विमर्श हो सकता है। राष्ट्र के लिए संविधान की भावना के अनुसार समुचित निर्देश तैयार किये जा सकते हैं। राष्ट्र का लक्ष्य संविधान में सम्मिलित विभिन्न अनुच्छेदों, निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्र-सार्वभौमिकता हासिल करना है। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। राष्ट्र आज भी ऐसी राष्ट्रीय मीडिया नीति से वंचित है। हमें राष्ट्रीय संस्कृति नीति की भी आवश्यकता है। इस विषय में हमें एक 'दृष्टिकोण-पत्र' दिया गया था। पर हमेशा ही उसे सत्र के अन्तिम दिनों में कार्यसूची में शामिल किया जाता है। कई बार इस पर चर्चा का भी वचन दिया गया, पर चर्चा कभी नहीं हुई। तो, इस प्रकार

की नीति के अभाव में हम छोटे केबल आपरेटरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं?

आजकल टेलिकम्युनिकेशन, कम्प्यूटर, एयरवेज सब एक हो गए हैं। बहु-मीडिया ने जन्म ले लिया है। लोग घर बैठे इच्छित सांस्कृतिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इच्छित संस्कृति तक पहुंच सकते हैं, उसका आनन्द ले सकते हैं। आज सूचना टेक्नालाजी में क्रांति आई है। हमारा एक सूचना नीति भी होनी चाहिए। मैंने सरकार और मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था। आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग में एक रूसी यूनिट है, वहां लोग जम्मू कश्मीर तथा अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के विचार प्रसारित नहीं करते। इन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देता।

कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद से वापस आ रहा था। हवाई अड्डे पर वीआईपी लांज में पाकिस्तान रेडियो अपनी सरकार के विचार, श्रीमती भुट्टो द्वारा कोपेनहेगन में व्यक्त किये गए विचार प्रसारित कर रहा था। पर भारत सरकार के इस प्रकार के विचार प्रसारित नहीं किए गये। विदेशी सरकारें उग्रवाद के विरूद्ध या साजिश के विरूद्ध जो विचार व्यक्त करती हैं सरकारी मीडिया उनका प्रसारण सीमाक्षेत्र तो अलग रहा, अन्य क्षेत्रों में भी नहीं करता। ऐसी स्थिति में यदि केबल आपरेटर सीमाक्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं तो उनके समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना सरकार का कर्तव्य है ताकि उन पर उचित नियंत्रण रखा जा सके। सरकार इन पर नियंत्रण रखने, इन्हें निर्देश देने का अपना अधिकार खोती जा रही है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर बने कार्यक्रम की उपेक्षा की गई। किसी राज्य विशेष के मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और सामाजिक समस्याओं के विषय में की गई घोषणाओं की उपेक्षा की गई। यह बात हम सरकार के ध्यान में ला चुके हैं। इसके विपरीत केन्द्र में सत्तारूढ़ दल की सरकार के नए-नए रंगरूटों के विचारों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किया गया। कुछ महिलाओं, जिनका समाज में कोई अधिक योगदान नहीं रहा है, के विचार भी बढ़ा-चढ़ाकर कर प्रसारित किए गए।

महोदय, मुझे इसका कड़वा अनुभव है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आप कोई उदाहरण दीजिए। किस प्रोग्राम में आपके मुख्यमंत्री की बात प्रसारित नहीं की गई। आपने मेरी तरफ इशारा किया है, इसलिए मैं यह बात उठा रही हूं। आप भी राजनीतिज्ञ हैं और मैं भी। आपके विचार भी प्रसारित किए जाते हैं। पर मैं जानती हूं आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कलकत्ता दूरदर्शन से चार्ट मंगवाया जाए और देखा जाए कि विपक्षी दल तथा सी पी आई (एम) को कितने-कितने मिनट अलाट किए गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कलकत्ता दूरदर्शन में विपक्ष का कहीं नाम नहीं है। केवल सत्ताधारी दल के सदस्यों और मुख्य मंत्री के नाम हैं। उन्हें चैनल-II और चैनल-I दोनों में कवर किया गया है। यह अब सी पी आई (एम) मीडिया बन गया है। जिस अधिकारी या विभाग ने आपको यह ब्यौरा दिया है मैं उसको चुनौती देती हूं। मैं इस मामले को उठाना चाहती हूं।

श्री रूपचन्द पाल : उन्होंने अगर यह बात अपने पर लागू की है तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कुछ महिलाओं, कुछ राजनीतिज्ञों, कुछ छोटे नए लोगों की बात कही है। श्री विजय कृष्ण मोदक हमारे दल के वरिष्ठ सदस्य थे। वह 70 वर्ष तक राजनीति में रहे और श्री पी.सी. सेन के सहयोगी थे। वह तीन बार इस सभा के सदस्य रहे। पश्चिम बंगाल विधान सभा के विधायक रहे। उनका निधन हुआ। पश्चिम बंगाल में यह आज तक की सबसे बड़ी शोक सभा थी जिसमें पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री विजय कृष्ण चौधरी तथा वामपंथी मोर्चे के अध्यक्ष जैसे नेता उपस्थित थे। पर मेरे अनुरोध पर भी दूरदर्शन ने उसका उचित प्रसारण नहीं किया। यह है स्थिति। अपने आरम्भिक जीवन में वह युगान्तर दल में थे। फिर केन्द्रीय नेता बने और अन्त में कम्युनिस्ट नेता बने। भारत के उस भाग में साम्यवादी आन्दोलन का श्रीगणेश उन्होंने ही किया था। श्री विजय कृष्ण मोदक के निधन का उल्लेख इस सभा में भी किया गया। पर दूरदर्शन के पास इसको कवर करने का समय नहीं था जबकि कैमरामैन उसी दिन कलकत्ता में घटी मामूली घटनाओं को 'कवर' कर रहे थे। अतः मैं सरकार से इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें कुछ प्रावधान हैं जो सरकार की मदद करेंगे।

मैं पहले कह चुका हूं कि देश को एक नीति की जरूरत है। चीन को भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वहां उपग्रह चैनल हांग-कांग से आपरेट होते हैं। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में उनके अपने यंत्र हैं जो प्रसारण नियंत्रित करते हैं। हमारे देश में भी ऐसा नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए आदर्श नियम, कानून होने चाहिए। यू.के. में उनका एक स्वशासित प्राधिकरण है जो प्रसारण अधिनियम, प्रोग्राम अधिनियम और विज्ञापन अधिनियम पर आधारित है।

5.00 म.प.

हमारे देश में प्रसारण, डाक, टेलकम आदि कई अधिनियम हैं। इन अधिनियमों के प्रमुख उपबन्धों को लेकर एक व्यापक अधिनियम बनाया जा सकता है। उसी पर आधारित एक प्राधिकरण बनाया जा सकता है। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ऐसा प्राधिकरण उस सरकार के अधीन काम कैसे कर सकता है जो लोकतंत्र के ढांचे को बरबाद करने पर तुली है। 1990 में सर्वसम्मति से प्रसार भारती विधेयक पास किया गया था। पर कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे अमल में नहीं लाया गया है। प्रबुद्ध लोग न्यायालयों में भी चले गए हैं। उन्होंने फैसले सुना दिए। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सरकार इलेक्ट्रानिक मीडिया को नियंत्रित न करे। देश के लोगों को जानकारी हासिल करने, जानकारी तक पहुंचने और उसे प्रसारित करने का अधिकार होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। सरकार स्पष्ट करे कि प्रसार भारती विधेयक के अनुपालन के बारे में उसका क्या विचार है? क्या वह इलेक्ट्रानिक मीडिया या केबल संचालन प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाना चाहती है?

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हाल ही में जब भारतीय सिनेमा में सैक्स और हिंसा का बोलबाला होने लगा तो माननीय मंत्रीजी ने सभी सम्बद्ध पक्षों से विचार-विमर्श करने की पहल की। इन लोगों की सिफारिश पर सेंसर अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए। उन्हें कानून में शामिल किया जा रहा है। यह एक प्रयोग-मात्र है। देखना यह है कि हम कितना सफल होते हैं। इसमें और सुधार किया जा सकता है। आशा है कि केबल नेटवर्क के सम्बन्ध में बनाए जा रहे सेंसर-पूर्व प्रावधानों से स्थिति सुधरेगी। देश की युवा-संस्कृति पर जो दुष्प्रभाव हो रहा है, उसमें सुधार होगा। पर सेंसरशिप नियंत्रण इसका सही समाधान नहीं है। जो लोग स्वस्थ सांस्कृतिक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मंडी हाउस में 'प्रथम-आवत-प्रथम पावत' का सिद्धान्त चलता है। हम जानते हैं वहां क्या होता है देश में सही, स्वस्थ संस्कृति के निर्माण के प्रति समर्पित लोगों को प्रोत्साहित करने का यह सही तरीका नहीं है। अच्छे कार्यक्रमों का निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। पुणे फिल्म इन्स्टीट्यूट में कई प्रतिभावान युवक- युवतियां प्रशिक्षण लेते हैं। पर कोर्स पूरा करने के बाद उन्हें अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। डाक्टरों के लिए जैसे इन्टर्नशिप कोर्स होता है उसी पद्धति पर इलेक्ट्रानिक मीडिया को इस संस्थान के छात्रों के लिये इन्टर्नशिप पाठ्यक्रम चलाना चाहिए। एक या दो वर्ष के प्रशिक्षण के बाद इन प्रतिभावान युवाओं को इलेक्ट्रानिक मीडिया में खपाया जा सकता है। इन लोगों को सही और स्वस्थ संस्कृति के प्रसार का ज्ञान होगा। पर उन्हें अवसर नहीं दिया जाता। बड़े बड़े पूंजीपति उनकी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, लोक कलाकारों को लीजिए। ये देश के कोने-कोने में उपलब्ध हैं। उनमें प्रतिभा है। पर उनकी प्रतिभा का लाभ उठाने की, उन्हें प्रोत्साहित करने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। उनका शोषण होता है। राजस्थान के लोकगीतों को वाणिज्यिक आधार पर लोकप्रिय बनाया जाता है। पर इलेक्ट्रानिक मीडिया मूल लोक-गायकों को प्रोत्साहन नहीं देता। इस प्रकार के लोक कलाकार देश के कोने-कोने में उपलब्ध हैं। समय की कमी के कारण मैं अधिक विवरण नहीं दूंगा। सरकार के पास इसकी जानकारी नहीं है। अगर वह चाहें तो मैं और जानकारी दे सकता हूं।

महोदय, मैं इस केबल टीवी नेटवर्क विधेयक का समर्थन करता हूं। यह अपने उद्देश्य की आंशिक पूर्ति करेगा क्योंकि यह व्यापक नहीं है। इससे आंशिक सफलता ही मिलेगी। मेरा अनुरोध है कि हमें एक व्यापक राष्ट्रीय मीडिया नीति बनानी चाहिए जिसका संबद्ध राष्ट्रीय संस्कृति नीति से समन्वय हो। सरकार प्रसार भारती अधिनियम पर अमल करे, उच्चतम न्यायालय के फैसले को माने और देशवासियों को सूचना तक पहुंच और उसके प्रसार के अधिकार का आदर करे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस भावना से यह बिल लाये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं लेकिन इसमें जो कमियां हैं, उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है।

आज का युग दूरदर्शन का है जिसके माध्यम से न केवल समाचार और अन्य कार्यक्रम देखे जा सकते हैं बल्कि सब कुछ देखा भी जा सकता है। लोग अखबार नहीं पढ़ेंगे लेकिन टी.वी. जरूर देखना चाहेंगे। दूरदर्शन प्रचार का ऐसा माध्यम है जिसको पति-पत्नी, बहू-बेटी, पिता-पुत्र आदि सब मिलकर देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हमारी संस्कृति पर जिस प्रकार से विदेशी प्रसारण का प्रभाव पड़ रहा है, वह चिन्तनीय विषय है और उस पर रोक लगाना भी इसलिये जरूरी है क्योंकि उनके कार्यक्रमों में सैक्स, हिंसा का बाहुल्य है और हमारी संस्कृति पर कुप्रभाव डाल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त संबंध में राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले पाकिस्तान बार्डर पर हैं और हमारे ट्रांसफार्मर्स कमजोर हैं और पाकिस्तान के शक्तिशाली ट्रासफार्मर्स हैं जिनके कार्यक्रम लोग देख पाते हैं और यह सब विवशता में हो रहा है। इसके लिये यह आवश्यक है कि हमारे ट्रांसफार्म भी न केवल राजस्थान बार्डर पर बल्कि सारे देश में शक्तिशाली होने चाहिये ताकि विदेशी कार्यक्रमों को रोकने में मदद मिल सके। जयपुर में 12 फरवरी, 1991 या 1992 को तत्कालीन मंत्री जी द्वारा प्रादेशिक समाचार चालू किये गये थे परन्तु उस कार्यक्रम में प्रादेशिक समाचार होते ही नहीं थे या होने पर भी ट्रांसफार्मर्स कमजोर होने के कारण सीमा पर सुनाई या दिखाई ही नहीं देते थे। इस कारण से इन समाचारों को प्रादेशिक समाचार का नाम देना उचित नहीं है। जिन समाचारों में केन्द्र के समाचार अधिक हों और प्रान्तों के समाचार न के बराबर हों, उस बात पर विचार करना चाहिये। लोग केन्द्र स्तर के समाचारों को तो रात आठ बजे के हिन्दी समाचारों को देख सकते हैं।

इससे प्रादेशिक समाचारों में भी प्रदेश के समाचार ज्यादा आएंगे। इस संबंध में आप विचार करें। यहां पर आपने केबल दूरदर्शन नेटवर्क में कहा है कि 90 दिन का समय देंगे, वह प्रसारित नहीं कर सकेगा, उसकी जांच करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे और फिर कार्यक्रम का कोटा क्या होगा इसको आप शक्तिशाली बनाएं। इस प्रकार लोग आपको याद करेंगे कि आपने एक बहुत अच्छा बिल यहां प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से विज्ञापन का कोटा हो। परिवार नियोजन के संबंध में आपका प्रसारण यदि रात को दस बजे के बाद हो और अश्लील ढंग से दिखाया जाए और आपका बच्चा या बच्ची पूछे कि क्या कह रहे हैं तो आप उसका जवाब क्या देंगे? इससे आपको लगेगा कि आपके परिवार पर इन अश्लील विज्ञापनों के कारण नुकसान हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि बच्चों की परीक्षा के दिन हैं इसलिए हमने टीवी बंद कर दिया है क्योंकि आपके अलग-अलग चैनल पर बच्चे हमेशा फिल्म देखते रहते हैं। आज छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लें तो वह बताएगा कि यह नलिनी जयवंत है या फलाना है लेकिन आपको उसके बारे में नहीं पता होगा। आपने जो दूरदर्शन के उपग्रह चैनल अनिवार्य किये हैं इसमें

देशभक्ति से परिपूर्ण गायन होना चाहिए और महापुरुषों की जीवनी दिखाई जानी चाहिए। अगर हम बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, सुभाष चन्द्र बोस को याद नहीं करेंगे जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी तो वह देश को धरातल की ओर ले जाएगा। इसलिए आपको एक चैनल पर देशभक्तों की जीवनी, देशभक्ति-गायन आदि दिखाने पर विचार करना चाहिए। पुनः एक बार आप ये कानून लाए हैं। यद्यपि यह कानून के रूप में अधूरा है, इसलिए आप इस कानून को और सक्षम बनाएं जिससे अपने देश की संस्कृति पर हम विदेशी प्रभाव पड़ने से रोक सकें। हमारे ट्रांसमीटर जो बार्डर एरियाज में हैं उनको शक्तिशाली बनाया जाए। इससे पाकिस्तान का प्रचार-प्रसार और विदेशी प्रचार-प्रसार रुक सकेगा। यही बात मुझे आपकी सेवा में निवेदन करनी थी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस विधेयक के मूल उद्देश्यों को सभा के सभी वर्गों से समर्थन मिला है। इलेक्ट्रानिक मीडिया क्षेत्र में केबल टीवी नेटवर्क आपरेटरों की बढ़ती हुई संख्या पर अंकुश लगाने तथा बड़े आपरेटरों द्वारा छोटे आपरेटरों का शोषण रोकने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसका उद्देश्य विदेशी मीडिया द्वारा भारतीय संस्कृति पर जो व्यापक हमला हो रहा है उसे रोकना है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में भारी क्रान्ति आई है। विदेशी तत्वों की घुसपैठ से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और हमारी सांस्कृतिक विरासत को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है और यह प्रयास इस हमले पर अंकुश लगाने की दिशा में एक कदम है। विदेशी इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा विभिन्न प्रकार के सेटेलाइटों का इस्तेमाल करके हमारी नई पीढ़ी पर गहरा प्रभाव डाला जा रहा है। ये भिन्न संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं इससे हमारे मूल सांस्कृतिक मूल्यों और परम्परा पर कुप्रभाव पड़ रहा है। यह प्रभाव इतना गहरा है कि हमारा सिनेमा और दूरदर्शन, जो मूलरूप से देश-विदेश में हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज पश्चिम की नकल कर रहे हैं। अश्लीलता और नग्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सैक्स और अपराध की विदेशी फिल्मों से होड़ लगी है। अतः विदेशी आक्रमण को रोकना जरूरी हो गया है। इस विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है।

यद्यपि विधेयक का यह उद्देश्य सराहनीय है, पर विधेयक में हमारे युवकों और युवतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को मॉनीटर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रोग्राम संहिता और विज्ञापन संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि यह प्रावधान इन संहिताओं पर अमल करवाने के लिए है, पर इससे प्रजातंत्र की मुख्य देन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अतः इन संहिताओं को तैयार करने का काम इस प्रस्तावित अधिनियम के अधीन नियम बनाने वालों को दिया जाना उचित और न्याय संगत नहीं होगा। महोदय, मैंने एक बार कहा था, 'आप जो कह रहे हैं मैं उसका एक शब्द भी स्वीकार नहीं करता, पर आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपना जीवन अर्पित कर दूंगा।' अभिव्यक्ति के अधिकार को विनियमित और नियंत्रित करने का मामला बहुत नाजुक है। इस विधेयक के साथ परिचालित किये गए संहिता नियम इतने सामान्य और अविशिष्ट हैं कि इनका कार्यान्वयन करने वालों के पास व्यापक शक्ति रह जाती है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इन संहिताओं का बारीकी से अध्ययन किया जाए और इन्हें अधिनियम के परिशिष्ट के रूप में इसी का अंग माना जाए।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन संहिताओं का उल्लंघन इस प्रस्तावित विधि के खण्ड-IV के अन्तर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अतः प्रोग्राम और विज्ञापन सम्बन्धी नियम इस अधिनियम के अंग बनाए जाने चाहिए।

ये संहिताएं इतनी सामान्य और अस्पष्ट हैं कि इनके उल्लंघन को प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सकेगा। उदाहरण के लिए 'बेंडिट क्वीन' फिल्म जिसे सैंसर ने मंजूरी नहीं दी है और जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, केबल नेटवर्क पर दिखाई जा चुकी है। इसके लिए आप किस पर अभियोग चलाएंगे।

इस विधेयक का एक दूसरा उद्देश्य बड़े केबल आपरेटरों से छोटे आपरेटरों की रक्षा करना और एकाधिकार समाप्त करना है। उद्देश्य सराहनीय है। पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी-बड़ी कम्पनियां विदेशी सहयोग से बड़े पैमाने पर आगे आ रही हैं। हो सकता है विदेशी निवेशक और अनिवासीय भारतीय केबल टीवी नेटवर्क पर कब्जा कर लें। मैं सरकार और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन बड़े मगरमच्छों द्वारा छोटी मछलियों को निगलने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विधेयक में स्पष्ट और विशिष्ट प्रावधान किया जाए। छोटे आपरेटरों को लघु उद्योगों जैसा समर्थन दिया जाए। पर साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि वह हमारे उच्च सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन हेतु अपने प्रसारण की गुणवत्ता को सुधारें।

धारा 9 के अन्तर्गत आधुनिक, आयातित सूक्ष्म उपकरण समेत उन उपकरणों के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाई गई है जो मानक बी-। के अनुरूप नहीं हैं। देश में आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में देश में आधुनिकीकरण पर पाबन्दी लगाने का उपबन्ध अराजकता की गंध देता है।

टेलीविजन के आक्रमण की एक गम्भीर बीमारी यह है कि सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं जो जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा सीमावर्ती अन्य राज्यों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इससे सुरक्षा की समस्या पैदा हो गई है क्योंकि इन कार्यक्रमों के कारण इन क्षेत्रों में आतंकवाद और विद्रोह की भावनाएं पैदा हो गई हैं। हाल ही में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है जिसके अन्तर्गत, एक विशिष्ट उच्च फ्रिक्वेंसी को छोड़कर किसी देश की सीमा से होकर टीवी प्रसारण को रोकने की व्यवस्था है ताकि प्रत्येक देश ऐसे कार्यक्रमों के दर्शकों तक पहुंचने से पहले उन्हें मानीटर कर सके।

मुझे आशा है सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और अन्तर्राष्ट्रीय सहमति से इस संबंध में एक कानून बनाएगी।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया।

श्री ए. अशोकराज (पैरम्बलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। वस्तुतः इस विधेयक के उद्देश्य बहुत ही अच्छे हैं। बाहरी सांस्कृतिक आक्रमण से हमारे देश को हानि हो सकती है। उद्देश्य और कारणों के विवरण में कहा गया है :

> "चूंकि केबल टीवी नेटवर्क पर कोई अंकुश नहीं है, दर्शकों को बिना सेंसर किए अवांछित कार्यक्रम और विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं।"

सौफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन में आपको कई सैक्सी सीन दिखाई देंगे। कई विदेशी फिल्मों में सैक्स और अपराध की ही बहुलता रहती है। ये फिल्में प्रायः रात को दिखाई जाती हैं। आजकल युवा लड़के-लड़कियां भी इन फिल्मों को देखते हैं और हमें परिवार के साथ बैठ कर ये फिल्में देखनी पड़ती हैं। महोदय, छोटे केबल आपरेटरों को कुछ संरक्षण मिलना चाहिए। कभी-कभी केबल आपरेटर प्रसारण का राजनीतीकरण करने का प्रयास करते हैं। वह किसी ऐसे राजनैतिक दल विशेष के नेताओं का प्रचार करते हैं जिनकी तरफ इन केबल आपरेटरों का झुकाव है। ये लोग उन महत्वपूर्ण समारोहों का भी प्रसारण नहीं करते जिनमें ऐसे नेता उपस्थित हों जिन्हें ये आपरेटर पसन्द नहीं करते। उनके उपकरणों को जब्त करने के विषय में कहा गया है :

> "यदि केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी का, जो ग्रुप 'ए' से निचले स्तर का नहीं होगा, जिसे सरकार ने इस काम के लिए प्राधिकृत किया है (जिसे इसमें आगे प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है), समाधान हो जाता है कि केबल आपरेटरों द्वारा धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन किया जा रहा है या किया गया है तो वह ऐसे केबल आपरेटरों द्वारा केबल टीवी नेटवर्क चलाने के लिए प्रयोग किये जा रहे उपकरणों को जब्त कर सकेगा।"

महोदय, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से संरक्षण प्रस्तावित हैं कि वह ग्रुप 'ए' अधिकारी पक्षपात नहीं करेगा। यदि कोई अधिकारी किसी केबल आपरेटर विशेष को पसन्द नहीं करता है तो वह इन उपबन्धों का उस आपरेटर के विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं कि वह अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम करे।

धारा 14 के पैरा दो, पृष्ठ 4, में कहा गया है :

> "पर यदि उपकरण जब्त किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि में ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता तो उस अवधि की समाप्ति पर ये उपकरण उस केबल आपरेटर को वापस कर दिए जाएंगे जिसके पास से ये जब्त किए गये।"

अब यदि ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता तो उपकरण वापस करना होगा। यह अधिकृत अधिकारी की मर्जी से होगा। इसीलिए मैं एक समिति के गठन की बात कर रहा हूं। फिर, यदि वह अधिकारी गलत पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर उसकी मंशा ठीक नहीं है तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उन विसंगतियों पर ध्यान दें जिनका मैंने उल्लेख किया है।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और इस विधेयक को लाने के लिए मंत्रीजी को बधाई भी देती हूं। जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर आज अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। इस विधेयक पर बहस की जरूरत भी नहीं है। हमें इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे इसका राजनीतीकरण हो। पर कभी-कभी हमें दूसरों द्वारा उठाए गए मुद्दों का स्पष्टीकरण देने के लिए बोलना पड़ता है।

यह सही है कि हमारा टीवी नेटवर्क हम पर अपने ही कार्यक्रम लादने की कोशिश कर रहा है। मंत्री महोदय अपनी टीम के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें अपनी टीम पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना टीम के कोई काम नहीं कर सकता। खेल जगत में भी यही होता है।

मंत्री या सरकार के लिए सभी मामलों को देखना सम्भव नहीं है। उन्हें देश भर में अपनी टीम पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस टीम को योजनाएं और नीतियां तैयार करनी चाहिये ताकि वह इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर सकें।

हम 21वीं सदी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विज्ञान तथा टेक्नालाजी और उपग्रह कार्यक्रमों का काफी विकास हुआ है। लोग भी व्यावहारिक हो गए हैं। यह हमें मानना पड़ेगा। हमें वास्तविकता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आज लोग केबल टीवी तथा अन्य टीवी देखना चाहते हैं। अब हमारा रूख बदल रहा है। यहां अलग-अलग तरह के लोग हैं—गांवों के गरीब और शहरों के प्रबुद्ध लोग। ग्रामीण लोग केवल टीवी और दूरदर्शन पर क्षेत्रीय कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं। तो यदि आप केबल आपरेटरों पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो आपको अपनी नीति बनानी पड़ेगी। इग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों के अपने अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हैं। इनके कारण अगर आप उनके कार्यक्रम अपने टीवी नेटवर्क पर दिखाना चाहते हैं तो आपको उनकी अनुमति लेनी होगी। अन्यथा आप केबल टीवी नेटवर्क आपरेटरों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। इसलिए सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए ताकि इन सब बातों पर नियंत्रण रखा जा सके। केबल नेटवर्क से वह मनमाने कार्यक्रम न दिखा सके। पर यह सब हमारे देश में हो रहा है।

यह सही है कि दूरदर्शन वह समाचार नहीं दे सकता जो बीबीसी देता है। विश्व में क्या हो रहा इसकी जानकारी लोगों को बीबीसी से मिलती है। कभी-कभी वह देश की आन्तरिक गड़बड़ी या साम्प्रदायिकता को लेकर देश की गलत छवि प्रस्तुत करते हैं। उपग्रह

चैनल न होने के कारण दूरदर्शन वह नहीं दिखा सकता जो बीबीसी दिखाता है। यह हमें मानना पड़ेगा।

अतः सरकार अपनी नीति बनाए। इग्लैंड तथा अन्य देशों की तरह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते करे यह सही है कि सरकार काफी कुछ सुधार लाने का प्रयास कर रही है। पर यह प्रतियोगिता का जमाना है, आपको अन्य लोगों से प्रतियोगिता करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि हम दूसरे देशों के लोगों को कैसे आकृष्ट करें, अपने टीवी नेटवर्क को उनकी रूचि के अनुसार कैसे बनाएं।

यह सही है कि हिंसा, राजनीति में अपराध, भुज-बल, धन-बल और माफिया बल दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा है। यदि इन चीजों को टीवी पर दिखाया जाएगा तो इसका लोगों के मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ेगा। मैं यह नहीं कहती कि उसे टीवी पर न दिखाया जाए, और टीवी पर सब कुछ गलत दिखाया जाता है। पर यदि टीवी पर हम यही दिखाते रहे कि हमारे नेता भ्रष्ट हैं, प्रशासन भ्रष्ट है, शासनतंत्र भ्रष्ट है तो इससे हमारा जीवन स्तर गिरेगा। हमारा कार्य करने का स्तर, हमारा जीवन स्तर गिर रहा है। गिरावट जारी है। इसलिए मैं नहीं कहती कि हम सब कुछ काबू में कर लेंगे। लोगों को पता होना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, पर तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा सैक्स और अपराध के बारे में है। सरकार की इस विषय में अपनी नीति है, व्यवस्था है। पर नियंत्रण नहीं है। टीवी का बच्चों की आंखों और दिमाग पर असर पड़ला है। कई बच्चों ने टीवी पर प्रोग्राम देखने के बाद आत्महत्या की है। वह हिंसक बन जाते हैं।

मैं सभा को बच्चों की मनोदशा बताना चाहती हूं। एक दिन मेरे एक चार साल के भतीजे ने कहा 'दीदी मुझे अपना रिवाल्वर दे दो' मैंने पूछा तुम क्या कह रहे हो, वह बोला मैं रोज तो टीवी पर रिवाल्वर देखता हूं। यह है बच्चों की मनोदशा। हमें इस पर नियंत्रण पाना है। सरकार के पास कानून है, व्यवस्था है, पर उनका कार्यान्वयन सही नहीं है।

मेरा छठा मुद्दा महिलाओं के बारे में हैं। टीवी वाले महिलाओं पर अत्याचार और हिंसा, विशेषकर जो विज्ञापन दिखाते हैं वह बड़े भयावह और देश के लिए खतरनाक होते हैं। इससे महिलाओं की छवि बिगड़ती है। मैं महिलाओं की ओर से निवेदन करती हूं कि मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के विज्ञापन कम से कम हमारे दूरदर्शन पर न दिखाए जाएं। दूरदर्शन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। लोकतंत्र में विरोधी दलों का अपना स्थान है। इसलिए दूरदर्शन को सरकार और विरोधी पक्ष दोनों के विचारों को प्रसारित करना चाहिए। श्री पाल ने-वह उपस्थित नहीं हैं—कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में हम नए-नए आए हैं। पर उन्हें पता होना चाहिए कि मैं 12 वर्ष की आयु में राजनीति में आ गई थी। अब पिछले 25 सालों से मैं राजनीति में सक्रिय हूं। करीब नौ साल से संसद सदस्य हूं। उन्हें पता होना चाहिए। महोदय, अपने राज्य में मैं विपक्ष की सदस्या हूं। किसी राज्य में कांग्रेस का शासन है तो किसी में भाजपा का। आपको सभी को महत्व देना है। राष्ट्रीय स्तर पर मुझे क्या महत्व दिया जा रहा है। प्रजातंत्र में विपक्ष को महत्व देना ही पड़ता है। पर मेरे राज्य में केवल सत्तापक्ष को ही कवर किया जाता है। उन्होंने चैनल की मांग की। वह उन्हें मिल गया। अब उन्होंने पहले चैनल पर भी कब्जा कर लिया है। क्या वह चाहते हैं कि विपक्षी दल खामोश रहें और विकास कार्यक्रमों के बारे में अपना विचार व्यक्त न करें। औद्योगीकरण की नीति को लेकर हमारी राज्य सरकार रोज प्रचार करती है। केवल एक ही पार्टी के विचार प्रसारित किए जाते हैं—सत्ताधारी पार्टी के। अन्य राजनीतिक दलों को कोई कवरेज नहीं दी जाती। क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं?

मैं सभी राज्यों की बात कर रही हूं। केवल पश्चिम बंगाल की नहीं। पर वहां के बारे में जो कह रही हूं वह सही है। औद्योगीकरण को लेकर हमारा टीवी केबल सोमनाथ चटर्जी को दिखाता है। मुझे कोई शिकायत नहीं है—व्यक्तिगत शिकायत। पर यहां लोकतंत्र है और टीवी वालों को विपक्ष के विचार भी प्रसारित करने चाहिए। ये लोग केन्द्र सरकार की आलोचना करते हैं। दूसरी पार्टी के होने के कारण यह उनका नैतिक कर्तव्य है। पर विपक्ष के सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब कभी किसी विषय पर, विकास कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए पेनल बनता है, तो उसमें विभिन्न राजनैतिक दलों के लोग होते हैं। आप टीवी को सरकारी पत्रिका या सरकारी मीडिया नहीं बना सकते। उन्होंने सरकारी मीडिया बन्द कर दिया है, फलस्वरूप 34 संवाददाता बेकार हो गए हैं। सरकारी मीडिया **बसुमति** स्वतंत्रता आन्दोलन से पहले बना था। पर आज उसे संरक्षण नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना पार्टी-पत्र शुरू कर दिया है। 1974 में जब कांग्रेस सरकार थी तो उसने इसे अपने हाथ में ले लिया था। आज उसे बन्द कर दिया गया है क्योंकि वह अपने पार्टी पेपर को मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप निष्पक्षता चाहते हैं तो क्षेत्र और क्षेत्रीय समाचार को तरजीह दीजिए। इसके लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है क्योंकि लोग राष्ट्रीय समाचार भी देखना चाहते हैं। क्षेत्रीय समाचारों के लिए यदि सांयकाल आप पांच मिनट का समय बढ़ा दें तो इसका लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लोग शाम को घर पर ही होते हैं। यदि आप टीवी पर विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं तो उन लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दे रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं। बिजनेसमैन की बजाय इन लोगों को प्राथमिकता दी जाए ताकि हमारी महिलाओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

हर राज्य में कुछ जाने माने खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रमण्डलीय खेलों में भाग लिया है। इनको खेल कार्यक्रम देने के लिए बुलाया जाना चाहिए। वह हमारी नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। नई पीढ़ी उनसे कुछ सीखेगी। खेलजगत के कुछ लोगों ने यह बात मुझसे कही है। इसीलिए मैं मंत्रीजी से यह निवेदन कर रही हूं।

इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर जब कभी कोई सलाहकार समिति बनाई जाए तो उसमें खिलाड़ियों, फिल्म एक्टरों, डाक्टरों, इन्जीनियरों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं अन्य लोगों को शामिल किया जाए ताकि इन समुदायों के विचारों को अभिव्यक्ति मिल सके।

कुछ सीमावर्ती क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोग दूरदर्शन समाचार नहीं सुनते। बंगाल में कुछ क्षेत्र विशेष के लोग क्षेत्रीय बंगाली समाचार नहीं सुनते। वह केवल पाकिस्तानी या बंगलादेशी या अन्य नेटवर्क के समाचार सुनते हैं। सरकार को इन क्षेत्रों में व्याप्त इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए और यदि दूरदर्शन या भारतीय समाचार वहां नहीं पहुंचते तो इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यहां के लोग भारत से प्रसारित होने वाले समाचार सुनें।

इन शब्दों के साथ यह विधेयक लाने के लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देती हूं। साथ ही श्री रूपचन्द पाल को भी बधाई देती हूं कि उन्होंने यहां कुछ मुद्दे उठाए जिससे मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिला।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सबसे पहली बात तो यह है कि जिस भावना से यह बिल लाया गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं।

मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह ठीक अवसर पर इस बिल को लाये हैं। हमारी टैक्नॉलोजी का विश्व में काफी विकास हो रहा है। देश के अधिकतर गांवों में दूरदर्शन पहुंच चुका है। जो सुखी सम्पन्न गांव हैं, वहां गांव के सभी लोग इसका मजा लेते हैं। इससे उन्हें व्यावहारिक ज्ञान होता है।

दूरदर्शन से युवा पीढ़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। जो चीजें उनमें दिखलायी जाती हैं, वे राष्ट्रीय भावना से हटकर होती हैं। हमारे छोटे-छोटे बच्चे इतने ऐक्सपर्ट हो गये हैं कि वे फिल्मों के बारे में सब चीजें बता देते हैं। जिस चीज को हमें पता नहीं होता है, उसे वे बता देते हैं। यह कौन आदमी है, कौन गाने वाला है, वह सब हमें बता देते हैं।

हम विकास के दौर से गुजर रहे हैं। केबल नैटवर्क को कैसे ठीक करें, कैसे इस पर नियंत्रण रखें, यह आपको देखना होगा। इस पर नियंत्रण रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करना चाहिये। यह केवल हमारे देश का मामला नहीं है। हर चैनल पर दूसरे देशों के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। दूरदर्शन पर ऐसी चीजें दिखानी चाहिये जिनसे राष्ट्रीय भावना मजबूत हो—जैसे कि 1942 का क्रांतिकारी आन्दोलन। इस आन्दोलन में देश के बहुत से नौजवान शहीद हुए। आज उसी का परिणाम है कि आप और हम यहां पर हैं। जब तक लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं आयेगी, तब तक देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय भावना के न आने से हर कोई अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। दूरदर्शन एक ऐसा यंत्र है जिससे राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है। इसके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

देखने में आया है कि इससे संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। चीन में सांस्कृतिक क्रांति भी आ चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से चीन सबसे बड़ा देश है। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिये वहां सांस्कृतिक क्रांति हुई। चैनल दो में पाकिस्तान की चीजों को दिखाया जाता है। वहां उग्रवाद को कैसे तरजीह दी जाती है, और उसकी पीठ थपथपायी जाती है, वह सब उसमें दिखाया जाता है। आप उचित समय पर यह बिल लाये हैं। हम चाहते हैं कि यहां के चैनल पर पाकिस्तान में हो रही उग्रवाद सम्बन्धी गतिविधियों को दिखाया जाये। लोगों में अधिक से अधिक राष्ट्रीय भावना पैदा की जानी चाहिए।

हमारी युवा पीढ़ी देश की कर्णधार है। अगर देश की युवा पीढ़ी ही घबरा गई तो देश का क्या होगा? आज वोट का बहिष्कार हो रहा है, जगह-जगह हत्यायें हो रही हैं। कश्मीर का, पंजाब का, जहानाबाद का, जहां का भी युवा वर्ग हो, इनको लाने के लिये, राष्ट्रीय भावना जगाने के लिये, लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिये। जो भी विसंगतियां हैं, उनको आप दूर करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, केबल दूरदर्शन नेटवर्क से संबंधित अध्यादेश सरकार की तरफ से आया है। कई विसंगतियों के कारण इसका विरोध करना भी आवश्यक है, लेकिन कई गुणों के कारण भी इसका समर्थन करना है। विसंगति है कि आज सरकार की उदारीकरण आर्थिक नीति के कारण जो विदेशी कंपनियां अपने देश में आ रही हैं, वह केवल व्यापार करने नहीं आ रही हैं, वह केवल आर्थिक व्यवस्था के नाम पर अपने उद्योग यहां लगाने या भारत की गरीबी को दूर करने के नाम पर या गांवों की खुशहाली के नाम पर व्यापार लगाने नहीं आ रही हैं, वे अपनी संस्कृति भी हमारे देश में लाकर हमारे देश की संस्कृति पर आक्रमण करके हमारे देश की संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रही हैं। यह भी एक बहुत बड़ा दोष इस केबल के माध्यम से हो रहा है। विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता दूरदर्शन पर दिखाई जा रही है।

हमारा देश गांवों का देश है। गांवों में बसने वाला देश है। गांवों की एक अलग सी संस्कृति है, एक अलग सी सभ्यता है, एक अलग सी शिक्षा-दीक्षा है और एक अलग सा रहन-सहन है, जो आज ही नहीं बहुत दिनों पहले भी दुनियां के देशों में अनुकरणीय जाना जाता है। हमारा ही देश है, जहां की धार्मिक पुस्तकों का अनुकरण दूसरे देशों में किया जाता है। जैसे गीता का सन्देश है, जैसे रामचरित मानस है और जैसे वेद है। वेदों की भी चर्चा, वेदों का अनुकरण दूसरे देश में किया जाता है। इन सब चीजों की चर्चा, इन सब विषयों की चर्चा इस अध्यादेश के माध्यम से होती, तो मैं समझता हूं कि अपने देश की संस्कृति और सभ्यता के प्रति लोगों का लगाव होता और हम अपने देश को मजबूती की तरफ ले जाते। हम अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने में अग्रसर होते। लेकिन जो विदेशी कंपनियों

का अपने देश में आगमन हो रहा है और जिस प्रचार के माध्यम से अपने व्यापारिक सामानों का प्रचार करा रहे हैं, उससे हमारी स्वदेशी भावना को बहुत बड़ा आघात लग रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दूरदर्शन के कार्यक्रम में जो अपना अध्यादेश ला रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि आप उदारीकरण के कारण उस नीति को बदल नहीं सकते हैं। आपकी सरकार ने विदेशियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, इसी के कारण ये लोग हमारे देश में अपने सामानों का प्रचार करेंगे। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करेंगे तथा आप उनको रोक नहीं सकते हैं। आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जिस देश की संस्कृति, जिस देश की सभ्यता और जिस देश की भाषा नष्ट हो जाती है, उस देश की राष्ट्रीयता की पहचान में कभी-भी सवाल खड़े हो जाते हैं। इन बातों पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना होगा।

हमारे देश में कई लोग इस तरह के हैं, जो अपने देश के व्यापारिक संस्थानों के नाम पर विदेशों से सहयोग लेते हैं। विदेशी लोगों के सहयोग के माध्यम से, विदेशी संस्थानों के माध्यम से हमारे देश के उद्योगों का नष्ट करने का काम करते हैं और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार कराते हैं। हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्ति जगी है। उदाहरण के लिए, मेरा संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर-भदोही है, जो उत्तर प्रदेश में है। वहां पर कालीन का बहुत बड़ा उद्योग है। 1200 करोड़ रुपया की उस उद्योग से विदेशी मुद्रा हमारे देश को मिलती है। उस कालीन उद्योग के माध्यम से अपने ही देश के लोग उस बाल-मजदूर की चर्चा करके, मैं बाल मजदूर के समर्थन में नहीं हूं, जहां बच्चों को विवश करके उनसे काम कराया जाता है, उनके नाम पर दूसरे देशों में प्रचार करके उस उद्योग को नष्ट करने का प्रचार करते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से कुप्रचार करते हैं। इससे पूरा उद्योग नष्ट हो रहा है। इस ओर भी अगर सरकार ध्यान देगी, तो 25 लाख लोगों को रोजगार देने वाले इस उद्योग को बचाया जा सकता है। हमारे वाणिज्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं, उनसे भी संबंधित यह सवाल है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से कुप्रचार करके इस उद्योग को तबाह करने का प्रयास बन्धुवा मुक्ति मोर्चा बनाकर, बाल-दासता मुक्ति मोर्चा बनाकर, अपने ही देश के लोगों के द्वारा किया जा रहा है।

मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिन बाल मजदूरों को वह मुक्त करा रहे हैं वह उनको कहां मुक्त कराकर व्यवस्थित जीवन देने की व्यवस्था करा रहे हैं, इसकी जांच हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने देश के इस तरह के सवाल अपने देश में ही हल हो जाएं। दूसरे देशों में ले जा करके दूरदर्शन के माध्यमों से यह प्रचार कराते हैं, यह भी इस अध्यादेश में एक बहुत बड़ी खामी है जिससे अपने देश को व्यापारिक क्षेत्र में नुकसान होता है। इस तरफ अगर मंत्री जी ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा होगा।

महोदय, मैं सूचना मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप इस तरफ जरूर ध्यान देंगे कि ऐसे अपने देश के लोग जो दूसरे देशों में जाकर दूरदर्शन के माध्यमों से अपनी तमाम कई संस्थाओं पर कुप्रचार करके उसको प्रभावित करने का काम करते हैं उन पर भी यह दंड प्रक्रिया अपनाएं तो इस अध्यादेश को संचालन करने में यह एक अच्छी प्रक्रिया होगी। दूसरा, सबसे बड़ा संकट यह है कि आज हिन्दुस्तान में जो संस्कृति और सभ्यता के संकट की मैंने चर्चा की है कि गांव-गांव में दूरदर्शन के माध्यम फैले हुए हैं। यह ठीक है कि दूरदर्शन एक मनोरंजन का साधन है लेकिन क्या हिन्दुस्तान के गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृति और सभ्यता की तरफ भी सरकार ने कभी ध्यान दिया है? यह हैलो-हॉय की संस्कृति हमारे गांवों में कैसे आ गई? क्या सरकार ने कभी इस तरफ ध्यान दिया है कि वह संस्कृति, जो पाश्चात्य की तरह की संस्कृति है वह हमारे गांव के लोगों को कैसे प्रभावित कर रही है? यह दूरदर्शन का ही एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे देश में गांवों में रहने वाले लोगों को पश्चिम की संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित करके अपनी संस्कृति और सभ्यता से उनको दूर कर रही है। इस अध्यादेश में इस पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस अध्यादेश को लागू करने में सरकार का, जो अपने राष्ट्र के प्रति सही दृष्टिकोण होगा, वह सही साबित होगा।

महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि अध्यादेश लागू हो लेकिन इसके लागू होने के पहले सरकार को यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता, अपने देश के व्यापारिक संस्थान, अपने देश की सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जो स्वदेशी भावना के अनुरूप है उस भावना को विशेष रूप से इस अध्यादेश के द्वारा उस दूरदर्शन के माध्यम से दूसरे देशों में भी अगर इस तरह से दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि भारत का गौरव, राष्ट्रीय व्यवस्था एक उच्चतम दृष्टिकोण से एक उच्चतम स्थान को प्राप्त कर सकता है और तब इस अध्यादेश को सही तरीके से लागू करने में एक बहुत बड़ा यश भी सरकार को मिल सकता है, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जगत में की गई प्रगति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें देश को इस दिशा में ले जाने की श्री राजीव जी की याद आ जाती है। आज हमारे पास टी.वी. के कई चैनल हैं। हम विश्व में उपलब्ध विभिन्न प्रकार का टी.वी. प्रसारण दिखा सकते हैं।

केबल ऑपरेटरों को अहम् भूमिका निभानी है। क्योंकि ये लोग ही सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग करके उच्च प्रसारण द्वारा टी.वी. प्रोग्राम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए इसका आम लोगों से निकट सम्बन्ध है। भारत सरकार ने केबल टी.वी. संचालन को गम्भीरता से लिया है।

इस विधेयक में केबल टी.वी. का पंजीकरण करने और उसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है।

इन उपबन्धों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इसमें कुछ कठिनाई होगी। इसका कार्यान्वयन करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आएंगी। उदाहरण के लिए प्रोग्राम संहिता को अभी परिभाषित किया जाना चाहिए। धारा (5) में कहा गया है :

> "कोई व्यक्ति केबल सेवा के माध्यम से कोई प्रोग्राम तब तक प्रसारित या पुर्नप्रसारित नहीं करेगा जब तक वह प्रोग्राम निर्धारित प्रोग्राम संहिता के अनुरूप न हो।"

किन्तु मुद्दा यह है कि कार्यक्रम संहिता अभी उपलब्ध नहीं है। शायद कार्यक्रम संहिता तब बनेगी जब इस विधेयक के अन्तर्गत नियम बन जाएंगे। इसे इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। यह अभी तैयार नहीं हुआ है।

महोदय, सूचना और प्रसारण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है पर उस पर इस सभा में चर्चा करने का समय नहीं मिलता। जब बजट प्रस्ताव पेश किए जाते हैं तो किसी भी मन्त्रालय पर आमतौर पर चर्चा नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इस मन्त्रालय पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता। जब इस प्रकार के विधेयक आते हैं तभी हम उनके विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। न केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नीति पर ही पूर्ण बहस करना जरूरी है बल्कि सम्पूर्ण मीडिया पर भी चर्चा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आधुनिक विश्व में अहम स्थान ग्रहण कर चुका है। इसलिए टेलीविजन तथा समस्त मीडिया समेत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूर्ण विचार-विमर्श होना चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है।

हमें खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों में काफी सुधार हुआ है। हालांकि अभी और प्रगति की गुंजाइश है। कुछ सलाहाकार समितियां बनी हैं जो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का चुनाव करते हैं। पर मुझे नहीं मालूम इन सलाहकार समितियों या निकायों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं और मीडिया प्रसारण जगत का कितना ज्ञान होता है। हमें दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों के चयन करने वाली विभिन्न समितियों या निकायों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करना चाहिए। प्रोग्राम संहिता पर भी इस सभा में बहस की जा सकती है।

महोदय, समय कम होने के कारण मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और इस विधेयक को लाने के लिए मन्त्री जी को बधाई देता हूं। यह विधेयक मीडिया के और विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : वास्तव में इस बिल के आने की बहुत पहले आवश्यकता थी और देर में आने से निश्चित रूप से हमारी युवा-पीढ़ी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत उत्साही व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से वे सारी बातों को समझ रहे हैं और आने वाले समय में पूरा दूरदर्शन किस प्रकार कार्य करे, इसका फैसला वे करेंगे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि इस पर हम नियंत्रण कर रहे हैं और चैनल-2 पर जब हम म्यूजिक और विज्ञापन देखते हैं तो लगता है कि शायद हमारी सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। हम परिवार के साथ इन विज्ञापनों को नहीं देख सकते हैं। मैं ज्यादा इस संदर्भ में नहीं कहना चाहूंगा।

6.00 म.प.

शायद ऐसा लगता है कि जो चीज हमारी संस्कृति पर प्रभाव डाल रही है उसके लिए केवल एक हजार रुपये जुर्माना और बाद में एक साल की सजा यह सामान्य बात है। मंत्रीजी इसको गम्भीरता से लें और सजा के प्रावधान को बढ़ाने का काम करें जिससे लोगों को लगे कि वास्तव में हिन्दुस्तान इसे गम्भीरता से ले रहा है।

मैं कुछ दिन पहले मद्रास गया था। वहां मैंने होटल वालों से शिकायत की कि जब हमने रात को 11 बजे टेलीविजन चलाया तो अश्लील फिल्म चल रही थी। इस पर कैसे नियंत्रण होगा, यह देखने की बात है। लोग निजी क्षेत्र में ऐसा काम करेंगे तो हम कैसे रोक पायेंगे। इसलिए इस दिशा में समुचित कदम उठाने की जरूरत है। हमने दूरदर्शन का नेटवर्क फैलाया हुआ है। लेकिन मुझे कहते हुए दुःख होता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरेली में दूरदर्शन केन्द्र के स्टूडियो को बने हुए दो साल हो गये हैं, लेकिन उसमें आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस कारण वहां की प्रतिभायें दूसरी जगह जा रही हैं, क्योंकि उनको वहां अवसर नहीं मिल रहा है। इन सारी चीजों को आपको देखना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब छः बज गए हैं। क्या समय 15 मिनट और बढ़ाया जाये ताकि एक या दो और सदस्य बोल सकें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा समय बढ़ाने पर सहमत है। गंगवार जी आप जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बिल तो अच्छे उद्देश्य के लिए लाया गया है, लेकिन जिस तरीके से इस सदन में लाया गया है वह किसी भी तरह से प्रजातांत्रिक या उचित तरीका नहीं कहा जा सकता। आप यह बिल अध्यादेश के माध्यम से लाये हैं और अध्यादेश लाने की जो प्रवृत्ति है, इसको अलोकतांत्रिक, अवैधानिक कहना चाहिए। क्योंकि अध्यादेश तब लाया जाता है जब इस देश के अंदर कोई आपात-स्थिति पैदा हो गई हो या विकट स्थिति उत्पन्न हो गई हो, अथवा कोई अपरिहार्य कारण हो जिससे अध्यादेश लाना आवश्यक हो। मैं सरकार के अध्यादेश लाने की प्रवृत्ति की निन्दा करता हूं। अगर सरकार इतनी ही जागरूक थी, इतना ही केबल नेटवर्क आपरेटर्स की सुरक्षा का ख्याल रखने वाली थी तो 1993 में

जब इसे राज्य सभा में पेश किया गया तो तभी वहां पारित करवाकर यहां लाना चाहिए था। जबकि इसे यहां गत सत्र में लाया गया और तब भी इस पर चर्चा नहीं हुई। इसलिए आपने इस अध्यादेश का सहारा लिया। आपको मालूम ही था कि कुछ दिन बाद संसद का अधिवेशन शुरू होने वाला है तो उस पर आपको चर्चा करानी चाहिए थी, पूरा विचार-विमर्श होना चाहिए था, जिससे सभी बातें सामने आतीं। उसके बाद मंत्रीजी इसमें संशोधन करके एक समग्र बिल लाते और पास कराते। लेकिन यह तो बैक डोर एंट्री है यह सही बात नहीं है और किसी भी रूप में शोभजनक नहीं है।

सरकार अध्यादेश ले आई, वह भी आधा-अधूरा है, नख-दंतहीन अध्यादेश है क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं है, उपबन्ध नहीं है।

मंत्रीजी कहेंगे कि इसमें इतनी सजा का प्रावधान है, लेकिन आप जानते ही हैं कि कोर्ट कचहरियों में कितना समय लग जाता है कि फिर इस सजा का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। इस बिल में अतिरिक्त अथोरिटी की व्यवस्था नहीं है कि केबल नेटवर्क के आपरेटर्स का विनियमन करने के लिए, उनके कार्यों को भली प्रकार से चलाने के लिए विशेष प्रकार की अथोरिटी हो, जो पूरा ध्यान रखे। ऐसा कहीं नहीं है। मुझे यह कहते हुए आश्चर्य होता है कि डाकखाने को यह काम सौंपा गया है और 6 महीने का समय दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक केबल नेटवर्क की कितनी कम्पनीज ने पंजीकरण कराया है। कितनी कम्पनियां इसकी पंजीकृत हुई हैं? आप चाहते थे कि जो छोटे केबल नेटवर्क वाले हैं, उनके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की जाये, कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता इन दोनों को पालन सुनिश्चित करना चाहते थे और अवांछनीय कार्यक्रमों पर रोक लगाना चाहते हैं लेकिन हमारे देश के लिये कहा गया—"सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके यह गुलिस्तां हमारा" लेकिन "यूनान, मिस्र, रोम मिट गये जहां से मगर अब भी बाकी नामोनिशां हमारा" यह सब हमारी संस्कृति के कारण था। लेकिन अफसोस यह है कि उपभोक्तावाद, अंध उदारतावाद के कारण जो पाश्चात्य केबल नेटवर्क का मकड़ जाल स्टार टीवी, जैन टीवी, बीबीसी, सीएनएन, एमटीवी के माध्यम से फैलता जा रहा है उससे हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विषाक्त किया जा रहा है उसमें दूरदर्शन भी पीछे नहीं है। हमारे दूरदर्शन के जहां 12-13 चैनल्स हैं, वहां इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जो क्रान्ति हुई है और फाईबर नाम से आविष्कार हुआ है, उसके माध्यम से इतनी क्रान्ति आयी है कि आने वाले वर्षों में 50-55 चैनल्स दूरदर्शन पर चल जायेंगे इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। तो ऐसे समय में दूरदर्शन भी केवल मुनाफा कमाने के लिये, अधिक से अधिक विज्ञापनों को आकर्षित करने के लिये विदेशी फिल्में आधी रात को दिखाई जा रही हैं जिसमें सैक्स, हिंसा, मारकाट, नाच गाना, हाव भाव, नग्नता का समावेश है। इन सब चीजों को आज का नौजवान देखता है तो उसका मस्तिष्क दूषित हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे स्वस्थ शरीर के लिये, उत्तम स्वास्थ्य के लिये उत्तम भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार से उत्तम विचार मस्तिष्क में आयें, उसके लिये उत्तम वातातरण आवश्यक है। वैचारिक दृष्टि को प्रेरणा देने के लिये अच्छे इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया भी प्रेरणादयक होने चाहिये, नहीं तो अकबर इलाहाबादी ने कहा है :

हम उन कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं,
जिनको पढ़कर बेटे बाप को खब्ती समझते हैं।।

तो ऐसी ऐसी फिल्में या दूसरी चीजें दिखाई जायेंगी तो जिस उद्देश्य को लेकर आये हैं, वह पूरा नहीं होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि केबल नैटवर्क नियमन आदेश लाये हैं, वह दंतविहीन है। पिछले 3-4 महीनों से डाकखाने को या जिन अधिकारियों को यह काम दिया गया है, उसके बाद कितना पंजीकरण हुआ है? आपने कितनों पर कंट्रोल किया है? कितनों के खिलाफ कार्यवाही की है? प्रत्यक्ष किम् प्रमाणम? अभी गुजरात, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में विधान सभा के चुनावों के परिणामों के बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने आदेश दिया था कि चुनाव विश्लेषण या अन्य चुनाव की कोई चर्चा न की जाये, लेकिन बी.बी.सी. या जैन टी.वी. ने उन कार्यक्रमों को दिखाया। आपने क्या कार्यवाही की? दूरदर्शन तो मान गया लेकिन ये नहीं माने। हमारे संविधान में वाणी की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और इस पवित्र अधिकार की सीमा की मर्यादा में रहना होगा क्योंकि हमारे देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षिक और सामाजिक अच्छाइयां हैं कि इन सबको दृष्टिगत रखना होगा तभी हम केबल नेटवर्क और दूरदर्शन पर नियंत्रण कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कृषि नीति लागू की है, उद्योग नीति की घोषणा की है, व्यापार में उदारवाद लाये हैं। क्या इन सबकी तरह सरकार की कोई मीडिया पालिसी नहीं है, क्या सरकार ने इसके बारे में अपनी नीति घोषित की है?

मैं जानना चाहता हूं कि प्रसार भारती की बहुत पहले चर्चा हुई थी कि प्रसार भारती आएगा और उसके माध्यम से सूचना-प्रसारण संबंधी कार्य को विनियमित कर दिया जाएगा, लेकिन प्रसार भारती आज केवल मात्र कल्पना बनकर रह गया है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप यह फरमाना चाहते हैं कि हम लोग छोटे केबल टीवी की संरक्षण की बात कर रहे हैं लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि हिन्दूजा ग्रुप की एसिया कंपनी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी ने आपरेटर्स को दबाने की कोशिश की थी। यह जो केबल टीवी जाल को खरीदने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी, मंत्रीजी को इसके बारे में मालूम है। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। इसी प्रकार से जीटीवी ने गोयंका के माध्यम से पैसे के लेन-देन की बात की थी और वह बिहार में एक केन्द्र स्थापित करना चाहते थे। चाहे देशी अथवा विदेशी केबल नैटवर्क हो, लेकिन अगर छोटे-छोटे केबल नैटवर्कों को वास्तव में हम संरक्षण देना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं चाहे वह स्वदेशी हों या विदेशी, आपके बड़े-बड़े पूंजीपति और उद्योगपति अपने साधनों के बल पर उन पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं। उस एकाधिकार की प्रवृत्ति के प्रति भी हमें नियंत्रण स्थापित

करने प्रयास करना होगा। जब सारा संसार कहता है कि आकाश तो बिल्कुल मुक्त है, आकाश में उपग्रहों के माध्यम से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रोकने के लिए या केबल नैटवर्कों को आप विनियमित करना चाहते हैं तो उनको रोकने के लिए आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? आज पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ कश्मीर के मसले पर दुष्प्रचार कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे पास नहीं है। हमारा टीवी कहता है कि हमने सैन्सरशिप एक्ट लागू कर रखा है। हम देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वेदमंत्रों का प्रसारण क्यों नहीं किया जाता। इस देश की संस्कृति का मूल आधार वही है। क्या कभी वेद-मंत्रों की ऋचाओं को आपने टीवी में दिखाया है जैसे अन्य भक्ति-भजन के कार्यक्रम आते हैं? वेद किसी धर्म विशेष के लिए नहीं हैं, मानव मात्र कल्याण की बात उनमें कही गई हैं। इनका गान टीवी पर नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे टीवी पर या केबल नैटवर्क के माध्यम से जैसे ग्रंथ साहब का पाठ होता है, गीता और रामायाण का पाठ दिखाते हैं उसी प्रकार से वेद-मंत्रों की ऋचाओं का पाठ भी होना चाहिए।

मान्यवर, संस्कृति की बात कहने वाले लोगों के बारे में मुझे आश्चर्य होता है। आज गांव का आदमी जब भी एक दूसरे से मिलता है तो राम राम या जय राम जी कहता है। इस सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर टीवी और रेडियो पर किसान भाईयों के कार्यक्रम में राम राम कहने पर रोक लगा दी और इसका दुष्परिणाम इन्हें भुगतना पड़ा। राम राम शब्द केवल मंदिर में स्थापित राम के लिए नहीं है, वह तो जन-जन के अंदर रमा हुआ है, राम हमारे दिल में बसता है, राम घट-घट में व्याप्त है, राम हमारी संस्कृति के आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। मान्यवर, सत्यम् शिवं सुन्दरम् जो शब्द दूरदर्शन पर आते थे उसे भी दूरदर्शन ने दिखाना बंद कर दिया और आप स्टार टीवी और बीबीसी पर रोक लगाने की बात करते हैं। मंडी हाऊस के वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले लोग जो देश की संस्कृति से परिचित नहीं है वे इस प्रकार के निर्णय लेते हैं। माननीय सिंह देव जी तो भारतीय संस्कृति के बड़े परम अध्येता रहे हैं और आपने सारे धर्मों के संगम अजमेर में शिक्षा प्राप्त की है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जांच करें कि इस प्रकार की जो प्रवृत्ति दूरदर्शन और आकाशवाणी में चल रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर हम संस्कृति की बात करते हैं, वैचारिक दृष्टि से आचार-शास्त्र को लागू करने की बात करते हैं।

मान्यवर, केबल अध्यादेश की किस प्रकार धज्जियां उड़ायी जा रही हैं इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे एक मित्र ने बताया कि वह केबल नैटवर्क का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डाकखाने में फार्म लाने गए तो वहां पर फार्म ही नहीं थे और दिल्ली के किसी डाकखाने मे कई दिनों तक रजिस्ट्रेशन का काम ही नहीं हुआ। यह तो मंत्रीजी ही बता सकते हैं कि कबसे फार्म मिले और कबसे रजिस्ट्रेशन होने लगा।

मान्यवर, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसमें आप केबल ऑपरेटर्स के हितों का तो ध्यान रख रहे हैं लेकिन उनके कार्यक्रमों को देखने वाले लोगों का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। वे इन कार्यक्रमों के बदले कितना पैसा लेते हैं, उस पैसे को रैगुलराइज करके जनता को शोषण से मुक्ति दिलाने की बात भी क्या इस बिल में है? इस बिल में विज्ञापन कोड, प्रोग्राम कोड और अन्य सारी बातें हैं लेकिन इनके माध्यम से जो प्रोग्राम ठेठ गांवों तक पहुंचते हैं उन पर भी कोई निगरानी है? ये लोग इन पर ब्ल्यू फिल्में तक दिखाते हैं और हमारे देश के नौजवानों को, हमारी संस्कृति और चरित्र को गिराने का प्रयास करते हैं। यह टी.वी. "टी.वी." की तरह हमारे समाज पर घुन की तरह लग गया है।

हमारे यहां कहा गया है कि "जैसा करेंगे संग—वैसा चढ़ेगा रंग", "जैसा खायेंगे अन्न-वैसा बनेगा मन", "जैसा पीयेंगे पानी-वैसी बोलेंगे वानी", "जैसी होगी दृष्टि-वैसी होगी सृष्टि", "जैसे होंगे विचार-वैसे बनेंगे आचार", "जितने जानेंगे तथ्य-उतना बोलेंगे सत्य"। मेरा कहने का आशय है कि वाणी की पवित्रता होनी चाहिए लेकिन इस वाणी को संयमित करने के नाम पर कई खबरें भी टी.वी. पर नहीं आती हैं। जहां लाखों लोग इकट्ठे होकर शाम को टी.वी. खोलकर बैठते हैं लेकिन दूरदर्शन से कोई समाचार नहीं आएंगे। टी.वी. और आकाशवाणी की तो शुतुरमुर्ग जैसी प्रवृत्ति हो गयी है। मैं समझता हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और सही स्थिति हमारे देश की जनता तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब टी.वी. और आकाशवाणी पर सही स्थिति नहीं आती है तो मजबूर होकर जनता को बी.बी.सी. स्टार, जैड या अन्य चैनल लगाना पड़ता है।

मान्यवर, आप और हम सब चाहते हैं कि केबल नेटवर्क का विनियमन हो, लेकिन विनियमन कब होगा जब हम जागरूक होंगे। हमारा उद्देश्य अच्छा है लेकिन जिस तरीके से लाया गया है वह तरीका गलत है और जो लाया गया है उसमें भी दम नहीं है। उसमें कई कमियां निकल जायेंगी, परिणामस्वरूप न तो केबल ऑपरेटर्स के हितों की रक्षा होगी और न ही अच्छे कार्यक्रम आयेंगे। आप सर्वेक्षण करा लीजिए, पिछले एक साल के अंदर जबसे टी.वी. के 11-12 चैनल शुरू हुए हैं तबसे किसी एक-दो कार्यक्रमों, जैसे-रंगोली आदि की तो मैं नहीं कहता, लेकिन अन्य कार्यक्रमों के मुकाबले विदेशी चैनलों के कार्यक्रमों को अधिक पसंद किया जाता है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अजमेर राजस्थान की हृदय-स्थली है और अजमेर में दो साल हो गए, भारत सरकार द्वारा घोषणा की गयी थी कि वहां पर शक्तिशाली टी.वी. ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से भीलवाड़ा, पाली, नागौर और जैसलमेर तक का इलाका कवर हो जाएगा। लेकिन अभी तक भी उस घोषणा का कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान रखें। स्माल ऑपरेटर्स को प्रोटैक्ट अवश्य किया जाये लेकिन बड़े ऑपरेटर्स को कैसे कंट्रोल किया जाये, इसके बारे में माननीय मंत्री जी यदि कुछ बता सकें तो बहुत अच्छी बात होगी।

इसके साथ-साथ जब हमने उदारीकरण की नीति को मान ही लिया है, ग्लोबलाईजेशन के नाम पर जब अपने देश में हम सभी को आने की इजाजत दे रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी यहां आयेंगे

और कुछ बुरे भी आयेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि बाहर से आने वाले बुरे विचारों को रोकने के लिये समुचित प्रबन्ध किए जायें। विदेशी प्रचार माध्यमों को हम अपने देश में तो आने दें, उन्हें अपने अखबार छापने की अनुमति भी दें लेकिन वे अपने कार्यालय यहां स्थापित न कर पायें परन्तु हमारे मामलों में किसी तरह से दखल न दे पायें, इसकी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिये। विदेशी मीडिया पर हमारा पूरा नियंत्रण रहे। इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

6.21 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बसंल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का सैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक-जारी

अध्यक्ष महोदय : सभा की राय है कि हम आधा घण्टा या 45 मिनट और बैठें ताकि मंत्रीजी बहस का उत्तर दे सकें।

मैं समझता हूं इसको सभा की स्वीकृति है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इसके लिए मुझे एक घण्टा चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : हम कल बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, अपना उत्तर आरम्भ करें। फिर 5 मिनट बाद हम फैसला कर सकते हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को पूरा समर्थन देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। विधेयक के मुख्य रूप से तीन उद्देश्य हैं। पहला केबल टी.वी. को कानूनी दर्जा देना है। दूसरा केबल टी.वी. के लिए स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा विधान लाया गया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है इसे वैधता प्रदान करना।

अभी तक हमारे पास इस विषय में कुछ भी उपलब्ध नहीं था। श्री भार्गव तथा अन्य सदस्यों ने इस विधेयक में वर्णित उद्देश्यों और विवरण का हवाला दिया है। आज केबल टेलीविजन नेटवर्क बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध के बाद इसमें तेजी आई है। जब सी.एन.एन. के माध्यम से स्विच घुमाते ही कई चैनल देखने को मिले।

अतः इस पर सरकार 1988-89 से ही विचार कर रही थी। हम अचानक ही अध्यादेश नहीं लाए। सरकार सांस्कृतिक आक्रमण के प्रति जागरूक थी। अतः भारत सरकार ने 1988 से ही कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी थी कि केबल टीवी को कैसे नियंत्रित किया जाए। हम प्रतिबन्ध लगाने पर विश्वास नहीं रखते, न ही हम लोगों को जानकारी से वंचित रखना चाहते हैं। हम यह नहीं कहते कि इस विधेयक में कोई कमियां नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे देश की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और अखण्डता के साथ समझौता हुआ। अध्यादेश तैयार करने से पहले सरकार ने विभिन्न विभागों से परामर्श किया। उसके बाद यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष गया, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए।

महोदय, यह विधेयक 1992 से पड़ा हुआ है। इसे अगस्त, 1993 में राज्य सभा में लाया गया फिर स्थायी समिति को भेजा गया जिसकी चार बैठकें हुई। उसने केबल आपरेटरों को बुलाया। फिर विधि-कार्य विभाग ने इसकी समीक्षा की, संचार मंत्रालय ने जांच की क्योंकि ये दोनों इससे सम्बन्धित हैं। इस पर पूर्णतः विचार किया गया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। अन्यथा यह मेरे विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला बन सकता है। यह मेरा सौभाग्य है कि राज्य सभा ने इसे पास कर दिया। इसमें दो वर्ष का समय लगा। अन्यथा मेरा 1991-96 तक का पांच साल का कार्यकाल इस विधेयक के पारित हुए बिना बीत जाता और समस्त केबल टीवी नेटवर्क विनियमों, वैधता के बिना काम करता। यह विधि-सम्मत नहीं होता जैसा कि 1989 से हो रहा है।

महोदय, यदि आप चाहते हैं कि मैं आज ही अपना उत्तर पूरा करूं तो मैं एक-एक मुद्दे को लूंगा। इसमें कम से 45 मिनट लगेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की क्या राय है?

कुछ माननीय सदस्य : उत्तर कल दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब हम सभा स्थगित करेंगे।

सभा बुधवार, 15 मार्च, 1995 को 11 म.पू. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.26 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 15 मार्च 1995/24, फाल्गुन 1996 शक के 11 बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।